हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 अगस्त, 2023

खण्ड–2, अंक–2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 28 अगस्त, 2023

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव

श्री नीरज चोपड़ा को विश्व एथलैटिक्स चैम्पियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मैडल जीतने पर बधाई देना

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

डिवाइन पब्लिक स्कूल, शाहबाद के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

हरियाणा के पूर्व मंत्रियों का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

राज्यसभा सदस्य एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना

शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना

मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह के त्याग पत्र का मामला उठाना

स्थगन प्रस्ताव का मामला उठाना

बैठक का स्थगन

नूँह एवं गुरुग्राम में हाल ही में हुई हिंसा पर चर्चा करवाने का मामला पुनः उठाना

बैठक का स्थगन

अल्पावधि सूचना संख्या 2 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 में जोड़ने के सम्बन्ध में मामला उठाना और ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 को आधे घण्टे के लिए डैफर करना

लिस्टिड प्रश्नों का जवाब देरी से आने के बारे में मामला उठाना

नूँह हिंसा के मामले में सत्ता पक्ष द्वारा कांग्रेस पार्टी का नाम लिए जाने का मामला उठाना

रानिया निर्वाचन क्षेत्र के एकैडेमिक टॉपर्ज विद्यार्थियों का अभिनन्दन

शून्यकाल में बोलने बारे में मामला उठाना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे आर्डिनैंस को सदन के पटल पर रखना

वर्ष 2011—12, 2012—13, 2013—14, 2014—15, 2015—16, 2016—17 तथा 2017—18 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर प्रस्तुतीकरण, चर्चा तथा मतदान

नेवा पोर्टल के माध्यम से प्राक्कलन समिति की वर्ष 2023—24 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वर्ष 2023—24 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

डिमांड्स की हार्ड कापी सदस्यों को उपलब्ध करवाने के बारे में मामला उठाना

सरकारी प्रस्ताव—

लोक ऋण अधिनियम, 1944 एवं सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 में संशोधन के निरसन के बारे में

हरियाणा के भूतपर्व मंत्रियों/विधायकों का अभिनंदन करना

विधायी कार्य—

(क) विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक

(1) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023

हरियाणा विधानसभा की भूतपूर्व सदस्या का स्वागत

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

चौधरी मनी राम गोदारा राजकीय महिला महाविद्यालय, भोड़िया खेड़ा, जिला फतेहाबाद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन

कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, भिवानी रोहिल्ला, जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

जाति सूचक शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकलवाने का मामला उठाना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' पदों की पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा करना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

(2) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

(3) हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन), 2023

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

''दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से फसल को हुए नुक्सान बारे''

वक्तव्य–

उपमुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

बैठक का समय बढ़ाना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

(ख) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक–

1. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
2. हरियाणा वाद्य (शोर–नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023
3. हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023
4. सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023

कैग की रिपोर्ट से संबंधित फाइनैंशियल मिसमैनेजमैंट का जवाब देने के बारे में सूचना देना

क्लीन हुई ड्रेन्स, कैनाल्स, रिवर्ज से संबंधित डाटा सदन में ले डाउन करने के बारे में सूचना देना

हरियाणा विधान सभा
सोमवार, 28 अगस्त, 2023

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पूर्व ही हमारे बीच से हमारे एक पूर्व विधायक हमें छोड़कर चले गए हैं। उनके जाने से जो सदन का दुख हुआ है उसके कारण से मैं उनका एक शोक प्रस्ताव पढ़ रहा हूं। यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी रण सिंह बेनीवाल के 26 अगस्त, 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 01 जनवरी, 1935 को हुआ। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन सरपंच के रूप में शुरू किया था। वे वर्ष 1980 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य पूर्व विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री आफताब अहमद (नूंह) : अध्यक्ष जी, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है। मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी रण सिंह बेनीवाल के 26 अगस्त, 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट

करता हूं। उनका जन्म 01 जनवरी, 1935 को हुआ। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन सरपंच के रूप में शुरू किया था। वे वर्ष 1980 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य पूर्व विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है व उस पर इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने जो अपनी संवेदना प्रकट की है मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि वे उस महान आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर मौन धारण किया।)

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। ऊं शांति ।

श्री नीरज चोपड़ा को विश्व एथलैटिक्स चैम्पियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मैडल जीतने पर बधाई देना।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक समाचार पूरे सदन के लिए बताना चाहता हूं और मुझे लगता है कि पूरा सदन जरूर उसमें भागीदार होगा। वैसे तो यह सभी को मालूम है कि हमारा देश अपने बहुत से क्षेत्रों में उपलब्धियों के कारण पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहा है और ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने, अभी आज ही जो प्रात: काल समाचार आये हैं कि विश्व एथलैटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मैडल जीत लिया है। यह भारतवर्ष का पहला ऐसा युवा है जिन्होंने विश्व स्तरीय एथलैटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मैडल हासिल किया है। मैं इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों को, उनके कोच जो उनको खेल सिखाते हैं और सभी खेल समर्थकों को बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे इसी प्रकार प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहें। हरियाणा सरकार सभी खिलाड़ियों की आवश्यकताओं के लिए जो कुछ भी सम्भव सहायता है हम उसको लगातार पूरा करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर सदन की ओर से उनको बधाई देता हूं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

सड़क चौड़ी करना

***21**. **श्रीमती निर्मल रानी :** क्या माननीय उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या गन्नौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली गन्नौर- शाहापुर सड़क एम. डी. आर. -121 को 7 मीटर से 10 मीटर तक चौड़ी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): No sir.

श्रीमती निर्मल रानी: अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे जो जवाब दिया गया है वह यह है कि इस सड़क की स्थिति संतोषजनक है जबकि वास्तव में इस सड़क की स्थिति संतोषजनक नहीं है। खानपुर विश्वविद्यालय के लिए भी यही सड़क जाती है और खानपुर पी.जी.आई. के लिए भी यही सड़क जाती है इसलिए यह सड़क वहां के लोगों की लाइफलाइन है। यह चौड़ी भी होनी चाहिए और इसमें बहुत गड्ढे हैं उनको भी ठीक किया जाये। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जल्दी से जल्दी दी जाये। इसके अतिरिक्त गन्नौर में माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बार गये थे और वे कमिटमैंट करके आये थे कि सनपेड़ा-राम नगर रोड की हालत बहुत खराब है उसकी रिपेयर की जायेगी। वहां पर फ्री जोन है और वहां पर फैक्ट्रियां बहुत आ गई हैं जिसके कारण वह रोड टूटी हुई है और उसका खामियाजां वहां के ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार से राम नगर से घसौली, राम नगर से धतूरी और लड़सोली से धतूरी रोड की भी हालत बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके

माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन सड़कों के टैंडर यथाशीघ्र लगवाए जायें।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने गन्नौर-शाहपुर रोड के बारे में प्रश्न पूछा था जिसको हम एम.डी.आर. 121 कहते हैं। इसके लिए हाल ही में 08.08.2023 को नाबार्ड ने 19.76 करोड़ रुपये की एप्रूवल दी है। इस सड़क का 2/3 हिस्सा पहले 5 मीटर चौड़ा था जिसको अब 7 मीटर चौड़ा किया जायेगा और 1/3 हिस्सा पहले भी 7 मीटर चौड़ा था उसको 7 मीटर की चौड़ाई में ही स्ट्रैंथन किया जायेगा। इसका टैंडर इस महीने में ही फ्लोट कर दिया जायेगा और इस सड़क को गन्नौर से शाहपुर तक पूरा कर दिया जायेगा।

श्रीमती निर्मल रानी: धन्यवाद, सर।

मारकंडा नदी की खुदाई तथा सफाई करना

***22**. **श्री रामकरण** : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या यह तथ्य है कि बाबा मारकंडा नदी शाहबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (जिला कुरूक्षेत्र) से होकर बहती है तथा पिछले कई वर्षों से उक्त नदी की खुदाई तथा सफाई का कार्य नहीं किया गया है; यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि सफाई व खुदाई का कार्य न होने के कारण बरसात के मौसम में नदी खतरे के निशान से ऊॅपर बहती है तथा पूरे क्षेत्र में बाढ़

आ जाती है; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या भविष्य में उक्त समस्या की रोकथाम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):

(क) हां, श्रीमान जी। इसका कारण यह है कि चैनलों और ड्रेनों की सफाई और खुदाई की वार्षिक कार्य योजना बनाई जाती है, नदियों के लिए नहीं बनाई जाती। इसके अलावा, नदियां घुमावदार प्रकृति की होती हैं, जिसका चैनलों और ड्रेनों की तरह कोई परिभाषित सैक्शन नहीं होता।

(ख) नहीं, श्रीमान जी। विनाशकारी बाढ़ और ज्यादा पानी आने के कारण खतरे का निशान पार हो गया था जोकि फ्री बोर्ड में अच्छी तरह से समायोजित हो गया था। मौजूदा बंधों में अंतराल के कारण बाढ़ आई क्योंकि नदी की 100 प्रतिशत लम्बाई के लिए कभी भी बंध नहीं बनाए जाते हैं, जबकि चैनलों और ड्रेनों के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद 100 प्रतिशत तटबंध बनाए जाते हैं। नदी की भूमि निजी भू–मालिकों की है और इसका कभी भी अधिग्रहण नहीं किया गया है। इसके अलावा, नदियों के साथ बंध केवल उसी लम्बाई में बनाए जाते है जहाँ नदी आबादी क्षेत्र के पास बहती है जिससे उस आबादी क्षेत्र की सुरक्षा हो सके और इसके लिए किसानों द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाती है।

. ...

@ उपरोक्त तारांकित प्रश्न का उत्तर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) द्वारा दिया गया।

(ग) श्रीमान जी। मौजूदा बंधों में खाली जगहों को भरने और बाढ़ को रोकने के लिए सरकार द्वारा पहले प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था, लेकिन भू—मालिकों की जमींन नहीं देने के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। हालांकि, अब सरकार के द्वारा खनन विभाग के माध्यम से जहां भी आवश्यक हो, नदियों की सफाई और गाद निकालने की योजना बनाई जा रही है और उपलब्धता का आंकलन करने के बाद आवश्यकता/मांग के अनुसार बंधो का निर्माण किया जाएगा।

श्री रामकरण: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बाबा मारकण्डेय पवित्र नदी की शाहबाद में पिछले 14 सालों से सफाई नहीं हुई है। इसकी सफाई न होने की वजह से इसके बंध टूट गये हैं और उसके कारण सभी नहरें भी बंद पड़ी हुई हैं। इसके बारे में पहले ही संज्ञान लिया जाना चाहिए था। इसके कारण किसान, मजदूर और शहर का बहुत नुकसान हुआ है। जितने भी खेतों के खाल थे वे भी बंद पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से माइनिंग में जिन लोगों के खेत आते हैं या तो उनकी जमीनों की कीमत दी जाये या माइनिंग से होने वाली आमदनी में किसानों को 40 प्रतिशत हिस्सा दिया जाये। किसानों का इस बारे में यही कहना है कि मारकंडेय नदी की खुदाई की जाये ताकि उनकी जमीनों का और फसलों का नुकसान न हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान है। 90 गांवों में किसी किसान का ट्यूबवैल नहीं बचा है और न ही किसानों की फसल बची हैं। उनकी गन्ने की फसल भी खराब हो गई है। इसके समाधान के लिए बांध बांधे जायें तथा मारकंडेय नदी की सफाई करवाई जाये ताकि किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा

सके। इससे सरकार को भी नुकसान होता है क्योंकि आज मार्केटिंग बोर्ड की कोई भी सड़क नहीं बची है। साथ ही साथ पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें भी टूट गई हैं। अगर बांध बंध जायें और उस बांध पर सड़क बन जाये तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए बरसात बंद होने के बाद ये बांध बंधने चाहिए। खानपुर, डाडलू, पाडलू, दामली, रावा, छपरा, छपरी, त्यौड़ा, त्यौड़ी, खानपुर ढोला इत्यादि गांवों में आज भी पानी भरा हुआ है और उन किसानों की गेहूं की फसल की बिजाई होने की सम्भावना भी नहीं । अभी तक किसी भी जमींदार के ट्यूबवैल का व फसल खराबे के मुआवजे का कोई सर्वे नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस बांध को कब तक बंधवा दिया जाएगा । अगर सरकार हमें बांध बांधने के लिए मशीन नहीं देती है तो आप इस काम को माईनिंग विभाग को दे दीजिए इससे सरकार को भी फायदा है और जमींदार को भी फायदा है । आज एक-एक मकान क्रैक आने से 15-15 लाख रूपये का नुकसान हुआ है । इसी के साथ आज एक फसल को लगवाने के लिए जमींदार का 15-15 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा आता है । अगर किसी जमींदार को एक फसल को तीन बार लगवाना पड़ गया है तो उसके तो 45 हजार रूपये प्रति एकड़ पर खर्च हो जाता है । इसी तरह से आज गन्ने की फसल के ऊपर 50 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा आता है । जिसकी वजह से आज किसी भी खेत में गन्ना नहीं रहा है अधिक खर्च होने के कारण जीरी की खेती भी कम हो रही है । आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे

हल्के में कम से कम 200 ट्यूबवैल बैठ गये हैं जिसमें एक ट्यूबवैल को लगाने पर 5 लाख रूपये लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, कम से कम सरकार कोई ऐसी घोषणा तो जरूर करे कि हम किसी का ट्यूबवैल बैठने पर उसको एक लाख रूपये मुआवजा देंगे या गन्ने की फसल खराब होने पर हम 40 या 50 हजार रूपये मुआवजा देंगे। अभी तक सरकार ने केवल एक बार फसल लगाने के 15 हजार रूपये मुआवजा देने की घोषणा की है लेकिन जिस जमींदार ने दो बार अपनी फसल लगा ली है तो उसको कितना मुआवजा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज जमींदार इतना परेशान है कि जब भी हम किसी गांव में जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि जो मुआवजा देने की घोषणा की गई है पहले आप हमारा वह मुआवजा तो दिलवा दीजिए। आज अगर हमारी दादूपुर नलवी नहर बंद न होती तो मेरा पूरा कुरूक्षेत्र, पूरा पिपली और पूरा शाहाबाद बिल्कुल भी नहीं डूबना था। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इन सभी नदियों की सफाई करवाई जाए क्योंकि आज खानपुर से लेकर आगे जितने भी गांव पड़ते हैं वे सभी बाढ़ से ग्रस्त हैं।

श्री अध्यक्ष : रामकरण जी, आपने बता दिया है, मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

श्री राम करण : अध्यक्ष महोदय, यह मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। चाहे तो सरकार इन नदियों की खुदाई करवाए या फिर जमींदारों को खुदाई करने के लिए कहे। अगर कोई किसान इनसे मिट्टी उठाता है तो उस पर चालान कर दिया जाता है।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि इस बार बाढ़ आने के कारण पानी ज्यादा आया है और मारकंडा नदी में भी एतिहासिक पानी आया है। वर्ष 1978 में इसके अन्दर 38 हजार क्यूसिक पानी आया था और इस बार लगभग 49522 क्यूसिक पानी आया है लेकिन कहीं पर भी नदियों की खुदाई नहीं की जाती है। माईनिंग का काम तो जरूर किया जाता है। अगर नदियों के किनारे कहीं कमजोर हैं तो उनको मजबूत करने का काम तो किया जाता है लेकिन खुदाई करने का काम तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरी माईनर या जो छोटी नहरें हैं उनमें ही किया जाता है इसलिए इस बार जो पानी भरा है वह तो दरिया के अन्दर पानी कम होने से ही निकलेगा। जहां-जहां पर टूटे हुए पैच हैं वहां-वहां हम उनको ठीक करके किनारों को मजबूत बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस बार एक यह भी नीति बनाई है जिस प्रकार से दरिया का फलो टेढ़ा-मेढ़ा होता है लेकिन एक ग्रिडिएंट मेनटेन करने के लिए अगर रेत ऊपर आ जाता है तो उसको निकालने का काम माईनिंग विभाग की बजाए नहर विभाग को दिया जाए। हम इस संबंध में कमेटी बनाकर जल्द ही फैसला कर देंगे ताकि पानी एक लैवल से ऊपर न चढ़े और आगे निकल जाए। यह मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। नदियों के किनारों को मजबूत करने का काम हम जरूर करेंगे। इस बार जो बाढ़ आई है वह इस वजह से नहीं आई है कि नदियों की सफाई नहीं हुई है क्योंकि दरिया की सफाई देश में कोई नहीं करता है। हम माईनिंग के काम जरूर करते हैं। इस बार यहां जो पानी आया है वह बहुत ज्यादा आया है जिसकी वजह से खेतों

में पानी के भराव से किसानों का नुकसान हुआ है। माननीय सदस्य ने बताया है कि पानी के भराव से ट्यूबवैल्ज बैठ गये, घरों में दरारें आ गई उसके लिए हमारा क्षतिपूर्ति पोर्टल जारी है। चाहे किसी मवेशी का, फसल का नुकसान हुआ, घर में दरार आई, ट्यूबवैल बैठ गया तो हर चीज का एक नियम बनाकर हमारी हर चीज की भरपाई करने की कोशिश है। मुख्यमंत्री जी ने इस पोर्टल के माध्यम से सर्वे करवाकर उसका डाटा मंगवा लिया है और उसके तहत हम किसानों की भरपाई करेंगे।

श्री राम करण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि हमारी दादूपूर नलवी नहर बंद पड़ी हुई है उससे जो नाले निकले हुए थे उनको आप जाकर देखिये। आप एक कमेटी बनाइये और मेरे साथ चलकर देखिये कि अगर आज दादूपुर नलवी नहर खुल रही होती तो आज जमींदार को कितना फायदा होता। आज सरकार को जो मुआवजा देना पड़ा वह मुआवजा देने की जरूरत नहीं थी। वह पैसा उस नदी के ऊपर लगा देते। दूसरा मारकंडा नदी जो पवित्र धरती है वह हर साल खोदी जाती थी उसमें सरकार का भी फायदा है और जमींदार का भी फायदा है आप उसका ठेका दीजिए और उसकी माईनिंग करवाइये। आप इस संबंध में कमेटी बनाइये मैं मौके पर आपको दिखाउंगा कि किस वजह से बंध टूटे हैं। यह हर साल का काम है मेरे हल्के के अन्दर अब भी दो-दो, तीन-तीन फीट पानी खड़ा है। आप कमेटी बनाइये मैं कमेटी को दिखाउंगा। आप मेरे साथ एक समझदार अधिकारी को भेजो मैं एक-एक प्वायंट बता दूंगा कि कहां से बंध टूटा और कैसे

टूटा। मुझे हर किल्ले का पता है और हर जमींदार का पता है, हर डेरे का पता है कि यहां से यह बंध इस वजह से टूटा है। मैं तो मंत्री जी से इस बात का जवाब मांग रहा हूं। मुझे 15 दिनों के अन्दर इसका जवाब दिया जाए नहीं तो मैं वहां 15 दिन के बाद अपने आप मशीन चला दूंगा उसके लिए जमींदार भी तैयार हैं कि आप अपनी मशीन चलाकर बंध बांध दें। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि 15 दिन में सरकार की तरफ से हमें मशीन मिलेगी या नहीं मिलेगी।

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि नहर विभाग और माइनिंग विभाग, मिलकर इसका लैवल चैक करके एक ग्रिडिएंट से उपर जो सिल्ट है, उसको उठाने का प्रावधान कर रहे हैं तथा उस सिल्ट को माइनिंग एक्ट से बाहर निकालने की भी बात कर रहे हैं। इसके लिए एक कमेटी हमने बना ली है और यह कमेटी आदरणीय विधायक जी से भी संपर्क करेगी और मौका भी देखेगी और जैसे इनके सुझाव मिलेंगे, उन सुझावों पर काम भी करेगी।

डिवाईन पब्लिक स्कूल, शाहबाद के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि डिवाइन पब्लिक स्कूल, शाहबाद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की

कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जब इस बार फल्ड आई थी तो माननीय श्री राम करण, विधायक, शाहबाद ने स्वयं अपने आप को रस्सी से बांधकर और फल्ड के कारण जहां बांध ब्रीच हुआ था, वहां डाइव करके दो बच्चों की जान बचाने का काम किया था। **(इस समय सदन में मेजें थपथपाई गई।)**

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय ने तो यह बहुत अच्छा काम किया है।

श्री अध्यक्ष: रामकरण जी, आपको बहुत-बहुत बधाई।

अस्पताल भवन का निर्माण कार्य

***23**. श्री सुभाष सुधा : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि –

(क) क्या यह तथ्य है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 10190 दिनांकित 04.06.2015 के अनुसार लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, कुरूक्षेत्र के पुराने भवन की जगह नए भवन का निर्माण किया जाएगा; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य अब तक आरंभ न किए जाने के क्या कारण हैं तथा उपरोक्त भवन का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

Health Minister (Shri Anil Vij):

a) Yes, Sir.

b) Two new blocks are being constructed at LNJP hospital in two phases of 100 beds each. One 100 bedded block in Phase-I has already been constructed and handed over. Currently the hospital is operational in this building.

Administrative approval of Rs. 88.52 crores for construction of 100 bedded 2nd block in Phase-II in place of old hospital building has already been accorded on 02.01.2023. Construction work of 2nd block by PWD (B&R) will commence after demolition of the old building and it is expected to take approximately 02 years to complete.

श्री सुभाष सुधा: आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी , मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे प्रश्न के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा न. 10190 दिनांक 4.6.2015 को की गई है। स्पीकर सर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भवन-निर्माण की ड्राइंग सबसे पहले दिनांक 3.1.2022 को एप्रूव की गई थी। इसके पश्चात लगभग 15 महीने के बाद फिर कह दिया गया कि दोबारा से ड्राइंग बनेगी।

15 महीने के बाद दिनांक 7.8.2023 को इस ड्राइंग को एप्रूव करने का काम किया गया। इसके बाद थर्ड टाइमर्स स्वास्थ्य विभाग द्वारा चीफ आर्किटेक्ट, हरियाणा को ई-मेल के माध्यम से सूचित कर दिया गया कि इसकी ड्राइंग फाइनल करनी है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह ड्राइंग कब तक फाइनल होकर एप्रूव हो जायेगी और कब तक नए होस्पिटल के नए भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा क्योंकि चार महीने के बाद तो आचार संहिता लग जायेगी। स्पीकर सर, मेरे पास इससे संदर्भित कापी भी है। पिछले डेढ साल से इस भवन की ड्राइंग फाइनल नहीं हो पा रही है। मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस होस्पिटल के भवन की जल्द से जल्द ड्राइंग फाइनल कराकर, काम शुरू करवाया जाये। माननीय मंत्री जी ने 100 बैड का होस्पिटल पहले भी बनाया है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी के साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा और जिस 100 बैड के होस्पिटल के भवन के निर्माण के लिए मैंने आज प्रश्न लगाया है, इस होस्पिटल का कार्य बहुत दिनों से रूका पड़ा हुआ है, के संदर्भ में मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस होस्पिटल के भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाये।

Shri Anil Vij: Sir, administrative approval of Rs.88.58 crores for construction of 100 bedded 2nd Block in Phase-II in place of old hospital building has already been accorded on 02.01.2023. Construction work of 2nd Block by PWD(B&R) will be

commenced after demolition of the old building as it is expected approximately 2 years from now.

श्री सुभाष सुधा: आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इस हौस्पिटल के भवन की तीन बार ड्राइंग बनी है लेकिन बावजूद इसके तीनों बार यह ड्राइंग फाइनल नहीं हो पाई है । मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इस हौस्पिटल के भवन की ड्राइंग को फाइनल करके, होस्पिटल के भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करवा दिया जाये ।

श्री अनिज विज: अध्यक्ष महोदय,अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद पिछले माह सारे डिपार्टमैंट्स जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, की मीटिंग ली थी। हमने अपनी सरकार के नो साल के समय में 153 हौस्पिटल्ज के भवन बनाकर दिए हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें से 55 सब हैल्थ सैंटर्ज बनाये हैं, 48 प्राइमरी हैल्थ सैंटर्ज बनाये हैं, 33 कम्युनिटी हैल्थ सैंटर्ज बनाये हैं, 17 हौस्पिटल्ज बनाये हैं और 631 करोड़ 98 लाख रूपये की लागत से हमने यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है । इसके साथ ही हमने और भी निर्माण कार्य के लिए पी.डब्ल्यू.डी (बी.एंड आर.) डिपार्टमैंट को पैसे दिए हुए हैं। मैंने टूटी-फूटी सारी पी.एच.सीज. को तोड़कर, नई पी.एच.सीज. बनाने के आदेश जारी किए हैं । हमने 162 पी.एच.सीज. आइटेंटिफाई की हुई हैं जोकि पुराने कोलोनियल समय की बनी हुई हैं और वे टूटी फूटी हैं, उनको नया बनाने का काम हमने दिया हुआ है । स्पीकर सर, हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। यद्यपि हमने पैसा दिया हुआ है लेकिन एग्जिक्यूटिंग एजेंसी की

तरफ से डिले देखने को मिल रही है और यही कारण है कि मैंने इस संदर्भ में खुद मीटिंग लेने का काम किया है। यही नहीं मैंने सभी एग्जिक्यूटिंग एजेंसीज को अपने पास भी बुलाया था और मैंने उनको एक महीने का समय दिया था और यह भी कहा था कि उनके जो भी प्रौजैक्ट्स हैं, वे एक महीने के समय में काम आरम्भ कर दें। अध्यक्ष महोदय, हम स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल नया आउट लुक देना चाहते हैं।

चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया

* 24. श्री बिशन लाल सैनी : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या राज्य में विभाग द्वारा चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी; यदि हां, तो अब तक अपना पदभार ग्रहण करने वाले चिकित्सकों की कुल संख्या कितनी है तथा पदभार ग्रहण करने वालों व न ग्रहण करने वालों का प्रतिशत कितना है?

Health Minister (Shri Anil Vij): Yes Sir. The recruitment process of Medical Officers was started in January 2022 by the Health Department and the appointment letters were issued after completing all the formalities/procedures, in August 2022. Appointment letters were issued to 941 candidates, of whom 808 Medical Officers have joined the department. Speaker Sir, ever since Haryana has been formed इतनी बड़ी संख्या में कभी डाक्टर लगाये ही नहीं गए और न ही इतनी बड़ी संख्या में डाक्टरों ने एप्वॉयंटमैंट एसैप्ट की

थी। पहले हम डाक्टरों को लगा देते थे लेकिन वे नौकरी छोड़कर चले जाते थे लेकिन अब 941 में से 808 डाक्टरों ने ज्वॉयन कर लिया है। यही नहीं हमारी वेटिंग लिस्ट समाप्त होने से पहले हमारे पास 25 डाक्टर्ज की लिस्ट और आ गई थी और अभी 10 दिन पहले हमने इन 25 डाक्टर्ज को भी एप्वॉयंटमैंट लैटर देने का काम किया है और हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा डाक्टर्ज ज्वॉयन करवाकर, डाक्टर्ज की जो शार्टेज है, उसको पूरा करवाया जा सके।

श्री बिशन लाल सैनी: स्पीकर सर,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने बताया कि अब 941 डाक्टर्ज को एप्वॉयंटमैंट लैटर दिए गए हैं जिसमें से 808 डाक्टर्ज ने ज्वायन करने का काम किया है तो इस प्रकार से जो 133 डाक्टर्ज बचे हैं, जिन्होंने ज्वॉयन नहीं किया, के संदर्भ में यह भी कहा गया है कि इनको भी एप्वॉयंटमैंट लैटर दिए गए हैं और ये डाक्टर्ज भी ज्वॉयन कर लेंगे। यह बड़ी अच्छी बात है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि बड़ी संख्या में डाक्टर्ज ने ज्वॉयन किया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनमें स्पेशलिस्ट डाक्टर्ज कितने हैं और सिंपल एम.बी.बी.एस. डाक्टर्ज कितने हैं और साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि डाक्टर्ज की एप्वॉयंटमैंट के लिए जो पेपर लिया गया था, उसमें परसेंटैज कहां तक गई थी। क्या यह 55 परसेंट तक गई थी या 65 परसैंट तक गई थी ?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, एट प्रेजेंट 3073 मैडीकल आफिसर्ज काम कर रहे हैं जबकि सैंग्शंड वकैंसीज 3903 हैं। थोड़ा सा ही फर्क है लेकिन हम इसको भी पूरा करने का काम करेंगे। यहीं नहीं 167 डाक्टर्ज, हमें एन.एच.एम. ने भी दिए हैं। जहां तक स्पेशलिस्ट डाक्टर्ज के बारे में प्रश्न पूछा गया है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि आज की तारीख तक सिर्फ एम.बी.बी.एस. डाक्टर्ज ही भर्ती किए जाते थे और इसमें जो स्पेशल क्वालिफिकेशन रखते थे, हम उनको स्पेशलिस्ट डाक्टर्ज का काम देते थे। अध्यक्ष महोदय, मैंने अब स्पेशलिस्ट डाक्टर्ज का अलग से कैडर बना दिया है। अलग से इन स्पेशलिस्ट डाक्टर्ज की भर्ती होगी और अलग से इनके सर्विस रूल्ज बनाने का काम भी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र के दौरान भी बताया था कि और आज फिर बता रहा हूँ कि हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर मैडीकल सर्विसिज कहां-कहां पर किस-किस प्रकार की दी जाये, इसके लिए मैपिंग करवाने का काम किया गया है। इसकी रिपोर्ट कम्पलीट हो चुकी है और हफ्ते-दस दिन में यह रिपोर्ट आ जायेगी। अध्यक्ष महोदय, आज तक मैडीकल फैसिलिटीज डिमांड बेस्ड दी जाती थी। जहां पर विधायक साथी डिमांड कर देते थे, वहां पर मैडीकल फैसिलिटीज दे दी जाती थी लेकिन अब हमने यह प्रावधान भी कर दिया है जहां पर विधायक साथी की डिमांड भी नहीं है या चाहे जहां पर किसी भी पार्टी का विधायक ही क्यों न हो, हमने वहां पर नीड बेस्ड के आधार पर मैडीकल फैसिलिटीज देने का काम किया है। प्रदेश में नीड बेस्ड मैडीकल फैसिलिटीज दी जा सके, इसके

लिए मैपिंग करवाने का काम किया गया है और नीड बेस्ड मैडीकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने वाला हरियाणा प्रदेश, पहला प्रदेश बन गया है। सैंटर की एजेंसी में भी इस विषय को अवलोकन करने का काम किया गया है और अब वे बतायेंगे कि कहां पर पी.एच.सी. बनानी है, कहां पर कितने बैड का अस्पताल बनाना है और कौन सा इक्विपमैंट देना है। इस बाबत एजेंसी की रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है । जहां तक स्पैशलिस्ट डॉक्टर की बात है जिस अस्पताल/पीएचसी में जितने स्पैशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत होगी मैं उनकी भर्ती अलग से किया करूंगा । मैंने इसकी व्यवस्था कर दी है ।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के बारे में सारी बातें बताई हैं यह उनकी अच्छी बात है लेकिन मैंने पूछा था कि परसैंटेज कहां तक गई है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पेपर लिया था उसमें 65 परसैंट तक लिये हैं या 55 परसैंट तक लिये हैं ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह सैप्रेट क्वैश्चन है । हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत विशाल हृदय हैं । उन्होंने हर माननीय सदस्य को वैसे भी प्रश्न पूछने की इजाजत दे दी है । अत: माननीय सदस्य मुझे बाद में अलग से प्रश्न भेज दें । मैं उन्हें पूरी डिटेल दे दूंगा ।

हरियाणा के पूर्व मंत्रियों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा एवं श्री सुभाष बतरा, हरियाणा के पूर्व मंत्री सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

सड़कों का निर्माण करना

*25. **श्रीमती सीमा त्रिखा:** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या ग्रीन फील्ड कॉलोनी की सड़कों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों का निर्माण कब तक किए जाने की सभांवना है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता):

(क) हां महोदया ।

(ख) मामला न्यायालय में विचाराधीन है एवं सड़को के निर्माण के मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रयास किऐ जा रहे है।

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री का पहले धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्न के पहले भाग का 'हां' में उत्तर दिया है। उन्होंने प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब दिया है कि मामला न्यायालय में है। मेरा

कहना है कि न्यायालय में जो मामला है वह दो अलग-अलग पार्टीज का है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार परमार्थ के लिए काम करती है। जो दो लोग न्यायालय में गये हैं वे निजी स्वार्थ के लिए गए हैं। मेरा निवेदन है कि इस कानून में कोई भी चीज इस चीज के आड़े नहीं आती कि दो लोग लड़ें और सरकार द्वारा जनता के हितों की अनदेखी हो या उनको सुविधा न दी जाए। कोर्ट का मसला कोर्ट में रहेगा। यह ग्रीनफील्ड सोसायटी लगभग 25 सालों से बनी हुई है और इसके लोग बार-बार त्राहि-त्राहि कर रहे हैं कि हमें नगर निगम के अंतर्गत लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अंतर्गत इसे नगर निगम के अंतर्गत लाया गया और मैं वहां के लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सदन में पहले ही धन्यवाद कर चुकी हूं। इसे नगर निगम के अंतर्गत लाने के बाद अगर कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिए हैं कि वहां पर विकास कार्य नहीं होंगे तो मैं माननीय मंत्री जी के जवाब को सुनकर अपनी सीट पर बैठ जाऊंगी। अगर कोर्ट ने सरकार को ऐसे आदेश नहीं दिए हैं तो हम वहां पर प्रोविजनल तौर पर उनकी किसी भी बिल्डिंग/जमीन को अपने तरीके से लेकर उस काम को कर सकते हैं जोकि एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का काम होता है। इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि मुझे पता है कि समय को कोई बांध नहीं सकता। अभी हम जिस काल से निकल रहे हैं वह रक्षाबंधन का काल है। मैं कहना चाहती हूं कि मैं छोटी-सी, नन्ही-सी बहन हूं। सीमाएं सबकी होती हैं, मेरी भी सीमा है लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि माननीय मंत्री जी रक्षाबंधन

पर उस कॉलोनी के निवासियों को आश्वस्त करें कि आने वाले भैयादूज के बाद मैं इसी सदन में इनको उनका धन्यवाद दे सकूं। इस बात के लिए सदन में मुझसे सभी सहमत हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इसका जवाब चाहती हूं।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि यह कॉलोनी केवल 25 साल नहीं अपितु 53 साल पुरानी है। इसमें पहले के जो डायरैक्टर थे उनके ऊपर करप्शन के कुछ चार्जिज थे। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने उनको हटाकर टेकओवर कर लिया था। यह मामला विचाराधीन है। जहां तक बहन ने जो रक्षाबंधन की बात की है तो मैं 'तथास्तु' कहकर इनकी बात को पूरा करने का आश्वासन देता हूं। इसको नगर निगम शीघ्र अपने कब्जे में लेकर रख-रखाव का काम करेगा। इसके लिए गवर्नमैंट की तरफ से ग्रान्ट्स दी जाएंगी। यह एक अलग बात है कि बाद में यह राशि कम्पनी से रिस्क एंड कॉस्ट पर वसूल कर ली जाएगी।

श्रीमती सीमा त्रिखा: अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं।

मकानों के नुकसान का मुआवजा देना

*** 26. श्री इन्दु राज** : क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि अत्यधिक बरसात के कारण बरौदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में जलभराव हो गया है और जिसके

परिणामस्वरूप कई घरों में दरारें आ गई हैं और कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उपरोक्त क्षतिग्रस्त घरों के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है तथा उसका ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) क्या उपरोक्त घरों के नुकसान का मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इस नुकसान के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा उपरोक्त घरों के स्वामियों को उक्त मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala):

(a) Yes, Sir. As reported by the District Administration of Sonepat, 12 residential houses and one animal shed have been damaged in some villages of Baroda Assembly Constituency in Tehsil Gohana.

(b) 18 applications (17 houses in rural areas and 1 house in an urban area) have been received from Sonepat District on portal as on 22.08.2023.

(c) Yes, Sir. Disbursement of compensation shall be carried out after the verification process is completed. The norms are as below:-

(a)	Fully damaged/ destroyed Houses and	Rs. 1,20,000/- per house, in plain areas Rs. 1,30,000/- per house, in hilly areas

	Severely damaged houses (Pucca and Kutcha house)		
(b)	Partially damaged Houses (other than huts) where the damage is at least 15%	Rs. 10,000/- per Pucca house Rs. 5,000/- per Kutcha house Note:- The excess amount is met from State budget.	In case of Drought, Flood, Hailstrom, Dust Storm, Electric Sparking, Lightening, Fire, Cold Wave/Frost, Heat Wave and Pest Attack
		Rs. 6,500/- per Pucca house Rs. 4,000/- per Kutcha	In case of Earthquake, Cloud Burst, Landslide
(c)	Damaged /Destroyed huts	Rs. 8,000/- per hut (Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/District authorities.)	
d)	Cattle shed attached with house	Rs. 3,000/- per shed	

श्री इन्दु राज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न के उत्तर का जवाब दिया गया है कि बरोदा हल्के के ग्रामीण क्षेत्रों में 17 मकान और गोहाना शहर में 1 मकान का आवेदन प्राप्त हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री को बताना चाहूंगा कि ज्यादा बरसात से कम से कम 32-33 गांवों की तो फसलें नष्ट हुई ही हैं लेकिन साथ ही साथ संबंधित गांवों के मकानों के अन्दर भी पानी घुस गया था। मैंने संबंधित 32-33 गांवों में खुद जाकर दौरा किया था जिसमें सैंकड़ों मकानों में दरारें भी आयी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कई मकान तो पूरी तरह से खत्म हो गये हैं। इस प्रकार इन गांवों में सैकड़ों

मकान खराब हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आपने इसके लिए पोर्टल पर आवेदन करने का जिक्र किया है लेकिन आपने देखा होगा कि गांवों में अभी भी अनपढ़ लोग रहते हैं जिनको पोर्टल का ज्ञान नहीं है। इसके लिए आप संबंधित बी.डी.पी.ओ., पंयाचत सैक्रेटरी या किसी दूसरे अधिकारी से उन गांवों के मकानों का निरीक्षण करवा लें। इनमें जिन गरीब परिवारों के मकान खत्म हो गये हैं या मकान गिर गये हैं या किसी मकान में दरार आ गयी है तो उनको मुआवजा देने का काम किया जाए। आपने इसके लिए 10,000 रूपये की राशि देने की बात की है लेकिन 10,000 रूपये में तो किसी मकान की दरार की मैनटीनैंस भी नहीं करवायी जा सकती। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि इसके लिए सरकार मुआवजा राशि बढ़ाए और विभागीय अधिकारियों से उन गांवों के मकानों का मुआयना करवाकर संबंधित लोगों के मकान बनवाये जाएं।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विधायक जी ने बात कही है उसके बारे में जवाब में भी लिखा है कि हमारे पास जो ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर बरोदा हल्के का रिपोर्टिड डाटा 22 तारीख तक उपलब्ध था उसमें 12 मकान और 1एनीमल शैड की रिपोर्टिंग ई-क्षतिपूर्ति के माध्यम से की गयी है। यह ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल 25 तारीख को सांय 5:00 बजे बन्द किया गया है। जब तक हमारे पास बरोदा हल्के का डाटा आया था उसमें 22 मकान और 1 एनीमल शैड के बारे में है। माननीय सदस्य ने कहा है कि आज के दिन गरीब आदमी के पास डेटा अपलोड करने की फैसिलिटी

नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि हर गांव में सी.एस.सी. सैंटर की फैसिलिटी है और इसमें संबंधित व्यक्ति को स्वयं डेटा नहीं डालना पड़ता है। लेकिन कई जगहों पर प्रोपर्टी आई.डीज. का विवाद सामने आया है। गांव में तो स्वामित्व योजना के तहत प्रोपर्टी आई.डीज. बन गयी हैं लेकिन पंचायत की भूमि या प्राइवेट भूमि में किसी ने गांव के बाहर मकान बना रखा है या खेत में मकान बना रखा है तो उनकी प्रोपर्टी आई.डीज. नहीं बन पायी। इसके लिए आज मैं एक निर्णय लेता हूं कि अगर कोई व्यक्ति एस.डी.एम. लैवल पर मैन्युअली डेटा अपलोड करवाना चाहे तो उसकी परमीशन दे देंगे और अगले 1 महीने के अन्दर-अन्दर वह अपना डेटा रिपोर्ट कर सकता है। जहां तक माननीय सदस्य ने 10,000 रूपये मुआवजा देने की बात की है तो रिप्लाई में पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी मकान का पार्शियली डैमेज या माइनर डैमेजिज है तो यह बात उसके लिए है। अगर किसी मकान का 15 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान है तो उसके लिए 1.20 लाख रूपये तक मुआवजा देने का भी प्रावधान है। इस प्रकार दोनों तरीके से जिन- जिन के डेटा अपलोड होकर आएंगे, उनको उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। यह केवल माननीय सदस्य की कांस्टीच्युअंसी की ही बात नहीं है बल्कि सभी एस.डी.एमज. को डायरेक्शज दे दिये जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में जहां पर एक्सैसिव रेनफॉल या फ्लड के कारण किसी भी मकान का पार्शियल डैमेज या फुल डैमेज हुआ है तो उनकी भरपाई सरकार करेगी।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस पर एक सप्लीमैंट्री पूछने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, इस पर माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लिया है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं इसी विषय पर सप्लीमैंट्री पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, इसमें माननीय सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लिया है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें माननीय सदस्य की विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न ही पूछना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने संबंधित प्रश्न का रिप्लाई पढ़ लिया है। इसमें लिखा हुआ है कि disbursement of compensation shall be carried out after the verification process is completed. The norms are as below. अभी खुद माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि fully damaged/ destroyed Houses and Severely damaged houses (Pucca and Kutcha house) अगर हिली एरिया में हैं तो the amount will be Rs.1,30,000/- per house और अगर प्लेन एरिया में है तो the amount will be Rs.1,20,000/- per house. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं। आज महंगाई का दौर है और आज इतनी जबरदस्त मंहगाई हो रखी है, डैमेज हाउस यानि जो बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं तो ऐसे में वह 1 लाख 20 हजार रूपये में कैसे अपना काम करवायेगा। यह तो ऊंट के मुंह में

जीरे वाली बात हो गई। मैं समझती हूं कि यह उन लोगों के साथ ज्यादती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि कम्पनसेशन को बढ़ाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि 1 लाख 20 हजार रूपये में तो एक दीवार भी खड़ी नहीं होती है इसलिए इस कम्पनसेशन को बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपने रिक्वैस्ट कर दी है कि कम्पनसेशन को बढ़ाया जाये। अब आप प्लीज बैठ जाये।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने 10 हजार रूपये की बात की है तो यह बात सत्य है। क्या उसका 1 लाख 20 रूपये में पूरा घर बन जायेगा ?

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो बात की है। इसमें पहली महत्वपूर्ण बात देखने की यह होगी कि जिसका मकान डैमेज हुआ है वह पहले कैसी स्थिति में बना हुआ था। यह पॉलिसी कोई स्टेट स्पैसिफिक नहीं है। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की गाईडलाइंज है जो एन.डी.आर.एफ. के माध्यम से पूरी होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला:किरण जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको लगता है तो हम इस पर हाफ एन आवर डिस्कशन करवा लेते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी :अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उपमुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इसमें डिस्कशन कर लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I am ready to discuss. I have no problem.(शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या यह बात कह रही हैं कि आज के दिन अगर मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिये जाते तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इतने ही रूपये में आर्थिक हैल्प एक मकान बनाने के लिए बी.पी.एल. परिवार को दी जाती है। हमने उसी राशि को देखते हुए गाईडलाइंज तय की हैं। सरकार का लक्ष्य गरीब आदमी को आर्थिक मदद करने का है और उसकी मदद करने के लिए संभावित राशि डिक्लेयर्ड है। मुझे लगता है कि वह अपना मकान उस पैसे से दुरूस्त करा सकता है और इसीलिए यह गाईडलाइंज पूरे देश भर में लागू है चाहे वह हमारा हरियाणा प्रदेश ही क्यों न हो ? आज जिस प्रकार से हिमाचल और उत्तराखंड में त्रास्दी आई है उसके हिसाब से इससे ज्यादा राशि शायद ही कोई प्रदेश देता होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खुद ही उपमुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह एक वैल्फेयर स्टेट है इसलिए मैं रिक्वैस्ट कर रही हूं कि कम्पनसेशन की राशि बढ़ाने का काम किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : किरण जी, आपकी सरकार ने प्रदेश में 10 साल का लम्बे टाइम तक राज किया है क्या उस समय का कोई उदाहरण है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि इनको सत्ता में 10 साल हो गये हैं और आज भी ये हमारा ही उदाहरण देते जा रहे हैं, ऐसे कैसे बात बनेगी । ये आज आगे की बात करे । जब हमारी सरकार आयेगी तो हम इस काम को करेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या 27

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री अमरजीत ढांडा सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

ठोस कचरा संयंत्र का प्रदूषण स्तर

***28. श्री घनश्याम सर्राफः** क्या पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री कृप्या बताएंगे किः—

(क) क्या यह तथ्य है कि भिवानी शहर में दादरी सड़क पर एक ठोस कचरा संयंत्र स्थित है तथा इसका प्रदूषण स्तर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है और शहरी क्षेत्र की निकटवर्ती आबादी के लिए सुरक्षित है;

(ख) क्या सरकार द्वारा यह जांचने के लिए संयंत्र का कोई निरीक्षण किया गया है कि प्रदूषण विभाग द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र के अनुसार उपरोक्त संयंत्र का प्रदूषण स्तर आसपास की कॉलोनियों के लिए उपयुक्त है तथा

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री (श्री कंवर पाल) :

(क) हाँ, श्रीमान जी, भिवानी शहर में दादरी रोड पर नगर परिषद भिवानी द्वारा संचालित एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र है। क्षेत्र के पास से एकत्र किए गए भूजल के नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एच.बी. कॉलोनी भिवानी में स्थापित सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सी ए एक्यू एम एस) के माध्यम से भिवानी में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है और जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक उत्पन्न आंकड़ों के अनुसार अधिकांश समय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मध्यम या बेहतर श्रेणी में है।

(ख) और (ग) हाँ, श्रीमान जी। क्षेत्र से भूजल के चार नमूने 18.08.2023 को एकत्र किये गए थे और प्रदूषण स्तर मानदंडों के भीतर पाया गया था। नगर परिषद, भिवानी को पर्यावरण कानूनों के तहत सहमति और प्राधिकार प्राप्त करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आपके द्वारा टेबल की गई रिप्लाई को माननीय सदस्य ने पढ़ लिया है। इसके अलावा आप उनको कुछ और बताना चाहते हो तो बता दो।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डम्पिंग ग्राउंड की बात कही है। जहां तक डम्पिंग ग्राउंड को स्थापित करने की बात है तो हमारा यह विषय नहीं है । यह विषय यू.एल.बी. डिपार्टमैंट का है । यह ठोस कचरा संयंत्र का विषय यू.एल.बी. डिपार्टमैंट से संबंधित है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने प्रदूषण की बात की है। मैं इनको महीने वार ब्यौरा देना चाहूंगा जो इस प्रकार से है। अभी इस जनवरी महीने में 168 प्रदूषण का स्तर रहा, फरवरी महीने में 129 प्रदूषण का स्तर रहा, मार्च महीने में 128 प्रदूषण का स्तर रहा, अप्रैल महीने में 127 प्रदूषण का स्तर रहा, मई महीने में 131 प्रदूषण का स्तर रहा, जून महीने में 126 प्रदूषण का स्तर रहा, जुलाई महीने में 59 प्रदूषण का स्तर रहा और अगस्त महीने में 75 प्रदूषण का स्तर रहा। अध्यक्ष महोदय, केवल 8 महीने में 17 बार ऐसा हुआ कि जब प्रदूषण का स्तर 200 क्रॉस कर गया हो बाकी प्रदूषण का स्तर 100 से 200 तक ठीक माना जाता है लेकिन हम इस प्रदूषण के स्तर को अच्छा भी नहीं मानते हैं, हम इसको मीडियम ही मानते हैं। केवल 8 महीने में 17 घटनाएं ऐसी हुई हैं, जब प्रदूषण का स्तर 200 से पार कर गया हो।

श्री घनश्याम सर्राफ: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वहां पानी के नमूने एकत्रित किए गए जबकि न तो आपके पास एन.जी.टी. का कोई आदेश है और न ही हमारे पॉल्यूशन बोर्ड का आदेश है। यदि इस तरह से हम पहले एन.ओ.सी. ले लेते तो हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं

करना पड़ता, लेकिन आज हजारों लोग सड़कों पर बैठे हैं और उन सभी का एक ही विचार है कि इसको स्थानांतरित किया जाए। इसके लिए मैंने माननीय मंत्री श्री कमल गुप्ता जी से भी आग्रह किया था।

श्री कंवर पाल: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, माननीय सदस्य डंपिंग ग्राउंड की बात कर रहे हैं।

श्री कंवर पाल: अध्यक्ष जी, ये निर्णय यू.एल.बी. ले सकती है।

श्री घनश्याम सर्राफ: मंत्री जी, पॉल्यूशन तो आपका ही विषय है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, डंपिंग ग्राउंड के कारण ही पॉल्यूशन है।

श्री कंवर पाल: अध्यक्ष जी, डंपिंग ग्राउंड कहां होगा इसका फैसला यू.एल.बी. करेगी।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, डंपिंग ग्राउंड के कारण ही पॉल्यूशन है।

श्री घनश्याम सर्राफ: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे वहां 200 से 500 मीटर के एरिया के अन्दर 25,000 की आबादी रहती है। उस सारी आबादी को पॉल्यूशन की समस्या को झेलना पड़ता है। इस संबंध में मेरे पास मंत्री जी के आदमी का फोन भी आया था। मैंने उनको बता दिया था कि यह समस्या हमारे यहां इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे यहां जो डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है यह शहर के अंदर ही बना दिया गया है। इसलिए यह डंपिंग ग्राउंड शहर से बाहर किसी दूसरी जगह पर बनाया जाए।

श्री अध्यक्ष: घनश्याम जी, इसका माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो यह बात कही है कि यह डंपिंग ग्राउंड शहर के साथ बनाया गया है। अध्यक्ष जी, इस पर मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे हमें जो स्थान ढूंढकर देंगे हम इसको वहां शिफ्ट कर देंगे।

श्री घनश्याम सर्राफ: मंत्री जी, बात ऐसी है कि आप अपने टिब्बों के अन्दर जाएं। दूसरे हल्के में जाने की चेष्टा न कीजिए। आप भिवानी के लिए चेष्टा मत कीजिए क्योंकि भिवानी का मामला शहर का मामला है।

श्री अध्यक्ष: : घनश्याम जी, अगर कूड़ा दूसरी जगह डालेंगे तो उसके लिए वहां के लोग एतराज करेंगे।

डॉ. कमल गुप्ता: अध्यक्ष जी, यह समस्या केवल माननीय सदस्य की अकेले की नहीं है। यह समस्या हम प्रदेश में जहां भी डंपिंग ग्राउंड बनाते हैं, उन सभी जगहों की है।

श्री घनश्याम सर्राफ: अध्यक्ष जी, हमारे तो हर जगह टिब्बे पर टिब्बे हैं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। भिवानी को बर्बाद मत कीजिए। यह जो बात कह रहे हैं वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, प्लीज नो रनिंग कमेंट्री। नो रनिंग कमेंट्री।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष जी, भिवानी मेरा अपना क्षेत्र है। मैं अपने क्षेत्र की बात कहूंगी।

डॉ. कमल गुप्ता: अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव सभी से है। हम जहां पर भी ये स्टेशन बनाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि यहां मत बनाओ इसे दूसरी जगह बनाओ। मैं यह निवेदन पूरे हाऊस से करता हूं कि यह समस्या और भी जगह आ रही है। हम दो-दो, तीन-तीन, चार-चार दफा जगह बदलते हैं तो जिस भी जगह को चुनते है वहीं के लोग यह प्रोब्लम खड़ी करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें सभी का सहयोग चाहिए।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष जी, सरकार इसके लिए वेस्ट मैंनेजमैंट प्लॉन्ट लगाए।

श्री घनश्याम सर्राफ: अध्यक्ष जी, यह संयंत्र पहले बवानीखेड़ा में स्थापित होना था लेकिन बाद में इसकी जगह को सरकार ने किस कारण से बदला, यह बताएं ?

श्री अध्यक्ष: सर्राफ जी, आपकी विधान सभा का कूड़ा दूसरी विधान सभा क्षेत्र वाले एक्सेप्ट क्यों करेंगे ?

श्री घनश्याम सर्राफ: अध्यक्ष जी, हमारी विधान सभा क्षेत्र वालों ने भी तो एक्सेप्ट कर रखा है।

श्री अध्यक्ष: सर्राफ जी, नहीं वह तो आपके एरिया का कूड़ा है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बिल्कुल सही बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम सर्राफ: अध्यक्ष जी, हमारे एरिया का कूड़ा, बवानीखेड़ा का कूड़ा और दादरी जो अदर जिला है उसका भी कूड़ा हमारे यहां पर डंपिंग होगा।

डॉ. कमल गुप्ता: आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने पूरे प्रदेश में 13 कलस्टर बनाए हैं। ये सभी जिलो में नहीं बन सकते। दो-तीन जिलों को मिलाकर एक कलस्टर है तो उसके लिए कोई तो स्थान होगा ही।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष जी, सरकार इसके लिए सोल्ड वेस्ट मैंनेजमैंट प्रोजैक्ट शुरू करें। यह बहुत अहम मुद्दा है। यह गंभीर मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, प्लीज आप बैठ जाएं। आप हर क्वैश्चन पर कमेंट्री कर रही हैं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष जी, मैं केवल सजैशन दे रही हूं कि सरकार इसके लिए सोल्ड वेस्ट मैंनेजमैंट प्रोजैक्ट शुरू करें। इससे पूरा भिवानी प्रदूषित हो गया है।

श्री घनश्याम सर्राफ: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि यह संयत्र पहले जिस जगह पर लगना था इसे उसी जगह स्थापित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अब माननीय सदस्य श्री सीता राम यादव जी अपना प्रश्न पूछेंगे।

श्री घनश्याम सर्राफ: अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात रखने के लिए दो मिनट का समय दे दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: सर्राफ जी, आप माननीय मंत्री जी, को अलग से क्वैश्चन लिखकर दे दीजिए।

श्री कंवर पाल: सर्राफ जी, आपने क्वैश्चन तो मेरे से पूछ लिया है। आप माननीय मंत्री जी, को अलग से क्वैश्चन लिखकर के दे दीजिए क्योंकि आपकी समस्या का समाधान यू.एल.बी. डिपार्टमैंट से होगा। इसलिए आप एक बार माननीय मंत्री जी से बात कर लीजिए।

श्री घनश्याम सर्राफ: अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी से एयर क्वॉलिटी का जवाब मांगा था वह पूरा नहीं दिया गया। इसमें एन.जी.टी. और पॉल्यूशन बोर्ड की पॉलिसी जारी करवाई जाए। (शोर एवं व्यवधान)

पुल का निर्माण करना

***29**. **श्री सीता राम यादव:** क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ सड़क पर रेवाड़ी टी-पॉइंट से अटेली टी-पॉइंट तक उक्त सड़क पर भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए एक पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): No, Sir.

श्री सीता राम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि पिछले सैशन में इसी सड़क को चारमार्गी करने के लिए मेरा प्रश्न लगा था। उस समय माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि हम इस सड़क

पर चलने वाले वाहनों की मैपिंग करवा लेंगे। उसके बाद वाहनों की मैपिंग का कार्य सम्पन्न करवाया गया। वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में वाहनों की आवाजाही पाई गई। मेरा आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस लगभग 5 किलोमीटर के मार्ग को चारमार्गी किया जाये या इस पर उपरि पुल बनाकर वाहन चालकों को राहत प्रदान की जाये। वहां पर रोजाना बहुत बड़े-बड़े ट्रैफिक जाम लगे रहते हैं।मेरा आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी चारमार्गी किया जाये या उपरि पुल का निर्माण किया जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खुद के सवाल में पिछले विधान सभा सैशन में इन्होंने क्या मांग रखी और आज क्या मांग रखी ये दोनों ही बड़ी अलग हैं। पिछले सैशन में इन्होंने यह कहा था कि इस सड़क को चारमार्गी बनाया जाये। उसके लिए हमने ट्रैफिक डैंसिटी भी चैक करवा ली है। उस दौरान इन्होंने इसी प्वायंट को स्ट्रैग्थन करने के लिए एम.एल.ए. प्रॉयरिटी लिस्ट 25 करोड़ में अपना कार्य लिखकर भेजा। जिसके लिए सरकार ने एप्रूवल ले ली है। उसके 12.2 करोड़ रूपये के टैण्डर भी इनवाईटिड हैं। जिससे इस पूरे एरिया को

स्ट्रैंग्थन किया जा रहा है। वहां पर पेड़ लगे हुए है। पेड़ों को काटने के लिए हम फारैस्ट डिपार्टमैंट को लिखकर दे रहे हैं। अगर हमें फॉरेस्ट डिपार्टमैंट की परमिशन मिल जाती है उसके बाद पेड़ काटकर इस पूरे एरिया को जो 1.5 किलोमीटर के लगभग है इसको फोरलेन करने का जो इनका प्रस्ताव पिछले सैशन के अंदर था उसको आने वाले समय में टेक-अप करेंगे क्योंकि आज ट्रैफिक डैंसिटी बहुत ज्यादा है और परमिशन आने में समय लगेगा। इसको देखते हुए इमीजेटली 12.2 करोड़ रूपये की लागत से इसको हम स्ट्रैंग्थन करने का काम करेंगे।

श्री सीता राम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये जो सड़क है यह शहर के बीचों बीच है, बस स्टैण्ड के सामने है इसकी स्ट्रैथनिंग के लिए जो उप मुख्यमंत्री जी ने 12.2 करोड़ रूपये की राशि की बारे में बताया। यह तो महेन्द्रगढ़ तक का मार्ग है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कनीना शहर से रोड गुजर रहा है उसको चारमार्गी किया जाये। रेवाड़ी टी प्वायंट से उनानी टी प्वायंट तक लगभग 2 से अढ़ाई किलोमीटर की लम्बाई है इसको तो कम से कम चारमार्गी कर दिया जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह मैं अभी कहकर हटा हूं कि चारमार्गी का जो प्रस्ताव पिछले सैशन में माननीय विधायक ने दिया था उसकी फिजीबिलिटी को चैक करवा लिया गया है। हमारे विभाग ने फॉरैस्ट डिपार्टमैंट को फॉरैस्ट क्लीयरैंस के लिए लिखा है। फारैस्ट डिपार्टमैंट की क्लीयरैंस आने में जो समय लगेगा उसका इंतजार तो हम सभी को करना पड़ेगा। उससे पहले पेड़ों को काटने का काम करना सम्भव नहीं। इसके अलावा वहां पर जो यूटीलिटीज वहां पर बिजली बोर्ड की है और कोई पब्लिक हैल्थ की है उनकी रिलोकेशन के लिए जो फिजीबिलिटी आयेगी उसको स्टडी करने के बाद किया जायेगा। वहां पर हैवी ट्रैफिक का आवागमन है जिसकी वजह से वहां की सड़क को दुरूस्त करना बेहद जरूरी है इसके लिए 12.2 करोड़ रूपये का टैण्डर एप्रूव हो चुका है। अगले 30 दिनों में वहां पर काम शुरू करवा दिया जायेगा।

श्री सीता राम यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तो महेन्द्रगढ़ वाली सड़क के बारे में बात कर रहे हैं। मैं रेवाड़ी टी-प्वायंट से उनीना टी-प्वायंट तक जो कनीना नगर पालिका का हिस्सा है मैं उस सड़क की बात कर रहा हूं। यह लगभग 88 फुट चौड़ी सड़क है उसको सात-सात मीटर चौड़ा बनाया जायेगा तो जो इसके बीच में नाले और

उसके बीच में जो कच्ची जगह रहेगी उससे लोगों को बड़ी भारी दिक्कत रहेगी। यह मेन मार्किट की जगह है। मेरा आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क को चारमार्गी कर दिया जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य इतना कह रहे हैं कि इसको चारमार्गी किया जाये तो फिर सदन में यह भी रिकार्ड करवा दिया जाये कि इसका टैण्डर विदड्रा कर लिया जाये और चारमार्गी के हिसाब से जितना समय लगे उस समय में काम शुरू किया जाये। लोगों की परेशानी को देखते हुए हमने इसको अकॉर्ड दी है। जहो 12.2 करोड़ रूपये की अमाउंट है यह कोई छोटी अमाउंट नहीं है। इससे मुझे लगता है कि प्रॉयरिटी यह रहनी चाहिए कि जो आज के दिन राईट ऑफ वे हमारे पास अवेलेबल है और जो बिना परमिशन के काम शुरू किया जा सकता है उस काम को प्रॉयरिटी पर लेकर चलें। जितनी वाईडनिंग उसकी तीन-तीन मीटर की दोनों तरफ और होनी है उसकी जैसे ही परमिशन आयेगी वह समयानुसार हम कर लेंगे।

श्री सीता राम यादव : स्पीकर सर, मेरा यह कहना है कि टैण्डर को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। उस सड़क की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है।

श्री अध्यक्ष : उप मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूं कि माननीय विधायक ने आपसे रिलीफ मांगा है न कि टैंण्डर को कैंसिल करने की बात कही है। इसके साथ उसकी वाईडनिंग का केस भी चला दें।

श्री दुष्यंत चौटाला : स्पीकर सर, मैं अभी कह कर हटा हूं कि पिछली बार की स्टडी रिपोर्ट आ गई है डिमाण्ड है कि इस सड़क को वाईडन किया जाये इस मामले को हम इमीडिएटली हम टेक-अप करेंगे।

श्री सीता राम यादव : धन्यवाद स्पीकर सर।

पैरा मैडिकल महाविद्यालय का निर्माण करना

*30.**डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा** : क्या चिकित्सा एवं अनुसंधान मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) जींद शहर में पैरामेडिकल महाविद्यालय निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;?तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय के कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है तथा उपरोक्त परियोजना के अब तक पूरे हो चुके चरणों का ब्यौरा क्या है ?

Medical Education and Research Minister (Shri Anil Vij):

(a) Yes Sir. State Government has decided to open Paramedical College in the campus of under construction Sant Shiromani Dhanna Bhagat Ji Government Medical College, Jind. However, due to shortage of land in the premises of Govt. Medical College Jind, HSVP has been requested to identify the land. जिसका पुराना नाम हुडा होता था और मैंने यह नाम बदलवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा क्योंकि एक दिन मेरे पास एक आदमी आया और उसने कहा कि हुडा तो कंगाल हो गया है तो मैंने उनको कहा कि हुडा तो मालामाल है, हुडा कंगाल कैसे हो गया। तब उसने कहा कि जो प्लाट बेचता है मैं उस हुडा की बात कर रहा हूं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि उसका नाम ही बदल देते हैं। उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह दी कि हुडा का नाम एच.एस.वी.पी.(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) कर दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह नाम क्यों बदलना पड़ा? उसको बदलने का कोई कारण तो रहा होगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, मंत्री जी हुडा(HUDA) के बारे में कह रहे हैं वे आप के बारे में नहीं कह रहे हैं।

Shri Anil Vij: Sir, HSVP has offered the land parcel of 7.42 Acres in sector-9, Jind for construction of Paramedical College, Jind which is under consideration of the Department.

b) After finalization of the land, the executing agency will be appointed for execution of the work.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही पूछ रहा हूं कि इसका नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी हुड्डा साहब से कहना चाहूंगा कि यह उनके भले के लिए ही किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कारण तो बतायें कि नाम क्यों बदला गया? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, पहले हुडा होता था लेकिन अब उसका नाम एच.एस.वी.पी. कर दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जिसकी बात कर रहे हैं वह HUDA था लेकिन मैं Hooda हूं Haryana overall Development Authority. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यही कहा है कि हुड्डा सरकार में हुडा मालामाल रहता था। इसमें भी हुड्डा साहब को क्या ऐतराज हो सकता है?

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, विज साहब तो आपके खास मित्र हैं। (हंसी)

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पैरा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, हमने एच.एस.वी.पी. की लैंड आइडैंटिफाई कर ली है और उसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी है कि हम यह जमीन देने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी उस जमीन की कीमत देकर हम वह जमीन ले लेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले एक-एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज खोले जाते थे। हमारी सरकार आने के बाद एक भी ऐसे कॉलेज को मंजूरी नहीं दी गई। इसके लिए हम एक पॉलिसी लाए हैं। उसके तहत हम चाहते हैं कि जितने मेडिकल कॉलेजिज हैं केवल जीन्द में ही नहीं बल्कि सभी मेडिकल कॉलेजिज में पैरा मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेज भी खोलें। कॉलेजिज खोलने के लिए हम जो पॉलिसी लाए हैं उसमें हमने शर्त रखी है कि कम से कम 100 बैड का हॉस्पिटल या तो उसका अपना हो या 10 किलोमीटर के दायरे में हो। आज पैरा मेडिकल स्टाफ की जरूरत है। पहले जो नर्सें भर्ती हो कर आती थी वे इंजैक्शन भी नहीं लगा पाती थी क्योंकि वे जिस संस्थान से कोर्स करके आती थी वहां पर पूरा इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था और इनको प्रैक्टिकल नहीं करवाये जाते थे। इसके अतिरिक्त हमने एक प्रावधान और किया है कि जिस अस्पताल में ये

ट्रेनिंग लेंगे वहां पर उनकी बायोमिट्रिक अटैंडेंस लगेगी ताकि पता लगे कि ये ट्रेनिंग के लिए हर रोज जाते हैं। ऐसा न हो कि मैनेजमैंट साल के आखिर में जा कर साइन करवा कर ले जाए। नर्सिंग कॉलेज के लिए भी हमने यही प्रावधान किया है कि जिनके अपने हॉस्पिटल हैं या 10 किलोमीटर के अन्दर एन.ए.बी.एच. हॉस्पिटल हैं उन्हीं को हम अनुमति दे रहे हैं।

राज्य सभा सदस्य एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री कृष्ण लाल पंवार, राज्यसभा सदस्य एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं यह सदन उनका स्वागत करता है।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

सड़क का निर्माण करना

***31. श्री दीपक मंगला:** क्या उप- मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि -

(क) क्या यह तथ्य है कि पलवल डिसट्रीब्यूट्री को पक्का करने का कार्य प्रगति में है तथा उक्त डिसट्रीब्यूट्री पलवल नगर परिषद क्षेत्र में कैलाश नगर, मोहन नगर, महाराणा प्रताप कालोनी, राधा कालोनी, शिव कालोनी तथा हुड्डा क्षेत्र से गुजरते हुए सोहना रोड पर निकलती है तथा इसके साथ लगते क्षेत्र में लगभग 20 फीट

सड़क का निर्माण हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप सोहना की तरफ से आने वाले यातायात को शहर में प्रवेश किए बिना बाहर की तरफ मोड़ा जा सकता है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त सड़क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala):

(a) Yes Sir, t*he work of lining the Palwal Distributary is* being executed by Irrigation and Water Resources Department.

This distributary crosses the Palwal-Sohna road (NH-919) and Delhi-Agra Road (NH-44). The width of unpaved service road on left side of distributary is 15 feet and the space on right side of distributary is only 5 feet, which are not sufficient for construction of road.

(b) No Sir.

श्री दीपक मंगला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि हमारे पलवल रजबाहे की लाईनिंग का काम लगभग पूरा हो गया है उसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं लेकिन यह रजबाहा हमारे शहर के बीचों-बीच कैलाश नगर, मोहन नगर, महाराणा प्रताप कॉलोनी, राधा कॉलोनी, शिव कॉलोनी और हुडा क्षेत्र से होता हुआ सोहना रोड पर निकलता है। मैंने जो इस रोड को बनाने की बात की है उस संबंध में मुझे मंत्री जी से जो उत्तर मिला है उसमें बताया गया है कि वह 15 फीट चौड़ा रोड है इसलिए यह रोड नहीं बनाया जा सकता। मैंने स्वयं वहां देखा है वह रोड 20 फीट चौड़ा है और यह रोड यू.पी.

गवर्नमैंट की मलकियत है इसलिए हमने इस रोड को बनाने के लिए यू.पी. गवर्नमैंट से इसकी एन.ओ.सी. लेने के लिए डिपार्टमैंट से अप्लाई करवाया है लेकिन उन्होंने बजाए एन.ओ.सी. देने के हमें 2 करोड़ 75 लाख 71 हजार रूपये का एस्टीमेट बनाकर दे दिया कि आप इस राशि को जमा करवा दीजिए इस रोड को हम ही बना देंगे। उनको वह रोड बनाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। जो लैटर उन्होंने हमें दिया है उस लैटर की कॉपी भी मेरे पास है। यह रोड इतना जरूरी है कि इसके बनने से हमारे शहर के अन्दर जो ट्रैफिक जाता है वह बाहर की बाहर ही चला जाएगा। पलवल में जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसके लिए यह रोड बनने से हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात होगी।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसके लिए हमने वहां पर रेवैन्यू रिकॉर्ड भी चैक करवाया है उसमें रजबाहे के साथ15 फीट स्पेस एक तरफ है और 5 फीट स्पेस दूसरी तरफ है। 15 फीट का मतलब यह हुआ कि अगर उसमें ढाई-ढाई फीट दोनों तरफ क्रैश बैरियर भी छोड़ी जाए तो वह 10 फीट चौड़ी सड़क रह जाती है जोकि पंचायती राज विभाग बनाता है। आज की परिस्थिति के अन्दर जिस तरीके से इन्होंने दो मेजर रोड की कनैक्टिविटी की मांग की है मुझे नहीं लगता कि ये वायबल होगा क्योंकि वहां पर एक एक्सीडैंट प्वायंट भी क्रियेट होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा पत्र यू.पी. सरकार से आया है क्योंकि लाईनिंग का काम भी और ये जमीन भी इरीगेशन विभाग की है। मैं चाहूंगा कि माननीय विधायक हमें उस लैटर की कॉपी भी दे दें और इरीगेशन विभाग के अधिकारी तुरंत इसको एग्जामिन भी करवा लेंगे और अगर दो-ढाई करोड़ की लागत से कनैक्टिविटी बनती है जिसके अन्दर लाईफ थ्रेटनिंग कोई ऐसा प्वायंट नहीं आता है तो जरूर सरकार आने वाले

समय में इस पर विचार करेगी। अगर लाईफ रिस्क आएगा और इरीगेशन विभाग की कोई आपत्ति आएगी तो हम यू.पी. सरकार को भी लिखने का काम करेंगे।

श्री दीपक मंगला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का धन्यवाद। इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा कि जो ये रजबाहा बना है उसके साथ-साथ इन्होंने तार के बैरिकेडस भी लगाए हैं तो उससे वहां कोई एक्सीडैंट भी नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : मंगला जी, यू.पी. गवर्नमैंट से आया हुआ वह लैटर आप मंत्री जी को दे दीजिए।

मालिकाना हक प्रदान करना

*32. **श्री दुड़ा राम** : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि भट्टू गांव के धक्का बस्ती के निवासियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक कब तक दिए जाने की संभावना है क्योंकि वे कई वर्षों से उक्त बस्ती में रह रहे हैं तथा उनके पास बिजली, पानी, पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा अन्य सभी सुविधाएं हैं?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) : श्रीमान जी, जिस भूमि पर धक्का बस्ती स्थित है वह भूमि जमाबन्दी साल 2021–2022 के अनुसार पंचायत समिति भट्टू कलां की मलकियत है। पंचायत समिति की भूमि का कब्जाधारियों को मालिकाना हक दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री दुड़ा राम : अध्यक्ष महोदय, भट्टू मंडी की जगह लाल डोरे के अन्दर है। हर जगह लाल डोरे के अन्दर की जमीन की मालिक के नाम रजिस्ट्रियां हो गई हैं। भट्टू मंडी की जगह पंचायत समिति की जगह है और इस जगह में 60-70 साल से यह गांव

बसा हुआ है। उस जगह में सड़कें, बिजली और पानी की पूरी व्यवस्था है। जब हर जगह लाल डोरे की जमीन की रजिस्ट्रियां हो रही है तो यह तो पंचायत समिति की जगह है और इस पर 60-70 साल से गांव बसा हुआ है। जब सभी जगह लाल डोरे की जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया है तो जब पंचायत समिति ने भी रेजोल्यूशन दे दिया है तो यहां भी उन लोगों को मालिकाना हक दिया जाए ताकि वहां भी सुविधा मिल सके। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह सारा गांव पंचायत समिति की जमीन में बसा हुआ है इसलिए उन लोगों को दिक्कत आ रही है।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह माननीय विधायक की बात ठीक है कि वहां पर 40-50 वर्षों से सारी सुख-सुविधाओं के साथ परिवार बसे हुए हैं लेकिन किसी ने भी स्वामित्व योजना के तहत अपना दावा दायर नहीं किया अर्थात् किसी ने भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। उसके बाद भी हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे।

श्री दुड़ा राम: अध्यक्ष महोदय, यह पंचायत समिति की जगह है और जब से भट्टू गांव बसा है तभी से ये बसे हुए हैं। सरकार ने जब लाल डोरे में सबको जमीन का मालिक बना दिया है तो उनको भी अपनी संपत्ति का मालिक बना दे।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली: अध्यक्ष महोदय, लाल डोरे की जमीन के तो वे खुद जमीन के मालिक थे। यह पंचायत समिति की जमीन है। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम उस जमीन को उनके नाम ट्रांसफर कर दें।

श्री दुड़ा राम: अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि यह गांव सारा का सारा पंचायत समिति की जमीन पर ही बसा हुआ है। वहां पर ग्राम पंचायत की जमीन नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, हर रोज लाल डोरा के संबंध में बयान आते हैं कि सरकार ने लाल डोरा खत्म कर दिया है। माननीय मंत्री जी, हरियाणा के अंदर कोई ऐसी जगह बता सकते हैं कि जहां पर लाल डोरा खत्म किया हो। मुझे एक गांव भी दिखा दो जहां पर लाल डोरा खत्म किया हो। पंचायत को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कैसे राईट दिया जा सकता है? जो इतने पुराने काबिज लोग बैठे हैं और उनकी ऑनरशिप है तो क्या ग्राम पंचायत या सरपंच किसी के नाम जमीन ट्रांसफर करवा सकता है? वैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है तो किसी की भी करवा लो।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि करनाल के अंदर सिरसी गांव है, सरकार ने दिनांक 26 जनवरी, 2020 को पूरी तरह से लाल डोरा मुक्त करके एक-एक प्रॉपर्टी की मलकियत रजिस्ट्री के साथ करवाने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 25 लाख के लगभग रजिस्ट्रीज डीड के तौर पर अभी बननी हैं जिसमें से लगभग 4.94 लाख रजिस्ट्रियां बन चुकी हैं। शेष के डॉक्यूमेंट्स भी हैं और उनका प्रोसैस अपलोड हो रहा है। मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है जो immediately इसको रिजॉल्व करवाने का काम करेगी। जैसे बीच में सरपंचिज नहीं थे उस दौरान ग्राम सचिवों की तरफ से यह बात आई थी और कहा गया था कि हम राईटफुल ऑनर नहीं है। पंचायत किसी भी प्रॉपर्टी का राईटफुल ऑनर है। अगर उसके अंदर लंबे समय से किसी का कब्जा प्रूव होता है तो सरकार ने उसकी डीड स्वामित्व योजना के तहत बनाने की शुरूआत की थी। हरियाणा देश का ऐसा पहला प्रदेश है जिसने

लाल डोरा मुक्त मॉडल की शुरूआत की थी। केन्द्र सरकार ने स्वामित्व योजना को आठ प्रदेशों के अंदर पायलट के तौर पर शुरू किया है। आने वाले समय में देश के प्रत्येक राज्य में भी इसको ले जाने का काम होगा। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को यह भी बताना चाहता हूँ कि इन्हीं की सरकार में संबंधित एक्ट में यह अमैंडमैंट आई थी। सरपंच के पास अधिकृत पावर थी, अगर किसी का 200 गज जमीन का कब्जा पंचायत की जमीन पर है तो वह कलैक्टर रेट पर आउट ऑफ लाल डोरा भी उसकी रजिस्ट्री करवा सकता है। लाल डोरे के अंदर हमेशा राईटफुल ऑनरशिप उसी की रही है जो वहां पर काबिज रहा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, अब किस चीज का टाइटल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है? क्या वह टाइटल सर्टिफिकेट की sanctity है? क्या बैंक उसके ऊपर लोन देगा? जो लोग किसी प्रॉपर्टी के ऑनर ही नहीं है और कहा जा रहा है कि जो लाल डोरे के अंदर है उनकी पहले से सबकी ऑनरशिप है। क्या अब उनको दोबारा से रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी? इसका क्या मतलब हुआ? सरकार की यह बात समझ में नहीं आई। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको पहले एग्जामिन करवाये। Punjab Village Common Land Act के तहत इसको लेकर आये तो सबको फायदा होगा।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं अभी कह कर हटा हूं कि हमने 24 लाख से ज्यादा टाइटल डीड दी हैं। जिसकी रजिस्ट्रियां 4.94 लाख हो चुकी हैं। शेष जो लगभग 19 लाख के करीब पैंडिंग हैं उसके लिये स्पैशल कमेटी बनाई गई है और हमारा टारगैट है कि within 60 days उनके भी रजिस्ट्रेशन अपलोड कर देंगे। प्रत्येक संबंधित व्यक्ति के पास जब रजिस्ट्री आ जायेगी, जिस प्रकार से 4.94 लाख लोगों के पास आज बैंक से लोन लेने का अधिकार है उसी प्रकार उनको भी अधिकार हो जायेगा।

श्री दुड़ा राम: अध्यक्ष महोदय, सारे का सारा गांव पंचायत समिति की जमीन पर बैठा है। जिस प्रकार से सरकार ने लाल डोरे के तहत लोगों को मालिकाना हक दे दिया उसी प्रकार यहां पर भी उनको मालिकाना हक दिया जाये ताकि उनको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आये। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से व माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली: अध्यक्ष महोदय, वह पंचायत समिति की जमीन है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वहां जमीन की मलकियत उनके नाम कर दें। फिर भी हम इस पर विचार कर सकते हैं कि अगर वह उतनी वैल्यू की जमीन पंचायत समिति को दे दें।

श्री दुड़ा राम: अध्यक्ष महोदय, वहां पर सारी जमीन पंचायत समिति की है। लोग लगभग 70 वर्षों से रह रहे हैं वहां पर सड़क, बिजली, पानी आदि सभी की सुविधाएं हैं। जिस तरह से लाल डोरे में लोगों को मालिक बनाया गया है वैसे ही इनको भी मालिक बना दिया जाये। उनका कब्जा है और वे वहां पर बसे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: दुड़ा राम जी, आप एक बार माननीय मंत्री जी से मिल लीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

बाढ़ की समस्या का समाधान करना

***33. श्री चिरंजीव रावः** क्या मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि बारिश के पानी के साथ रसायन युक्त पानी भिवाड़ी से धारूहेड़ा कस्बे में घुस जाता है तथा धारूहेड़ा के पार्कों, सेक्टर 4 तथा सेक्टर 6 में बाढ़ आ जाती है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क. श्रीमान जी हां, यह सत्य है कि अनुपचारित बहिःस्त्राव धारूहेड़ा (हरियाणा) मे भिवाड़ी (राजस्थान) मे आता है जिसके लिए नियमित नमूने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच0 एस0 पी0 सी0 बी0) तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आर0 एस0 पी0 सी0 बी0) की संयुक्त टीम द्वारा संगृहीत किए जा रहे है तथा विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार बहिःस्त्राव के पैरामीटर निर्धारित सीमा से अधिक हैं।

ख. समस्या के समाधान के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित पत्राचार, क्षेत्र का मुआयना करने तथा संयुक्त बैठके आदि के रूप में सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे है।

पूर्वोक्त समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुबन्ध –1 पर दिए गए है।

अनुबंध –1

धारूहेड़ा में बहने वाले भिवाड़ी से अनुपचारित बहिःस्त्राव के मामले के समाधान के उद्‌देश्य से हरियाणा सरकार ने विभिन्न स्तरों पर नियमित पत्राचार, क्षेत्र का मुआयना करने तथा संयुक्त बैठके आदि के रूप में राजस्थान सरकार के पास मामला उठाया है जिसके ब्योरे निम्न अनुसार हैंः–

1. दिनांक 01.09.2022 को श्री राव इन्द्रजीत सिंह, माननीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ने समस्या के ठोस समाधान का पता लगाने के लिए राजस्थान सरकार तथा हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ धारूहेड़ा में एक बैठक की है तथा राजस्थान सरकार के अधिकारियों को विभिन्न निर्देश जारी किए थे।

2. दिनांक 09.03.2023 को अध्यक्ष हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकूला ने समस्या की छानबीन करने के लिए जिला प्रशासन, रेवाड़ी के अधिकारियों के साथ धारूहेड़ा में एक बैठक की थी।

3. दिनांक 04.07.2023 को मामले पर चर्चा करने के लिए भिवाड़ी (राजस्थान) में दोनों राज्यों के अधिकारियों सहित उपायुक्त, रेवाड़ी तथा जिला कलक्टर, अलवर के बीच एक बैठक की गई थी।

4. दिनांक 30.07.2023 को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार तथा हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ धारूहेड़ा में एक बैठक की थी तथा भिवाड़ी से आने वाले अनुपचारित बहिःस्त्राव को रोकने तथा भिवाड़ी (राजस्थान) में उल्लंघन करने वाले उद्योगों का निरीक्षण करने हेतु 24 घण्टे के भीतर एक संयुक्त टीम गठित करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए थे। जिला प्रशासन,

रेवाड़ी ने 20 घण्टे के भीतर एक टीम पहले ही गठित कर दी है किन्तु जिला कलक्टर, अलवर द्वारा अभी तक कोई टीम गठित नहीं की गई है।

5. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिनांक 21.08.2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक डी.ओ. पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है, कि वह अपने अधिकारियों को संयुक्त समिति का हिस्सा बनने का निर्देश दे जो समय–समय पर बैठक एवं निगरानी करें, और इस समस्या को कम करने के लिए अंतरिम कदम उठाऐं, जब तक माननीय हरित राष्ट्रीय अधिकरण (एन0जी0टी0) के निर्देशों के अनुसार अंतिम समाधान लागू न हो।

6. जिला प्रशासन, रेवाड़ी ने अनुपचारित बहिःत्राव की निगरानी करने के लिए धारूहेड़ा में भिवाड़ी से बहिःस्त्राव के प्रवेश बिन्दु पर एक रियल टाईम जल गुणवता मॉनीटरिंग स्टेशन (आर टी डब्ल्यू क्यू एम एस), 03 फलो मीटर लगाना तथा 03 सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरे लगाए जाने प्रस्तावित किए है।

7. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रेवाड़ी तथा भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0 एच0 ए0 आई0) ने धारूहेड़ा (हरियाणा) में भिवाड़ी (राजस्थान) से आने वाली अनुपचारित बहिःस्त्राव के बारे में शिकायत दायर की है तथा एफ आई आर धारूहेड़ा (हरियाणा) में भिवाड़ी (राजस्थान) से अनुपचारित बहिःस्त्राव के निरन्तर निर्वहन के लिए पुलिस विभाग द्वारा दायर की गई है।

8. धारूहेड़ा हरियाणा में भिवाड़ी, राजस्थान से प्रवाहित होने वाले अनुपचारित बहिःस्त्राव के हरियाणा तथा राजस्थान से अधिकारियों की टीम द्वारा संयुक्त नमूने नियमित रूप से लिए जा रहे है बहिःस्त्राव के पैरामीटर निर्धारित सीमा से अधिक है तथा नमूना रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राजस्थान के प्राधिकारियों के साथ सांझा की है।

9. जैसा कि राजस्थान सरकार की विभिन्न एजेंसियां धारूहेड़ा में भिवाड़ी से प्रभावित होने वाले अनुपचारित बहिःस्त्राव को रोकने के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन जी टी) द्वारा अपने आदेश दिनांक 12–12–2017 द्वारा जारी निर्देशों की पालना नही की है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूर्वोक्त मामले में एक निष्पादन आवेदन नं0 42/2019 फाईल किया है तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0 जी0 टी0) ने राजस्थान सरकार की विभिन्न एजेंसियों अर्थात राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम लिमिटेड (आर0 आई0 आई0 सी0 ओ0), नगर परिषद, भिवाड़ी, भिवाड़ी जल प्रदूषण नियन्त्रण न्यास (बी0 जे0 पी0 एन0 टी0) पर आदेश दिनांक 9–10–2021 द्वारा 3,158.52 लाख रूपए का पर्यावरणीय मुआवजा अधिरोपित किया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दायर निष्पादन आवेदन नं0 42/2019 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0 जी0 टी0) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2021 को स्थगित करने के लिए माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा शीर्ष न्यायालय में पहुँच की है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रारित आदेश दिनांक 29–10–2021 को स्थगित कर दी है। स्थगन को रद्द करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख दिनांक 28.06. 2023 को काऊँटर शपथपत्र दायर किया है तथा इस समय मामला माननीय अपैक्स न्यायालय के सम्मुख न्यायाधीन है।

....

मेरी फसल मेरा ब्यौरा के संबंध में सूचना

34. चौ.आफताब अहमद : क्या कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से सम्बंधित निम्नलिखित सूचनाएं देंगे –

(क) राज्य में गत 3 वर्षों के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसलों के संबंध में भूमिका कितना क्षेत्र पंजीकृत हुआ है ;

(ख) किसानों को कितनी राशी जारी की गई तथा उसका मद-वार ब्यौरा क्या है तथा उसकी सूची का ब्यौरा क्या है ; तथा

(ग) उपरोक्त पंजीकरण के मामलों की कुल संख्या कितनी है जो जाली/झूठे पाए गए तथा उन पर क्या कार्यवाई की गई है?

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): महोदय, बिंदुवार जानकारी इस प्रकार है:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कुल 3,33,30,179 एकड़ भूमि पंजीकृत हुई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत क्षेत्र का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत क्षेत्र (एकड़ में)
1.	2020-21	1,12,12,831
2.	2021-22	1,10,91,773
3.	2022-23	1,10,25,575
Total		**3,33,30,179**

(ख) पिछले तीन वर्षों में किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सत्यापित आंकड़ों के आधार पर ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से 74,378.93 करोड़ की राशी किसानों को जारी की गई हैं। उक्त राशि का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	वर्ष	जारी राशि (रु० करोड़ में)
1	2020-21	27,589.23
2	2021-22	18,360.68
3	2022-23	28,429.02
कुल		**74,378.93**

उपरोक्त का फसल-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) फर्जी/झूठे पंजीकरण के 21 मामले पाए गए हैं जिनमें एफ.आई.आर. दर्ज की गई है और हरियाणा राज्य पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

वर्ष	**दर्ज की गई एफ. आई. आर. की संख्या**	**कार्रवाई**
2020-21		
2021-22	1	कानूनी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
2022-23	20	कानूनी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
Total	**21**	

जिलेवार जानकारी अनुबंध-II में संलग्न है।

अनुबंध 1

पिछले तीन वर्षों में किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सत्यापित आंकड़ों के आधार पर ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से जारी की गई राशि का फसल-वार विवरण		
सीजन	**फसल**	**राशि जारी (रु० करोड़ में)**
खरीफ 2020	बाजरा	1669.86
खरीफ 2020	मूंगफली	3.44
खरीफ 2020	मक्का	7.51
खरीफ 2020	मूंग	7.68
खरीफ 2020	धान	10553.11
रबी 2020-21	सूरजमुखी	23.98
रबी 2020-21	गेहूँ	15323.66
खरीफ 2021	बाजरा	0.89
खरीफ 2021	मक्का	0.46
खरीफ 2021	मूंग	8.94
खरीफ 2021	धान	10724.81
रबी 2021-22	चना	6.48
रबी 2021-22	सूरजमुखी	11.36
रबी 2021-22	गेहूँ	7607.74

खरीफ 2022	बाजरा	154.31
खरीफ 2022	मूंग	6.19
खरीफ 2022	धान	12197.39
रबी 2022-23	मूंग	0.11
रबी 2022-23	सरसों	3110.86
रबी 2022-23	सूरजमुखी	177.92
रबी 2022-23	गेहूँ	12782.23
कुल		**74378.93**

वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं की राशी कम जारी होने का कारण पिछले और अगले वर्ष की तुलना में गेहूं की कम आवक है। गेहूं की आवक का विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	**वर्ष**	**आवक (लाख क्विंटल)**	**राशि जारी (रु० करोड़ में)**
1	2021-22	858.46	15323.66
2	2022-23	463.98	7607.74
3	2023-24	634.10	12782.23

अनुबंध-II

एफ. आई. आर की जिलेवार जानकारी

जिला	**वर्ष**	**दर्ज की गई एफ. आई. आर. की संख्या**
अम्बाला	2022-23	2
भिवानी	2022-23	8
चरखी दादरी	2022-23	6
करनाल	2022-23	1
महेंद्रगढ़	2022-23	2
पलवल	2022-23	1
यमुनानगर	2021-22	1
कुल		**21**

चिकित्सकों तथा पैरा चिकित्सा अमला नियुक्त करना

*35. **श्री जगबीर सिंह मलिक** : क्या चिकित्सा एवं अनुसंधान मंत्री कृपा बताएंगे कि–

(क) क्या खानपुर कलां में बी0 पी0 एस0 महिला चिकित्सा महाविधालय में कोई न्युरो–सर्जन ऑनकोलोजिस्ट तथा कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैः तथा

(ख) क्या उपरोक्त महाविधालय में एम0 सी0 आई0 नियमों के अनुसार चिकित्सकों तथा पैरा चिकित्सा अमले की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :तथा इसका ब्यौरा क्या है।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री (श्री अनिल विज):

(क) हॉ श्रीमान जी। सरकार द्वारा उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु प्रयास किए जा रहे है और आशा है कि उक्त पद यथाशीध्र भरे जाएंगे।

(ख) हॉ श्रीमान जी।

....

प्रयोगशालाएं स्थापित करना

***36. राव दान सिंह:** क्या उच्चतर शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या महेंद्रगढ़ महाविद्यालय में भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रयोगशालाएं कब तक स्थापित करने की संभावना है?

उच्चतर शिक्षा मंत्री (श्री मूल चंद शर्मा) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को अनुमानित लागत बनाने हेतु लिखा हुआ है। लोक निर्माण विभाग से अनुमानित लागत प्राप्त होने उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने बारे विभागीय कार्यवाही कर ली जाएगी। विज्ञान संकाय के भवन निर्माण होने उपरान्त भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी जाएगी।

....

किसानों के मुआवजे की कुल बकाया राशि

***37. श्री अमित सिहाग:** क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) सिरसा जिले के किसानों से वर्ष 2020 से 2023 के लिए फसल बीमा योजना के तहत एकत्रित क़िस्त का विधानसभा-वार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 से 2023 तक सम्बंधित बीमा कंपनी द्वारा सिरसा जिले के किसानों को उपलब्ध कराए गए मुआवजे की राशि का विधानसभा-वार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;तथा

(ग) सिरसा जिले में वर्ष 2020 से 2023 के लिए मुआवजे की कुल राशि कितनी है तथा उन किसानों की संख्या कितनी है जिनका संबंधित कंपनियों के खिलाफ मुआवजा बकाया है

तथा डबवाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपरोक्त बकाया मुआवजे का वर्षवार, गांव-वार तथा व्यक्तिवार ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): महोदय,

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विधानसभा-वार तथा वर्ष-वार 2020 से 2023 तक सिरसा जिले के किसानों से एकत्रित किया गया प्रीमियम इस प्रकार हैः-

(राशि करोड रुपए में)

विधानसभा	किसानों से एकत्रित किया गया प्रीमियम			कुल योग
	2020-21	2021-22	2022-23	
डबवाली	16.77	15.21	18.64	**50.62**
ऐलनाबाद	20.76	21.22	26.08	**68.06**
कालांवाली	14.32	12.45	14.90	**41.67**
रानिया	13.85	13.73	17.61	**45.19**
सिरसा	7.05	7.04	9.37	**23.46**
कुल योग	**72.75**	**69.65**	**86.60**	**229.00**

(ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विधानसभा-वार तथा वर्ष-वार 2020 से 2023 तक सिरसा जिले के किसानों को दिए गए मुआवजे का विवरण इस प्रकार हैः-

(राशि करोड रुपए में)

विधानसभा	किसानों को दिया गया मुआवजा			कुल योग
	2020-21	2021-22	2022-23	
डबवाली	103.54	50.47	**0.82**	**154.83**
ऐलनाबाद	128.81	147.07	**22.35**	**298.23**
कालांवाली	56.91	108.58	**3.06**	**168.55**
रानिया	86.10	82.37	**13.89**	**182.36**
सिरसा	37.18	56.20	**3.53**	**96.91**

कुल योग	**412.54**	**444.70**	**43.65***	**900.88**

भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार सिरसा जिले के लिए खरीफ 2022 में 623 करोड़ रूपए (अनुमानित) की मुआवजा राशि शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी।

(ग) सिरसा जिले का वर्ष 2020 से 2023 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत विधानसभा वार तथा वर्षवार बीमा कम्पनियों के पास बकाया मुआवजे का विवरण इस प्रकार से हैः-

(राशि करोड रुपए में)

विधानसभा	सिरसा में किसानों की संख्या और लंबित मुआवजा						
	किसानों की संख्या 2020-21	वर्ष 2020-21 हेतु लंबित	किसानों की संख्या 2021-22	वर्ष 2021-22 हेतु लंबित	किसानों की संख्या (**खरीफ** 2022)	**खरीफ** 2022 के लिए लंबित	रबी 2022-23 के लिए लंबित
डबवाली	1422	3.03	204	0.33	24681	167.82	1.19
ऐलनाबाद	643	1.24	633	1.39	30485	154.81	40.02
कालांवाली	1463	2.53	254	0.65	17118	112.39	11.93
रानिया	1832	1.99	293	0.60	19231	123.65	64.55
सिरसा	510	0.92	137	0.46	12070	63.44	3.23
कुल योग	**5870**	**9.70**	**1521**	**3.43**	**103585**	**622.13**	**120.92** (अस्थायी)

डबवाली विधानसभा क्षेत्र का वर्षवार, गांववार, किसानवार बकाया मुआवजे का विवरण वर्ष 2022-23 को छोड़कर @ अनुलग्क 'x' पर दिया गया है। वर्ष 2022-23 की किसानों की सूचि कलेम वितरण के बाद उपलब्ध होगी।

....

हार्ट अटैक/हार्ट फेलियर के कारण हुई मौतों की संख्या

***38. श्री जयवीर सिंहः** क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि इस वर्ष के दौरान हार्ट अटैक/हार्ट फेलियर के कारण हुई मौतों की संख्या कितनी है तथा इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): श्री मान जी, विवरण सदन पटल पर रखा है।

विवरण

- मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ (एमसीसीडी) रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष (जनवरी–जुलाई 2023) के दौरान राज्य में हार्ट अटैक/हार्ट फेलियर के कारण हुई मौतों की संख्या 7026 (अंतिम) है।
- एमसीसीडी के अनुसार हार्ट अटैक/हार्ट फेलियर से हुई मौतों के कारण हैः–

@ उपरोक्त प्रश्न *37 के जवाब का एनैक्श्चर्ज 49 पेजिज का होने के कारण चेयर के आदेशानुसार विधान सभा पुस्तकालय में रखवाया गया।

1. एक्यूट रुमैटिक बुखार और क्रोनिक रुमैटिक हृदय रोग
2. उच्च रक्तचाप रोग
3. इस्केमिक हृदय रोग
4. पलमोनरी सरकुलेशन के रोग और हृदय रोग के अन्य रुप
5. सेरेब्रोवास्कुलर रोग
6. सर्कुलेटरी सिस्टम के अन्य रोग

....

सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य करवाना

***39. श्री मेवा सिंहः** क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सरस्वती नदी की खुदाई तथा उस पर बने अवैध पुलों को हटाने के कार्य करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उक्त कार्यों के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ताकि कुरूक्षेत्र जिले में हजारों एकड़ की फसलों को बाढ़ से बचाया जा सके ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)ः नहीं, श्रीमान जी। हालाँकि सरस्वती नदी में पानी कम होने के बाद जहाँ भी आवश्यकता होगी, सरस्वती नदी की डिजाइन वहन क्षमता को बहाल करने के लिए सरस्वती नदी की डी–सिल्टिंग की जाएगी।

अवैध पुलों को हटाने के संबंध में उपायुक्त, कुरूक्षेत्र द्वारा दिनांक 25.07.2023 को इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। कमेटी इन पुलों की जन उपयोगिता की जांच कर रिपोर्ट देगी और उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

....

नगरपालिका के क्षेत्र को बढ़ाना

***40. श्री धर्मसिंह छोकर** : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे–

(क) क्या यह तथ्य है कि नगरपालिका, समालखा के दुर्गा कॉलोनी, नई दुर्गा कॉलोनी, सीताराम कॉलानी, गांधी कॉलानी तथा विकास नगर (पूर्वी हिस्सा) के पीछे का क्षेत्र, तारा एनक्लेव, मयूर विहार से पवाती गांव तक, प्रीतमपुरा नजदीक रेलवे लाइन, शास्त्री कॉलोनी, चुलकाना सड़क, लाईन पार सांषी कॉलोनी, लाईन पार हनुमान बस्ती, लाईन पार भारत कॉलोनी, लाईन पार राजस्थान कॉलोनी, लाईन पार राजीव कॉलोनी, चरक कॉलोनी, जौरासी रोड़, ऑफिसर कॉलोनी का पूर्वी हिस्सा, पंचवटी कॉलोनी का पूर्वी हिस्सा, शास्त्री कॉलोनी नजदीक भापरा गांव नियमित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या नगर पालिका, समालखा का क्षेत्र को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि उक्त कॉलोनियां नियमित हो सकें; तथा

(ग) क्या वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शहर के क्षेत्र को बढ़ाने की घोषणा की गई थी जो कि अब तक पूरी नहीं की गई; यदि हां, तो उक्त घोषणा के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) कुल 17 कॉलोनियों में से 8 कॉलोनियां नगरपालिका के अंतर्गत आती है और जिनमें से 6 कॉलोनियां को अनुमोदित/घोषित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है और 2 कॉलोनियां विचाराधीन है। एवम्, प्रश्न

में वर्णित 9 कॉलोनियां नगरपालिका सीमा से बाहर पड़ती है, जिनमें से 3 कॉलोनियों को घोषित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है और शेष 6 कॉलोनियां विचाराधीन है उपरोक्त बारे विवरण निम्नलिखित है;

क0सं0	कॉलोनियों का नाम	नगरपालिका सीमा के अतंर्गत आता है या नहीं	स्वीकृत या अस्वीकृत घोषित क्षेत्र के रूप में
1.	दुर्गा कॉलोनी	हां	स्वीकृत
2.	नई दुर्गा कॉलोनी	हां	स्वीकृत
3.	सीताराम कॉलानी	हां	स्वीकृत
4.	गांधी कॉलानी तथा विकास नगर (पूर्वी हिस्सा) के पीछे का क्षेत्र	नहीं	अस्वीकृत
5.	तारा एनक्लेव	नहीं	स्वीकृत
6.	मयूर विहार से पवाती गांव तक	नहीं	स्वीकृत
7.	प्रीतमपुरा नजदीक रेलवे लाइन	नहीं	अस्वीकृत
8.	शास्त्री कॉलोनी चुलकाना सड़क	नहीं	स्वीकृत
9.	लाईन पार सांषी कॉलोनी	नहीं	अस्वीकृत
10.	लाईन पार हनुमान बस्ती	हां	स्वीकृत
11.	लाईन पार भारत कॉलोनी	नहीं	अस्वीकृत
12.	लाईन पार राजस्थान कॉलोनी	हां	स्वीकृत
13.	लाईन पार राजीव कॉलोनी	हां	स्वीकृत
14.	चरक कॉलोनी जौरासी रोड	नहीं	अस्वीकृत
15.	ऑफिसर कॉलोनी का पूर्वी हिस्सा	नहीं	अस्वीकृत
16.	पंचवटी कॉलोनी का पूर्वी हिस्सा	हां	अस्वीकृत
17.	शास्त्री कॉलोनी नजदीक भापरा गांव	हां	अस्वीकृत

(ख) हां श्रीमान, नगर पालिका समालखा की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। कॉलोनियों को 2021 में संषोधित हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक

सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विषेष उपबंध) अधिनियम 2016 के तहत घोषित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है यदि कॉलोनियां नीति के प्रावधानों को पूरा करती है।

(ग) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा, संख्या 24777 दिनांक 02.02.2019 द्वारा नगरपालिका समिति, समालखा के क्षेत्र के विस्तार हेतु हुई थी। उक्त घोषणा अगले छह महीनों के भीतर पूरी होने की सभांवना है।

....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

रेलवे उपरि पुल का निर्माण कार्य पूरा करना

41.श्री दीपक मंगला: क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि पलवल में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार रसूलपुर में रेलवे उपरि पुल (R.O.B.) का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है, उक्त रेलवे पुल उपरि (R.O.B.) का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): श्रीमान जी, पलवल हसनपुर सड़क पर रसूलपुर में रेलवे उपरि पुल का निर्माण कार्य 31.10.2023 तक पूरा होने की संभावना है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का पुनर्निर्माण करना

42 श्री दीपक मंगला: क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः

(क) क्या यह तथ्य है कि पलवल विधान सभा क्षेत्र के गांव रामपुर खोर में 7-8 वर्ष पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण हुआ था, लेकिन इस भवन

को अभी तक विभाग को नहीं सौंपा गया है तथा भवन की हालत भी जर्जर हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त भवन की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) उक्त भवन को पुनर्निर्मित करके तथा स्वास्थ्य विभाग को कब तक सौंपे जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क) हां, श्रीमान् जी, रामपुर खोर का भवन उप-स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नहीं है। उप-स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण का कार्य शाही इमपैक्स भारत प्राईवेट लिमिटेड को कार्यकारी अभियंता, पी.डब्लयू.डी. भवन एवं सड़कें, पलवल द्वारा पत्र क्रमांक नं0 7947 दिनांक 02/08/2013 द्वारा आवंटित किया गया था। जिसकी समय सीमा छह महीने दी गई थी और इस भवन की छत का कार्य एजेंसी द्वारा पूरा कर दिया गया था। उसके बाद, एजेंसी ने कार्य बीच में बंद कर दिया और इसलिए भवन को क्लाइंट (स्वास्थ्य विभाग) को नहीं दिया जा सका। इस समय भवन की हालत जर्जर है और मरम्मत की आवश्यकता है।

(ख) उक्त भवन के शेष कार्य रूपये 51.78 लाख रूपये की संशोधित अनुमानित लागत अनुमान महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा को इस कार्यालय के प्रशासनिक

ज्ञापन संख्या 130038/वर्क्स-II दिनांक 31.07.2021 के द्वारा भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति अभी भी प्रतिक्षित है ।

(ग) संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद इस भवन को लगभग नौ महीने में स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा ।

डेयरी कॉम्प्लेक्स में मूलभूत सुविधाएं

43. श्री भारत भूषण बतरा: क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि नगर निगम, रोहतक द्वारा क्न्हेली सड़क पर डेयरी कॉम्प्लेक्स के लिए प्लॉट आवंटित किए गए हैं; यदि हां, तो उक्त कॉम्प्लेक्स में सड़कों, पानी तथा जल निकासी प्रणाली के उचित प्रबंधन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उसका ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि डेयरी कॉम्प्लेक्स को विकसित करने के लिए नगर निगम, रोहतक को 35 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है; यदि हां, तो उस कार्य का नाम क्या है जिस पर उक्त राशि अब तक खर्च की गई है तथा उस कार्य का नाम क्या है जिस पर उक्त राशि खर्च किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता):

(क) हाँ सर, नगर निगम, रोहतक ने डेयरी कॉम्प्लेक्स में जल निकासी सुविधा, 1.8 किमी लंबी जल आपूर्ति लाइन और सड़कें जिन्हें दोबारा से बनाने की आवश्यकता है, प्रदान की गई हैं ।

(ख) नहीं सर ।

नगर निगम, रोहतक के कर्मचारियों से संबंधित ब्यौरा

44. **श्री भारत भूषण बतरा:** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) नगर निगम, रोहतक में वर्ष 2019 से जुलाई, 2023 तक नियमित, अनुबंध, आउटसोर्सिंग पर तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत नियुक्त ग्रुप सी तथा डी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; तथा उक्त नियुक्त कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा जैसे कि उनके नाम, पिता/पति का नाम, स्थाई पता तथा उनकी योग्यता क्या है;

(ख) क्या नगर निगम, रोहतक में वर्ष 2019 से जुलाई, 2023 तक नियमित, अनुबंध, आउटसोर्सिंग और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त ग्रुप सी तथा डी के सभी कर्मचारी निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार हैं; यदि नहीं, तो उनकी नियुक्ति में पात्रता में छूट देने के कारण क्या हैं; तथा

(ग) उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिन्हें नियुक्ति में छूट दी गई है तथा उपरोक्त 'ख' में वर्णित के अनुसार पात्रता में जो छूट दी गई है, का पूरा ब्यौरा क्या है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता):

(क) नगर निगम, रोहतक में वर्ष 2019 से जुलाई, 2023 तक नियमित, अनुबन्ध, आउटसोर्सिंग आधार पर और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त ग्रुप ''सी'' और ''डी'' के कर्मचारियों की संख्या की जानकारी संलग्न @अनुबन्ध ''ए'' पर दी गई है।

इसके साथ ही ग्रुप ''सी'' और ''डी'' के कर्मचारियों का नाम, पिता/पति का नाम, स्थायी पता और पात्रता के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण संलग्न अनुबन्ध ''बी'' और ''सी'' क्रमशः में दी गई है।

उपरोक्त विवरण के अतिरिक्त, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा द्वारा नगर निगम, रोहतक में तैनात कर्मचारियों का विवरण भी अनुबन्ध ''डी'' में दिया गया है।

(ख) हाँ महोदय, एक कर्मचारी को छोड़कर जो पहले से ही आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से बतौर टाउन सोशल मोबिलाइजेशन और इंस्टीटयूशनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट के पद पर 01.01.2018 से कार्यरत था तथा जिसका विवरण अनुलग्नक ''डी'' के क्रम संख्या 01 में उल्लेखित है। सहायक परियोजना अधिकारी के पद के लिए योग्यता अभियंत्रिकी/नगर नियोजना में डिग्री या एम.ए. अर्थशास्त्र तथा शैक्षणिक योग्यता के बाद तीन साल का अनुभव होना चाहिए । कर्मचारी पहले से ही आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम

@ उपरोक्त प्रश्न 44 के जवाब का एनैक्श्चर्ज 30 पेजिज का होने के कारण चेयर के आदेशानुसार विधान सभा पुस्तकालय में रखवाया गया।

से कनिष्ठ स्तर के पद पर काम कर रहा था, इसलिए एजेंसी द्वारा उसके अनुभव को ध्यान में रखते हुए, उसकी सेवाएं सहायक परियोजना अधिकारी के पद के लिए प्रदान की गई हैं जैसा कि अनुलग्नक डी के क्रम संख्या 01 के कॉलम (जे) में उल्लेखित है।

(ग) जैसा कि ऊपर (ख) में बताया गया है।

प्रवासी श्रमिकों का सत्यापन

45. श्री प्रदीप चौधरी: क्या गृह मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या इस क्षेत्र में बढ़ते अपराध को देखते हुए रायपुररानी और बरवाला के उद्योगों में काम करने वाले प्रवासी/बाहर से आए कार्यरत मजदूरों के सत्यापन के लिए सरकार के द्वारा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): महोदय, पूरे राज्य में औद्योगिक श्रमिकों के पूर्ववृत्त के सत्यापन की एक प्रणाली पहले से ही मौजूद है। संबंधित उद्योग स्वामियों से प्राप्त अनुरोध/ऑनलाइन आवेदन पर संबंधित पुलिस स्टेशनों के माध्यम से उद्योगों में काम करने वाले प्रवासी/बाहरी श्रमिकों का सत्यापन किया जा रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना

46. श्री प्रदीप चौधरीः क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गांव मानकटबरा से लेकपलासरा तथा पारवाला से शेरपुर गुजरान तक त्रिलोकपुर सड़क पर लगभग 40 गांवों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य मंत्री **(श्री अनिल विज):** नहीं, श्रीमान जी।

....

फसल बीमा योजना का ब्यौरा

47. श्री नीरज शर्मा: क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि -

(क) राज्य में फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी; तथा

(ख) राज्य में फसल बीमा योजना के आरंभ से अब तक कुल बीमाकृत भूमि के क्षेत्र का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): महोदय,

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) राज्य में खरीफ **2016** से लागू की जा रही है।

(ख) वर्ष **2016-17** से **2022-23** तक योजना के अंतर्गत वर्ष-वार कुल बीमाकृत क्षेत्र इस प्रकार है:-

(क्षेत्र लाख एकड़ में)

वर्ष	ख़रीफ़ के लिए बीमाकृत क्षेत्र	रबी के लिए बीमाकृत क्षेत्र	कुल बीमाकृत क्षेत्र
2016-17	29.46	22.25	51.71
2017-18	23.77	22.84	46.61
2018-19	24.42	26.97	51.39
2019-20	27.81	27.81	55.62
2020-21	24.76	21.71	46.47
2021-22	20.48	20.38	40.86
2022-23	21.27	20.37	41.64
कुल	**171.97**	**162.33**	**334.30**

मुख्यमंत्री की घोषणा से संबंधित ब्यौरा

48. श्री नीरज शर्मा : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) उस व्यक्ति का नाम जिसकी अनुशसां पर माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 11313 की गई तथा घोषणा कब की गई तथा उसकी कुल राशि क्या है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि प्याली चौक से 3 नम्बर पुलिया तक एफ.सी.आई गोदाम तक रेलवे टैंक था; यदि हा, तो क्या उक्त रेलवे टैंक को वहां से हटा दिया गया है तथा उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसके आदेश से इसे हटा दिया गया है;

(ग) क्या यह तथ्य है कि उस भूमि पर जहां रेलवे टैंक स्थित था, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 11313 के तहत ग्रीन बेल्ट और निकासी के लिए निर्माण कार्य निष्पादित किया गया है; यदि हा, तो उक्त टैंक की वर्तमान स्थिति क्या है; तथा

(घ) उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने एफ.सी.आई गादेाम के साथ लगते औद्यौगिक परिसर के लिए रेलवे टैंक के ऊपर रास्ता बनाने की अनुमति दी तथा उपरोक्त रास्ते के क्षेत्र पर बिछाए गए टैंक की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता) :

(क) उस क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सिफारिश पर माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा 10.04.2016 को बिना किसी विशिष्ट राशि दर्शायी घाषेणा की गई।

(ख) हां श्रीमान जी। नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा ऐसी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।

(ग) केवल ग्रीन बेल्ट का विकास माननीय मुख्यमंत्री घाषेणा के तहत किया गया तथा उक्त टैंक वर्तमान में कार्यशील नहीं है।

(घ) सरकार द्वारा नगर निगम, फरीदाबाद की सिफारिश पर औद्योगिक भूखंड संख्या 1, 2, 3, 4 के नक्शा प्लान की मंजुरी 30.01.2006 की नीति के नियमों व शर्तों के साथ की है जिसमें रास्ता दर्शाया गया है। वर्तमान में रेलवे टैंक/लाइन कार्यशील नहीं है।

....

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आवंटित राशि

49. **श्रीमती नैना सिंह चौटालाः** क्या विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) वर्ष 2019 से आज तक दादरी जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा कुल आवंटित राशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या दादरी जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांवों से गंदे पानी की निकासी के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है, यदि हां, तो उसका ग्राम-वार ब्यौरा क्या है, तथा

(ग) दादरी जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई को बढावा देने / बढाने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): महोदया,

(क) स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के विभिन्न घटकों जैसे कि व्यक्तिगत घरेलू शौचालय सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं, धूसर जल प्रबंधन परियोजनाए गोबर–धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई, मल कीचड़ प्रबंधन, सूचनाए शिक्षा व संचार, प्रशासनिक मद, स्कूल शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय, रेट्रोफिटिंग के लिए जिला चरखी दादरी को वर्ष 2019 से अब तक स्वच्छ भारत मिशन –ग्रामीण योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का विवरण निम्नानुसार हैः

वित्तीय वर्ष	स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के अंतर्गत आवटित राशि (रू लाख में)	विश्व बैंक प्रदर्शन प्रोत्साहन अनुदान के अंतर्गत आवटित राशि (रू लाख में)
2019-20	123.22	420.81
2020-21	311.09	177.29
2021-22	422.38	0
2022-23	630.54	0
2023-24	212.35	0

(ख) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना/गतिविधियाँ अनुमेय हैं। चरखी दादरी जिले में 2014–15 और 2015–16 के दौरान 18 गांवों को 3/5 तालाब प्रणाली के साथ तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया है। ग्रामवार विवरण **अनुलग्नक क** पर संलग्न है।

(ग) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं -

1. गोबर धन परियोजना गांव अचीना, ब्लॉक बौंद में शुरू की गई है।
2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 167 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शेड स्वीकृत किए गए हैंए जिनमें से 21 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शेड पूरे हो चुके हैं और शेष 146 निविदा चरण में हैं।

3. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ब्लॉक स्तर पर 04 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई स्वीकृत की गयी है।

4. एकल गड्ढे वाले शौचालय को दो गड्ढों वाले शौचालय में बदलने के साथ-साथ ग्राम पंचायतों में घर-घर जाकर ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और सुरक्षित निपटान के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

5. ग्रामीण क्षेत्र के मल कीचड़ के प्रबंधन के लिए सेवा प्रदाताओं / निजी टैंकर धारकों की पहचान की जा रही है और पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। चरखी दादरी जिले में जन स्वाथ्य अभियंन्त्रिकी विभाग के मौजूदा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सह-उपचार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के मल कीचड़ का प्रबंधन किया जाएगा।

अनुलग्नक 'क'

क्र0 स0	मंजूरी का वर्ष	खंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2014-15	बाढडा	हुई
2	2014-15	बाढडा	रूद्रोल
3	2014-15	चरखी दादरी	बरसाना
4	2014-15	बाढडा	दोहका दिना
5	2014-15	चरखी दादरी	घासोला
6	2014-15	चरखी दादरी	खेडी सनवाल
7	2014-15	झोझू	निहालगढ़
8	2015-16	बाढडा	आर्य नगर
9	2015-16	बाढडा	द्वारका
10	2015-16	बाढडा	जीतपुरा
11	2015-16	बाढडा	काकरोली हुक्मी
12	2015-16	बाढडा	मंडी हरिया
13	2015-16	चरखी दादरी	गोठरा
14	2015-16	चरखी दादरी	अटेला कलां
15	2015-16	झोझू	दादी छिल्लर
16	2015-16	चरखी दादरी	दोहकी

17	2015-16	झोझू	जावा
18	2015-16	चरखी दादरी	नरसिंहवास

....

लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का ब्यौरा

50. श्री शमशेर सिंह गोगीः– क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः–

(क) नवम्बर, 2014 से जुलाई, 2023 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की गई स्थाई भर्तियों में हरियाणा राज्य के मूल निवासियों तथा हरियाणा राज्य से बाहर के चयनित अभ्यार्थियों की संख्या कितनी है तथा उसका वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) नवम्बर, 2014 से जुलाई, 2023 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई स्थाई भर्तियों में हरियाणा राज्य के मूल निवासियों तथा हरियाणा राज्य से बाहर के चयनित अभ्यार्थियों की संख्या कितनी है तथा वर्ष–वार ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : महोदय,

(क) सरकार/संबंधित विभाग से मांगपत्र प्राप्त होने उपरांत हरियाणा लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों को मैरिट, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, उम्र और अन्य नियम व विनियमों के आधार पर चयनित करता है। चयनित उम्मीदवारों के चयन के बाद उनके मूल आवेदन पत्र और उसके साथ लगे अनुलग्नकों को संबंधित सरकारी विभाग को भेज दिया जाता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग चयनित उम्मीदवारों का हरियाणा का निवासी होने या नहीं होने का रिकार्ड नहीं रखता है।

(ख) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग योग्यता के आधार पर चयन करता है और उसके बाद चयनित उम्मीदवारों की सिफारिश संबंधित विभागों को भेज दी

जाती है। संबंधित विभागों के द्वारा ही चयनित उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन करने उपरांत उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाती है। अतः इस प्रकार का ब्यौरा संबंधित विभागों के पास ही उपलब्ध होता है।

वनों का क्षेत्र

51. श्री जगबीर सिंह मलिक: क्या पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) वर्ष 2015 से अब तक राज्य में घटे या बढ़े वन क्षेत्र का जिलेवार विवरण; तथा

(ख) अवैध खनन का वनों पर प्रभाव तथा उस क्षेत्र का विवरण जहां अवैध खनन के कारण वन कम हुए हैं?

वन मंत्री (श्री कंवर पाल):

(क) श्रीमान जी, वन आवरण का आंकलन भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा दो वर्षो में एक बार किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत के वनों की स्थिति रिपोर्ट (आई०एस०एफ०आर०) के अनुसार हरियाणा राज्य में 2015 से वन क्षेत्र का जिलावार विवरण इस प्रकार है:

आंकलन वर्ष और वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र

ज़िला	आंकलन वर्ष 2015 के अनुसार वन आवरण	2013 आंकलन के संबंध में वन क्षेत्र में परिवर्तन	वन आवरण आंकलन वर्ष 2017	2015 आंकलन के संबंध में वन क्षेत्र में परिवर्तन	वन आवरण आंकलन वर्ष 2019	2017 आंकलन के संबंध में वन क्षेत्र में परिवर्तन	वन आवरण आंकलन वर्ष 2021 (नवीनतम)	2019 आंकलन के संबंध में वन क्षेत्र में परिवर्तन
अंबाला	43	**0**	52	0	51.35	-0.65	52.27	0.92
भिवानी	150	**0**	112	0	113.81	1.81	111.42	-2.39
फरीदाबाद	92	**-1**	80	5	79.94	-0.06	79.23	-0.71

फतेहाबाद	18	**0**	18	1	18	0	18.49	0.49
गुरुग्राम	229	**0**	117	1	116.18	-0.82	113.71	-2.47
हिसार	43	**-1**	57	3	57.64	0.64	57.36	-0.28
झज्जर	31	**0**	24	0	25.93	1.93	25.41	-0.52
जींद	20	**0**	21	0	21	0	22.34	1.34
कैथल	75	**0**	57	0	57.07	0.07	58.82	1.75
करनाल	40	**0**	32	-2	32.24	0.24	31.64	-0.6
कुरूक्षेत्र	27	**0**	39	-2	39.75	0.75	40.12	0.37
महेन्द्रगढ़	69	**0**	99	-1	103.29	4.29	103.38	0.09
मेवात		**0**	110	2	111.18	1.18	110.41	-0.77
पलवल		**0**	14	-1	13.97	-0.03	13.56	-0.41
पंचकुला	395	**0**	391	-1	390.7	-0.3	392.1	1.4
पानीपत	15	**0**	16	0	15.88	-0.12	16.45	0.57
रेवाड़ी	53	**0**	59	0	62.45	3.45	63.1	0.65
रोहतक	19	**0**	19	0	21.13	2.13	20.39	-0.74
सिरसा	55	**0**	57	2	56.6	-0.4	58.25	1.65
सोनीपत	21	**0**	20	0	20.97	0.97	22.04	1.07
यमुनानगर	189	**0**	194	1	193.36	-0.64	192.99	-0.37
कुल	**1584**	**-2**	**1588**	**8**	**1602.44**	**14.44**	**1603.48**	**1.04**

(ख) हरियाणा के वन क्षेत्रों में किसी प्रकार का वैध या अवैध खनन नहीं हो रहा है।

पुल का निर्माण

52.श्री बिशन लाल सैनी: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि गुमथला गांव में यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल का कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी, गुमथला गांव में यमुना नदी पर अप्रोच (पहुंच मार्ग) सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में, यमुना नदी पर पुल का काम पूरा हो चुका है तथा अप्रोच रोड और गाईड बांध का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह कार्य जनवरी, 2024 तक पूरा होने की संभावना है।

सड़कों की मरम्मत

53. श्री बिशनलाल सैनी: क्या उपमुख्यमंत्री कृपया बताएंगें किः-

(क) खरकाली सड़क (ब्लॉक रादौर) को कब तक मरम्मत किए जाने की संभावना है तथा उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; तथा

(ख) रायपुर शादीपुर से करनाल वाया जठलाना-गुमथला तक सड़क की स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है तथा क्या उक्त सड़क माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत है; तथा उसका ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क) महोदय, कार्य की निविदा आमंत्रित कर दी गई है जोकि दिनांक 04.09.2023 को प्राप्त होनी है। निविदा आवंटन के पश्चात् ही कार्य किया जाएगा।

(ख) इस सड़क के सुदृढ़ीकरण का प्राक्कलन अनुमोदन की प्रक्रिया में है। सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद कार्य निष्पादित किया जाएगा। यह माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा है जिसका कोड **नं०** 26452 है जो दिनांक 15.05.2022 को की गई थी।

पार्कों के लंबित कार्यों को पूरा करना

54. श्री घनश्याम सर्राफ: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग द्वारा चौधरी सुरेन्द्र सिंह पार्क, चौधरी बंसीलाल पार्क, ठाकुर वीर सिंह पार्क तथा बी.डी. गुप्ता पार्क के लंबित कार्यों के कब तक पूरे किए जाने की संभावना है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी, इन पार्कों में बागवानी कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। सिवल कार्यों को करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन कार्यों के शुरू होने की तिथी से छह महीने के भीतर पूरा होने की संभावना है।

ड्रेन की पटरी पर सड़क निर्माण करना

55. श्री लीला राम: क्या उपमुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या कैथल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जींद सड़क पर गांव पाड़ला सड़क से नई अनाज मंडी तक कैथल ड्रेन की पटरी पर सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): (क) नहीं महोदय,

(ख) अतः प्रश्न का यह भाग उत्पन्न नहीं होता।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का मण्डल स्थापित करना

56. डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि -

(क) जींद शहर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का मण्डल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): नहीं, श्रीमान जी,

रिचार्ज बोर स्थापित करना

57. श्री लक्ष्मण नापाः क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः—

(क) क्या यह तथ्य है की बरसात के दिनों में रतिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निचले क्षेत्र में पानी जमा हो जाता है; तथा

(ख) क्या कृषि भूमि की सिंचाई के लिए उक्त जमा पानी का उपयोग करने के लिए रिचार्ज बोर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उक्त रिचार्ज बोर कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) हां, श्रीमान जी। रतिया विधानसभा क्षेत्र के गांवों में 40 रिचार्ज बोरवेल बनाने का प्रावधान है, जिसके लिए सरकार द्वारा 213.75 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य के 01.11.2023 से शुरू होने की संभावना है और 30.06.2024 तक पूरा हो जाएगा।

नागपुर को उप-तहसील के रूप में घोषित करना

58. श्री लक्ष्मण नापा: क्या उपमुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि गांव नागपुर को उप-तहसील के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा इसके कब तक उप-तहसील के रूप में घोषित किए जाने की संभावना है?

उपमुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): नहीं, श्रीमान् जी। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सड़क की मरम्मत

59. श्री सुभाष गांगोली, : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या यह तथ्य है कि सफीदों विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव हाट से लुडाना (राजा वाली सड़क) तक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सड़क की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उक्त सड़क का मरम्मत कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है; तथा

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क) श्रीमान जी, गांव हाट से भंभेवा (लुडाना) (राजा वाली सड़क) तक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं है। हालाँकि, एनएचएआई की जींद-सोनीपत (4-लेन कार्य) और दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे की चल रही परियोजनाओं के भारी वाहनों द्वारा निर्माण सामग्री इस सड़क से ले जाने के कारण गड्ढे हो गए हैं।

(ख) इस सड़क की कुल लंबाई 14.03 कि० मी० है, जिसमें से 4.80 कि० मी० एनएचएआई निर्माण गतिविधियों के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है और इसकी मरम्मत उनके द्वारा की जानी है, जिसके लिए मामला पहले ही एनएचएआई अधिकारियों के साथ उठाया जा चुका है। यह सड़क 19.10.2024 तक दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) में है और इस सड़क के शेष भाग की मरम्मत ठेकेदार के द्वारा की जा रही है।

(ग) जहां भी आवश्यकता है, पैच वर्क के माध्यम से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है।

चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य

60. श्री शीशपाल सिंह केहरवाला: क्या चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि सिरसा में चिकित्सा महाविद्यालय के लिए जगह निश्चित हो गई है?;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में चिकित्सा महाविद्यालय सिरसा का निर्माण कार्य शुरू किये जाने की संभावना है?; तथा

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है तथा इसके कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री (श्री अनिल विज):

(क) एवं (ख) हां श्रीमान जी।

(ग) राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिरसा की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन हेतू विचाराधीन है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत होने पर 03 माह के अंदर इस चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण का कार्य शुरू होने की संभावना है। निर्माण कार्य शुरू होने के 30 माह बाद पूर्ण करने का समय लिया गया है।

जल जीवन मिशन के लाभार्थियों का ब्यौरा

61. श्री शीशपाल सिंह केहरवाला : क्या जन स्वास्थय अभियांत्रिकी मंत्री कृप्या बताएंगे कि-

(क) क्या राज्य में जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो जिला सिरसा में जल जीवन मिशन के लाभार्थियों का ब्यौरा, उन लाभार्थियों के नाम, उनके पते, मिशन के लाभ की अवधि सहित क्या है तथा उक्त मिशन पर खर्च हुई राशि का ब्यौरा क्या है?

जन स्वास्थय अभियांत्रिकी मंत्री (डा0 बनवारी लाल):

(क) हां, श्रीमान जी; फिर भी राज्य सेवाओं की आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए निंरतर प्रयास कर रहा है।

ख) 1 जनवरी, 2020 से 6 अप्रैल, 2022 तक की अवधि के दौरान कवर किए गए लाभार्थियों का विवरण लिंक https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/Physical/JJMRep_FHTCBenefdetails.aspx (प्रारूप जे 6) पर देखा जा सकता है जोकि सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है। जल जीवन मिशन के तहत जिला सिरसा में 9434.93 लाख रूपये खर्च किए जा चुके है।

धारा 144 लगाए जाने के संबंध में ब्यौरा

62. चौधरी आफताब अहमद: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2015 से आज तक राज्य में कितनी बार धारा-144 लागू की गई है

स्थान सहित उनका विवरण दिया जाए;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में कितनी बार इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): महोदय, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

(क) वर्ष 2015 से अब तक राज्य में जिन स्थानों पर धारा-144 लागू है, उनका विवरण @अनुबंध-'ए' में दिया गया है।

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में जिन स्थानों पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई उनका विवरण अनुबंध-'बी' में दिया गया है।

किसानों को दिए जाने वाले मुआवजा का ब्यौरा

63. चौ० आफताब अहमद: क्या उपमुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) वर्ष 2021 से अब तक बेमौसमी बरसात तथा ओलावृष्टि के कारण नूंह के किसानों को उनकी खराब हुई फसलों के लिये कुल कितना मुआवजा आवंटित किया गया; तथा

@उपरोक्त प्रश्न नं0 62 के जवाब का अनैक्चर 85 पेजिज का होने के कारण चेयर के ओदशानुसार विधान सभा के पुस्तकालय में रखवाया गया ।

(ख) किसानों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितना मुआवजा लंबित है तथा नूंह के किसानों को लंबित मुआवजा कब तक दिये जाने की संभावना है तथा उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क) व (ख) भारी वर्षा/जल भराव के कारण खरीफ फसल 2021 को हुए नुकसान के लिए सरकार के पत्र दिनाक 21.01.2022 द्वारा उपायुक्त नूंह को 52,05,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी । इसमें से 1001 लाभार्थियों को 39,01,712/- रुपये की राशि का वितरण किया जा चुका है । 250 लाभार्थियों को 13,03,288/- रुपये की राशि का वितरण खाता विवरण (195 संख्या), समानांतर बीमा दावा (15 संख्या) और विरासत इन्तकाल (40 संख्या) की उपलब्धता ना होने के कारण नहीं किया जा सका।

भारी वर्षा/जलभराव के कारण रबी फसल 2022 को हुए नुकसान के लिए उपायुक्त नूंह को दिनाक 16.12.2022 द्वारा 32,25,86,500/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 91,316/- रुपये की राशि 27 लाभार्थियों को वितरित की गई । उपायुक्त, नूंह ने पत्र दिनांक 18.08.2023 द्वारा शेष 52,925 लाभार्थियों को आगे वितरण के लिए 32,24,95,184/- रुपये की राशि पुन: आवंटन करने का अनुरोध किया है। यह सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

बाढ़/भारी वर्षा/ जलभराव /बादल फटने/ ओलावृष्टि के कारण रबी फसल 2023 मे हुए नुकसान के लिए जिला नूंह के 17 गांवों के लाभार्थियों को वितरण हेतू पत्र

दिनांक 31.05.2023 द्वारा 63,29,157/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी । इसमें से दिनांक 31.05.2023 को ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से नूंह जिले के लाभार्थियों को सीधे 62,76,010/- रुपये का भुगतान कर दिया गया था । किसानों द्वारा पोर्टल पर अमान्य खाता विवरण उपलब्ध् करवाने के कारण 2 लाभार्थियों को 53,147/- रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका । संबंधित किसानों से वैध खाता संख्या प्राप्त होने पर इसका वितरण कर दिया जाएगा।

कच्ची कॉलोनियां में सुविधाएँ

64. श्री बलराज कुंडू:- क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएगें कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि महम शहर के चारों ओर कई कच्ची बस्तियां बनी हुई हैं जोकि न तो नगर पालिका के अधीन हैं और न ही किसी पंचायत के अधीन है जिसके कारण उक्त कच्ची कॉलोनियों में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कच्ची कॉलानियां में सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता):

(क) महम की नगरपालिका सीमा के बाहर आने वाली कच्ची बस्तियों/कच्ची कॉलोनियां को हरियाणा नागरिक सुखसुविधाओं और अवसंरचना नगर पालिका क्षेत्र के बाहर अपूर्ण क्षेत्रों का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2021 यानी 2022 का

अधिनियम संख्या 5 को 17.01.2022 को अधिसूचित किया, ताकि घोषित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा सके।

(ख) 2022 का अधिनियम संख्या 5, के प्रावधानों पर विचार करते हुऐ महम शहर की नगरपालिका सीमा के बाहर कुल 8 कॉलोनियों की पहचान की गई है, जिनमें से 5 कॉलोनियों को घोषित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है और बाकी 3 नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अधिसूचना के लिए विचाराधीन है।

सड़कों की वर्तमान स्थिति

65. श्रीमती गीता भुक्कल: क्या उप- मुख्यमंत्री निम्नलिखित सड़कों की वर्तमान स्थिति बताएंगे कि:-

(क) साल्हावास से मातनहेल सड़क वाया लाडियान, बिराड तथा अकेड़ी मदनपुर जोकि बुरी अवस्था में है;

(ख) झज्जर शहर से गाँव छुछकवास वाया गवालीसन तथा मरोट;

(ग) झज्जर शहर से बहादुरगढ़ सड़क तक की सड़क जो कि चलने योग्य स्थिति में नहीं है;

(घ) बिरोहड़ से खचरोली, सेहलंगा, डालनवास, झामरी सड़क तक की सड़क; तथा

(ङ) डायवर्जन सड़क वाया दादरी चौक, भगत सिंह चौक तथा अग्रसेन चौक से रामलीला ग्राउंड जो कि बुरी अवस्था में है तथा चलने योग्य स्थिति में नहीं है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): सड़कवार स्थिति इस प्रकार है:

(क) झज्जर जिले में सालहवास से मातनहेल सड़क वाया लाडियान, बिराड तथा अकेड़ी मदनपुर सड़क को चौड़ा और मजबूत करने के लिए 64.08 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं। उक्त कार्य की डी०पी०आर०

अनुमोदन के उदेश्य से स्थायी वित्त समिति "बी" को प्रस्तुत की गई है जिसके बाद लोन की मंजूरी के लिए डी०पी०आर० एन० सी०आर०पी०बी०, नई दिल्ली को प्रस्तुत की जाएगी। लोन की मंजूरी के बाद, परियोजना हरियाणा राज्य सड़क विकास विभाग (एच.एस.आर.डी.सी) द्वारा शुरू की जाएगी।

आर० डी० अनुसार सड़क की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

क्रमांक	आर० डी०	मौजूदा कैरिज वे	मरम्मत की आखिरी तारीख	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	आर० डी० 0.00 से 0.180 तक	7.00 मी०	11/2015	संतोषजनक स्थिति (ग्राम मातनहेल)	मौजूदा सी.सी. ब्लॉक
2	आर० डी० 0.180 से 6.350 तक	7.00 मी०	11/2015	खराब स्थिति	पैच वर्क के माध्यम से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है
3	आर० डी० 6.350 से 7.150 तक	10.00 मी०	11/2015	संतोषजनक स्थिति (ग्राम अखेरी मदनपुर)	मौजूदा सी.सी. सड़क
4	आर० डी० 7.150 से 9.300 तक	7.00 मी०	11/2015	खराब स्थिति	पैच वर्क के माध्यम से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है
5	आर० डी० 9.300 से 9.450 तक	7.00 मी०	11/2015	संतोषजनक स्थिति (ग्राम बिरार)	मौजूदा सीसी ब्लॉक
6	आर० डी० 9.450 से 10.150 तक	7.00 मी०	11/2015	खराब स्थिति	पैच वर्क के माध्यम से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है
7	आर० डी० 10.150 से 10.680 तक	7.00 मी०	11/2015	संतोषजनक स्थिति (ग्राम लादेन)	मौजूदा सीसी ब्लॉक
8	आर० डी० 10.680 से 13.300 तक	7.00 मी०	11/2015	खराब स्थिति	पैच वर्क के माध्यम से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है
9	आर० डी० 13.300 से 14.100 तक	7.00 मी०	11/2015	संतोषजनक स्थिति (ग्राम साल्हावास)	मौजूदा सी.सी. ब्लॉक

10	आर० डी० 14.100 से 17.430 तक	7.00 मी०	11/2015	खराब स्थिति	पैच वर्क के माध्यम से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है
11	आर० डी० 17.430 से 17.500 तक	7.00 मी०	02/2022	संतोषजनक स्थिति (ग्राम कोसली)	मौजूदा सी.सी. ब्लॉक

ख) झज्जर शहर से गवालीसन और मरोट होते हुए गांव छुछकवास तक की सड़क राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) योजना के तहत स्वीकृत की गई है और 1824.32 लाख रुपए की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के यादी क्रमांक 09/226/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 28.03.2023 द्वारा प्रदान की गई है। इस सड़क के सुधार के लिए निविदा प्राप्त हो चुकी है तथा अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

ग) झज्जर जिले में झज्जर शहर से बहादुरगढ़ सड़क किमी 5.700 से 23.700 कि०मी० तक चार लेन करने व सुधारने के लिए 200.00 करोड़ रुपये की राशि की सैद्धांतिक मंजूरी सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 9/861/2021-3 बी एंड आर (डब्ल्यू) दिनांक 31.12.2021 के तहत प्रदान की गई है इस सड़क परियोजना की डी०पी०आर० तैयार करने हेतु 25.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी सरकार द्वारा प्रदान की गई है। उक्त सड़क की डी० पी० आर० सलाहकार द्वारा तैयार किया जा रही है। कार्य हरियाणा राज्य सड़क विकास निगम (एच.एस.आर.डी.सी.) द्वारा किया जाएगा। सड़क 08/2023 तक दोष दायित्व के अतर्गत है और ठेकेदार द्वारा पैच वर्क के माध्यम से रखरखाव किया जा रहा है।

आर०डी० अनुसार सड़क की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

क्रमांक	**आर० डी०**	**मौजूदा कैरिज वे**	**मरम्मत की आखिरी तारीख**	**वर्तमान स्थिति**

1	आर० डी० 0.00 से 3.700 तक (फलेक्सीबल) बहादुरगढ़ शहर	10.00 मी०	08/2019	संतोषजनक
2	आर० डी० 3.700 से 4.100 तक (फलेक्सीबल) बहादुरगढ़ बाई पास	10.00 मी०	08/2019	संतोषजनक
3	आर० डी० 4.100 से 5.700 तक (फलेक्सीबल)	7.00 मी० (दोनों तरफ)	08/2019	मोटरेबल स्थिति, संविदा एजेंसी द्वारा पैच वर्क प्रगति पर है।
4	आर० डी० 5.700 से 6.500 तक (फलेक्सीबल) (ग्राम भाग नूना माजरा)	10.00 मी०	08/2019	मोटरेबल स्थिति, संविदा एजेंसी द्वारा पैच वर्क प्रगति पर है।
5	आर० डी० 6.500 से 10.620 (फलेक्सीबल)	10.00 मी०	08/2019	मोटरेबल स्थिति, संविदा एजेंसी द्वारा पैच वर्क प्रगति पर है।
6	आर० डी० 10.620 से 11.260 तक (फलेक्सीबल) (ग्राम भाग दबोधा)	10.00 मी०	08/2019	मोटरेबल स्थिति, संविदा एजेंसी द्वारा पैच वर्क प्रगति पर है।
7	आर० डी० 11.260 से 12.100 (फलेक्सीबल)	10.00 मी०	08/2019	मोटरेबल स्थिति, संविदा एजेंसी द्वारा पैच वर्क प्रगति पर है।
8	आर० डी० 12.100 से 12.500 तक (सी सी भाग)	10.00 मी०	08/2019	संतोषजनक
9	आर० डी० 12.500 से 14.700 तक (फलेक्सीबल)	10.00 मी०	08/2019	मोटरेबल स्थिति, संविदा एजेंसी द्वारा पैच वर्क प्रगति पर है।

10	आर० डी० 14.700 से 15.400 तक (फलेक्सीबल) (ग्राम भाग दुल्हेड़ा)	6.70 मी०	08/2019	खराब स्थिति, संविदा एजेंसी द्वारा पैच वर्क प्रगति पर है।
11	आर० डी० 15.400 से 20.500 तक (फलेक्सीबल)	10.00 मी०	08/2019	मोटरेबल स्थिति, संविदा एजेंसी द्वारा पैच वर्क प्रगति पर है।
12	आर० डी० 20.500 से 21.200 तक (फलेक्सीबल) (ग्राम भाग कबलाना)	10.00 मी०	08/2019	मोटरेबल स्थिति, संविदा एजेंसी द्वारा पैच वर्क प्रगति पर है।
13	आर० डी० 21.200 से 23.700 तक (फलेक्सीबल)	7.00 मी० (दोनों तरफ)	08/2019	मोटरेबल स्थिति, संविदा एजेंसी द्वारा पैच वर्क प्रगति पर है।
14	आर० डी० 23.700 से 27.700 तक (फलेक्सीबल) (झज्जर शहर)	7.00 मी० (दोनों तरफ)	08/2019	मोटरेबल स्थिति, संविदा एजेंसी द्वारा पैच वर्क प्रगति पर है।
15	आर० डी० 27.700 से 27.950 तक (फलेक्सीबल) (झज्जर शहर)	7.00 मी० (दोनों तरफ)	08/2019	खराब स्थिति, संविदा एजेंसी द्वारा पैच वर्क प्रगति पर है।

घ) बिरोहड़ से खचरोली, सहलंगा, डालनवास, झामरी सड़क तक की कुल लंबाई 15.400 किमी है और आर.डी. आनुसार विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	**आर० डी०**	**मौजूदा कैरिज वे**	**मरम्मत की आखिरी तारीख**	**वर्तमान स्थिति**	**टिप्पणी**

1	0.00 से 2.750	5.50 मी०	4/2017	संतोषजनक स्थिति	नियमित पैच वर्क के माध्यम से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है।
2	2.750 से 3.550	5.50 मी०	07/2023	अच्छी हालत	कार्य हाल ही में पूरा हुआ और 07/2027 तक डी० एल० पी० के अधीन है ।
3	3.550 से 6.000	5.50 मी०	4/2017	संतोषजनक स्थिति	नियमित पैच वर्क के माध्यम से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है।
4	6.000 से 6.400	3.66 मी०	2006	खराब स्थिति (ग्राम सेहलंगा निर्मित क्षेत्र में)	विधायक प्राथमिकता के तहत स्वीकृत एवं टेण्डर प्रक्रियाधीन है।
5	6.400 से 6.800	5.50 मी०	2010	खराब स्थिति (ग्राम सेहलंगा निर्मित क्षेत्र में)	विधायक प्राथमिकता के तहत स्वीकृत एवं टेण्डर प्रक्रियाधीन है।
6	6.800 से 9.000	5.50 मी०	4/2017	संतोषजनक स्थिति	नियमित पैच वर्क के माध्यम से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है।
7	9.000 से 9.200	5.50 मी०	03/2009	खराब स्थिति (ग्राम ढालनवास निर्मित क्षेत्र में)	विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत स्वीकृत कर दिनांक 3.07.2023 को संविदा एजेंसी को निविदा आवंटित कर दी गई है।
8	9.200 से 9.400	5.50 मी०	03/2009	संतोषजनक स्थिति	मौजूदा सी.सी. सड़क
9	9.400 से 12.400	5.50 मी०	4/2017	संतोषजनक स्थिति	नियमित पैच वर्क के माध्यम से सड़क का

					रखरखाव किया जा रहा है।
10	12.400 से 13.100	5.50 मी०	03/2009	संतोषजनक स्थिति	मौजूदा सी.सी. ब्लॉक.
11	13.100 से 14.200	5.50 मी०	4/2017	संतोषजनक स्थिति	नियमित पैच वर्क के माध्यम से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है।
12	14.200 से 15.400	5.50 मी०	03/2021	अच्छी हालत	03/2024 तक डी० एल०पी० के तहत सड़क

ई) डायवर्जन सड़क वाया दादरी चौक, भगत सिंह चौक तथा अग्रसेन चौक से रामलीला मैदान तक सुधार के लिए 867.71 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के यादी क्रमांक 09/89/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 17.02.2023 द्वारा प्रदान की गई है (विधायक प्राथमिकता सूची के अंतर्गत)। कार्य की संविदा दिनांक 17.07.2023 को ठेकेदार को 9 महीने की समय सीमा के साथ आवंटित की गई है। कार्य प्रगति पर है और निर्धारित समयावधि में पूरा कर लिया जाएगा।

पार्कों की स्थिति में सुधार

66. श्रीमती गीता भुक्कल: क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि झज्जर शहर में निम्नलिखित पार्कों की बुरी अवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई:-

(क) स्वतंत्रता सेनानी चौधरी मातु राम पार्क;

(ख) राव मंगी राम पार्क;

(ग) शहीदी पार्क;

(घ) पंडित श्री राम पार्क झज्जर; तथा

(ड) टाऊन पार्क झज्जर?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): श्रीमान, पार्क अनुसार विस्तृत जवाब इस प्रकार है:-

(क) स्वतंत्रता सेनानी चौधरी मातु राम पार्क:- रखरखाव का कार्य राइट टू फाउंडेशन नामक एनजीओ को सौंपा गया है। इसके अलावा, पार्क के विकास के लिए 99.75 लाख रुपये की निविदा का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) राव मंगी राम पार्क:- रखरखाव का कार्य राइट टू फाउंडेशन नामक एनजीओ को सौंपा गया है।

(ग) शहीदी पार्क:- रख-रखाव का कार्य एक प्रयास नामक एनजीओ को सौंपा गया है।

(घ) पंडित श्री राम पार्क झज्जर :- वक्फ बोर्ड इस पर मालिकाना हक रखता है। पट्टे पर कब्जे का मामला जिला न्यायालय में विचाराधीन है।

(ड़) टाऊन पार्क झज्जर:- रखरखाव का कार्य टाऊन पार्क समिति नामक एनजीओ को सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के संबंध में जानकारी

67. श्री वरुण चौधरी : क्या मुख्यमंत्री कृपया राज्य में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के संबंध में निम्नलिखित जानकारी बताएंगेः–

(क) योजना के शुरूआत से लाभार्थियों की वर्ष–वार संख्या कितनी है;

(ख) लाभार्थियों की संख्या कितनी है जिनकी आय दोगुनी हो गई है;

(ग) मासिक किस्तों (ई.एम.आई) का भुगतान करने में चूक करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है; तथा

(घ) इस योजना के तहत प्रधान की गई ब्याज छूट (प्रतिशत में) की मात्रा कितनी है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के प्रारंभ से वर्ष–वार लाभार्थियों का विवरण **अनुबंध–I** में है।

(ख) मिशन वर्तमान में उन लाभार्थियों की संख्या का रखरखाव/संग्रहण नहीं कर रहा है जिनकी आय दोगुनी हो गई है। लाभार्थी परिवार को निरंतर अनुवर्ती कार्यवाई करने और सहायता प्रदान करने के लिए एक आउटरीच तंत्र स्थापित करने की योजना है।

(ग) मिशन वर्तमान में उन लाभार्थियों की संख्या का रखरखाव/संग्रह नहीं कर रहा है, जिन्होंने मासिक किस्त का भुगतान करने में चूक की है।

(घ) मिशन वर्तमान में इस योजना के तहत प्रदान की गई ब्याज छूट की मात्रा (प्रतिशत में) का रखरखाव/संग्रह नही कर रहा है।

अनुबंध – I

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के शुरूआत से लाभार्थियों की वर्ष–वार संख्यां		
क्र0सं0	वर्ष	स्वीकृत आवेदन
1	2021	9899
2	2022	62526
3	2023 (18-08-2023 तक)	35931

अवैध कालोनियों के बढ़ते घनत्व पर नियंत्रण करना

68. **श्री वरूण चैधरी:** क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि पिछले 3 वर्षों में बराड़ा नगर पालिका समिति के अंदर और बाहर अवैध कालोनियों के बढ़ रहें घनत्व पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान् जी, पिछले तीन वर्षों में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने बराड़ा शहर के नगर पालिका सीमा के अंदर और बाहर स्थित शहरी क्षेत्र के भीतर हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्या 8) की धारा 7(i) की उल्लंघना में विकसित 26 अनाधिकृत कॉलोनियां की पहचान की है। उक्त 26 अनाधिकृत कॉलोनियों में कारण बताओ नोटिस और बहाली आदेश जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 13 अनाधिकृत कॉलोनियों में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है और 20 अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त करदिया गया है ।

चिकित्सकों का वेतनमान

69. श्री घनश्याम दासः क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या यह तथ्य है कि राज्य में चिकित्सकों का वेतनमान केन्द्र सरकार, पंजाब सरकार तथा बिहार सरकार के अतंर्गत कार्य कर रहे चिकित्सकों से कम है; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) नही, श्रीमान जी। पंजाब तथा बिहार राज्यों में चिकित्सा अधिकारियों का प्रारंभिक वेतनमान कार्यत्मक वेतन स्तर (एफ0पी0एल0)–9 में है। केंद्र सरकार के अधीन यह (एफ0पी0एल0)–10 में है।

हरियाणा राज्य में, चिकित्सा अधिकारियों का प्रारंभिक वेतनमान (एफ0पी0एल0)–10 में आता है, जो पंजाब तथा बिहार राज्यों की तुलना में अधिक है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को ध्यान मे रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

....

चिकित्सकों की समस्याओं को दूर करना

70. श्री घनश्याम दासः क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे–

(क) क्या यह तथ्य है कि राज्य में चिकित्सकों को निम्नलिखित में देरी की समस्याओं का सामना करना पड रहा है जिसके परिणाम स्वरूप उनका नैतिक स्तर दिन–प्रतिदिन गिरता जा रहा हैः–

(i) आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) तथा परीवीक्षा अवधि पूर्ण/ (Probation clearance) के मामले 2–4 वर्षों तथा इससे अधिक वर्षों से लंबित पडे हुए हैं तथा उसका जिलेवार ब्यौरा क्या है तथा उसके कारण क्या हैं;

(ii) पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जारी करने में देरी होती है तथा उसका जिलावार ब्यौरा क्या है तथा उसके कारण क्या हैं;

(iii) चिकित्सा अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) को HRMS पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड नहीं किया जाता तथा उसका जिलावार ब्यौरा क्या है तथा उसके कारण क्या हैं;

(iv) कई अन्य वित्तीय लाभ जैसेकि पोस्टमार्टम भत्ता, एल.टी.सी., टी.ए–डी.ए इत्यादि के वितरण में देरी रहती है तथा उसका जिला–वार ब्यौरा क्या है तथा उसके कारण क्या हैं; तथा

यदि हां, तो उक्त समस्याओं का समाधान कब तक किए जाने की संभावना हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) नहीं श्रीमान जी।

(i) ए.सी.पी. तथा परिवीक्षाधीन अवधि की स्वीकृति के केस अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त होने पर नियमित आधार पर निपटाये जा रहे हैं।

(ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले डॉक्टरों को समय पर एन.ओ.सी.जारी किये जाते है। 2023 के दौरान पी.जी. करने के इच्छुक डाक्टरों को 257 एन.ओ.सी. जारी किए गए। पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पिछले सप्ताह बिना किसी परेशानी के पूरी हो गई है।

(iii) चिकित्सा अधिकारियों के ए.सी.आर. को एच.आर.एम.एस. पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड किया जाता है।

(iv) पोस्टमार्टम भत्ते, एल.टी.सी., टी.ए., डी.ए. आदि वित्तीय लाभों का वितरण समय पर किया जाता है।

(ख) प्रश्न भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

मुआवजे की बकाया राशि

71. **श्री अभय सिंह चौटाला**: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे-

(क) गत तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में फसल बीमा योजना से संबंधित बीमा कम्पनियों की ओर से किसानों की खराब फसलों के नुकसान के लिए मुआवजे की कुल कितनी राशि वर्ष-वार तथा जिलावार बकाया है;

(ख) ऊपर 'क' के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं तथा भुगतान न देने की स्थिति में दोषी कम्पनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (जय प्रकाश दलाल): महोदय,

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में लगभग 1303.76 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि विभिन्न कारणों से वितरण के लिए लंबित है, जैसे कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) अस्वीकृत, बंद बैंक खाता, बैंकों का विलय, मृत्यु दावा, किसानों द्वारा आधार नहीं जोड़ा जाना, बीमा कंपनियो द्वारा उठाई गई विभिन्न आपतियाँ आदि। जिलावर एंव वर्षवार लंबित मुआवजा इस प्रकार है:-

ज़िला	लंबित मुआवज़ा (रुपये में)			
	एनईएफटी अस्वीकृत के कारण		2022-23 (लगभग)	कुल
	2020-21	**2021-22**		
अंबाला	11554.93	205141.46	0.00	216696.39
भिवानी	59042272.13	49033008.81	2358428515.11	2466503796.05
चरखी दादरी	494200.00	1091580.00	371183196.07	372768976.07
फरीदाबाद	8566123.16	2807867.70	0	11373990.86
फतेहाबाद	480493.00	3671044.00	49000000.00	53151537
गुरूग्राम	29009.65	699417.40	0.00	728427.05
हिसार	4086202.57	8043451.91	1530800000.00	1542929654.48
झज्जर	21433.00	175558.00	0.00	196991

जींद	1007773.07	4449704.38	0.00	5457477.45
कैथल	2171011.98	3489183.30	800374.94	6460570.22
करनाल	36254.26	22024.54	0.00	58278.8
कुरूक्षेत्र	636313.57	2177795.85	2500296.78	5314406.2
महेंद्रगढ़	383767.82	225689.52	16713761.43	17323218.77
मेवात	124636.00	997319.00	639226676.54	640348631.54
पलवल	60589.00	171946.00	15249290.25	15481825.25
पंचकुला	332560.42	226928.38	16930945.92	17490434.72
पानीपत	17852.56	255385.00	1008918.12	1282155.68
रेवाड़ी	20973050.83	20303875.31	245376390.00	286653316.14
रोहतक	779377.00	1250834.00	11600001.99	13630212.99
सिरसा	97098600.61	34331838.43	7430588670.95	7562019109.99
सोनीपत	525546.20	3183268.93	5307570.56	9016385.69
यमुनानगर	25318.36	10316.00	9245454.00	9281088.36
कुल	196903940.12 **(19.69 करोड़)**	136823177.92 **(13.68 करोड़)**	12703960062.66 **(1270.39 करोड़)**	13037687180.7 **(1303.76 करोड़)**

* भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार सिरसा जिले के लिए खरीफ 2022 में 623 करोड़ रूपए (अनुमानित) की मुआवजा राशि शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। रबी 2022-23 सीजन का क्लेम प्रक्रियाधीन है।

(ख) वर्ष 2020-21 व 2021-22 के लिए राज्य सरकार द्वारा लम्बित मुआवजा बारे निम्न कदम लिए जा रहे हैः**-**

1. बकाया क्लेम के किसानों की सूची को राज्य के उप कृषि निदेशकों के साथ सांझा किया गया ताकि संबंधित किसान अपने खाते को अपडेट कराकर भुगतान पा सके।
2. उप कृषि निदेशकों ने ग्राम स्तर पर व्यक्तिगत किसानों के सही बैंक विवरण एकत्रित करने के लिए बकाया क्लेम की सूची को प्रसारित किया।
3. उप कृषि निदेशकों से प्राप्त सही बैंक विवरण की सूची को संबंधित बीमा कंपनी को भुगतान के लिए भेज दिया गया है।

4. विभाग द्वारा जिलावार बकाया क्लेम राशि के किसानों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, ताकि जिन किसानों का बकाया है वे अपना सही बैंक विवरण उप कृषि निदेशक कार्यालय में प्रस्तुत कर सके।

5. विभाग द्वारा सही बैंक विवरण उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करवाने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है।

6. क्लेम के भुगतान का बकाया बैंकों के विलय, दावेदार की मृत्यु, आधार की गैर-सिडिंग, एनईएफटी अस्वीकृत के कारण रह गया है। बीमा कंपनियाँ आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के माध्यम से भुगतान कर रही है।

7. अन्य लम्बित मुआवजे के लिए, बीमा कम्पनियों द्वारा उठाए गए मुददों के समाधान करने के लिए विभाग द्वारा कठिन प्रयास किए जा रहे हैं तथा शीघ्र ही समाधान कर दिया जाएगा। यदि बीमा कम्पनियों के विरूद्ध कुछ पाया गया तो उचित कार्यवाही की जाएगी।

चूंकि बीमा कम्पनी किसानों को भुगतान कर रही है, इसलिए फिलहाल कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही पर विचार नहीं किया जा रहा है।

रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या

72. श्री चौधरी अभय सिंह चौटाला: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) वर्तमान में राज्य में रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या

ख) पिछले 4 वर्षों (1 जनवरी 2019 से 31 जुलाई 2023 तक) में राज्य में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों (पुरुष-महिला) की श्रेणी-वार कुल संख्या;

ग) उपरोक्त 'बी' में उल्लिखित अनुसार राज्य में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले उपरोक्त बेरोजगार व्यक्तियों (पुरुष और महिला) की कुल संख्या; और

घ) क्या घरेलू और बहुराष्ट्रीय पंजीकृत कंपनियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा कर रही हैं, साथ ही उसका विवरण भी बताएं?

मुख्यमंत्री (**श्री मनोहर लाल**) : श्रीमान जी, इस बारे कथन सभा के पटल पर रख दिया गया है |

कथन

श्रीमान जी,

क) वर्तमान में राज्य में 65 रोजगार कार्यालय मौजूद हैं।

ख) पिछले 4 वर्षों (1 जनवरी 2019 से 31 जुलाई 2023) में राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवेदकों (पुरुष-महिला) की श्रेणी-वार कुल संख्या इस प्रकार है:-

1 जनवरी 2019 से 31 जुलाई 2023 तक पंजीकृत युवा			
वर्ष	**पुरुष**	**महिला**	**कुल**
2019	117031	101471	218502
2020	119814	81668	201482
2021	73755	57691	131446
2022	68113	59891	128004
2023 (जुलाई 2023 तक)	23985	22542	46527

ग) संबंधित रोजगार कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार,अवधि (1 जनवरी 2019 से 31 जुलाई 2023) तक कुल 19,553 प्रार्थियों (15,956 पुरुष और 3,597 महिलाएं) को विभिन्न क्षेत्रों के रोजगार में समायोजित किया गया।

घ) कुल 11,040 निजी क्षेत्र के संगठन,जो कि हरियाणा व हरियाणा से बाहर स्थित हैं, यह सभी हरियाणा रोजगार निदेशालय के तहत पंजीकृत हैं |हरियाणा राज्य के सभी रोजगार कार्यालय पंजीकृत युवाओं के लिए कार्य-योजनाएं आयोजित करने में सक्रिय हैं और तकनीकी प्रशिक्षित युवाओं की प्लेसमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय के सहयोग से भी सम्बन्धित हैं| हालांकि,निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को उपलब्ध आवेदकों की सूची से भर्ती करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है लेकिन उन्हें इन आयोजनों में भाग लेने का अधिकार होता है और यह उनकी आवश्यकताओं के साथ मेल खाते सम्भावित उम्मीदवारों से संवाद करने का एक मंच प्रदान करते हैं,या वे स्थानीय रोजगार कार्यालय को अपनी मानवशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी रिक्ति अनुरोध प्रेषित कर सकते हैं | निदेशालय विभिन्न कम्पनियों के साथ समझौता पत्रिकाएँ (MoU) (Annexure-A) साइन की है ताकि वे अपनी मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और हमारे युवाओं को विभिन्न नौकरियों में समायोजित कर सकें | हालांकि, राज्य के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, कंपनी की मांगों के आधार पर और उनकी आवश्यकताओं के लिए सबसे अच्छे तरीके से उपयुक्त पाठ्यक्रम श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय,हरियाणा कौशल विकास मिशन,कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय और अन्य सम्बन्धित संगठनों के तत्वरूप प्रबंधित किए जा रहे हैं |

सड़कों का निर्माण करना

73. श्रीमती शकुन्तला खटक: क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे-

(क) क्या कलानौर विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र में नारनौंद से खेड़ी साध, पटवारपुर से मारौड़ी रागंड़ा, ककराना से बालम, संघेड़ा से सीवाना तथा गढ़ी से गढ़ी निगाना तक सड़कों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, उपरोक्त सड़कों का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (**श्री जय प्रकाश दलाल**):

(क) जी हां श्रीमान् ; ये हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मौजूदा सड़कें है जिनकी विशेष मरम्मत के लिए 253.21 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 21.08.2023 को जारी की जा चुकी है;

(ख) इन सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य नवम्बर 2023 तक शुरू होने की संभावना है।

अनधिकृत कॉलोनियों का ब्यौरा

74. श्री अमित सिहागः क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि डबवाली विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उसका कॉलोनी–वार ब्यौरा क्या है ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता)ः श्री मान, टाउन एंड कंन्ट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट, हरियाणा द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, डबवाली विधानसभा क्षेत्र

में 11 अनाधिकृत कॉलोनियां आती है, जिनमें से 9 कॉलोनियां मंडी डबवाली की नगर पालिका की सीमा के भीतर आती है, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

विवरण

क0 सं0	कालोनी का नाम	कालोनी का क्षेत्र (एकड़ों में)
1	यूसी–डी–02 (डबवाली से चौटाला रोड़ के नजदीक)	46.55
2	यूसी–डी–03 (जीसस मैरी कान्वैंट स्कूल के पास)	44.32
3	यूसी–डी–04 (डबवाली से चौटाला रोड़)	26.81
4	यूसी–डी–08 (डबवाली गांव के पास)	7.432
5	यूसी–डी–05 (शेरगढ़ रोड़ डबवाली)	22.17
6	यूसी–डी–02 (सेठ रोशन लाल आंखो का अस्पताल के पास नई डबवाली)	93.38
7	यूसी–डी–06 (डबवाली सिरसा रोड)	72.19
8	यूसी–डी–9(पार्ट–क) (पॉवर हॉउस के पास गांव डबवाली)	2.0309
9	यूसी–डी–9(पार्ट–ख) (पॉवर हॉउस के पास गांव डबवाली)	3.50

उपरोक्त सभी 9 कॉलोनियां हरियाणा नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2016 के तहत दिनांक 17.08.2023 के माध्यम से हरियाणा ई–गजट में अधिसूचित कर दी गयी है।

इसके अलावा, 2 कॉलोनियां नगरपालिका सीमा के बाहर है, जिनमें से यूसी–डी 9 गांव डबवाली नाम की कॉलोनी को हरियाणा नगरपालिका क्षेत्र के बाहर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2022 के तहत नियमितीकरण के लिए जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा विचार किया गया है, यूसी–डी–07 गांव शेरगढ़ के नाम से नामित कॉलोनी मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

....

पार्कों का उन्नयन/उत्थान

75. श्री अमित सिहागः क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या डबवाली नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पार्कों को बेहतर तथा उन्नयन करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो प्रत्येक पार्क के लिए बनाई गई विस्तृत योजना क्या है तथा उपरोक्त कार्य कब तक शुरू/ पूरा किए जाने की संभावना है ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा० कमल गुप्ता): नहीं श्रीमान।

....

विश्राम गृहों का निर्माण

76. श्री सीता राम यादव : क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अटेली और कनीना शहर में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों का निर्माण कब तक होने की संभावना है?

उप मुख्यमंत्री (**श्री दुष्यंत चौटाला**): श्रीमान जी, अटेली के नज़दीक बोचडिया में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के निर्माण का प्रस्ताव है। विश्राम गृह के निर्माण के

लिए 507.22 लाख रुपये का प्रशासकीय अनुमोदन दिनांक 5 सितम्बर 2019 को जारी हो चुका है और विश्राम गृह के लिए एक एकड़ भूमि के पंचायत से क्रय के लिए 90.90 लाख रुपये का प्रशासकीय अनुमोदन भी 19/20 नवंबर 2018 को जारी हो चुका है । तदनुसार, यह तय हुआ कि 1.55 एकड़ भूमि का क्रय किया जाए । इसलिए, भूमि के क्रय के लिए पुनसंशोधित प्रशासकीय अनुमोदन प्रस्तुत किया जाना है । भूमि तय हो जाने के बाद, विश्राम गृह के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी । तथापि, इस समय, कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती ।

कनीना में विश्राम गृह के बारे में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इसलिए, कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती ।

सड़क चौड़ी करना

77. श्री सीताराम यादव: क्या उपमुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि दादरी -कनीना सड़क पर गांव चिड़िया से कनीना तक की सड़क को 10 मीटर तक चौड़ी कब तक किये जाने की संभावना है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): श्रीमान् जी, फिलहाल इस सड़क को 10 मीटर तक चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है।

अस्पताल का निर्माण

78. श्रीमति निर्मल रानीः क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) क्या यह तथ्य है कि गन्नौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गन्नौर शहर में उप–मण्डल अस्पताल स्वीकृत हो गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अस्पताल के भूमि अधिग्रहण तथा भवन निर्माण का कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज):

(क) हां, श्रीमान जी। सी0एच0सी0 गन्नौर को 08.08.2023 से 50–बिस्तरीय उप–मण्डलीय अस्पताल में अपग्रेड किया जा चुका है।

(ख) अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण के लिए नगरपालिका गन्नौर को पहले ही साथ लगती भूमि स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया जा चुका है।

....

एस.पी.आर. परियोजना के लिए निधि

79. श्री राकेश दौलताबाद: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: -

(क) डेवलपर्स से धन की व्यवस्था के लिए तंत्र और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप, जैसा कि जीएमडीए की 11वीं प्राधिकरण बैठक के खंड 21.1 में निर्देशित किया गया है;

(ख) एसपीआर परियोजना के लिए उनके स्रोत और राशि सहित व्यवस्थित धनराशि का विवरण;

(ग) एसपीआर परियोजना में सड़क किनारे सुविधाओं के विकास के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव की प्रति, जैसा कि जीएमडीए की 11वीं प्राधिकरण बैठक के खंड 21 में चर्चा की गई है; और

(घ) एसपीआर परियोजना के लिए धन की व्यवस्था और रखरखाव के लिए प्रमुख नोडल एजेंसी और नामित अधिकारी का संपर्क विवरण?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):

(क) डेवलपर्स से धन की व्यवस्था के लिए तंत्र और दिशानिर्देशों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा, 19 अगस्त 2023 को आयोजित प्राधिकरण की 12वीं बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार परियोजना के लिए डीपीआर को संशोधित किया जा रहा है।

(ख) जीएमडीए की 12वीं प्राधिकरण बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के स्वीकृत बजट में 250.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमे 150.00 करोड़ रुपये जीएमडीए के अपने स्रोतों से और 100.00 करोड़ रुपये की ईडीसी फंड से व्यवस्था की जाएगी।

(ग) प्राधिकरण की 11वीं बैठक में यह प्रस्तुत किया गया कि एजेंडा मद क्रमांक 11.4 के रूप में मार्ग किनारे सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव हितधारक विभागों के साथ परामर्श के बाद पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और उचित समय पर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) एसपीआर परियोजना के लिए धन की व्यवस्था और रखरखाव के लिए जीएमडीए द्वारा कोई अलग एजेंसी नहीं लगाई गई है। हालाँकि, जीएमडीए अधिनियम, 2017 की धारा 12 के प्रावधानों के तहत, प्राधिकरण के मामलों का प्रबंधन मुख्य कार्यकारी अधिकारी में निहित है।

विज्ञापित सरकारी नौकरियों की रिक्तियों की संख्या

80. श्री राकेश दौलताबादः क्या मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगें कि:–

(क) वर्ष 2014 से सरकार द्वारा विज्ञापित सरकारी नौकरियों कर रिक्तियों का विभाग–वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त 'क' के संबंध में इन नौकरियों के परिणाम घोषणा तिथियों तथा इन रिक्तियों पर कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यार्थियों की संख्या क्या है;

(ग) उन भर्ती अभियानों का ब्यौरा क्या है जिनमें नियुक्तियां नहीं की जा सकी तथा उसके कारण क्या है;

(घ) उन सभी भर्ती से संबंधित मुकदमों का ब्यौरा क्या है जो वर्तमान में न्यायालय में हैं?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान,

@ (क)हरियाणा लोक सेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2014 से जुलाई, 2023 तक जारी किए गए विज्ञापनों का विभागवार विवरण **अनुलंग्नक–I** पर है।

(ख) हरियाणा लोक सेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किए गए परिणाम घोषणा तिथियों/सिफारिष का विवरण **अनुलंग्नक–II** पर है। जहां तक चयनित उम्मीदवारों की ज्वाईनिंग का संबंध है, हरियाणा लोक सेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चयनित उम्मीदवारों की ज्वाईनिंग से संबंधित जानकारी एकत्र नहीं करते है और यह आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद संबंधित विभागों के पास उपलब्ध एक परिवर्तनशील आंकड़ा है।

@ उपरोक्त प्रश्न 80 के जवाब के अनैक्चशर्ज 277 पेजिज के होने के कारण चेयर के आदेशानुसार हरियाणा विधान सभा के पुस्तकालय में रखवाए गए।

(ग) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 15/2019, कैटेगरी क्रमांक 06 दिनांक 07.03.2022 के तहत रेडियोग्राफर/अल्ट्रासाउंड तकनीषियन के केवल एक पद का परिणाम घोशित कर दिया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा होने के कारण स्वास्थ्य विभाग को अनुषंसा नहीं भेजी गयी।

(घ) भर्तियों से संबंधित सभी मुकदमों का विवरण जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं का ब्यौरा **अनुलंग्नक–III** पर है।

....

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री बिशम्बर सिंह, विधायक ने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वे अस्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 28 अगस्त, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते।

इसी प्रकार श्री धर्म सिंह छौक्कर, विधायक ने ई-मेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे पारिवारिक कारणों से 28 व 29 अगस्त, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शून्यकाल में जो माननीय सदस्यगण बोलेंगे उनकी सूची इस प्रकार है। आज सर्वश्री घनश्याम दास अरोड़ा, लक्ष्मण नापा, अमरजीत ढाडा, बलबीर सिंह, श्रीमती रेनु बाला, धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, संजय सिंह, बिशन लाल सैनी,

लक्ष्मण सिंह यादव, कुलदीप वत्स, राम निवास, प्रदीप चौधरी, हरविन्द्र कल्याण, जयवीर सिंह, सुरेन्द्र पंवार, जोगी राम सिहाग, राम कुमार कश्यप, विनोद भ्याना और सत्यप्रकाश जरावता विधायकों को बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह के त्याग पत्र का मामला उठाना

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, श्री संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है, इसलिए सरकार को उनके मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिये तथा यह मैटर हाउस में डिस्कस होना चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बतरा साहब, The matter is sub judice. This matter is in Court, so it can't be discussed here. No sub judice matter can be discussed in the House.

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष महोदय, जब चार्जशीट दाखिल हो गई है तो फिर मंत्री जी को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बहन जी, जब यह केस माननीय न्यायालय में चल रहा है तो यह मैटर यहां डिस्कस नहीं हो सकता। जब कोर्ट के अंदर कोई दोषी साबित होगा तो उसको सजा मिलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बेटी विरोधी है। (शोए एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस संबंध में किसी भी माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड ना की जाये। (शोए एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटक: अध्यक्ष महोदय, ***

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, ***

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, ***

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, ***

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप लोग बैठ जाईये क्योंकि आप लोगों की कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। (शोए एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, ***

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, ***

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

Mr. Speaker: The matter is sub judice and in Court so it can’t be discussed in the House. क्या आप लोग न्यायपालिका का सम्मान नहीं करते। जब यह मामला माननीय न्यायालय के पास है तो उस पर कैसे डिस्कशन हो सकती है? आप लोग चार-चार या पांच-पांच बार विधायक रहे हैं। सभी को रूल्ज के बारे में पता है फिर भी सदन में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जो भी मैटर माननीय न्यायालय में है वह हाउस में डिस्कस नहीं हो सकता।

(इस समय सदन में इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की ओर से नारेबाजी की गई।)

श्री अध्यक्ष : क्या आप वॉक आउट करना चाहते हो ? (शोर एवं व्यवधान) आप न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। जब मैटर कोर्ट के अंदर है तो wait for that. अगर उनको सजा मिलेगी तो वे बाहर जाएंगे। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज, बैठ जाइये। आप अपनी सीट पर जाइये। मैं अभी सबको नेम करूंगा फिर बाद में कहेंगे कि आपने हमें निकाल दिया।

(इस समय माननीय सदस्या श्रीमती शकुंतला खटक, माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा और माननीय सदस्य श्री इंदू राज नरवाल वैल में आ गये।)

शकुंतला जी, please go out of the Well . आप अपनी सीट पर बैठिये। देखिये, मैं आपको वॉर्न कर रहा हूं कि आप वैल से बाहर चले जाइये। मैं आपको वॉर्न कर रहा हूं कि आप वैल से बाहर चले जाइये। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको लास्ट टाइम कह रहा हूं कि आप वैल से बाहर चले जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, इनके परखच्चे उड़ाएंगे हम लोग।

श्री अध्यक्ष : आप वैल से बाहर चले जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा सीमाएं पार करने से हम इनको कठघरे में खड़ा करेंगे। फिर ये हमें न कहें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि मैटर सब-ज्युडिश है। आपकी बात ठीक है। हम इसकी चर्चा ही नहीं कर रहे। On moral grounds, either he should resign or the Chief Minister should ask for his resignation.

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपने कह दिया। वे अपना सोच लेंगे कि उन्होंने क्या करना है। (शोर एवं व्यवधान) अभी कोई जरूरी नहीं है। बाद में भी सोच सकते हैं। आपने सुझाव दिया है। It is upto them.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहें कि मैं सोच रहा हूं तो हम बैठ जाएंगे।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्य किसी को किसी एक्शन के लिए कम्पैल नहीं कर सकते और न मुझे कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि मोरल ग्राउंड पर हम कहां खड़े हैं और ये कहां खड़े हैं। अगर हमने इनकी एक-एक की सुनानी शुरू कर दी तो हम इनकी धज्जियां उड़ाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि हमारी धज्जियां उड़ायेंगे तो ये हमारी धज्जियां उड़ायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इनको इस प्रकार से किसी को धमकी नहीं देनी चाहिए कि हम ये करेंगे या वो करेंगे। जिसको जो करना होगा, वह करेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि धज्जियां उड़ाने वाले गये। धज्जियां तो हम उड़ाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जनता के प्रति हमारा दायित्व है। जनता के प्रति जवाबदेही हमारी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जनता के सामने हम भी जाएंगे और ये भी जाएंगे। आने वाले एक साल के बाद इनकी सारी करतूत जो इन्होंने अपनी पार्टी की सरकार के 10 सालों में की थी, उनको जनता के सामने रखेंगे। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहूंगा कि हमको भी जनता के बीच में जाना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है और वे जब निर्णय लेंगे तब ले लेंगे। इसके लिए उनको I cannot compel. मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, I agree with you. लेकिन आपने यह कहा कि वे इस बारे में सोच रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं। इसमें यह बात नहीं है कि अभी सोचकर आपको जवाब देना है। यह उनकी मर्जी है कि कब जवाब देना है या नहीं देना है?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये क्या सोच रहे हैं?

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, यह इनका काम नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी शून्य काल में अपनी बात रखेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि इसी तरह का एक मामला कोर्ट में चल रहा था लेकिन उस मामले में संबंधित ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इनको प्रोटैक्ट किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गीता जी, प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, आप तो स्वयं स्पीकर के पद पर रह चुके हैं, इसलिए आपको पता ही है कि कोई भी सब ज्युडिश मैटर हाउस में डिस्कस नहीं हो सकता।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन मेरा सब्मिशन यह है कि इस तरह से तो पार्लियामैंट्री कन्वैंशंज रोज बदलती रहेंगी तो डैमोक्रेसी कहां पर स्टैंड करेगी? आज माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं इस बारे में सोच रहा हूं। कल ये कह रहे थे कि इस्तीफा नहीं लूंगा। इस्तीफा नहीं लूंगा। इस्तीफा नहीं लूंगा। यह ऑन दॉ फ्लोर ऑफ दा हाउस इन्होंने कहा था। Where is the Parliamentary convention?

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, यही बात तो कह रहे हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, आप पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की बात तो सुन लें।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने सोच लिया है कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। मैं सोच कर कह रहा हूं कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा क्योंकि अभी यह मैटर सब ज्युडिश है। इससे आगे बढ़ेंगे तब सदन कार्यवाही करेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, यह चेयर की मर्यादा का भी सवाल है। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, ये इस बात के लिए तालियां बजा रहे हैं कि इस्तीफा नहीं लेंगे या बर्खास्त नहीं करेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष:हुड्डा साहब, आपने कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचकर बता दिया है।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गीता जी, आदरणीय लीडर ऑफ दा अपोजीशन ने कहा था कि इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री सोचकर बता दें और उन्होंने सोचकर बता दिया है।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, इसी तरह के एक झज्जर के मामले में संबंधित ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ये तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री घनश्याम दास अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक-एक की धज्जियां उड़ा देंगे। ये कौन होते हैं, डैमोक्रेसी में धज्जियां उड़ाने वाले। इनकी क्या

औकात है? आप ये बताएं कि किसकी धज्जियां उड़ाने के लिए बैठाया गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: गीता जी, जो आपके अधिकार हैं उनके लिए नियम/कानून बने हुए हैं और उन्हीं के तहत आपके पास अधिकार हैं। उन नियम/कानूनों के अलावा ज्यादा अधिकार नहीं हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अनपार्लियामैंट्री शब्द बोला है कि आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इन्होंने यह नहीं कहा कि धज्जियां उड़ा देंगे। बल्कि यह कहा था कि जब आपके परदे खोलेगें और आपके कृत्य बताएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, ये धज्जियां उड़ाने के लिए बोल रहे हैं। Is it Parliamentary language? Is it Parliamentary language against the leader of opposition in the Assembly? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है यह ठीक कहा है ये नुकसान कर सकते हैं क्योंकि they are in power. लेकिन हमारे कहने के अधिकार को न रोकें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने इसके लिए नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि आपके द्वारा जो किये हुए कार्य हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर कह दें कि ऐसा नहीं कहा है तो ठीक है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, they are in position, they can damage. (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शकुंतला जी, पहले एक बार बात सुन लें। प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री महीपाल ढांडा: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: महीपाल जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग इन लोगों ने किया है। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, इन लोगों का क्या मतलब है?

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जो किया है। इन्होंने कहा है कि जनता देखेगी। हमने कहा कि हम भी जनता के बीच में जाएंगे। ये भी जाएंगे और हम भी जाएंगे। इनके 10 साल की सरकार के समय के जो सारे कारनामे हैं उनमें कितने अत्याचार महिलाओं पर हुए हैं और कितने अत्याचार शिड्यूल कॉस्ट के लोगों पर हुए हैं ? हमारे पास इनके समय में कैसे-कैसे अत्याचार हुए थे, उन अत्याचारों के चिट्ठे हैं। लेकिन उनके बारे में जनता के बीच में जाकर बताएंगे, उनके बारे में यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके बारे में जनता के बीच में जाकर बताएंगे।

(शोर एवं व्यवधान)

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी कौन-सी पंचायत है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि जनता देखेगी और हम भी कह रहे हैं कि जनता देखेगी। जनता में जाकर बताने का मतलब है कि जिस भाषा में ये बोलेंगे हम भी उसी भाषा में बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) धज्जियां उड़ाना it is not parliamentary language.

श्री अध्यक्ष :हुड्डा साहब, धज्जियां उड़ाने का मतलब यह है कि जो आपके काम हैं वह जनता में बतायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Bhupinder Singh Hooda: Can anybody is allowed to say anything in the House? Can anybody is allowed to say any unparliamentary word.

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब,आप मेरी बात सुनिये। आप एक मिनट बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) आप पहले मेरी बात सुनिये। जो हुड्डा साहब ने कहा है और मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : मैं कहना चाहता हूं ।***************(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रघुवीर सिंह कादियान साहब जो कह रहे हैं उसे रिकॉर्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) ऐसा नहीं चलेगा, आप जो मर्जी बोलते जायेंगे। आप जो बोल रहे हो वह रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। कादियान जी, आप मेरी बात सुनिये। जो आदरणीय हुड्डा साहब ने कहा है कि धज्जियां उड़ायेंगे और यह अनपार्लियामैंट्री शब्द है। हमारे पास अन-पार्लियामैंट्री वर्डस की लिस्ट है। अगर उसमें यह वर्ड होगा तो उस वर्ड को डिलीट कर देंगे। There is a list. इसकी लिस्ट बनी हुई है मैं आपको दिखा दूंगा।

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान :अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं। **************(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शून्य काल का समय शुरू होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कादियान साहब को एक चीज बताना चाहता हूं। इन्होंने अभी धज्जियां उड़ाने की बात कही है। हिन्दी का एक मुहावरा है जिसका मतलब दोष दिखाना होता है। (शोर एवं व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव का मामला उठाना

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर हमने एक काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ है। हमारा यह काम रोको प्रस्ताव नूंह और गुरूग्राम में जो हिंसा हुई है उस पर है। यह बहुत ही महत्पूर्ण इशू है इसलिए इस पर चर्चा करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, जो मैटर सब-ज्युडिश है उस पर यहां पर चर्चा नहीं हो सकती है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यह इशू कहां सब-ज्युडिश है।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, जो नूंह में बुलडोजर घुमाया है क्या वह मामला कोर्ट में सब-ज्युडिश है ।

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप मेरी एक बात सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Bhupinder Singh Hooda : Sir, Law and Order situation is not sub-judice.(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मेरे पास उस कोर्ट केस की कॉपी है। मैं अभी आपको उस केस की कॉपी की वर्डिंग को पढ़कर सुना देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मैं आपको उस केस की कॉपी की वर्डिंग को पढ़कर सुना रहा हूं।

> "It is in such circumstances we are constrained to issue notice to State of Haryana. It has come to our notice that the State of Haryana is using force and is demolishing buildings on account of the fact that some riots have occurred in Gurugram and Nuh."

गुरूग्राम और नूंह के अंदर जो riots हुए हैं उसका इसके अंदर मैंशन है और उन्होंने उसी इशू को लेकर cognizance लिया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, जो demolition of buildings है, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, यह Gurugram and नूंह के riots के ऊपर है। (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Raghuvir Singh Kadian: I am on the legs.

Smt.Kiran Chaudhary :This is a part of law and order.

Mr. Speaker : This is regarding Gurugram and Nuh's violence.

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान :अध्यक्ष महोदय, यह this is a rare and rarest incident after the independence क्योंकि इसमें कांस्टीच्यूशन ब्रेक डाउन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कह दिया कि मैं सबकी सुरक्षा नहीं कर सकता हूं जबकि गृह मंत्री

जी ने यह कहा कि इन्फॉर्मेशन सांझा नहीं की गई। गृहमंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया कि मंदिर में 4-5 हजार लोग बंदी बनाए गए हुए हैं। कितनी जबरदस्त तहलका मचाने वाली बातें और गैर जिम्मेवारान बयान हुए हैं। स्पीकर सर, हमारा एक निवेदन है। आप कह रहे हैं कि यह कोर्ट का मैटर है। आप यहां यह ऑर्डर कर दीजिए कि इसकी ज्युडिशियल इन्क्वायरी होगी और वह माननीय होई कोर्ट के सिटिंग जज से होगी।

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, मैं कौन होता हूं ज्युडिशियल इन्क्वायरी करवाने वाला।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, आप यह ऑर्डर कर दीजिए। हम कोई डिस्कशन नहीं चाहते। हम भी साथ हैं।

Mr. Speaker: This is not my prerogative.

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, इस केस की ज्युडिशियल इन्क्वायरी हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, यह डिसीजन सरकार ने करना है, मुझे नहीं करना है। यह डिसीजन सरकार को करना है।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, यह कोई छोटा मैटर नहीं है, यह भाईचारे का मैटर है। स्पीकर सर, नूहं वायलैंस की पटकथा लिखी गई है। जब गवर्नमैंट चारों तरफ फेल हो गई कि हम आने वाले चुनाव के अन्दर हार रहे हैं। (विघ्न)

श्री रणजीत सिंह चौटाला: स्पीकर सर, (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मत्री जी, प्लीज आप बैठ जाएं। कॉल एंड शकधर की किताब के अन्दर 'Discussion on sub judice Matters' के ऊपर लिखा है:-

"It is the absolute privilege of the Legislatures and members thereof to discuss and deliberate upon all matters pertaining to the governance of the country and its people. Freedom of speech on the floor of the House is the essence of parliamentary democracy. Certain restrictions on this freedom have, to a limited degree, been self-imposed. One such restriction is that the discussion on matters pending adjudication before courts of law should be avoided on the floor of the House, so that the court's function uninfluenced by anything said outside the ambit of trial in dealing with such matters."

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, आपने कहा कि मैटर सब-ज्युडिस है। हमने कहा ठीक है क्योंकि यह थोड़ा गंभीर मामला है। स्वयं मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि कुछ साजिश हुई है। इसलिए हम तो जानना चाहते हैं कि क्या साजिश हुई है? माननीय हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में ज्युडिशियल इन्क्वायरी करवा दीजिए।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, केस हाई कोर्ट में ही है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि साजिश हुई है तो साजिश किसके द्वारा हुई है। यह जानने का हमारे को अधिकार है? आप कह दीजिए कि हम माननीय हाई कोर्ट के जज के अंडर ज्युडिशियल इन्क्वायरी करवा रहे है, matter ends.

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, मुझे लगता है कि जब कोई भी माननीय अदालत निर्णय लेती है तो वह सभी पक्षों के ऊपर, सभी परिस्थितियों के ऊपर ध्यान लेकर के निर्णय करती है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, मुझे मालूम है कोर्ट में केस सिर्फ demolition of buildings पर ही है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इसमें ग्ररुग्राम और नूहं वॉयलेंस के बारे में भी लिखा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, नोटिस कब का दिखा रहे हैं वर्ष, 2009 का तथा वर्ष, 2016 का और बुलडोजर वर्ष, 2023 में चलाया गया। यह सब आपके सामने है। हम इसी वास्ते यह कह रहे हैं कि माननीय हाई कोर्ट के जज के द्वारा ज्युडिशियल इन्क्वायरी हो जाए। जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह किसकी साजिश है? क्या सोची समझी साजिश है? यह बयान मैंने खुद पढ़ा है। अगर उनके दिल में यह है कि अगर सोची समझी साजिश है और हरियाणा के लोगों को पता न लगे, किसकी है। इसलिए इसका पता लगाने का एक ही रास्ता है कि माननीय हाई कोर्ट के जज द्वारा ज्युडिशियल इन्क्वायरी करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, हाई कोर्ट ही इस केस की इन्क्वायरी कर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर केस का cognizance लिया उसके बाद भी वह केस पार्लियामैंट में डिस्कस हुआ। इस बात में कौनसी बात आ गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर वॉयलेंस की cognizance ली और पार्लियामैंट में यह सारा मामला डिस्कस हुआ। (शोर एवं व्यवधान)

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): 1984 में जब सिख riots हुए थे। उस समय किसने क्या देखा। कितने लोग मरवा दिए आपने। 1947 में जब डिवीजन हुआ तब कितने लोग मरवाए। छाज तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 36 छेद (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष जी, मंत्री जी, छलनी किसे कह रहे हैं। छलनी किसे कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय,(शोर एवं व्यवधान)

बैठक का स्थगन

श्री सत्य प्रकाश जरावता: माननीय स्पीकर सर, मुझे भी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए। मुझे भी चर्चा करनी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष जी, हमारा माइक ऑन नहीं है। हमारा माइक ऑन करवाया जाए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, हमारा माइक ऑन नहीं है, हमारा माइक ऑन करवाया जाए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश जरावता: माननीय स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान) **** **** **** (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष जी, हमारा माइक ऑन नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आप हमारा माइक ऑन करवाएं ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गीता जी, आप कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश: माननीय स्पीकर सर, *** (शोर एवं व्यवधान)

*** चेयर के आदेशानुसार विधान सभा की कार्यवाही से निकलवाया गया।**

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन की बैठक की कार्यवाही आधे घंटे के लिए *स्थगित की जाती है।

*12:30 बजे

(तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 01.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)

(जब सदन समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की।)

13:00 बजे

नूंह एवं गुरूग्राम में हाल ही में हुई हिंसा पर चर्चा करवाने का मामला पुन: उठाना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, वैसे तो शून्यकाल का समय समाप्त हो चुका है लेकिन अगर सभी सदस्यों की सहमति हो तो इसको टेकअप कर लिया जाये।

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री रामकुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मैंने बोलने के लिए समय मांग था लेकिन आपने जो लिस्ट पढ़ी थी उसमें मेरा नाम नहीं था।

श्री अध्यक्ष: गौतम जी, ये जो नाम मैंने शून्यकाल में बोलने के लिए बोले हैं ये Draw of lots से निकाले जाते हैं। आपका नाम आज नहीं आया होगा लेकिन कल सभी का आ जायेगा। अब श्री घनश्याम अरोड़ा जी बोलेंगे।

श्री सत्य प्रकाश जरावता: अध्यक्ष महोदय, अभी हाउस में जिस तरह का वक्तव्य दिया गया उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपकी अदालत में यह अनुरोध करता हूं। मेरी अदालत तो आप ही हैं। मैं विधान सभा का सदस्य हूं और आप ही निर्णय करेंगे कि गलत कहा गया या ठीक कहा गया। आप हमारे अधिकारों के कस्टोडियन हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की शब्दावली का सदन में प्रयोग किया गया है वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये अनपार्लियामैंट्री शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिसने यहां सदन में इतनी बड़ी धमकी दी उसने सच में क्या नहीं किया होगा? (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सत्ता पक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठ जाइये। जो विषय सब-ज्युडिस है उस पर हाउस में चर्चा नहीं होगी। (शोर एवं व्यवधान) अब श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी शून्यकाल में बोलेंगे। आप सभी अपनी सीटों पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मेरा माइक ऑन करवाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, माइक मैंने बंद करवा रखा है। आप सभी अपनी सीटों पर बैठिये। जो विषय सब-ज्युडिस है उस पर चर्चा नहीं होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है जिसके बारे में मुझे आपकी रूलिंग चाहिए। आपने रूल 100 में एक लाइन पढ़ दी कि जो मैटर सब-ज्युडिस है और जिसका डिसीजन अवेटिड है आपके रूल्ज के मुताबिक।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, ये मेरे रूल्ज नहीं हैं। ये आपके बनाए हुए रूल्ज हैं।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, कॉल एण्ड शकधर भी इसी से उठती है। कॉल एण्ड शकधर कोई किताब नहीं है, वह कोई रूल बुक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, यह रूल हमारी रूल बुक में भी है।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मैं वही पढ़ रहा हूं। मैं आपके रूल से बाहर नहीं जाऊंगा। Rule 100(2)(iii) – "refer to a matter of fact on which a judicial decision is pending;"

अभी तो इस केस की चार्जशीट भी कोर्ट में नहीं गई है फिर यह मामला सब-ज्युडिस कैसे हो सकता है?

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, जो भी हो लेकिन यह मामला कोर्ट में पैंडिंग है इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है हमारे कॉन्स्टीच्यूशन के अन्दर मैंबर्स के प्रिविलिजिज हैं और मैंबर पार्लियामैंट के भी प्रिविलिजिज हैं और उसको आर्टिकल 194 गवर्न करता है। आप बेशक आर्टिकल 194 देख लें। Article 194 – "(1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the legislature, there shall be freedom of speech in the Legislature of every State." फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एक रिस्ट्रिक्शन है। इस बात के लिए मैं अब पार्लियामैंट का रिसैंट एग्जाम्पल देता हूं। Manipur matter के बारे चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया ने suo moto इसकी cognizance की और उसको नोटिस भी कर दिया, जवाब भी आया। Solicitor General पेश भी होते रहे। उसी दौरान पार्लियामैंट में Manipur matter पर No Confidence Motion आया और तीन दिन डिस्कशन हुआ और ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर ने उसका जवाब भी दिया तो यह लिमिटिड मीनिंग नहीं होती। It is a curtailment. इसमें व्यवस्था चाहिए कि जो नूंह मैटर है वह इस सदन के अन्दर डिस्कस क्यों नहीं हो सकता। यह मैटर सबज्युडिश नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, सारी पार्लियामैंट Kaul and Shakdher पर चल रही है।

श्री भारत भूषण बतरा : चल रही है वह अलग बात है but Kaul and Shakdher is not the Constitution. मेन तो बेसिक कॉन्स्टीच्यूशन है और अगर कॉन्स्टीच्यूशन के

ऊपर किसी की कॉमैंट्री है तो उसमें कॉन्स्टीच्यूशन लैंगवेज इम्पोरटैंट है या कॉमैन्ट्री इम्पोरटैंट है।

Mr. Speaker : This is not commentary.

Shri Bharat Bhushan Batra : This is commentary.

Mr. Speaker : Please see Restrictions on Questions and Discussion on Conduct of Judges in Parliament and then see Discussion on sub judice Matters.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, हम कौन से जज के खिलाफ बोल रहे हैं ? मुख्यमंत्री जी, आप जवाब क्यों नहीं देते ।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब है कि इस बारे में सत्ता पक्ष को जवाब देने दें।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, यह Kaul and Shakdher के अन्दर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, यह किस इंस्टांस में लिखा है।

श्री अध्यक्ष : यह तो रूल्ज एण्ड प्रोसीजर में लिखा हुआ है।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, everyday violence and law and order के ऊपर आप डिस्कशन नहीं रोक सकते हैं।(विघ्न)

Mr. Speaker: The matter which is *sub judice* cannot be discussed in the House.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आप लिखित में अपनी रूलिंग दे दीजिए। आप अपना डिसीजन अनाउंस कर दीजिए।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह इसमें क्लीयर लिखा हुआ है। आप हर बात पर रूल्ज की कॉपी दिखाते हैं। (विघ्न) पार्लियामैंट डैमोक्रेसी एक ही है।(विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हुआ, कोई भी अपनी किताब लिख सकता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह किसी की लिखी हुई नहीं है।(विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करवाना चाहते।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह किताब प्रैक्टिसिज एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामैंट है।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, that is commentary.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जिसको आप सबज्युडिस मैटर बता रहे हैं वह तो एक demolition के लिए है। उस पर हाईकोर्ट ने स्टे कर रखा है।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : उसके अन्दर नूंह और ग्ररूग्राम की वायलैंस भी है। If it was only about demolition फिर हम डिस्कस कर सकते थे। जब उसके अन्दर नूंह और ग्ररूग्राम की

वायलैंस के ऊपर भी डिस्कशन होनी है, उसके ऊपर बहस होनी है तो we cannot discuss it here. (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप इसके ऊपर अपनी रूलिंग दे दीजिए। We will challenge in the Court.

श्री अध्यक्ष : मैं रूलिंग दे रहा हूं। जो लिखा हुआ है वही दे रहा हूं। (विघ्न)

Shri Bhupinder Singh Hooda : Speaker Sir, we want your ruling. (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप रूलिंग की बात कह रहे हैं। मैं रूलिंग दे रहा हूं कि जो मैटर सबज्युडिस है वह यहां डिस्कस नहीं हो सकता। This is my ruling.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आप हाई कोर्ट के आर्डर को देखो और उसको पढ़कर सुनाओ। (शोर एवं व्यवधान) इसमें जज के द्वारा सुओमोटो निर्णय लिया गया है।

(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिए, इसी केस के अंदर लिखा है कि **:-**

> "It is in such circumstances we are constrained to issue notice to State of Haryana. It has come to our notice that the State of Haryana is using force and is demolishing buildings on account of the fact that some riots have occurred in Gurugram and Nuh."

> गुरूग्राम और नूंह के अंदर जो वायलैंस हुई उसके उपर यह बात कही गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जो आपने पढ़कर बताया है यह तो केवल उसका रैफरेंस ही है। इसके अलावा सब नथिंग है कोई ऐसी बात नहीं है कि डिस्कशन पर रोक है। Only High Court has stated 'demolition of buildings.'

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, यह डबल बैंच (G.S Sandhawalia and Harpreet Kaur Jeewan) के इंटरिम आर्डर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, डैमोलिशन के बारे में क्या है, वह आप बताओ ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, This is almost specific to the question of demolition. Even if you are talking about sub- judice, Law and Order cannot be sub-judice. It has to be discussed on the floor of the House. Law and Order could be discussed.

श्री उपाध्यक्षः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कई बार सरकार की बात से विपक्ष सहमत होता है और कई बार सहमत नहीं होता है और जब विपक्ष सहमत नहीं होता है तो विपक्ष के साथी खड़े होकर नारे लगाने लग

जाते हैं और अगर ऐसी अवस्था में मैं खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे यह कह दिया जाता है कि मैं इनके साथ खड़ा हो गया हूँ और अगर बैठा रहता हूँ तो ये विपक्ष के लोग मेरे चारों तरफ रोला मचाना शुरू कर देते हैं। ऐसी अवस्था में मेरा भी तो कोई समाधान किया जाये। (हंसी)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इसका समाधान तो मैं बता दूंगा। ऐसे समय में ये स्पीकर साहब आपको चैम्बर में भेज दें और स्वयं आपकी कुर्सी पर जाकर बैठ जायें तो समाधान हो जायेगा। (हंसी) इसमें क्या बड़ी बात है।

Smt. Kiran Choudhary: Speaker Sir, this is a matter of great importance of the law and order in the State. जो सब-ज्युडिस मैटर कह रहे हैं that is on a specific issue. You cannot sub judice on a question of law and order .

Mr. Speaker: This matter relates to Nuh and Gurugram's violence और आप लोग भी तो इसी विषय पर ही डिस्कशन चाह रहे हो। आप लोग सीनियर मैम्बर्ज हैं आपको कॉल एंड शकधर के बारे में सब पता है। (शोर एवं व्यवधान) मैं इसके हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Kiran Choudhary: Speaker Sir, I agree with you that Kaul and Shakdher is the Bible of Parliamentary Practices and Procedures. At the same time, you cannot put law and order under any sub judice.

श्री अध्यक्ष: आज तक तो यही है लेकिन आप इसको मानने से इंकार कर रहे हो।

Smt. Kiran Choudhary: Speaker Sir, you cannot put law and order under any sub judice. This a matter of law and order.

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, यह बताया जाये कि यह रिट, झगड़े के बारे में है, दंगों के बारे में है या किसने क्या किया है और कैसे हुआ है, उसके बारे में है या फिर डैमोलशिन के बारे में है।

Smt. Kiran Choudhary: Speaker Sir, are you not going to discuss it?

Mr. Speaker: Yes, it is suo moto. इसकी किसी ने पैटीशन नहीं दी है बल्कि कोर्ट ने सुओमोटो इसके उपर निर्णय लिया है।

Smt. Kiran Choudhary: Speaker Sir, we want to know why there was a complete break down on the law and order? जो आप सब ज्युडिस कह रहे हो

that is on a very specific point. कोर्ट का जो निर्णय है that is on a very specific point.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, सरकार बिल्कुल एक्सपोज हो गई है और इस विषय पर डिस्कशन नहीं चाहती। आखिर सरकार इस विषय पर डिस्कशन क्यों नहीं चाहती है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, डिस्कशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यह सब ज्युडिस मैटर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, अगर सब ज्युडिस मैटर है तो हाई कोर्ट की जज की अध्यक्षता में ज्युडिशियल इंक्वॉयरी बैठा ली जाये। आखिर इस विषय पर कोई तो जवाब दे। हम कोई विषय रख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार आनसरेबल है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, सरकार ने कोर्ट के अंदर जवाब दिया है और आपको भी जवाब देगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, कोर्ट के अंदर तो सरकार ने डैमोलिशन का जवाब देते हुए कहा है कि इस बारे में वर्ष 2009 में नोटिसिज दे दिए थे, वर्ष 2016 में नोटिसिज दे दिए थे और वर्ष 2017 में नोटिसिज दे दिए थे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगी: अध्यक्ष महोदय, अगर ये लोग पापी नहीं है तो डरते क्यों हैं। पाप किया है इसलिए तो डर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कौन डर रहा है। चलिए अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बैठ जायें और घनश्याम दास अरोड़ा जी आप बोलना शुरू करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आपने इस मामले पर अपनी रूलिंग देनी थी वह तो दी ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने रूलिंग दे तो दी थी ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय,   आप तो कॉल एंड शकधर की बात करने लग गए थे। आप इसमें रूलिंग देने का काम करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिए, जो कानून चाहता है मैं केवल वही बात कहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह कहना है जो मैटर सब ज्युडिस है वो सिर्फ एक पोर्शन है और वह है डैमोलिशन का पार्ट।

Mr. Speaker: No. it not only on demolition. It is on Nuh and Gurugram's violence.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, स्टेट की लॉ एंड आर्डर सिचुएशन, सब ज्युडिस मैटर नहीं है।

Mr. Speaker: Hooda Sahab, the matter is sub-judice on Gurugram and Nuh's violence. You want discussion on this or that. You do not want discussion only on law and order. You want discussion on Nuh's violence. इन्होंने नूंह के ऊपर लिखा हुआ है।

Shri Bhupinder Singh Hooda: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लिखा है कि Motion of adjournment on law and order and recent violence in the State. (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: हुड्डा साहब, 'violence' लिखा है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Bhupinder Singh Hooda: अध्यक्ष महोदय, Law and Order के मामले में तो अलाउ करो। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: हुड्डा साहब, this cannot be partial. Partial आप नहीं कर सकते। It cannot be partial. (शोर एवं व्यवधान)

Shri Bhupinder Singh Hooda: अध्यक्ष महोदय, High Court के sitting judge से इसकी judicial inquiry करवा ले, हमें कोई एतराज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: अरोड़ा जी, आप प्लीज बोलना शुरू करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री घनश्याम दास अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, जब ये माननीय सदस्यगण मुझे बोलने देंगे तभी तो बोल पाउंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अरोड़ा जी, प्लीज आप बोले। (शोर एवं व्यवधान)

श्री घनश्याम दास अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष: अरोड़ा जी, एक मिनट रूकिए, नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि यह मैटर सब-ज्युडिस है और हम कह रहे हैं कि यह सब- ज्युडिस नहीं है। यदि सरकार इस मैटर पर डिस्कशन नहीं करना चाहती तो हमें कम से कम इंश्योर कर दें कि माननीय उच्च न्यायालय के जज के अंडर इसकी इंक्वॉयरी करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, जो माननीय उच्च न्यायालय का डिसीजन आयेगा, सरकार उसको

implement करेगी। कोर्ट का decision is regarding the violence है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, सरकार इस संबंध में 'हां' या 'ना' का तो जवाब दे। इतना तो हमारा पूछने का हक है। सरकार को इंक्वॉयरी करवानी है तो 'हां' कर दे नहीं तो मना कर दे।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, किस बारे में।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय उच्च न्यायालय के sitting judge के supervision में judicial inquiry करवाने की मांग की है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, वह आप मांग सकते हैं, यह आपका अधिकार है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, वही तो हम कह रहे हैं कि सरकार इस बारे में या तो 'हां' कर दे या फिर 'ना' कर दे।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, यह सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, विज साहब बीच में बोलने के लिये खड़े हो गये हैं।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, जब हुड्डा साहब बोल रहे हैं तो मुझे भी बोलने का हक है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आपने विज साहब को कहा था कि आकर बैठ जाया करो। इन्होंने पिछली बार मुझसे कहा था कि मैं अच्छा नहीं लगता, तुमको। विज साहब, बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि जब कोई मकान बनाता है घर के बाहर नजर भट्टू की हांडी टांग देते हैं ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे। विज साहब, उसी प्रकार से यदि हाउस में नहीं आयेंगे तो हाउस को नजर लग जायेगी।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, अच्छे व्यक्ति की अच्छी बात ही होती है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, नूंह में जो घटना हुई है, वह बहुत ही गलत घटना हुई है। हमारी सरकार प्रजातांत्रिक धर्म निरपेक्ष सरकार है। इसमें हर धर्म के लोगों को अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार धार्मिक गतिविधियां करने की इजाजत है। इसी बात को लेते हुए विश्व हिन्दू परिषद् ने बृज मंडल यात्रा निकाली है।

श्री अध्यक्ष: विज साहब, प्लीज यदि हम इस पर डिस्कस करेंगे तो इस मैटर पर पूरी डिस्कशन होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटक: अध्यक्ष महोदय, डिस्कशन होने दे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को बोलने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के लिये शेम की बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो ये लोग बार-बार कह रहे हैं, इनको आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि वहां पर तफ्तीश हुई है उसमें अभी तक 500 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो वहां के लोगों की भूमिका नजर आ रही है, वह *** का ही किया लग रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में इण्डियन नैशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से नारेबाजी की गई।)

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई नहीं सुनना चाहते, बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते। (शोर एवं व्यवधान) अभी इस मामले में तफ्तीश जारी है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि इसकी जांच में पुलिस ने हमारे सदन के ही एक सदस्य मामन खान जी को भी नोटिस जारी किया है कि वे छान-बीन में शामिल हों। उनके खिलाफ ऐसे सबूत मिले हैं कि उनको जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। यह नोटिस माननीय सदस्य मामन खान जी को जारी किया गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, अगर आप डिस्कस करेंगे तो फिर सारा ही मामला डिस्कस होगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पिछले सदन में भी चैलेंज किया था कि हम फाड़ देंगे। अभी तक की जांच इसी ओर जारी है कि यह सब कांग्रेस का किया-धरा है।

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन दोपहर भोजन के लिए 1 घण्टे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

***1:21 बजे** **(तत्पश्चात् सभा मध्याह्न पश्चात् 2:21 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)**

(जब सदन समवेत हुआ तो श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

अल्पावधि सूचना संख्या 2 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 में जोड़ने के संबंध में मामला उठाना और ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 को आधे घण्टे के लिए डैफर करना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे राव दान सिंह, विधायक तथा 2 अन्य विधायकों (श्रीआफताद अहमद एवं श्रीमती गीता भुक्कल) से अल्पावधि सूचना संख्या- 2 प्राप्त हुई थी जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-43 में परिवर्तित करके आज के लिए स्वीकृत किया है। यह ध्यानाकर्षण सूचना दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से बाजरे की फसल के बहुत भारी नुकसान के बारे में है।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। इस संबंध में पिछले शुक्रवार को जब इस चेयर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय आसीन थे तो उस समय शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कसन को कॉलिंग अटैंशन मोशन में कन्वर्ट करने की बात हाउस में रखी गई थी। उस समय भी मैंने रूल्ज का आवेदन रखकर बताया था कि इसको किसी भी तरीके से हाउस की परमीशन या बी.ए.सी. की परमीशन के बिना कन्वर्ट करने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने उस समय कोट किया था कि पहले भी कई बार इस तरह के आवेदनों को एक्सैप्ट करके कन्वर्ट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस पर रूलिंग भी चाहूंगा और यह भी जानना चाहूंगा कि यह कब-कब कन्वर्ट हुआ है, वह ऐतिहासिक दिन कौन-सा है और उस समय स्पीकर की क्या रूलिंग आयी थी? इनके बारे में हाउस को जरूर पढ़कर

बताने का काम किया जाए क्योंकि जो स्टेटमैंट उस समय डिप्टी स्पीकर से अधिकारी ने दिलवायी थी, वह भी पूरी तौर पर असंवैधानिक थी। स्पीकर की चेयर एक संवैधानिक पोस्ट है और रूल्ज एंड प्रॉसीजर के माध्यम से चलायी जाती है। मेरा निवेदन है कि जो इंसीडैंट्स माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उस समय हाउस में रखे कि ये वर्ष 2011, वर्ष 2013 और कई अन्य समय शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के नोटिस दिये गये थे। मैं चाहूंगा कि आप उस रूलिंग के बारे में हाउस में जरूर बताने का काम करें क्योंकि किसी भी तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के नोटिस को कॉलिंग अटैंशन नोटिस में जब-जब कन्वर्ट किया गया है तो उस शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को कॉलिंग अटैंशन मोशन नहीं बनाया गया बल्कि कॉलिंग अटैंशन मोशन के साथ जोड़कर सप्लीमैंट्री क्वैश्चन पूछने के लिए परमीशन दी गयी। इस हाउस में यह प्रथा पिछले शुक्रवार से ही शुरू हुई थी और आज दोबारा उसी तरीके से एक नयी प्रथा लिखी जा रही है जोकि हमारे रूल्ज एंड प्रॉसीजर्ज के बियोंड है।

श्री अध्यक्ष: देखिए, हमारी विधान सभा 2 तरीके से चलती है। एक तो बाई रूल्ज चलती है और दूसरी बाई कन्वैंशंज चलती है। जो पिछली कन्वैंशंज रही हैं उन्हीं के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। पहले जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नोटिस था जोकि converted into CA किया गया है। ये कन्वर्जन 5 अगस्त 2011 को हुई थी। इसके बाद 6 मार्च, 2012 को

फिर converted into CA किया गया जोकि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन था। इसके बाद फिर 7 अगस्त, 2012 को फिर कन्वर्जन हुई है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसमें प्रोसिडिंग्ज की कॉपी भी मिल जाए। चूंकि मेरे पास एक प्रोसिडिंग्ज की कॉपी है जिसमें तत्कालीन एम.एल.एज. श्री रामपाल माजरा, श्री अशोक अरोड़ा और मोहम्मद इलियास का कॉलिंग अटैंशन मोशन था जोकि दिनांक 18.08.2011 का है, उसको उस समय सी.ए. नं0-4 के साथ क्लब किया गया था। अध्यक्ष महेादय, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर संबंधित प्रोसिडिंग्ज की कॉपी हैं तो उपलब्ध करवा दें।

श्री अध्यक्ष :उपमुख्यमंत्री जी, मैं आपको थोड़ी देर में इसकी कॉपी अवेलेबल करवा दूंगा। शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस 7 अगस्त, 2012 को आया था, जो सी.ए. में कन्वर्ट हुआ था। शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस 3 सितम्बर, 2015 को आया था, जो सी.ए. में कन्वर्ट हुआ था फिर शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस 8 फरवरी, 2017 को आया था, जो सी.ए. में कन्वर्ट हुआ था। उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस 2022 को आया था, जो सी.ए. में कन्वर्ट हुआ था और वर्ष 2023 में भी सी.ए. में कन्वर्ट हुआ था। यही सेम प्रोसैस था, जिसको अपनाया गया था।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें दोनों की डिबेट का स्कॉप ही डिफरैंट है।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसमें विषय सेम है।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, दोनों का स्कॉप ऑफ डिस्कशन डिफरैंट हैं and during short duration anybody in the House can speak.

श्री अध्यक्ष : अभय जी, हमने सी.ए. के अंदर जो कन्वर्जन की है, वह यह किया है कि इसमें जितने भी लोगों के चर्चा के लिए नाम थे कि we want to speak. पहली बार हमारे 22 माननीय सदस्यों को इस पर बोलने की इजाजत दी गई थी । मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह विषय सेम है । सी.ए. का क्या नेचर है या शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस का क्या नेचर है, मैं समझता हूं कि उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है कि उसमें पार्टिस्पेट करने का स्कॉप डिफरैंट होता है ।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, हमने तो चर्चा में सभी को पार्टिस्पेट करने का मौका दिया है ।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम कॉलिंग अटैंशन मोशन पर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जो सिग्नेटरी होते हैं वही बोल सकते हैं but during short duration any Member of the House can speak.

श्री अध्यक्ष : अभय जी, जो माननीय सदस्य शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस देगा वही सदस्य इस पर बोलेंगे ।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस के तहत जो डिस्कशन होगी anybody can participate in that discussion.

श्री अध्यक्ष : अभय जी, उसमें पार्टिस्पेट तो कर सकता है और सभी ने पार्टिस्पेट किया है ।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने 23.08.2012 की एक डेट रखी थी उसमें डॉ. अजय सिंह चौटाला, श्री शेर सिंह बड़शामी और श्री रामपाल माजरा और श्री अशोक अरोड़ा

आदि चार विधायकों ने हाउस में कॉलिंग अटैंशन मोशन मूव किया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उस समय श्री अनिल विज जी ने शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस लगाया था और उसको हाउस ने कन्वर्ट करने का काम नहीं किया था बल्कि उनको परमिशन दी गई थी कि वे सप्लीमैंट्री क्वैश्चन पूछ सकते हैं। यह fact of the House है मेरे पास इसका रिकॉर्ड है मैं आपको इसका रिकॉर्ड भेज दूंगा। मैं यह बात नहीं कह रहा हूं कि इस पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए I am ready to answer. यह बहुत जरूरी विषय है।

श्री अध्यक्ष :उपमुख्यमंत्री जी, मेरे पास भी हाउस का रिकॉर्ड है। मैं यह कह रहा हूं कि अभी वर्ष 2023 में जो कन्वर्जन हुई है उसके अंदर हमने क्या प्रोसीजर अपनाया और हमने वर्ष 2022 में जो कन्वर्जन हुई आपको उसका प्रोसीजर भी दे दूंगा। आप थोड़ा वेट कीजिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात ठीक है तब तक आप इस मैटर को डैफर कर लीजिए। हमने नई प्रथा ही जब शुरू करनी है, रूल में अमैंडमैंट्स करने हैं और हमेशा हम शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस को कॉलिंग अटैंशन मोशन में कन्वर्ट करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हाउस मे नई प्रथा नई कन्वैंशन शुरू हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष :उपमुख्यमंत्री जी, हाउस में यह प्रथा बहुत देर पहले शुरू हो चुकी है। मैं यह प्रथा कोई नई शुरू नहीं कर रहा हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक चीज कह सकता हूं कि यह प्रथा पहले शुरू हुई होगी जो यहां पर बैठा हुआ था उसकी कमी रही होगी। आज इस तरह का विषय दूसरी बार हाउस में आया है। चेयर ने फ्राईडे को ऑन रिकॉर्ड यह कमिट किया था कि आगे से यह प्रथा नहीं होगी और यह बात लीडर ऑफ दि अपोजिशन ने खड़े होकर कही थी। आज फिर वही प्रथा दोबारा शुरू हो गई।

श्री अध्यक्ष : उपमुख्यमंत्री जी, देखिये, जिस टाइम उन्होंने आपको कहा था और यह जो शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस है इसका जो कर्न्वजन था वह सर्कुलेट हो चुका था और सर्कुलेशन के बाद उसको वापिस नहीं लिया जा सकता था।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इसके लिए हाउस की सैंस तो ले लेते। इसको न तो बी.ए.सी. में डिस्कशन किया गया और न ही हाउस में डिस्कशन किया गया। इसमें साफ-साफ लिखा है कि इस तरह के विषय अगर कन्वर्ट होंगे तो बी.ए.सी. और हाउस की सैंस के बाद ही होंगे। इन दोनों विषयों में उस दिन भी यह बात कही गई थी और मैं आज भी यह बात कह रहा हूं कि आपने न तो हाउस की सैंस ली न हमारे तीनों सदस्यों से जिनके नाम से यह कॉलिंग अटैंशन मोशन लगा है उनसे पूछा गया ।

श्री अध्यक्ष: दुष्यंत जी, आप थोड़ा सा इंतजार करिए फिर मैं आपको जो पिछली कन्वैंशंज हैं, वे सारी बताऊंगा।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि फिर आप इसको आधा घंटे डिले कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। आधा घंटा डिले कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

लिस्टिड प्रश्नों का जवाब देरी से आने के बारे में मामला उठाना

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर था कि हम जो प्रश्न लगाते हैं उन प्रश्नों के लिए हमें समय दिया जाता है कि आपको कम से कम पंद्रह दिन पहले प्रश्न देने पड़ेंगे। जबकि हमारा प्रश्न लिस्ट होने के बाद हमें जवाब नहीं मिलता और दो-दो महीने

का समय दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह प्वाइंट ऑफ आर्डर है। प्रश्न लिस्ट न हुआ होता तो बात समझ में आती है और उसकी जगह हमारा दूसरा क्वैश्चन आ जाता।

श्री अध्यक्ष: नीरज जी, जो प्रश्न सरकार को जाता है सरकार उसका जवाब देती है। जवाब कई बार जल्दी आ जाता है और कई बार थोड़ा लेट भी हो जाता है।

श्री नीरज शर्मा: नहीं, नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको टेबल भी कर रहा हूं। मैंने चिट्ठी भी लिखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न लिस्ट हो गया। अगर डिपार्टमैंट को समय ही मांगना था तो प्रश्न के लिस्ट होने से पहले मांग लेता। मैंने आपको बीस दिन पहले प्रश्न दिया कि यह मेरा प्रश्न है। मेरा प्रश्न लिस्ट हो गया। उसके बाद डिपार्टमैंट ने समय मांगा और आपने दो महीने का समय दे दिया।

श्री अध्यक्ष: नीरज जी, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो within two days reply किये जा सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इंफोर्मेशन सारे स्टेट से या सारे डिपार्टमैंट से एकत्रित करनी होती है। उसमें समय लग सकता है उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष जी, पर उसकी टाइम बाउंडेशन तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास पंद्रह दिन का समय है।

श्री अध्यक्ष: नीरज जी, सरकार के पास से कहां-कहां से क्या-क्या इंफोर्मेशन लेनी है उसका एक तंत्र बना हुआ है इसलिए इंफोर्मेशन आने में थोड़ी-बहुत देर भी लग सकती है। कई बार इंफोर्मेशन जल्दी भी आ जाती है। अगर आपने कोई इंफोर्मेशन पूरे 10 साल की मांग ली या 20 साल की मांग ली तो इतने पहले का रिकॉर्ड देखने के लिए सरकार को समय लग सकता है।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, आप महकमों को आगे से थोड़ा सा ताकीद करें कि प्रश्न लिस्ट होने के बाद समय न मांगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

नूँह हिंसा के मामले में सत्ता पक्ष द्वारा कांग्रेस पार्टी का नाम लिए जाने का मामला उठाना

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, सुबह जब चर्चा चल रही थी कि मैटर सब-ज्युडिस है। हमारे गृहमंत्री जी ने उसके बारे में कहा और कांग्रेस के ऊपर एलीगेशन लगाए either those should be deleted या उनसे विद्ड्रा करवाए जाए वर्ना हम डिस्कस करेंगे जब हमारा नाम आया है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप बैठिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री जी ने जो कहा आप उसका रिकॉर्ड देख लीजिए। यह टी.वी. पर चल रहा है, वह क्या कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इसे दिखवा लेते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, नहीं, नहीं। आप कब दिखवाओगे ।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इसे डिलीट कर देंगे। आपकी तरफ से भी जो बोला गया या उनकी तरफ से बोला गया उसे डिलीट कर देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, हमने कुछ नहीं कहा। हमने तो सिर्फ डिस्कशन की मांग की है उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। हमने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। जब सब-ज्युडिस मैटर है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इसे डिलीट कर देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आप डिलीट करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, इसे डिलीट कर देंगे। अगर आपकी तरफ से भी कोई एलीगेशन आया या उनकी तरफ से भी कोई एलीगेशन लगाया गया होगा तो उसे डिलीट कर देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, अगर हमने कोई इल्जाम लगाया है तो आप डिलीट करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, अगर सब-ज्युडिस मैटर में डिलीट होगा तो दोनों का होगा एक का नहीं होगा।

श्री शमशेर सिंह गोगी: अध्यक्ष जी, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है कि जो चीज पब्लिक में पहुंच गई और विज साहब का बयान पब्लिक सुन रही है। यह मीडिया में चल रहा है तो उसको डिलीट कराने से क्या फायदा। आप बहस करवाएं। आप इसके ऊपर बहस करवाओ।

श्री अध्यक्ष: अभी तो आप कह रहे हैं कि इसे डिलीट कर दो।

श्री शमशेर सिंह गोगी: वे फ्लोर पर आकर माफी मांगें। फिर इसके लिए फ्लोर पर आकर माफी मांगो।

श्री सत्य प्रकाश जरावता: अध्यक्ष महोदय, ******** (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: जरावता जी, आप बैठ जाइए। जरावता जी जो बोल रहे हैं उसे रिकॉर्ड न किया जाए।

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री भारत भूषण बतरा: स्पीकर सर, आज आपके सामने सब-ज्युडिस मैटर आया। मैं यह चाहता हूं कि इस सदन में टोटल डिस्कशन हो जाए कि which is *sub judice* and which is not और यह सारा प्रोसीडिंग्ज में आ जाए। अब कॉल एंड शकधर का कुछ पोर्शन अगर आपके सब-ऑर्डिनेट आपके सामने पेश कर देंगे और आप उस हिसाब से अपना ऑपिनियन बना लेंगे।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, हम सब-ज्युडिस मैटर के ऊपर निर्णय नहीं कर सकते। इसकी कोई इंट्रप्रिटेशन कुछ करेगा। कोई कुछ और करेगा । कोर्ट के अन्दर मैटर जाएगा और कोर्ट डिसीजन ले लेगा ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष जी, रूल ऑन सबज्युडिश तो ऐसे है कि किसी केस में चार्जशीट फाईल हो गई फैसला न आया और उसके बाद हम कमैंट नहीं कर सकते लेकिन जब चार्जशीट ही फाईल हुई है। कोई एक मैटर सबज्युडिश है टोटल गैमट को हम सबज्युडिश नहीं कर सकते। अब आपने एक बात कह दी कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि टोटल वॉयलैंस किया । Everything cannot be given. ये सारा कुछ इसमें लिखा है।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, उसमें इस बात पर अगर आप डिस्कशन करना चाहते है that is included in that.

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष जी, इस विषय पर पहले भी काफी समय लगा चुके हैं। मेरा निवेदन है कि once Hon'ble Speaker rules out something कि यह नहीं होगा तो then we should accept it.

रानिया निर्वाचन क्षेत्र के कैडमिक टॉपर्ज विद्यार्थियों का स्वागत

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि रानिया निर्वाचन क्षेत्र के 10वीं एवं 12वीं के एकैडमिक टॉपर्ज विद्यार्थी आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की ओर से इनका स्वागत करता हूं।

शून्यकाल में बोलने बारे में मामला उठाना

श्री राकेश दौलताबाद : स्पीकर सर, जो आज जीरो ऑवर के लिए हमारे नाम सिलैक्ट हुए थे क्या इनको कल को कंसीडर किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्यगण कल जीरो ऑवर में बोलना चाहते हैं वे दोबारा से अपने नाम दे दें कल को नये सिरे से ड्रा निकाला जायेगा। (विघ्न) आज का जीरो ऑवर तो हुआ ही नहीं। जब जीरो ऑवर ही खत्म हो गया तो जो नाम जीरो ऑवर में बोलने के लिए आए थे उनका क्या करेंगे? इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि कल नये सिरे से ड्रा निकाला जायेगा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे आर्डिनैंस को सदन के पटल पर रखना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : स्पीकर सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जो सरकार का आर्डीनैंस है उसको सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। पिछली बैठक के अंदर इस मामले में बहुत बहस हुई। मैंने कहा था कि यह

योजना स्वैच्छिक है। कुछ माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि यह योजना कम्पलसरी है। मुझे गुमराह करने वाला और झूठा कहा गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन शब्दों को वापिस करवाया जाये वरना जो भी इस सदन की मर्यादा को भंग किया गया है उसके बारे में जो कार्यवाही बनती है वह की जाये। मैं इस दस्तावेज को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है मंत्री जी, आप इसको टेबल्ड कर दीजिए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि एक टिप्पणी मैंने भी की थी उसको भी स्पष्ट करना जरूरी है ताकि इस सदन को सारी बातें ध्यान में आ जायें। आखिरकार हमें किसानों को भी बताना है। हमें किसानों को जागरूक भी करना है। कई किसानों को शायद यह जानकारी नहीं है इसलिए यह कंफ्युजन हुआ है। जो इसके अंदर ऑपरेटिव पैरा है वह इस प्रकार से है:-

> "The Scheme is optional for all farmers. Existing loanee farmers will be given a provision to opt-out from the Schemes by submitting requisite declaration to concerned bank branches any time during the year but at least seven days seven days prior to the cut-off date for enrolment of farmers for the respective seasons. Bank/CSC shall also maintain proper records of farmer declarations."

अर्थात् जब भी किसी स्कीम में रजिस्टर करने की लास्ट डेट है उससे सात दिन पहले तक फार्मर उसको ऑप्ट आऊट कर सकते हैं कि मैं नहीं कराऊंगा। तो फिर उसका पैसा भी नहीं काटा जायेगा और उसको कोई पाबंदी भी नहीं है। अगर सात दिन रह जायेंगे तो फिर लोनी फार्मर की एक प्रकार से कंसैंट होगी कि ठीक है अब मेरी फसल का बीमा कर दिया जाये। तो आखिरी सात दिन तो ऑपशनल नहीं बचते उसके पास लेकिन उससे पहले लगातार

जो सीजन के दिन हैं उसके लिए ऑप्शन है कराना है तो करायेगा और अगर नहीं कराना है तो नहीं करायेगा। ये उसका एक अर्थ है। इसी में एक विषय थोड़ा रह गया है कि कल इस विषय पर जो भी बहसबाजी हुई जिसके कारण किसी एक दूसरे के ऊपर कहा गया उसको जरूर इसमें से डिलीट किया जाये।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, मंत्री को झूठा कहा गया। सदन को गुमराह करने वाला कहा गया। उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाये और जिसने इन शब्दों का प्रयोग किया है वह सदन में इसके लिए माफी मांगे1 मेरी यह मांग है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, अभी तो इतना ही है अन्यथा जिसने गलत कहा है हम उनको कहेंगे कि वे अपने शब्द वापिस लें। अभी तो इतना ही है कि इस गलतफहमी में जिससे जो कहा गया उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। अन्यथा अगर ज्यादा शोर शराबा होगा तो उनको अपने शब्द वापिस लेने पड़ेंगे और अगर वे अपने शब्द वापिस नहीं लेंगे तो अगली कार्रवाई भी होगी। अगर अपने शब्द वापिस नहीं लेते हैं और सदन की कार्यवाही से ये शब्द डिलीट नहीं किये जाते हैं तो अगली कार्रवाई भी बनती है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, आपको जो करना है कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है।

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या अभी भी गलत बात कह रही हैं। इसका मतलब ये सदन की मर्यादा को भी नहीं जानती हैं। सदन को गुमराह भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे और चैलेंज भी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आपने जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं वे सदन के सामने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है या कुछ गलत कहा गया है तो there are so many

remedies which you can avail. मेरा तो यही कहना है कि आपने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया है जो मुख्यमंत्री जी ने पढ़ कर सुना दिया है और उसके बाद अगर आपको किसी और रेमेडीज की जरूरत है तो आप लिख कर दें उस पर कार्रवाई करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है।

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर प्रस्तुतीकरण, चर्चा तथा मतदान।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों को नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों को नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा।

पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्य किसी भी मांग पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन उनसे अनुरोध है कि वे उस मांग संख्या को इंगित करें जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं।

वर्ष 2011-12 के लिए मांगें

कि **<u>रोजगार</u>** के संबंध में वर्ष 2011-12 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹49,99,000 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि **<u>सिंचाई</u>** के संबंध में वर्ष 2011-12 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹254,64,41,437 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

वर्ष 2012-13 के लिए मांगें

कि **<u>वित्त</u>** के संबंध में वर्ष 2012-13 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹126,52,84,230 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि **<u>महिला एवं बाल विकास</u>** के संबंध में वर्ष 2012-13 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹4,17,26,000 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि **<u>सिंचाई</u>** के संबंध में वर्ष 2012-13 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹275,22,73,407 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि **<u>जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति</u>** के संबंध में वर्ष 2012-13 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹12,93,67,512 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

वर्ष 2013-14 के लिए मांगें

कि **<u>वित्त</u>** के संबंध में वर्ष 2013-14 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹110,37,81,539 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2013-14 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹213,26,30,784 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

वर्ष 2014-15 के लिए मांगें

कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2014-15 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹402,89,46,351 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

वर्ष 2015-16 के लिए मांगें

कि **राजस्व** के संबंध में वर्ष 2015-16 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹1199,24,88,219 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2015-16 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹210,99,94,493 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

वर्ष 2016-17 के लिए मांगें

कि **शहरी विकास** के संबंध में वर्ष 2016-17 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹91,73,870 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि प्रस्ताव करेंगे कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2016-17 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹176,99,17,561 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

वर्ष 2017-18 के लिए मांगें

कि **वित्त** के संबंध में वर्ष 2017-18 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹375,59,93,011 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2017-18 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹91,12,11,135 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तक की मांगें इतने सालों तक क्यों प्रस्तुत नहीं की गई? एक्सैस एक्सपैंडीचर किया गया है और आज के दिन उसकी कोई डिटेल भी नहीं है कि किस चीज की पेमैंट की गई है?

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, इसको न ही खोलें तो अच्छा होगा क्योंकि वर्ष 2014 तक तो आपकी ही सरकार थी। आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015 में तो आपकी सरकार थी उस समय आप तो कर सकते थे। इसके लिए जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए कि ये पेश क्यों नहीं की गई?

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, जो भी जिम्मेदार हो उसकी जिम्मेदारी तय की जाये।

श्री अध्यक्ष: इसका मतलब तो वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक सभी की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, कीजिए अगर आप 10-12 साल पुरानी बात करोगे तो रिस्पांसिबिलिटी तो फिक्स करनी पड़ेगी। क्या उस समय आप स्पीकर नहीं थे?

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, रूल्ज तो मुझे पता है। ये जो इतनी मांगें हैं ये मैंडेट्री थी। आज भी यह मैंडेट्री है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, क्या उस समय विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई?

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, यह विपक्ष का काम नहीं है यह तो रूलिंग पार्टी का काम है। यह विपक्ष का काम नहीं है this is the duty of the ruling party कि वह इन मांगों को हाउस में पास करवाए। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं 8 साल से जो एक चीज ध्यान में नहीं थी उसको ठीक करके हम यहां पर लेकर आए हैं, जो हर साल पास होनी चाहिएं। मैं तो आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि इसमें चाहे कहीं भी किसी की भी कमी रही है उसको ध्यान में रखते हुए आगे के लिए ठीक कर लें यही अच्छा रहेगा।

मांग संख्या- 17 और 24

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2011-12 के लिए डिमांड संख्या-17 और 24 को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि **रोजगार** के संबंध में वर्ष 2011-12 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹49,99,000 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2011-12 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹254,64,41,437 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या-6, 21, 24 और 38

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2012-13 के लिए विभिन्न डिमांड्स को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि **वित्त** के संबंध में वर्ष 2012-13 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹126,52,84,230 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि **महिला एवं बाल विकास** के संबंध में वर्ष 2012-13 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹4,17,26,000 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2012-13 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹275,22,73,407 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि **जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति** के संबंध में वर्ष 2012-13 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹12,93,67,512 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या- 6 और 24

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2013-14 के लिए डिमांड संख्या-6 और 24 को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि **वित्त** के संबंध में वर्ष 2013-14 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹110,37,81,539 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2013-14 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹213,26,30,784 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या- 24

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2014-15 के लिए डिमांड संख्या- 24 को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि **<u>सिंचाई</u>** के संबंध में वर्ष 2014-15 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹402,89,46,351 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या- 4 और 24

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2015-16 के लिए डिमांड संख्या-4 और 24 को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि **<u>राजस्व</u>** के संबंध में वर्ष 2015-16 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹1199,24,88,219 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि **<u>सिंचाई</u>** के संबंध में वर्ष 2015-16 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹210,99,94,493 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या- 14 और 24

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2016-17 के लिए डिमांड संख्या-14 और 24 को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि **शहरी विकास** के संबंध में वर्ष 2016-17 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹91,73,870 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि प्रस्ताव करेंगे कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2016-17 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹176,99,17,561 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या- 6 और 24

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2017-18 के लिए डिमांड संख्या-6 और 24 को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि **वित्त** के संबंध में वर्ष 2017-18 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹375,59,93,011 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि **<u>सिंचाई</u>** के संबंध में वर्ष 2017-18 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹91,12,11,135 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, क्या वर्ष 2018-19 की डिमांड्स प्रस्तुत नहीं होंगी ?

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी, अभी वर्ष 2018-19 की डिमांड्स की रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं।

नेवा पोर्टल के माध्यम से प्राक्कलन समिति की वर्ष 2023-24 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री सुभाष सुधा जी, सदस्य, प्राक्कलन समिति वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर प्राक्कलन सदस्य समिति की रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

सदस्य, प्राक्कलन समिति (श्री सुभाष सुधा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं।

वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा । पिछली प्रथा अनुसार सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी । माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत अनुपूरक अनुदानों पर बहस उन मुद्दों तक ही सीमित रहेगी जिन से वे बनी हों और जहां तक विचाराधीन विशेष मुद्दों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो उस सीमा तक मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं ।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹97,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **1-विधान सभा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹50,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **2- राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने 3-6 के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹2,01,00,000 से अधिक न हो, मांग संख्या **3- सामान्य प्रशासन / निर्वाचन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो अनुपूरक राजस्व खर्च के लिए ₹774,29,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹30,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **4 - राजस्व और आपदा प्रबन्धन/ अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/ आबकारी एवं कराधान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए ₹2,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **5- गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा / जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय / अभियोजन / एजीओटी कानूनी सेवा प्राधिकरण)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खचों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹150,20,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹150,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **-6 वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण / आपूर्ति एवं निपटान / आयोजना तथा सांख्यिकी (डी.ई.एस.ए)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए ₹160,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 7- **राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो अनुपूरक राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹400,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **10- कृषि एवं किसान कल्याण / बागवानी / पशुपालन और डेयरी विकास / मत्स्य पालन / खान एवं भूविज्ञान / पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹31,00,000 से अधिक न हो, मांग संख्या 11- **सहकारिता / खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹137,64,00,000 तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹892,37,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **12- शिक्षा (माध्यमिक / प्राथमिक) / उच्चतर (उच्चतर / तकनीकी / विज्ञान शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी) / महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹259,15,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹171,17,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **14- स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान / आयुष / खाद्य एवं औषधि प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹24,06,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **15- श्रम / युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1268,90,20,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **16- सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण / अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय (एस.ई.व.ए.)/ भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च,

2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹500,00,00,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹852,03,00,000/- अधिक न हो, मांग संख्या **17- लोक निर्माण (भवन व सड़के) / परिवहन / नागर विमानन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 19-**ऊर्जा विभाग (विद्युत / नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) / उद्योग एवं वाणिज्य /एम एस एम ई / सिंचाई एवं जल संसाधन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खचों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1003,02,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹2444,79,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या-**20 नगर तथा ग्राम आयोजना/ शहरी सम्पदा (शहरी विकास) / शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार) / विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास) / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमांड्स को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा।

मांग संख्या- 1 से 7

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹97,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **1-विधान सभा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹50,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **2-** **<u>राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने 3-6 के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹2,01,00,000 से अधिक न हो, मांग संख्या **3-** **<u>सामान्य प्रशासन / निर्वाचन</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो अनुपूरक राजस्व खर्च के लिए ₹774,29,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹30,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **4** **<u>- राजस्व और आपदा प्रबन्धन/ अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/ आबकारी एवं कराधान</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए ₹2,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **5-** **<u>गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा / जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय / अभियोजन / एजीओटी कानूनी सेवा प्राधिकरण)</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खचों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹150,20,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹150,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **-6** **<u>वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण / आपूर्ति एवं निपटान / आयोजना तथा सांख्यिकी (डी.ई.एस.ए)</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए ₹160,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 7- **<u>राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या-10 से 12

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि एक अनुपूरक धनराशि जो अनुपूरक राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹400,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **10- कृषि एवं किसान कल्याण / बागवानी / पशुपालन और डेयरी विकास / मत्स्य पालन / खान एवं भूविज्ञान / पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹31,00,000 से अधिक न हो, मांग संख्या 11- **सहकारिता / खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹137,64,00,000 तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹892,37,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **12- शिक्षा (माध्यमिक / प्राथमिक) / उच्चतर (उच्चतर / तकनीकी / विज्ञान शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी) / महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या-14 से 17

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹259,15,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹171,17,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **14- स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान / आयुष / खाद्य एवं औषधि प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹24,06,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **15- श्रम / युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले)** के सम्बन्ध में 31 मार्च,

2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1268,90,20,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **16- सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण / अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय (एस.ई.व.ए.)/ भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹500,00,00,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹852,03,00,000/- अधिक न हो, मांग संख्या **17- लोक निर्माण (भवन व सड़के) / परिवहन / नागर विमानन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या-19 और 20

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 19-**ऊर्जा विभाग (विद्युत / नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) / उद्योग एवं वाणिज्य /एम एस एम ई / सिंचाई एवं जल संसाधन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खचों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1003,02,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹2444,79,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या-**20 नगर तथा ग्राम आयोजना/ शहरी सम्पदा (शहरी विकास) / शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार) / विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास) / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

डिमांड्स की हार्ड कापी सदस्यों को उपलब्ध करवाने के बारे में मामला उठाना

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि सप्लीमैंट्री डिमांड्ज की हार्ड कापी भी सभी विधायकों को दे दी जाये तो यह हम सब विधायकों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। यह सत्र बुलाते ही इसलिए है ताकि सप्लीमैंट्री डिमांड्ज पास की जा सकें। सप्लीमैंट्री डिमांड्ज की हार्ड कापी देने में क्या दिक्कत है ? बिना हार्ड कापी के हम कुछ पढ़ ही नहीं पाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम डिमांड्ज पर बहस कैसे करेंगे। बिना हार्ड कापी तो हम डिमांड्ज पर बोल ही नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, यह सब कुछ पोर्टल पर अवेलेबल तो है। नेवा पोर्टल पर यह सब कुछ अपलोड है।

श्री भारत भूषण बतरा: स्पीकर सर, जहां तक फार्मल डाक्यूमैंट्स की बात है, उसको तो चलो आप डिस्पैंस अप कर लीजिए लेकिन यदि विनियोग बिल को भी नेवा पोर्टल पर डाल दिया जायेगा तो यह ठीक नहीं रहेगा। बिल नेवा पोर्टल पर थोड़े ही डाले जाते हैं। ये चीजें इसी का पार्ट ही तो है। जैसे आज सप्लीमैंट्री डिमांड्ज आ गई तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका एप्रोप्रिएशन बिल भी आयेगा। कम से कम सप्लीमैंट्री डिमांड्ज हमारे सामने तो हों ताकि हम इनमें अपना माइंड तो एप्लाई कर सकें कि कौन सा डिपार्टमैंट है और उस डिपार्टमैंट

की क्या डिमांड है। उस डिपार्टमैंट का सिस्टम कैसा है। उस डिपार्टमैंट की वर्किंग कैसी है। स्टेट की सड़कें कैसी हैं, पानी कैसा है, पानी का कैसे प्रावधान किया जा रहा है। रोज अखबारों में इसके बारे में तरह तरह की खबरें भी छप रही हैं। स्पीकर सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हैल्दी सिस्टम रखना चाहते हैं तो सप्लीमैंट्री डिमांड्ज की हार्ड कापी भी सभी सदस्यों को उपलब्ध कराने का काम करें। आपने जो आज डिमांड प्रस्तुत की हैं, इन पर कल चर्चा कर ली जाये।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, अब आपने अनुरोध किया है तो आगे से हार्ड कापी भी दे देंगे।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, अगर डिमांड्ज की हार्ड कापी दे दी जायेगी तो कल इन पर चर्चा कर लेते हैं। कल विनियोग बिल भी आना है। इनको क्लब कर दीजिए। मतलब कल एप्रोप्रिएशन बिल भी आयेगा तो एप्रोप्रिएशन बिल पर भी हमें बोलने का मौका मिलेगा तो उस वक्त इनको इक्ट्ठे ही पास करा लेना।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, सप्लीमैंट्री डिमांड्ज तो सदन ने पास कर दी हैं।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आप ही बताओ बिना पढ़े, हम इन डिमांड्ज पर कैसे चर्चा करें।

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी बतरा जी सप्लीमैंट्री डिमांड्ज की हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाने के बारे में कह रहे थे और आपने उन्हें बताया कि ये सप्लीमैंट्री डिमांड्ज नेवा पोर्टल पर उपलब्ध हैं, के संदर्भ में मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि ये दस्तावेज, नेवा पोर्टल पर अभी खुले हैं जब आपने सदन में इस संदर्भ में घोषणा की थी। आपकी घोषणा से पहले तो यह दस्तावेज, नेवा पोर्टल पर खुले ही नहीं थे। अब अगर दस्तावेज खुले ही नहीं थे तो आप ही बताओ कि ऐसी अवस्था में इन पर चर्चा कैसे की जा सकेगी ? अध्यक्ष महोदय, यह गलत हुआ है। ये दस्तावेज यदि नेवा पोर्टल पर पहले खुले हुए होते तो भी हम आपकी बात को मान लेते। अध्यक्ष महोदय, ये दस्तावेज आपकी घोषणा के बाद ही नेवा पोर्टल पर खुले हैं।

श्री अध्यक्ष: वरूण जी, दस्तावेज जब सदन में टेबल हो जाते हैं उसके बाद ही आगामी कार्यवाही होती है। कोई भी पेपर पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं जाता है। यह सदन की प्रोपर्टी है। सदन के अंदर टेबल होने के पश्चात ही पोर्टल के उपर यह अपलोड किया जाता है। जैसे ही यह दस्तावेज सदन में टेबल हुए, उसके विदिन वन मिनिट या टू मिनिट्स, ये दस्तावेज नेवा पोर्टल पर अपलोड हो गए।

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट तो हमें पढ़ने के लिए मिला ही नहीं तो आप ही बतायें कि इतने कम समय में हम इन पर कैसे चर्चा कर लेंगे ? इतने कम समय में तो हम पढ़ ही नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि डिमांड नम्बर बताइये तो हम तो देखते ही रह गए कि आखिरकार डिमांड है कौन सी।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, जैसा हम कह रहे हैं, यदि ऐसे किया जायेगा तो जिस माननीय सदस्य का क्वैश्चन होगा उसका आंसर उसको उसकी सीट पर मिल जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आप हाउस की कंसैस लेकर सप्लीमैंट्री डिमांड्ज को कल के लिए डैफर कर दें और कल को सप्लीमैंट्री डिमांड्ज, एप्रोप्रिएशन बिल और विनियोग बिल, इन सभी को इक्ट्ठे ही पास करा लेना।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, सप्लीमैंट्री डिमांड्ज तो सदन में पास हो गई हैं। अब दोबारा से थोड़े ही पास की जायेंगी।

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो यह चर्चा को बाई पास करने की बात हो गई। अध्यक्ष महोदय, यह तो चर्चा को बाई पास वाली बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपने जो बात ध्यान दिलाई है, मैं आपकी उस बात को समझता हूँ और आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा कसूर क्या है। आप हमें यह तो बताइये ?

श्री अध्यक्ष: वरूण जी, कसूर की बात नहीं है जो परंपरा चली आ रही है, बात उनकी है। आज तक और इससे पहले भी जब नेवा नहीं था तो सप्लीमैंट्री डिमांड्ज उसी टाइम टेबल होती थी।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है बल्कि सप्लीमैंट्री डिमांड्ज एक दिन पहले टेबल हो जाती थी और हम उनको पढ़कर आते थे व अगले दिन सप्लीमैंट्री डिमांड्ज पर चर्चा करते थे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि इन पर बड़ी हैल्दी तरीके से चर्चा होती है। डिमांड्ज पर चर्चा के समय, सभी सदस्य पूरी तरह से अपनी-अपनी बातें रखते हैं। आप इसको कल के लिए डैफर कर दें।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, सप्लीमैंट्री डिमांड्ज हाउस से पास हो गई हैं अत: इसके बाद इन पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो हमारे अधिकारों का हनन हो गया।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, इस पर सिर्फ विपक्ष ही बोलता है। सत्ता पक्ष नहीं बोलता। इस प्रकार से हमारे बोलने का हमारा राईट खत्म हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: बतरा साहब, आप लोगों का बोलने का राईट खत्म नहीं होगा। आगे से इस बात का ख्याल रखा जायेगा।

सरकारी प्रस्ताव -

15:00 बजे

लोक ऋण अधिनियम, 1944 एवं सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 में संशोधन के निरसन के बारे में

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

"कि हरियाणा विधान सभा का मानना है कि राज्यों के लोक ऋणों और इससे संबंधित या आनुषंगिक और प्रासंगिक सभी मामलों का विनियमन करने हेतु सम्पूर्ण भारत में समान विधि होना वांछनीय है;

और चूंकि, 2006 में, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों तथा इसके प्रबन्धन से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38)

अधिनियमित किया। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 1 की उप-धारा (2) कथित करती है कि यह अधिनियम ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों को लागू होता है, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् सृजित और निर्गमित की गई हैं। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 31 की उप-धारा (1) उपबन्ध करती है कि लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का उन सरकारी प्रतिभूतियों को जिनको यह अधिनियम लागू होता है, और सभी मामलों को भी, जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध किए गए हैं, लागू होना समाप्त हो जाएगा। तथापि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) लागू रहेगा;

और चूंकि, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का निरसन करने हेतु मामले की जांच की गई तथा यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कतिपय प्रतिभूतियां/मदें भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में इस अधिनियम के अधीन अब तक बकाया हैं। इसलिए, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का निरसन करने हेतु, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के ऐसे उपबन्धों को सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक लाने के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) के अधीन उन्हें सम्मिलित करते हुए प्रभाव देना अपेक्षित है। तदनुसार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में निम्नलिखित मुख्य

संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में विचाराधीन है,-

(1) जम्मू और कश्मीर राज्य, जहां भी यह भूतपूर्व राज्य की वर्तमान स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में प्रतीत होता है, जिसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 34) के माध्यम से दो केन्द्र शासित प्रदेशों को मान्यता दी गई है, के संदर्भ का लोप करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 1 में संशोधन करने हेतु;

(2) विनिर्दिष्ट रूप से उनकी गैर-अन्तरणीयता को व्यावृत्त करने के लिए, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों की विशेषताओं को सम्मिलित करने के लिए, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 2 में यथा उपबन्धित ''सरकारी प्रतिभूति'' की परिभाषा को संशोधित करने हेतु और धारा 5 को भी संशोधित करने हेतु; तथा

(3) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) को निरसित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु और लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन की गई कतिपय कार्रवाईयों/ बकाया मदों की व्यावृत्ति के लिए भी उपबन्ध करने हेतु सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 31 तथा धारा 35 को संशोधित करने हेतु;

और चूंकि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की विषय-वस्तु भी राज्य सूची में प्रविष्टि से संबंधित है, यह संकल्प किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 252 के उपबन्धों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में आवश्यक संशोधन किया जाए;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में, यह सभा, इसके द्वारा, संकल्प करती है कि सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित मामलों और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक या प्रासंगिक सभी अन्य मामलों को विधि द्वारा विनियमित करने के लिए संसद को सशक्त किया जाए।"

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

"चूंकि हरियाणा विधान सभा का मानना है कि राज्यों के लोक ऋणों और इससे संबंधित या आनुषंगिक और प्रासंगिक सभी मामलों का विनियमन करने हेतु सम्पूर्ण भारत में समान विधि होना वांछनीय है;

और चूंकि, 2006 में, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों तथा इसके प्रबन्धन से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) अधिनियमित किया। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 1 की उप-धारा (2) कथित करती है कि यह अधिनियम ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों को लागू होता है, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् सृजित और निर्गमित की गई हैं।

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 31 की उप-धारा (1) उपबन्ध करती है कि लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का उन सरकारी प्रतिभूतियों को जिनको यह अधिनियम लागू होता है, और सभी मामलों को भी, जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध किए गए हैं, लागू होना समाप्त हो जाएगा। तथापि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) लागू रहेगा;

और चूंकि, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का निरसन करने हेतु मामले की जांच की गई तथा यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कतिपय प्रतिभूतियां/मदें भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में इस अधिनियम के अधीन अब तक बकाया हैं। इसलिए, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का निरसन करने हेतु, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के ऐसे उपबन्धों को सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक लाने के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) के अधीन उन्हें सम्मिलित करते हुए प्रभाव देना अपेक्षित है। तदनुसार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में निम्नलिखित मुख्य संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में विचाराधीन है,-

(1) जम्मू और कश्मीर राज्य, जहां भी यह भूतपूर्व राज्य की वर्तमान स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय

अधिनियम 38) में प्रतीत होता है, जिसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 34) के माध्यम से दो केन्द्र शासित प्रदेशों को मान्यता दी गई है, के संदर्भ का लोप करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 1 में संशोधन करने हेतु;

(2) विनिर्दिष्ट रूप से उनकी गैर-अन्तरणीयता को व्यावृत्त करने के लिए, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों की विशेषताओं को सम्मिलित करने के लिए, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 2 में यथा उपबन्धित ''सरकारी प्रतिभूति'' की परिभाषा को संशोधित करने हेतु और धारा 5 को भी संशोधित करने हेतु; तथा

(3) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) को निरसित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु और लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन की गई कतिपय कार्रवाईयों/ बकाया मदों की व्यावृत्ति के लिए भी उपबन्ध करने हेतु सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 31 तथा धारा 35 को संशोधित करने हेतु;

और चूंकि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की विषय-वस्तु भी राज्य सूची में प्रविष्टि से संबंधित है, यह संकल्प किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 252 के उपबन्धों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में आवश्यक संशोधन किया जाए;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में, यह सभा, इसके द्वारा, संकल्प करती है कि सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित मामलों और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक या प्रासंगिक सभी अन्य मामलों को विधि द्वारा विनियमित करने के लिए संसद को सशक्त किया जाए।"

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 'अर्थात्' ? आखिर पता तो चले कि है कहा क्या है ?

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, आप हमें इसकी कॉपी दिलवा दीजिए। हम इसे पढ़ लेंगे कि यह क्या है। आपकी मेहरबानी कि आपने पहली बार मेरा माइक खुलवाया। हमें यह बात समझ नहीं आई। अत: आप हमें इसकी कॉपी दिलवाइये ताकि पता लगे कि यह क्या है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, इसकी कॉपी अडैंडम के रूप में आज की लिस्ट ऑफ बिजनेस के साथ गई है।

Shri Jagbir Singh Malik : Speaker Sir, At least We should know what We have done.

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आज जो लिस्ट ऑफ बिजनेस गया है उसके साथ अडैंडम गया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप हमें इसके बारे में समझा दीजिए कि यह क्या है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हमें इस बारे में बताइये तो सही।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : किरण जी, केन्द्रीय संसद के लिए कुछ अनिवार्य विषय रहे होंगे। सारे ऐब्रीविएशन दिए हैं। इस नाते से वहां से निर्देश के हिसाब से एक संकल्प हर प्रदेश की विधान सभा ने लेना है। यह यहां का विषय नहीं है। यह केन्द्र का विषय है। यह कुछ

केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंध में है। इसमें अकाउंट्स के नाते से कुछ चीजें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में सदन को एक जानकारी देना चाहूंगा। इसके बारे में संक्षेप में दो पंक्तियां बोल देता हूं। The State legislature is authorizing the Central Government to reappeal provisions of Public Debt Act, 1944 as there is already Governments Securities Act, 2006. वर्ष 2006 के एक्ट के कारण 1944 का एक्ट निरस्त करने की एक अथॉराइजेशन स्टेट लैजिस्लेचर से सैंट्रल गवर्नमैंट को दे रहे हैं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

"चूंकि हरियाणा विधान सभा का मानना है कि राज्यों के लोक ऋणों और इससे संबंधित या आनुषंगिक और प्रासंगिक सभी मामलों का विनियमन करने हेतु सम्पूर्ण भारत में समान विधि होना वांछनीय है;

और चूंकि, 2006 में, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों तथा इसके प्रबन्धन से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) अधिनियमित किया। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 1 की उप-धारा (2) कथित करती है कि यह अधिनियम ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों को लागू होता है, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् सृजित और निर्गमित की गई हैं। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 31 की उप-धारा (1) उपबन्ध करती है कि लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का

केन्द्रीय अधिनियम 18) का उन सरकारी प्रतिभूतियों को जिनको यह अधिनियम लागू होता है, और सभी मामलों को भी, जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध किए गए हैं, लागू होना समाप्त हो जाएगा। तथापि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) लागू रहेगा;

और चूंकि, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का निरसन करने हेतु मामले की जांच की गई तथा यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कतिपय प्रतिभूतियां/मदें भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में इस अधिनियम के अधीन अब तक बकाया हैं। इसलिए, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का निरसन करने हेतु, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के ऐसे उपबन्धों को सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक लाने के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) के अधीन उन्हें सम्मिलित करते हुए प्रभाव देना अपेक्षित है। तदनुसार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में निम्नलिखित मुख्य संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में विचाराधीन है,-

(1) जम्मू और कश्मीर राज्य, जहां भी यह भूतपूर्व राज्य की वर्तमान स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में प्रतीत होता है, जिसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 34) के माध्यम से दो केन्द्र शासित प्रदेशों को मान्यता

दी गई है, के संदर्भ का लोप करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 1 में संशोधन करने हेतु;

(2) विनिर्दिष्ट रूप से उनकी गैर-अन्तरणीयता को व्यावृत्त करने के लिए, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों की विशेषताओं को सम्मिलित करने के लिए, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 2 में यथा उपबन्धित ''सरकारी प्रतिभूति'' की परिभाषा को संशोधित करने हेतु और धारा 5 को भी संशोधित करने हेतु; तथा

(3) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) को निरसित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु और लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन की गई कतिपय कार्रवाईयों/ बकाया मदों की व्यावृत्ति के लिए भी उपबन्ध करने हेतु सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 31 तथा धारा 35 को संशोधित करने हेतु;

और चूंकि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की विषय-वस्तु भी राज्य सूची में प्रविष्टि से संबंधित है, यह संकल्प किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 252 के उपबन्धों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में आवश्यक संशोधन किया जाए;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में, यह सभा, इसके द्वारा, संकल्प करती है कि सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित मामलों

और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक या प्रासंगिक सभी अन्य मामलों को विधि द्वारा विनियमित करने के लिए संसद को सशक्त किया जाए।"

(सरकारी संकल्प सर्वसम्मति से पास हुआ।)

(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए ।)

हरियाणा के भूतपूर्व मंत्रियों/विधायकों का अभिनंदन करना

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सुभाष चन्द्र तथा श्री जगदीश यादव, हरियाणा के पूर्व मंत्री और श्री नफे सिंह राठी, श्री रामवीर सिंह, श्री जसबीर सिंह मलोर, श्री धर्मपाल और डॉ. एम.एल. रंगा, हरियाणा के भूतपूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं, मैं पूरे सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं।

विधायी कार्य-

(क) विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक

1. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भारत भूषण बतरा, विधायक और श्री वरूण चौधरी, विधायक की ओर से हरियाणा नगर निगम (संशोधन), अध्यादेश 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), 12 मई, 2023 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा यथा लागू का

निरनुमोदन करते का नोटिस प्राप्त हुआ है। अब श्री भारत भूषण बतरा, विधायक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

Bharat Bhushan Batra : Hon'ble Deputy Speaker Sir, I beg to move-

> "That this House disapproves The Haryana Municipal Corporation (Amendment), Ordinance 2023 (Haryana Ordinance No.2 of 2023), as promulgated by the Governor of Haryana on 12th May, 2023."

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

> कि यह सदन हरियाणा नगर निगम (संशोधन), अध्यादेश 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), 12 मई, 2023 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा यथा लागू का निरनुमोदन करता है।

श्री उपाध्यक्ष :माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधयेक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री भारत भूषण बतरा : उपाध्यक्ष महोदय, ये according to rule के हिसाब से दोनों कल्ब जरूर हुए हैं लेकिन सबसे पहले डिसअप्रूवल पर आर्ग्यूमैंट होगी और जब वह आर्ग्यूमैंट खत्म होगी तो उसके बाद ऑर्डिनेस पेश करने की बजाये बिल पेश किया जायेगा क्योंकि ऑर्डिनेस गवर्नर साहब ने पास कर दिया है। ठीक है यह प्रस्ताव मैंने मूव कर दिया लेकिन इसमें Every Member can speak. इस पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी बोल सकते हैं और विपक्ष के माननीय सदस्य भी बोल सकते हैं। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कहेंगे कि यह अप्रूव होना चाहिए और हम कहेंगे कि यह डिसअप्रूव होना चाहिए। इस प्रकार से इस पर आर्ग्यूमैंट पूरी हो जायेगी। इस आर्ग्यूमैंट के खत्म होने के बाद फिर आप बिल पेश करेंगे। मेरा कहना यही है कि दोनों चीजें एक दम पेश नहीं हो सकती है इसलिए इस बिल को अभी

डैफर कर दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, जब बिल पेश होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि पहले बिल पेश होता है। उसके बाद क्लॉज बाई क्लॉज पर आर्ग्यूमैंट होती है। जब इस पर पहले ही आर्ग्यूमैंट हो जायेंगी तब उसके बाद आपको बिल पास करने में भी आसानी होगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकर कल्ब करने से गड़बड़ हो जायेगी।

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि मैं इसको विचार के लिए प्रस्तुत कर देता हूं। उस विचार में ये अपनी बात कह लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बतरा जी, जब आप इस पर चर्चा में हिस्सा लेंगे तब आप अपनी बात रख लेना।

श्री भारत भूषण बतरा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हाउस ही इस ऑर्डिनेस को डिसअप्रूव कर देगा तो फिर क्या होगा। उसके बाद बिल कैसे पेश होगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, जब ऑर्डिनेस ही अप्रूव नहीं होगा तो बिल कहां से आयेगा।

श्री भारत भूषण बतरा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने यह रैजोल्यूशन मूव किया है परन्तु इसके साथ में यह बात भी है कि इसको एक वाईटल रूल के तहत हमने मूव किया है। इसमें सभी सदस्य पार्टिस्पेट कर सकते हैं। आपको हरेक मैम्बर को बोलने का अवसर देना पड़ेगा। यह एक वाईटल इशू है कि परिवार पहचान पत्र को वार्ड बंदी के लिए कम्पलसरी बनाया जाये और साथ में वार्ड बंदी के लिए जो बैकवर्ड की रिजर्वेशन है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल किया गया है। इसलिए सदन में जो भी सदस्य बोलना चाहे, आपने उसे मौका देना है। जिस तरह आप बिल के ऊपर मौका देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बतरा जी, आप बोल लीजिए और एक मैम्बर कोई और बोलना चाहे तो वह भी बोल ले।

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष जी, यह बात नहीं है कि मैं बोलूंगा तो और कोई सदस्य बोलेगा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: बतरा जी, बाकी सदस्य भी चर्चा में हिस्सा लें, लेकिन जब बिल आ रहा है तो उस चर्चा के समय बाकी सदस्य हिस्सा ले लेंगे।

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष जी, बाकी सदस्य बिल की चर्चा में क्यों हिस्सा लेंगे । फिर यह प्रोविजन बनाने की क्या जरूरत है। यह कांस्टीच्यूशनल प्रोविजन है। यह कांस्टीच्यूशन का पार्ट है।

डॉ. कमल गुप्ता: आदरणीय उपाध्यक्ष जी, इनको बोलने दीजिए। ये सबकी बात क्यों कर रहे हैं। बतरा जी, आपने प्रस्ताव पेश किया है, आप अपनी बात बोलिए।

श्री उपाध्यक्ष: बतरा जी, आप बोल लीजिए। उसके बाद में जो सदस्य इस बिल के ऊपर बोलना चाहते हैं। वे मंत्री जी जब बिल पेश करेंगे उस समय बोल लेंगे। दिक्कत कहां है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष जी, आप प्रोसीजर को overlap क्यों कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस ठीक है या नहीं है, यह पेश होगा। उसके बाद बिल पेश कर लेना। Why are you intermingling?

श्री उपाध्यक्ष: बतरा जी, आप यह बताएं। किसी भी विषय पर बोलने के लिए जब नोटिस देते हैं है तो वह कितने दिन का नोटिस देते हैं ?

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष जी, तीन दिन का नोटिस देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बतरा जी, आपने नोटिस कब दिया था।

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष जी, मैंने नोटिस तीन दिन पहले दिया हैं बल्कि उससे पहले भी दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: बतरा जी, मेरे ख्याल से नोटिस दो माननीय सदस्यों ने दिए हैं।

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष जी, बिल्कुल दो सदस्यों ने दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है बतरा जी, आप दोनों माननीय सदस्य बोल लें। आप दोनों बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए।

श्रीमती गीता भुक्कल: उपाध्यक्ष जी, नोटिस चाहे एक या दो सदस्य ही दे दें लेकिन चर्चा तो सभी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है, वे दोनों सदस्य बोल लें। उसके बाद में जो बोलना चाहते हैं, वे बिल पर बोल लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: उपाध्यक्ष जी, इस पर चर्चा तो सभी करेंगे।आप काइंडली इससे एक बार गो थ्रू हो जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, जब बिल पर सारा हाऊस डिस्कस कर सकता है। आप बुलवाओगे जितने मैम्बर चाहे बोल सकते हैं। तो इस ऑर्डिनेंस को भी डिसअप्रूव करने पर बोलने का सबका अधिकार है। This cannot be limited to two persons.

श्री उपाध्यक्ष: हुड्डा साहब, नहीं जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है, वही तो बोलेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल disapproval के लिए सदन की टेबल पर लेड हो गया तो डिस्कशन तो होगा।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब उन्होंने ऑर्डिनेंस पर एक क्वैश्चन मार्क लगाया कि इसको वापस लेना चाहिए। तो इसमें पहली बात तो यह है कि जो रीजन उनको ध्यान में हैं कि इस-इस कारण से इसको वापस लेना चाहिए। उनके सारे जवाब यहां से मिल जाएंगे। इसके बाद कोई बात बचती है तब उसका जवाब देना बनता है। वरना एक बार सब ओपन करते हैं तो ओपन करने का मतलब है कि एक दिन तो इसी पर लग जाएगा। आखिर ऑर्डिनेंस का एक औचित्य होता है। वह औचित्य जो है आप कोई प्रश्न करेंगे। उसका औचित्य बताया जाएगा। उस औचित्य के बाद अगर किसी की कोई सार्थक बात कहने की बच जाती है तो एक या दो सदस्य पूछ लें। लेकिन सारे सदस्य बोलेंगे तो इसका अर्थ तो ये है कि यह सदन से बाहर जाना चाहते हैं। मेरा कहना यही है कि एक बार जो ऑब्जैक्शंज है, वह बोलें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, प्रोसीजर तो यही है कि जब डिसअप्रूवल के लिए ऑर्डिनेंस आ जाता है तो जो सदस्य बोलना चाहते हैं, वे बोल लेंगे। उसमें चाहे एक सदस्य बोल ले या दो बोल लें।

श्री मनोहर लाल: हुड्डा साहब, जो बोलना चाहते हैं उस पर बीच में उत्तर भी दिया जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं। उसके बाद अगर कोई सप्लीमैंट्री क्वैश्चन होगा तो वह दे देंगे। पहले एक बार बुलवाकर उत्तर दिलवा दें। फिर सप्लीमैंट्री ले लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: मुख्यमंत्री जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि कोई और सदस्य बोलना चाहेगा तो वह बोल लेगा।

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदय, एक बार बुलवाकर उत्तर दिलवा दें। फिर सप्लीमैंट्री ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री बतरा जी अपनी बात बोलें।

श्री भारत भूषण बतरा: ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, प्रैसीडैंट इस हाऊस का रहा है और जहां तक कि मेरे पास वह प्रैसीडैंट है कि करनाल के एम.एल.ए. रामलाल वधवा जी ने ऐसा नोटिस दिया था और सारे हाऊस के अन्दर इसको डिस्कस किया गया था। ऐसी और भी बाते हैं। जहां तक दौलता साहब इसके सदस्य थे। टाइम-टाइम पर ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव करने के रैजोल्यूशंस आते रहे हैं और यह करवाने का हमारा राइट है। हमारा राइट है और उस बात के लिए हम यह कर रहे हैं। उसके लिए आप कह रहे हैं कि सारे सदस्य क्यों नहीं बोल सकते। बाद में बोल लेंगे। आप इस पर बोलने का टाइम बढ़ा लीजिए हमें क्या दिक्कत है।

श्री मनोहर लाल: इसकी कोई टाइम लिमिट थोड़ी है।

श्री भारत भूषण बतरा: टाइम लिमिट नहीं कर सकते। बोलने के लिए टाइम लिमिट थोड़ी कर सकते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष जी, जो भी सदस्य बोलना चाहे उसको बुलवा लेना।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): डिप्टी स्पीकर सर, पहले भी इस सदन में इस बात को काफी बार कहा गया था और मिनिस्ट्री को भी कहा गया है कि जब भी कोई आर्डिनैंस आता है या कोई अमैंडमैंट बिल आता है तो पहले ओरिजनल एक्ट का कंटैंट साथ में देना चाहिए। किसी हालत में कोई देता ही नहीं है। अगर ओरिजनल एक्ट पहले सप्लाई हो जाये तो बहुत अच्छी बात होती है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 1994 का ओरिजनल कारपोरेशन एक्ट जो है वह इस बारे में क्या कहता है। Section 6(5) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 says:-

Fixation of Seats of Corporation: "Wards reserved for the members of Scheduled Castes and Backward Classes shall, as far as practicable, be located in those areas where the proportion of their population to the total population of the Corporation is the largest. Explanation."

Here "population" means the population as ascertained locally by the staff, deputed by the Commissioner, after going from door to door in the Corporation."

सर, पहले यह कानून था और साथ में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में भी इसके अंदर सैक्शन -11 में प्रॉविजन है। Section 11(4) of the Municipal Corporation Act, 1994 says:-

Reservation of Seats: "Two seats in the Corporation shall be reserved for the persons belonging to Backward Classes which shall be allotted in such wards as having m

aximum population of persons belonging to Backward classes."

यह हमारा पहले कानून था और यह कानून वर्ष 1994 से लागू है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को आज इस कानून को परिवर्तित करने की क्या जरूरत पड़ गई। क्या उसमें कमियां आ गई। क्या पहले इलैक्शन नहीं होते थे। क्या पहले बैकवर्ड क्लॉस की रिजर्वेशन नहीं होती थी। जब भी चुनाव हुए है बैकवर्ड की रिजर्वेशन हुई है। वहां पर बाकायदा बैकवर्ड वार्ड होते थे। आज के दिन में यह कर दिया कि इस आर्डिनैंस में सरकार ने परिवार पहचान पत्र का कंसैप्ट लाने का काम किया है। हरेक चीज में क्यों परिवार पहचान पत्र आ रहा है। कांस्टीच्यूशनल वैल्यूज की भी कदर नहीं है। कांस्टीच्यूशन के जो प्रॉविजन हैं उनके खिलाफ

भी सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र को एप्लीकेबल किया जा रहा है। एक्ट यह कहता है कि सैंसस होगा उसके बाद डोर-टू-डोर डिप्टी कमिश्नर करवायेगा। क्या परिवार पहचान पत्र सैंसस को ओवर टेक कर सकता है1 क्या परिवार पहचान पत्र इलैक्टोरोल को ओवर टेक कर सकता है। ये बातें हैं इसके ऊपर। अब आपको हरियाणा परिवार पहचान पत्र 2021 को पढ़कर सुनाता हूं। इसमें यह लिखा है कि

> Haryana Parivar Pehchan Patra, 2021 is an Act "to provide for the assignment of the Parivar Pehchan number as an unique identifier number to each family, linked to information composed of such data fields, as are generally required for the determination of eligibility for, or the provision of, any scheme, service, subsidy or benefit provided or implemented by or on behalf of the State Government or by any Government agency or local authority and for establishment of the Haryana Parivar Pehchan Authority for the purpose and for matters connected therewith or incidental thereto."

यह सैंसस को ओवरटेक करना और पॉपुलेशन को डिटरमिन करना ये इसके अंदर कौन सी स्कीम है। सरकार अपने हिसाब से जो मर्जी ऑर्डर पास करती रहे। सरकार अपनी मर्जी से कानून पास करती रहे और फिर उसके बाद आपने उसको इम्पलीमैंट कर दिया लेकिन आपका एक्ट तो नहीं कहता। आपने एक्ट को किस लिए बनाया। उसके बाद सर्विसिज को डिफाइन किया गया है। Section 2 U "services" means any provision, facility, utility or any other assistance provided or implemented in any form by or

on behalf of the State Government or any Government agency or local authority to an individual वर्ड इंडिविजुवल है or a family and includes such other services, as may be notified by the State Government, from time to time. उसके बाद सब्सिडी को भी डिफाइन किया गया है and so far as scheme is concerned scheme has not been defined स्कीम को भी डिफाइन करना चाहिए था कि किस स्कीम में आना है। आप जिन बैनिफिशरीज को रिलीफ देना चाहते हैं, जिनको सब्सिडी देना चाहते हैं या आप कोई सम्मान निधि देना चाहते हैं या कोई ऐसी क्लास है जिनको आपको सब्सिडी और बैनिफिट या केन्द्र सरकार से कोई ग्रांट्स आती हैं उसमें लाभ देना है या एस.सीज. को एस.सी. वार्ड में कुछ बेनफिट देना होता है उसके लिए यह एक्ट बना हुआ है। सरकार का जो कानून होता है वह सभी का कानून होता है। वह सत्ता पक्ष का भी कानून होता है और वह विपक्ष का भी कानून होता है। वह केवल सत्ता पक्ष का कानून नहीं होता है। आप इस प्रकार के फार्मूले लगा कर मैजोरिटी के बेस पर एप्लीकेबल कर लोगे तो विपक्ष का गला घोटोगे क्योंकि संख्या आपके पास ज्यादा है। जो चीज आपको कानून के मुताबिक अलाऊ नहीं है उसको आप किस बेस पर इम्पलीमैंट कर रहे हैं। इसी सदन में मार्च में यह बिल पेश हुआ था और उस समय सैंसिज ऑफ दा हाउस यह थी इस समय माननीय अध्यक्ष महोदय चेयर पर नहीं हैं उन्हीं की प्रोसीडिंग्ज हैं। उन प्रोसीडिंग्ज के बारे में वरूण जी आपको बतायेंगे। इसी हाउस की सैंसिज ली गई थी। यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य बैठे हुए हैं। सभी सदस्यों ने और स्पीकर साहब ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि परिवार पहचान पत्र पापुलेशन को एसरटेन करने के लिए लागू नहीं हो सकता है। यह कांस्टीच्यूशन के विरूद्ध है और यह हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, सैट एसाइड होगा। सरकार ने उस बिल को उसी समय

वापिस ले लिया था। वापिस लेकर दोबारा से पेश कर दिया। वापिस लेकर रिजर्वेशन वगैरह की दूसरी क्लॉजिज को भी जोड़ लिया गया है जो कि इस हिसाब से नहीं करना चाहिए था। अब आता है कि परिवार पहचान पत्र क्या है। The purpose of Parivar Pehchan Patra is identification of the eligible families purpose of receiving benefits under the scheme, service, subsidy not determining the population of the State. Therefore, data cannot be used as a method to determine the number of States in the Corporation. सैकिंडली परिवार पहचान पत्र मैंडेट्री नहीं है और इस बारे में मुख्यमंत्री जी स्वयं बतायेंगे। यदि मैंडेट्री नहीं है तो पापुलेशन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र एक्ट जो डाटा कलैक्शन है वह walk-in registration है जिसकी मर्जी जाओ और करवालो या फिर online registration है। सैंसस, सैंसस एक्ट के तहत होती है, स्पोट सर्वे होता है, हर घर में जाया जाता है। Dwelling House is being visited and then data is collected. Parivar Pehchan Patra is materially different. यह मैंडेट्री नहीं है। उसके बाद परिवार पहचान पत्र की लांचिंग में दुनियाभर की शिकायतें हैं । कम्पलेंटों की बहार लगी हुई है । किसी की पैंशन काटी जा रही है, किसी की इंकम गलत बना दी गई । दो दिन पहले भी हाऊस के अन्दर कुछ इस तरह के मुद्दे आए थे कि डाटा कौन कलैक्ट कर रहा है, कैसे कलैक्ट कर रहा है । सत्ता पक्ष के लोग अपने-अपने हल्कों में बैठते हैं और वहां जब डाटा आता है तो ये सत्ता पक्ष के लोग लोगों को टेलिफोन करके कहते हैं कि आजा मैं तेरी पैंशन बनवा दूं और ऐसा करके वे कानून की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। This is not the way क्योंकि इंकम तय होकर, वैरिफाई होकर जो एक बार डाटा तय हो जाता है और जब पैंशन मिलनी होती है तो एक्ट अपनाए जाते हैं

which is not a healthy sign और ये कोई ठीक नहीं है। इस बात के लिए पूरा मिसयूज किया जा रहा है और इसको पोलिटिकल परपज के लिए भी यूज किया जा रहा है। PPP does not go long. इसकी legal sanctity किसी हालत में नहीं है। अब मैं आखिर में कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में पंचायती राज और म्युनिसिपल कमेटीज में जो रिजर्वेशन थी उस संबंध में आर्टिकल 243T (6) में लिखा है- 'Nothing in this Part shall prevent the Legislature of a State from making any provision for reservation of seats in any Municipality or offices of Chairpersons in the Municipalities in favour of backward class of citizens. बैकवर्ड क्लासिज की टी के अन्दर ये रिजर्वेशन आई हुई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जरूरी बात है। आर्टिकल 243(ए) क्योंकि ultimately it is related with elections मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि वोटिंग थोड़ा करवा रहे हैं। It is related with that. क्योंकि पॉपुलेशन बनेगी, पॉपुलेशन के बाद वार्डबंदी होगी। उस पर इलीजिबल वोटर आएंगे। उसके हिसाब से होगा। यह सारा का सारा स्टेट इलैक्शन कमीशन का काम है ना कि परिवार पहचान पत्र अथोरिटी का काम है। यह किसी हाल में भी परिवार पहचान पत्र अथोरिटी का काम नहीं है और न ही एक्ट का काम है। यह तो election to the municipality, State Election Commission की इसमें सारी कार्यवाही है। इसके अलावा एक बहुत जबरदस्त मामला आया जिसमें कॉन्स्टीच्यूशन कहता है, पुराना एक्ट कहता है कि बैकवर्ड क्लासिज की भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। सरकार इस बात का जवाब दे कि इन्होंने आर्डिनैंस में यह कह दिया कि बैकवर्ड कैटेगरी-ए के लिए सीटें रिजर्व होंगी whereas Constitution says Backward Class. यह ए-बी कहां से लेकर आ गये।

अगर आप इतने ही भले हैं तो फिर एस.सी.-ए और एस.सी.- बी भी कर दो। उसके लिए भी सैक्शन की डिमांड कर दो। यह कौन सी राजनीति का हिस्सा है कि आप बी का तो कहीं जिक्र ना करो। बैकवर्ड क्लास है और आपने ए की रिजर्वेशन तो टोटल कर दी लेकिन बी की रिजर्वेशन नहीं की। यह सभी के सोचने की बात है। इसके लिए सत्ता पक्ष के विधायकों को भी सोचने की बात है कि क्या आप केवल ए के लिए रिजर्वेशन चाहते हैं और बी के लिए बिल्कुल नहीं चाहते। आप बी को कहां डालोगे। इसमें इसका परपज यह होना चाहिए कि जिस वार्ड के अन्दर बैकवर्ड क्लास की रिप्रजैंटेशन हो वह वार्ड उनके लिए रिजर्व हो।

3.35 and 3.40/संजय सिवाह/28.8.2023

उसके बाद इसमें लिख दिया गया है कि बैकवर्ड क्लासिज-ए कैटेगरी की पापुलेशन जहां पर 2 परसैंट से ज्यादा होगी, वहां पर वार्ड बंदी हो जायेगी अर्थात् पापुलेशन 2 परसैंट से कम नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के फार्मूले कहां से लाए गए हैं और किस लिए लाए गए हैं ? जहां बैकवर्ड रहते हैं या फिर बैकवर्ड वार्ड में बैकवर्ड पापुलेशन है, तो उस वार्ड को रिजर्व कर दीजिए, कोई बात नहीं क्योंकि रिजर्वेशन के लिए तो इस तरह की लिमिटेशन होती ही हैं। जैसे एस.सी. की रिजर्वेशन है। अब इसके साथ यह कंडीशन लगायें कि टोटल सैनेरियो के अंदर वन थर्ड पापुलेशन होनी चाहिए, तो इस बात के लिए महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, अध्यक्ष महोदय यह सब कुछ तो पहले ही लिखा हुआ है लेकिन प्रश्न तो यह है कि वार्ड बंदी के लिए बैकवर्ड क्लासिज-ए कैटेगरी के लिए 2 परसैंट की जस्टिफिकेशन

कहां से आ गई ? जब उनके लिए वार्ड रिजर्व करेंगे तो मिनीमम 2 परसैंट की पापुलेशन ही होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसी म्युनिसिपेलिटी के अंदर अगर 2 परसैंट पापुलेशन से फालतु है अर्थात 5 परसैंट पापुलेशन है तो ऐसी अवस्था में 95 परसैंट पापुलेशन को आप इग्नोर कर देंगे और 5 परसैंट पापुलेशन के बेसिज पर वार्डबंदी कर देंगे। I am not against any community. I am not against any Backward Class मैं किसी कैटेगरी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा सबसे बड़ा एतराज यह है कि इसको वापिस लिया जाये और इसमे अमेंडमेंट की जाये। यह अंकास्टीट्यूशनल प्रोवीजन किसी भी हालत में धक्के से, मैजोरिटी से हमारे उपर लागू मत करो और बैकवर्ड के लिए इस प्रकार से रिजर्वेशन का प्रावधान करो कि बैकवर्ड में 'ए' कैटेगरी की भी छुट्टी और 'बी' कैटेगरी की भी छुट्टी जो मर्जी चुनाव लड़े, इसमें क्या बात है। अगर 'बी' कैटेगरी मैजोरिटी में है तो 'बी' कैटेगरी चुनाव लड़ ले और अगर 'ए' कैटेगरी मैजोरिटी में है तो 'ए' कैटेगरी चुनाव लड़ ले या कुछ और फार्मूला जो भी सिचुएशन के हिसाब से होता है, वह एडाप्ट कर लें क्योंकि इलैक्शन कमीशन के पास पावर्ज हैं और नोटिफिकेशन करके यह सब कर दें। अध्यक्ष महोदय, ए-बी कैटेगरी की discrimination is not tolerable और इस हिसाब से जो यह आर्डिनेंस आया है उसकी डिसएप्रूवल के लिए मैं सभी सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी और विपक्ष के सभी सदस्यों

को भी आह्वान करता हूँ कि पिछली बार भी इसको, इसी बात के लिए डिसएप्रूव करते हुए वापिस कराने का काम किया गया था। यह सब के पक्ष में नहीं है। आखिर क्यों आप लोग इस बात के लिए सहमत होना चाहेंगे ? परिवार पहचान पत्र मैंडेटरी नहीं है । इसकी रिक्वायरमैंट नहीं है। परिवार पहचान पत्र को सैंसस से उपर मत करो क्योंकि इसके बाद इलेक्टोरल भी है और सब कुछ भी है। इलैक्शन कमीशन, हरियाणा को अपना काम करने दो और इस हिसाब से आगे चलने का काम होना चाहिए। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की बात गीता जी कह रही थी लेकिन आलरेडी आनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हाउस में एंश्योर किया है कि परिवार पहचान पत्र के रूल्ज वे हाउस में पेश कर देंगे , इनको आज तक तो पेश किया नहीं गया है। अगर कल पेश होंगे तो हम इसके उपर विचार रखेंगे कि रूलों की क्या सैंक्टिटी है और क्या नहीं है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार पहचान पत्र है, यह जस्टिस के.एस.पुट्टास्वामी वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया 9 जजिज की बेंच की जो फाइंडिग हैं, उसके खिलाफ है लेकिन इसको समझने की बात ही नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं इसको समझने की बात करते हैं ? यह हमारी समझ से भी बाहर है। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री वरूण चौधरी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेशों की सूचना एवं उसकी प्रति विधायकों को 8 अगस्त, 2023 को विधान सभा के नियमों के नियम 168 के अंतर्गत दी गई। नियम 168-(1) यह कहता है कि जैसे ही अध्यादेश लागू हो जाता है 'यथाशीघ्र' अध्यादेश की प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेंगी। हम 'यथाशीघ्र' को कैसे परिभाषित करेंगे ? 'एज सून एज पोसिबल' जो हमारी रूल बुक है उसमें तो यही लिखा है। अध्यादेश प्रख्यापित होता है 12 मई, 2023 को और सदस्यों को उसकी सूचना दी जाती है 8 अगस्त, 2023 को अर्थात् 3 महीने के बाद, क्या तीन महीने की देरी को 'यथाशीघ्र' कहेंगे ? क्यों नियमों का अनुसरण नहीं किया जा रहा ? अध्यक्ष महोदय के भी बार-बार कहने पर भी कोई असर कार्यपालिका के उपर नहीं दिखाई दे रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश दो कारणों से लाए गए हैं। जैसा कि अध्यादेश के अंदर लिखा गया कि पहला कारण यह है कि क्योंकि हरियाणा राज्य विधान सभा का सत्र नहीं हो रहा है। ऐसी अवस्था में प्रश्न उठता है कि सत्र बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है ? सत्र नहीं हो रहा, यह इसका कारण बताया गया है। 'सत्र नहीं हो रहा' शब्द का प्रयोग किया गया यह नहीं कहा गया कि 'सत्र नहीं चल रहा' बल्कि 'सत्र नहीं हो रहा' शब्द का प्रयोग किया। उपाध्यक्ष महोदय, सत्र बुलाने की जिम्मेदारी भी कार्यपालिका की है। सर, पी.आर.एस. विधायी अनुसंधान की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016

से 2022 तक हरियाणा विधान सभा की जो औसतन बैठकें है, प्रति वर्ष वो केवल मात्र 14 दिन की ही हैं। पूरे देश में सिर्फ हमारे से नीचे सिक्किम और त्रिपुरा हैं। हम नीचे से तीसरे स्थान पर हैं। सत्र तो बुलाया ही नहीं जाता। सत्र बुलाया जाये तो 'अध्यादेश' लाने की आवश्यकता ही क्या है। पहले ही सबसे नीचे खड़े हैं फिर भी सत्र से बचने की कोशिश होती है। सर, पहले तो यह जानना आवश्यक है कि कौन से ऐसे हमारे माननीय सदस्य हैं जो सत्र की अवधि को बढ़ाना नहीं चाहते हैं या सत्र के दिनों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। यहां समय की 'रेसनिंग' होती है कि दो मिनट बोलिए- तीन मिनट बोलिए- मत बोलिए, समय नहीं है। यह समय किसके पास नहीं है ? इसके उपर भी आज सदन में मतदान करा ही दीजिए। किसके पास समय नहीं है ? (इस समय मेजें थपथपाई गई।) सभी विधायक कहते हैं कि मेरी बात सुन लो-मेरी बात सुन लो लेकिन सत्र बुलाया ही नहीं जाता। यह मतदान सदन में आज होना ही चाहिए कि कौन से ऐसे माननीय विधायक हैं जो नहीं चाहते कि जनता की आवाज, प्रदेश की जनता की आवाज न उठाई जाये और उनकी समस्याओं का निराकरण और समाधान न हो। बस, समय नहीं है। जनता हमसे पूछती है कि आपने सदन में 2 मुद्दे उठाये जबकि हमने आपको 10 मुद्दों को उठाने की बात कही थी और आप 2 ही मुद्दे उठाकर आ गए तो 8 जो मुद्दे रह गए हैं उनको कौन उठायेगा और यह किसकी जिम्मेदारी है क्योंकि विधायक तो हमने

आपको बनाकर भेजा है। ऐसी स्थिति में हम उनको क्या जवाब दें कि समय नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि समय किसके पास नहीं है ? किसके पास समय नहीं है ? (विघ्न)

श्री राम कुमार गौतम: उपाध्यक्ष महोदय, समय सबके पास है। तीन दिन का सैशन गलत है। सैशन कम से कम 10 दिन का होना चाहिए। 'आई वाश' कर दिया गया है। कोई बोलता है तो कह दिया जाता है कि बैठ जा-बैठ जा।

श्री उपाध्यक्ष: दादा गौतम जी, माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं। आप कृपया बैठ जायें।

श्री वरूण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर तो हाल यह है कि 'विधेयकों' को भी 'विधायकों' से दूर रखा जाता है। 'विधेयकों' को भी 'विधायकों' से दूर रखा जाता है। बार-बार सभापति महोदय ने कह लिया कि 'विधेयक', 'विधायकों' को 5 दिन पहले मिल जाने चाहिए ताकि विधायक पढ़ सके उस पर चर्चा कर सकें। 'विधेयकों' पर 'बिल्ज' पर सबसे कम चर्चा अगर कहीं होती है तो वह हमारी विधान सभा में होती है, क्योंकि यहां पर समय नहीं है। क्यों बार बार कहने के बावजूद अब तक भी 5 दिन पहले 'विधायकों' को 'विधेयक' नहीं मिल पा रहे हैं ? सर, विधान सभा, को संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है फिर भी कार्यपालिका इससे परहेज करती है। जब यह फैसला मंत्रीमंडल ने लिया है। (विघ्न)

शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है माननीय सदस्य विषय पर नहीं बोल रहे हैं। वे जिस विषय पर बोलना चाहते हैं, उस विषय पर नहीं बोल रहे हैं। अत: माननीय सदस्य को जो विषय दिया गया है, केवल उसी विषय पर बोलना चाहिए। विषय पर इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं और ये और दूसरी बातों पर बोल रहे हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है।

श्री वरूण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, हां यही तो बात है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: वरूण जी, आप सब्जैक्ट पर बोलिए।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसे सारा हरियाणा देख रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विषय पर नहीं बोल रहे हैं। इस पर बोलने के लिए माननीय सदस्य के पास कुछ नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वरूण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बात यहां से शुरू की कि 2 कारणों से अध्यादेश लाया गया। अभी मैं पहला कारण ही बता रहा हूं कि विधान सभा का सत्र नहीं बुलाया गया। यह पहला कारण है जिस पर मैं बात कर रहा हूं। विधान सभा का सत्र किसने बुलाना था ? (विघ्न)

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बोलते हुए 2 मिनट हो गये हैं लेकिन ये अभी तक विषय पर नहीं आये हैं।

श्री वरूण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा तो माननीय मंत्री जी को लगता है। इनके लिए तो यह कोई विषय ही नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह यह है कि यह विषय सत्र में लाया जा चुका है। यह बात अलग है कि उसकी सदन में चर्चा हुई और चर्चा में से कुछ विषय ऐसे निकाले गए जिसके कारण से इसमें संशोधन करके दोबारा से लाया जाए। उस समय को ध्यान में रखा गया क्योंकि बहुत-सी नगरीय संस्थाओं के 5-5 साल के टाइम एक्सपायर हो चुके हैं और 68 इकाइयां ऐसी हैं जिनके चुनाव बहुत पहले ड्यू हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव को जल्दी-से-जल्दी करवाया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में विषय गया कि इसमें बैकवर्ड क्लासिज कमीशन बनाया जाए। बैकवर्ड क्लासिज कमीशन बनने के बाद उसकी रिक्मैंडेशंज लेकर उसको लागू किया जाए। अब बैकवर्ड क्लासिज कमीशन भी बना, उसकी रिपोर्ट भी आई यह सब सदन को पता है। जो ट्रिपल टैस्ट था उसमें यह था कि उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर खासकर बैकवर्ड क्लासिज के रिजर्वेशन के बारे में उन्होने जो कहा वह हमने किया। अब अगर इस गति को बढ़ाने के लिए कि केवल लोकतंत्र में चुनाव जल्दी हों और जनता को चुने हुए प्रतिनिधि मिलें और जो चीजें उस समय दी गई थी वे पढ़कर ही दी गई थी। अगर चर्चा में कहीं विरोध हुआ था तो 2-3 बातों का विरोध हुआ था। ऐसा नहीं है कि यह अब दिया गया है। जब मार्च माह में सैशन आया था तो यह बिल उसी में दे दिया गया था। उसी बिल के अनुरूप यह ऑर्डिनैंस आया है। उसमें जो ऑब्जैशन है हम उसका जवाब देंगे। यह कहना कि सैशन तो इन्होंने ही बुलाना था। सैशन बुला लिया था। सैशन में आ चुका है। उसके बाद अगली बार इस सैशन में आ रहा है, इसलिए इस विषय को आधार न बनाया जाए कि हमने सैशन क्यों नहीं बुलाया।

सैशन समय पर बुलाया। विपक्ष के लोग साल में 2 सैशन बुलाते थे। हमने साल में 3 सैशन बुलाने शुरू किये हैं।

श्री वरूण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो अध्यादेश में लिखा हुआ है मैंने वही कारण बताए हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण यह बताया गया कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया। लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि यहीं इसी मामले पर विधेयक फरवरी, 2023 में आया था और आने के बाद उस पर विचार किया गया। विचार करने के बाद, सदन का भाव लेने के बाद माननीय मंत्री जी द्वारा यह फैसला लिया गया था कि हम इस विधेयक को वापिस लेते हैं। सदन का भाव लेने के बाद वापिस लिया गया था, अपने आप नहीं। तो अब फरवरी 2023 से मई, 2023 के बीच इन 3 महीनों में ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन-सी परिस्थितियां आ गई जो तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव तो अभी भी नहीं हो पाए। अभी कौन-सा चुनाव हो गए ? चुनाव अभी भी नहीं हो पाए। उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज 2 (1) में कहा गया कि - हरियाणा पहचान अधिनियम 2021 के उपबंधों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या के आधार पर सरकार द्वारा नियत की जाएगी। 'उपबंधों के अधीन'। आज तक जो अनुभाग 45 कहता है कि नियम बनाए जाएंगे, उनको नोटिफाई किया जाएगा। नोटिफाई करने के तुरंत बाद सदन में लाया जाएगा। इसी प्रकार से अनुभाग 46 कहता है कि विनियम बनाए जाएंगे और विनियम अधिसूचित करते ही उन्हें विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, ये परिवार पहचान पत्र के एक्ट को पढ़ रहे हैं और ये आर्डिनैंस का हिस्सा नहीं है। यहां पर जिस आर्डिनैंस की चर्चा हो रही है और जिसको वापिस

लेने की बात आयी है उससे पढ़कर कोई संदर्भ देते हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा। यह तो बाद में जब परिवार पहचान पत्र के नियमों का विषय आया तो हमने कह दिया कि इस सैशन में रखेंगे, अभी तो कल का सैशन का दिन बाकी है। हम यह इसमें रखेंगे। यह भी तय हो गया था कि ठीक है, हम नियम सदन में रख देंगे। यह अलग विषय है। परिवार पहचान पत्र एक्ट के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है बल्कि यह चर्चा आर्डिनैंस फोर वार्डबंदी के लिए हो रही है।

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आर्डिनैंस का पहला पेज पढ़ लें। मैंने तो इसमें नियम भी बता दिया है। इसमें मैं 2(i) की उप धारा (1) की बात कर रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा पहचान पत्र अधिनियम अध्यादेश का हिस्सा है। इसमें मैं अपने पास से कहीं कुछ नहीं बोल रहा हूं। इसको पढ़ लें क्योंकि यह अध्यादेश का हिस्सा है। इसमें लिखा हुआ है कि -

> "प्रत्येक निगम के लिए सीटों की कुल संख्या, ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबंधों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या के आधार पर सरकार द्वारा नियत की जाएगी:

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उपबंधों में क्या कहा गया है? सैक्शन 45 में कहा गया है कि नियम बनेंगे। नियम अधिसूचित होते ही सदन के पटल

पर रखे जाएंगे। सैक्शन 46 में कहा गया है कि विनियम बनेंगे और जैसे ही वे अधिसूचित हो जाएंगे तो साथ ही साथ सदन के पटल पर रखे जाएंगे। ये नियम विधान सभा के पटल पर क्यों रखे जाते हैं? जिससे कि उनके अन्दर यदि कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो वह संशोधन हो सके। मुझे अब जानकारी प्राप्त हुई है कि पिछले वर्ष ये नियम बन गये लेकिन आज तक सदन के पटल पर नहीं रखे ताकि उनको कहीं कोई विधायक पढ़ न ले और कहीं कोई विधायक उन पर संशोधन न दे सके। ऐसा क्यों है? क्यों विधान सभा को दरकिनार किया जा रहा है? संख्या बल होने के बाद भी इतना डर किस बात का है क्योंकि इस पर सिर्फ चर्चा ही तो होनी है। इसमें फैसला वही होगा जो संख्या बल चाहेगी। इस पर चर्चा से भी इतना डर है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस अध्यादेश को अस्वीकृत किया जाए। धन्यवाद।

श्री भारत भूषण बत्तरा: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस पर बोलने के लिए टाईम दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: बत्तरा जी, इसमें पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे देंगे और उसके बाद भी कोई बात रह जाए तो उसके बारे में बता देना। बाकी माननीय सदस्य बिल पर अपनी बात रख लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले इस पर डिस्कशन तो हो जाने दें।

श्री उपाध्यक्ष: हुड्डा साहब, मेरा कहना यह है कि अभी इस पर सरकार की तरफ से जवाब आ जाने दें। उसके बाद भी आपकी कोई बात रह जाती है तो उसके बारे में पूछ लेना।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, आप आर्डिनैंस की डिस-एप्रूवल पर डिस्कस करवा रहे हैं। अगर यह डिस-एप्रूव हो जाता है तो बिल कहां से आएगा? आप इसको कन्कल्यूड हो जाने दें।

श्री उपाध्यक्ष: हुड्डा साहब, इस पर वोटिंग होने और रॉय लेने से पहले अगर कोई बात रह जाएगी तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। इससे अलग कोई बात है तो उसके बारे में पूछ लें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बहुत से माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दे दें और मैं जो बात कहूंगा वह सोलह आने सच्ची बात कहूंगा और कोई गलत बात नहीं कहूंगा। मैं माननीय सदस्य श्री बत्तरा जी की बात का भी जवाब दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बत्तरा जी ने कहा है कि बी.सी.-ए. और बी.सी.-बी. इकट्ठे क्यों नहीं किये गये? यह देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की अनेकों कौम जो किसी भी तरह से बैकवर्ड नहीं है, उनको बैकवर्ड बना दिया गया है। इससे कई भाई बुरा मान जाएंगे। असली मायने में बी.सी.-ए. के ही लोग ही बैकवर्ड हैं और उन्हीं को रिजर्वेशन चाहिए जिसमें नाई, धोबी, छिप्पी, तेली, सुनार, कुम्हार और लुहार आते हैं। यही बैकवर्ड हैं। लेकिन कुछ को जबरदस्ती बैकवर्ड बना दिया गया है। सारे देश का जाट भी बैकवर्ड बना दिया है और अहीर/यादव बैकवर्ड बना दिये गये हैं। जोकि यदुवंशी हैं। एक कहावत भी है कि -अहीर की छोरियां छछियां भरी छत पे नाच नचावे। यह श्री कृष्ण भगवान जी की कौम है। इसके अतिरिक्त गुर्जर भाई भी बैकवर्ड बना दिये गये हैं। गांवों में असली बैकवर्ड्स को तो वोट ही

नहीं डालने देते हैं। इसलिए असली रिजर्वेशन तो बी.सी.-ए. को ही चाहिए। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि शुरू में जो रिजर्वेशन किया गया था that was only for socially and educationally backward. इसका तरीका मेरे से श्री के.के. वेणुगोपालन ने पूछा था कि कैसे इसका हल निकाले? जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा वकील है । मैंने कहा कि उसका तरीका यही है कि 4 खाने लगाओ तब जाकर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड निकलेगा, जो पॉलिटिकली और इकोनोमिकली बैकवर्ड है, वह सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसका समाज में दर्जा कमजोर है । गांवों को बसाने वाली कौमें, गांवों के मालिक और देश के मालिक, अनेक स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर सारे बैकवर्ड हैं । बतरा को पता ही नहीं है कि बैकवर्ड क्या होता है। ऐसे ही बिना काम की बातें मारता है । ******************इन्होंने जो बात कही है, वह बैकवर्ड नहीं है इसलिए इनको इस बात की समझ ही नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बीसी-ए वर्ग को रिजर्वेशन देने का जो फैसला लिया है वह सही है । (शोर एवं व्यवधान) अगर इसके बारे में किसी और माननीय सदस्य ने बहस करनी हो तो मेरे से बहस कर सकता है । (शोर एवं व्यवधान)

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा । माननीय सदस्य श्री गौतम जी उम्र में बड़े हैं इसलिए हाउस की गरिमा को देखते हुए सारी चीजें सदन की कार्यवाही से निकलवा दी जाये । उपाध्यक्ष महोदय, आप चेयर पर बैठकर हाउस की गरिमा को बचाने का काम करें । ऐसे अन-पार्लियामैंट्री वर्ड को कार्यवाही से निकलवाने की जिम्मेवारी आपकी बनती है । (शोर एवं व्यवधान)

***चेयर के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकलवा दिया गया ।**

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम कुमार गौतम जी ने जो अन-पार्लियामैंट्री वर्ड का यूज किया है, उनको सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक अपील है कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह बात न्यायोचित नहीं है क्योंकि गांवों में ऐसा व्यवहार कोई नहीं करता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि ये दो वर्ग बीसी-ए और बीसी-बी वर्ग है उसमें बीसी-बी वर्ग काफी समर्थ है इसलिए इसको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है लेकिन बी सी-ए वर्ग वास्तव में ही आर्थिक रूप से बहुत पीछे रह गया है और उसकी राजनैतिक रूप से भी भागीदारी बहुत कम है इसलिए वर्तमान सरकार ने उनकी चिंता की कि जो बीसी-ए वर्ग है, उसकी परसैंटेज बहुत कम रह जाती है। आप भी इसके आसपास नजर दौड़ाकर देख लो उस वर्ग का सरपंच कहां है, ब्लॉक समिति का मैम्बर कहां है और जिला परिषद का चेयरमैन कहां है इसलिए सरकार ने विचार किया कि इस वर्ग की संख्या तो बहुत हैं लेकिन उसको भागीदारी भी मिलनी चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी-सांपला-किलोई) :उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तीन बातें मुख्य हैं। पहली बात तो यह है कि परिवार पहचान पत्र कास्ट सैंसस का आधार नहीं हो सकता है। मेरा यह कहना है कि सैंसस कास्ट बेसिस पर होनी चाहिए और इसका आधार भी वही होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। बैकवर्ड क्लास के भी दो वर्ग बने हुए हैं। एक क्लास वर्ग में श्री कंवर पाल जी भी आते हैं और दूसरा अति बैकवर्ड क्लास है जो माननीय मंत्री जी ने नाम लिया है। मेरा कहना यही है कि अति बैकवर्ड क्लास के लोगों को सीट देनी चाहिए। इस बात का मैं भी इनका स्वागत करता हूं लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि दो परसैंट से ज्यादा पोपुलेशन होनी चाहिए। इस बात का क्या मतलब बनता है। अगर दो सीट बैकवर्ड

के लोगों की है तो एक सीट अति बैकवर्ड के लोगों की होनी चाहिए। एक सीट बैकवर्ड के लोगों के लिए रखो। यह क्या बात हुई कि दो परसैंट से ज्यादा पोपुलेशन होगी तभी सीट मिलेगी।

16 : 00 बजे

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): हुड्डा साहब, मैं बतरा साहब की बात पर कहना चाहूंगा (विघ्न)।

श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा: मंत्री जी, आप उनके कहने का मतलब नहीं समझे। आप ऐसी बात मत करो। उन्होंने ऐसा कहा था। उन्होंने यह कहा था कि एस.सी. ए और एस.सी. बी में ये भी कर दो लेकिन मैं यह कहता हूं कि पॉपुलेशन की जो दो प्रतिशत की कंडीशन लगा दी। इस कंडीशन को हटाओ। इस बिल को वापस कर अमेंड करके लेकर आए। बी.सी. (ए) को देना है तो दीजिए लेकिन उनके साथ यह धोखा न करे कि दो प्रतिशत पॉपुलेशन होगी तो उससे फालूत मिलेगा। क्यों? अगर बैकवर्ड की दो सीटें रिजर्व हैं तो एक बी.सी. (ए) के लिए कीजिए। अति बैकवर्ड के लिए कीजिए। अति बैकवर्ड के लिए अलग से कर दीजिए। वह तो अति बैकवर्ड है।

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: बतरा जी, पहले आप मेरी बात सुनें। एक मिनट रूकिये। पहले आप बैंठे।

हरियाणा विधानसभा की भूतपूर्व सदस्या का स्वागत

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, श्रीमती सरिता नारायण, हरियाणा विधानसभा की भूतपूर्व सदस्या, आज अध्यक्ष दीर्घा में सदन की कार्यवाही को देखने के लिए उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है।

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

श्री नीरज शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष जी, पहले आप मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष: बतरा जी, आपकी बात सुन ली गई है। अब आपका क्या रह गया है।

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष जी, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। सदन की मर्यादा क्या चल रही है। सदन में कौन क्या बोल रहा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष जी, उन्होंने भारत भूषण बतरा जी का नाम लिया है।

श्री उपाध्यक्ष: बतरा जी, आप बताएं बात क्या है।

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष जी, गौतम जी ने गलत शब्द बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बतरा जी, वे शब्द वापस ले लिए गए हैं। वे शब्द सदन की कार्यवाही से डिलीट करवा दिये गए हैं।

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष जी, इन्हें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उठकर जो मर्जी वह बोल जाए कि बतरा ने के बेरा, आपने घणा बेरा है के।

श्री उपाध्यक्ष: बतरा जी, वे शब्द सदन की कार्यवाही से डिलीट करवा दिये गए हैं।

श्री रामकुमार गौतम: उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय बतरा जी को बताना चाहता हूं कि। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा: शर्मा जी, आप चेयर को संबोधित करके कहें। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: बतरा जी, वे शब्द सदन की कार्यवाही से निकलवा दिये गए हैं। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष जी, वे शब्द ही हटाये जाने चाहिएं। मेरी एक सबसे बड़ी बात और भी है। माननीय श्री कंवरपाल जी ने अपनी बात कही। मैं डिस्क्रिमेनशन की बात नहीं कर रहा था। मैं तो लीगली बात कर रहा था। मैंने ऐसा नहीं कहा कि उसको हटा दो, उसको हटा दो। मैंने यह बात बिल्कुल भी किसी हालत में नहीं कही है। इस बात की धारणा न दी जाए कि हम कोई बी.सी. (ए) के खिलाफ है और बी.सी. (बी) के हक में हैं या और कुछ है। It’s a legal proposition where Constitution says ‘politically backward’ उसको अमैंड करो। अपना एक सिस्टम लाओ। अगर कास्ट का करना है तो सरकार नोटिफिकेशन जारी करे। हम उस नोटिफिकेशन का वैलकम करते हैं। काश कि आप पॉपुलेशन का सर्वे कराओ और उसमें पब्लिक डॉक्यूमैंट होना चाहिए। पी.पी.पी. की तरह सीक्रेट डॉक्यूमैंट नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय सदस्य, श्री नीरज शर्मा जीअपनी बात रखें।

श्री रामकुमार गौतम: उपाध्यक्ष जी, बतरा जी ने मेरी बात का एतराज किया है।

श्री उपाध्यक्ष: गौतम जी, आपकी बात हो चुकी है।

श्री रामकुमार गौतम: उपाध्यक्ष जी, बतरा जी ने मेरी बात का एतराज किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: गौतम जी, आपका जो तरीका था वह गलत था। बतरा जी ने उस पर एज़रात किया था। आपका तरीका ठीक नहीं था। उस पर बतरा जी ने एतराज किया।

श्री रामकुमार गौतम: उपाध्यक्ष जी, बतरा जी ने मेरी बात का एतराज किया है।(शोर एवं व्यवधान) *******

श्री उपाध्यक्ष: गौतम जी, आप बैठ जाए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जा रही। आप बैठ जाएं। गौतम जी की कोई भी बात रिकॉर्ड न की जाएं।

श्री ईश्वर सिंह(गुहला चीका): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखने के लिए सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय रिजर्वेशन की पॉलिसी पर रिजर्वेशन की सीटों पर बात चल रही है। मेरा सिर्फ एक सवाल है। इसमें वे आदमी क्लेम कर रहे हैं जो न बैकवर्ड हैं न शिड्यूल कास्ट से हैं। मेरा एक मुद्दा यह है कि हमारी शिड्यूल कास्ट के विधायकों की 17 सीट कर रखी है। विधान सभा की 90 सीटें हैं। हमारी शुरू से 17 सीटें चली आ रही हैं। हमारी कभी कोई सुन ही नहीं रहा। जबकि वैसे रुक्का सबसे तेज पा रहे हैं। हमारी 18 सीटें क्यों नहीं की जाती। हमारी एक सीट शुरू से क्यों दबाई जा रही है। इससे बड़ा अचंभा क्या होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी बात इस पर नहीं चल रही है। आप बैठ जाएं।

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल आया है क्या वह रिजर्वेशन और कितने परसैंट रिजर्वेशन है उसके संबंधित है ? मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आप बिल तक सीमित रहिए। डिबेट बिल पर है। न कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए।

श्री नीरज शर्मा(फरीदाबाद एन.आई.टी.): उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जिस ऑर्डिनेंस पर बात कर रहे हैं। उसका बेस जनगणना है । मैं सदन में तथ्यों तथा कागजों के साथ बात करूंगा। जनगणना आज पहली बार नहीं हो रही है। जनगणना वर्ष 1881 से हो रही है। उसको गृह मंत्रालय देख रहा है। उसके लिए पूरा जनगणना अधिनियम है। वह जनगणना अधिनियम बहुत गोपनीय है। लिखा हुआ है कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई जानकारी इतनी गोपनीय होती है कि यह न्यायालयों के लिए भी सुलभ नहीं है। इसी जनगणना के साथ एक और पार्ट SECC (Socio-Economic and Caste Census) होता है और उस एस.ई.सी.सी. के बारे में भी बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि एस.ई.सी.सी. के आंकड़ें लोगो द्वारा लाभ लेने या अनुचित लाभ लेने से रोकने के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे पास पूरे हरियाणा का तो एग्जाम्पल नहीं है। मेरे शहर फरीदाबाद के अंदर वार्ड बंदी चल रही है। यह जनगणना कितनी महत्वपूर्ण है ये इतने भारत सरकार के कागज है न कि मेरे हैं। मैं सब कागजों को पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा इसलिए मैं इन सभी को टेबल कर दूंगा। एक जनगणना 2.5 करोड़ रूपये खर्च करके हमारे शहर में हुई। आर.टी.आई. में उस जनगणना का जो सरकारी डाटा आया यह वह डाटा है। यह मेरा डाटा नहीं है। हमारे शहर की जनगणना 26,11,601 बताई गई जिसमें से बैकवर्ड 6,99,847 एस.सी. 4,10,813 उसके बाद अब पुन: जनगणना का कार्य चालू हुआ। इसके अंदर

जनगणना निकलकर आ रही है वोटर पॉपुलेशन 18,21,682, एफ.आई.डी.आर. पॉपुलेशन 18,04,660 ये दोनों ही डाटा सरकारी हैं, फर्क इतना है कि जनगणना वर्ष 1881 से चालू हुई जो हमारे देश में आखिरी बार 2011 में हुई। उसके बाद Covid 19 की वजह से जनगणना नहीं हुई। जनाब आठ लाख तो हमारे शहर के आदमी गायब हैं। किसी का पता ही नहीं कि वे कहां गये। अगर तो हम पहले वाली जनगणना सच माने जिस पर अढ़ाई करोड़ रूपये खर्च किये गए हैं लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट के ऑफिसर्ज बैठे हैं उन्होंने पेमैंट भी की। हम गला फाड़-फाड़ कर चीखे कि यह पैसे की बर्बादी हो रही है लेकिन कोई नहीं माना। उपध्यक्ष महोदय, ये 27 पेज हैं डाटा के साथ, वार्ड के साथ और बूथ के साथ। पूरी रात मैंने डटकर मेहनत की है कि ये मखौल मत बनाओ। मेरे पास तो सिर्फ मेरे शहर का डाटा है। पूरे हरियाणा में क्या हो रहा है यह देखने वाली बात है। इस जनगणना की वजह से हमारे बैकवर्ड भाईयों को आरक्षण मिलना है। हमारे हरिजन भाईयों को आरक्षण मिलना है। उनके वार्ड रिजर्व होने हैं। जो हमारे पास मूलभूत आधार है वो मूलभूत आधार ही ठीक नहीं होगा तो कैसे सही वार्डबंदी होगी। कौन सा वार्ड वास्तव में रिजर्व होना है। कोरोना की वजह से आप जनगणना नहीं कर पा रहे हैं। 2011 की जनगणना है। चुनाव तो पूरे देश में ही हो रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का गावली वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया केस का ऑर्डर है जिसके तहत महाराष्ट्र में बी.सी.(ए) के आरक्षण की बात चली। बाकी स्टेट्स ने भी उस 2011 की जनगणना के ऊपर फार्मूला लगाया पॉपुलेशन निकाली और उसके हिसाब से कार्य कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : नीरज जी, आप जो बातें कह रहे हैं वे बतरा जी ने भी कह ली और बाकी माननीय सदस्यों ने भी कह ली। अगर आपके पास कोई नई बात है तो आप उसके बारे में बतायें।

श्री नीरज शर्मा : डिप्टी स्पीकर सर, अगर मैं सरकार के कारनामे बता रहा हूं तो आप मुझे टोके न।

श्री उपाध्यक्ष : नीरज जी, जो बात एक बार आ गई उसको बार-बार रिपीट करना ठीक नहीं है।

श्री नीरज शर्मा : डिप्टी स्पीकर सर, वार्ड नम्बर 11 टोटल पॉपुलेशन 37,855 एफ.डी.आई.आर. पॉपुलेशन 17,872 अब आप मुझे यह बताईये कि पूरे वार्ड की पॉपुलेशन फैमिली आई.डी. से कम कैसे हो सकती है? आप समय की बात कर रहे हैं। मेरे पास 27 पेज है मैं इनको टेबल्ड भी कर देता हूं। मैंने एक-एक पेज बूथवाईज हाईलाईट कर रखा है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : नीरज जी, आपका समय पूरा हो गया इसलिए अब आप बैठ जायें।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय नहीं दिया। मुझे भी बोलना है। अभी आपने कहा था कि सभी को बोलने का मौका मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: किरण जी, अब आप बैठ जाइये, अब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। मैंने दो सदस्यों को बोलने के लिए कहा था लेकिन 4 सदस्य बोल चुके हैं इसलिए अभी आप बैठ जाइये। आप बिलों पर बोल सकती हैं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों के जवाब दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नीरज शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ और कागज भी हैं मैं उनके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा जी के कागज मेरे पास हैं और मैं उनका भी जवाब दूंगा। उसके बाद अगर कोई क्वैरी हो तो बताना। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं बोलूंगी ही नहीं तो मुख्यमंत्री जी जवाब किसका देंगे। आप पहले मुझे बोलने के लिए समय तो दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: किरण जी, अभी मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट हो तो आप क्लीयर कर लीजिए। आप बिल पर बोल लीजिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरे जवाब में कोई क्वैरी होगी तो माननीय सदस्या पूछ सकती हैं। इसमें कई विषय आये हैं। जैसे वार्डबंदी का विषय आया, बैकवर्ड क्लास-ए और बैकवर्ड क्लास-बी का विषय आया। इसी प्रकार से रिजर्वेशन का विषय और परिवार पहचान पत्र की कुछ बातें आ गई। इसके अतिरिक्त जनसंख्या और वोटर्स का विषय भी आया है। हमने इसमें जो प्रावधान किया है उनके बारे में एक-एक विषय करके स्पष्ट करता हूं और अगर फिर भी कोई विषय इस बातचीत में रह जाये तो माननीय सदस्य उठा सकते हैं। मैंने जो कह दिया है इसका मतलब यह है कि हमने उसका प्रावधान पहले एक्ट में भी किया था वह भी मैं बताऊंगा और अब ऑर्डिनेंस में जो किया है वह भी वही है। पिछले एक्ट में जो भी ऑब्जैक्शन्ज आए थे उनमें कुछ संशोधन करके हम इस बार एक्ट लाए हैं। जो ऑर्डिनेंस है वही एक्ट आयेगा। उसको हमने पढ़ भी लिया है उसको मैं एक-एक करके स्पष्ट करूंगा। पहला विषय तो यह है कि ऑर्डिनेंस में जो बात हमने पापुलेशन की कही है, पापुलेशन यह फैमिली इन्फोर्मेशन डाटा रिपोजिट्री यानि (FIDR) एक रिपोजिट्री है। उसको परिवार पहचान पत्र एक्ट के अन्तर्गत तैयार किया गया है। परिवार पहचान पत्र एक्ट के

अन्तर्गत हमने जो किया है वह हाई कोर्ट से भी क्लियर हो चुका है। उसमें कहीं कोई ऑब्जैक्शन नहीं है और उसका हमने एक्ट बना दिया है। जब उस एक्ट को चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि हां यह ठीक है।

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने कौन सी जजमैंट में क्लियर किया है। इस बारे में हाई कोर्ट की कोई फाइंडिंग्ज नहीं हैं।

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रिजर्वेशन का विषय है तो रिजर्वेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने Vikash Kishanrao Gawli case में यह आदेश दिया कि ट्रिप्पल टैस्ट के बाद ही बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन किया जाये। उस ट्रिप्पल टैस्ट में एक बात यह भी थी कि एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया जाये और हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया। उन्होंने अपनी सारी फाइंडिंग्ज अपने हिसाब से की और करने के बाद एक रिपोर्ट दी जिसके एक पृष्ठ पर उन्होंने रिकमंडेशन के आधार पर साफ लिखा है कि However, backward classes Block-A of citizens are not adequately represented in the political setup. उससे पहले लिखा है कि The Commission has come to conclusion that backward classes Block-B of citizens are already adequately represented at all political levels right from Urban Local Bodies to Parliament so they do not require any political reservation in the elections of Urban Local Bodies Municipalities. उसके बाद आगे उन्होंने ब्लॉक-ए के बारे में लिखा है कि they require the support of reservation in the election of Local Bodies Municipalities for their upliftment and to do adequately participant in

grassroot democratic setup. इसलिए जो रिकमंडेशन वहां से आई है उसके अनुसार ही हमने यह काम किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने कहा है कि यह जो 2 प्रतिशत की कंडीशन लगा दी यह गलत है। आप इसको बी.सी.-ए कीजिए।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अब कितना रिजर्वेशन होना चाहिए उसकी एक रिक्मंडेशन यह है कि जितनी भी किसी एक बोडी में क्योंकि बोडी अपने आप में एक इंडीपैंड इकाई है इसलिए उसमें स्टेट पॉपुलेशन नहीं ली जाती है। एक बोडी की इकाई में जितने प्रतिशत बी.सी.- ए की पॉपुलेशन है उसका 50 प्रतिशत ये रिजर्वेशन की जाए अर्थात कहीं 15 प्रतिशत है तो उसको साढ़े सात की बजाए आठ प्रतिशत कर दिया गया है। If there is half or more than half it will be counted as one. इसी प्रकार से स्पोज किसी कॉरपोरेशन में 20 सीटें हैं तो 20 सीटों में कम से कम अगर 5 प्रतिशत भी रिजर्वेशन होता है तब एक सीट होती है। अब उसका कम होते-होते उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि 2 प्रतिशत तक एक सीट रिजर्वेशन की जरूर रखी जाए। अन्यथा उस फॉर्मूले से तो अगर कहीं 2 प्रतिशत है और 20 सीटें हैं तो 20 का 2 प्रतिशत .4 हो जाता है और .4 का मतलब है जीरो। उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर 2 प्रतिशत भी है तो भी एक सीट जरूर होनी चाहिए। बल्कि यह सेव किया गया है कि न्यूनतम 2 प्रतिशत पर एक सीट बनती नहीं है लेकिन दे दी जाए। इस नाते से इसको रिजर्व रखा है। अब आता है कि पहले हमने रिजर्वेशन में दो सीटें की हुई थी। उस समय उन दो सीटों के करने का एक कारण था कि कल को अगर चेयरमैन का जो पद है वह कहीं उसी बैकवर्ड क्लास का है जिस बैकवर्ड क्लास की दो सीटें भी नहीं हैं जो एक ही रह गई तो फिर जो पार्षदी चुनाव करते थे उसमें कॉरपोरेशन का डायरैक्ट चुनाव होता था।

अगर एक रह गई तो सेम वही चेयरमैन बन जाएगा और यह पिछली बार हुआ है। जब हमारा गुरूग्राम और फरीदाबाद का पिछला जिला पार्षद का चुनाव हुआ था उसमें बैकवर्ड क्लास का एक-एक पार्षद उम्मीदवार आ गया और वही चेयरमैन बन गया। उस समय यह बना कि कम से कम बैकवर्ड क्लास के दो उम्मीदवार तो होने चाहिए। कम से कम दो आदमियों में से लोगों का व्यू तो बने कि इन दोनों में से कौन ठीक है, किसे चुनना है। उस बात को ध्यान में रखते हुए उस समय बैकवर्ड क्लास की ये दो सीट की गई थी। अब चूंकि म्यूनिसिपैलिटीज में चेयरमैन का चुनाव डायरैक्ट हो गया है इसलिए डायरैक्ट चुनाव होने के बाद जो दो की बाध्यता की गई थी अब वह बाध्यता नहीं रही है। अब तो एक हो, दो हो, चार हो, पांच हो उन पार्षदों में से तो कोई चेयरमैन बनना नहीं है क्योंकि सारे चेसरमैन डायरैक्ट इलैक्शन से ही होते हैं इसलिए अब बैक्वर्ड क्लास की उन दो सीटों का प्रावधान रखने की कोई आवश्यकता नहीं रही।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर अब बैकवर्ड क्लास की दो सीट रिजर्व कर दी हैं और वे दो प्रतिशत है नहीं तो उस स्थिति में क्या करेंगे ?

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर दो प्रतिशत उम्मीदवार नहीं आएंगे तो फिर वहां एक भी नहीं बनेगा। अगर कहीं 5 प्रतिशत से नीचे चार हो गया ----

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, बी.सी.-ए की सीट रिजर्व कर दीजिए। यह दो प्रतिशत का क्या मतलब हुआ। बी.सी. -ए तो हर जगह नहीं है।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उनका फायदा बता रहा हूं। अगर दो प्रतिशत की लिमिट नहीं रखेंगे तो उनका नुकसान होगा। 4 प्रतिशत होने पर अगर 20 सीटें हैं तो चार

दुणी आठ अर्थात .8 प्रतिशत अर्थात् 1 सीट अगर 3 प्रतिशत है तीन दुणी छः अर्थात .6 प्रतिशत और .6 प्रतिशत पर भी 1 सीट और जैसे ही 3 प्रतिशत से नीचे दो प्रतिशत आते ही वहां पर बैकवर्ड क्लास की सीट जीरो हो जाती है। हमने फिर भी दो प्रतिशत पर एक सीट को रिजर्व रखकर उसको एक प्रोटैक्शन दी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, एक दो प्रतिशत का चक्कर ही खत्म कर दो और बी.सी.-ए की एक सीट रिजर्व कर दीजिए। अगर बैकवर्ड क्लास की दो सीटें रिजर्व करते हैं तो एक सीट बी.सी.-ए की हो जाए और एक सीट बी.सी.-बी की हो जाए। आप बी.सी.ए. की मिनीमम एक सीट कर दीजिए।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत के चुनाव में गांव के पंचों की 6-7 सीटें ऐसी रह गई कि वहां रिजर्वेशन कोटा तो हो गया लेकिन वहां रिजर्वेशन का एक भी वोटर नहीं मिला। अगर वहां एक भी वोटर रिजर्वेशन का नहीं है तो अल्टीमेटली वहां चुनाव हो ही नहीं सका इसलिए न्यूनतम कुछ सीटें रखनी चाहिए।

श्री शमशेर सिंह गोगी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर बाई इलैक्शन हुआ तो वहां से दूसरे वार्ड का आदमी मैंबर बनाना पड़ा।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में न्यूनतम दो प्रतिशत भी बैकवर्ड क्लास का आदमी नहीं है तो वहां रिजर्वेशन का कोई अर्थ नहीं है। हमने फिर भी दो प्रतिशत पर एक सीट को इंश्योर किया है वरना जो फॉर्मूला बनाया है उसमें वह एक सीट भी होती नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, आप बैकवर्ड क्लास के लिए सीट फिक्स कीजिए।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तो नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार अब वार्डबंदी का विषय आया है। यह तो ठीक है कि वार्डबंदी पॉपुलेशन के हिसाब से होती है और वार्डबंदी पर बहुत बड़ा भाषण हमारे नीरज शर्मा जी ने दिया है। ये सारे डाक्यूमैंट मेरे पास हैं। नीरज शर्मा जी की जितनी ऑब्जैक्शंज हैं। ये सारे ऑब्जैक्शंज इस सिस्टम से पहले के हैं क्योंकि यह अध्यादेश मार्च, 2023 में लागू हुआ है और ये वार्डबंदी के कागजात अगस्त, 2022 के हैं। जो अगस्त, 2022 में वार्डबंदी होकर आई है, जो पुराना सिस्टम था, उस नये सिस्टम से होकर आई है। उस सिस्टम में केवल श्री नीरज शर्मा, विधायक ने बताया है, ऐसा नहीं है। इनकी तो बड़ी लम्बी लिस्ट है। कहां-कहां पर पॉपुलेशन कम हो रही है और वोटर्ज की संख्या ज्यादा हो रही है। (विघ्न) माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा का ऑब्जैक्शन अगस्त, 2022 का है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस संबंध में ऑब्जैक्शंज की एक लिस्ट नहीं बल्कि बड़ी लम्बी लिस्ट दी हुई है। इसी में से सिद्ध होता है कि पहले वाले सिस्टम में कई तरह के फाल्ट हैं और ये फाल्ट खासकर के गुरूग्राम और फरीदाबाद महानगर के हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह फाल्ट क्यों है, वह इसलिए है क्योंकि यहां एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इस फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कारण से सामान्य जानकारी के नाते भी वहां पर किसी से पूछा जाये कि कितनी पॉपुलेशन है तो वह बता नहीं पायेगा। गुरूग्राम में तो इस संबंध में बहुत ज्यादा fluctuation आती है। वहां पर कभी 15 लाख की पॉपुलेशन बोलते हैं और कभी 25 लाख बोलते हैं क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लेबर है। वहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार आदि से बाहर से आकर लोग लेबर के रूप में आकर काम करते हैं। उनके वहां के राशनकार्ड भी बनते हैं और वे राशन भी लेते हैं। कई के तो रैजीडैंस भी होते हैं। जब डोर-टू-डोर सर्वे होता है तो उस समय उनकी पॉपुलेशन मानी जाती है लेकिन जब वे अपने-अपने

निर्धारित स्थानों पर चले जाते हैं तो पॉपुलेशन घट भी जाती है। अल्टीमेटली वहां की पॉपुलेशन के आंकड़ों की संख्या किसी महीने में कुछ होगी और किसी महीने में कुछ और होगी। सीज़न के हिसाब से वहां की पॉपुलेशन बदलती रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी ही हालात फरीदाबाद की है और ये शिकायतें वहीं की रहती है। इस अध्यादेश में जो लिखा है, जिसका जिक्र आप लोगों ने नहीं किया, वह भी मैं सदन को बता देता हूं। एक तो जो पॉपुलेशन है एफ.आई.डी.आर. (Family Information Data Repository) की है। दूसरी बात उसमें यह है कि इसमें एक स्टैंडर्ड है जो हरियाणा प्रदेश का भी है पूरे देश भर का भी है कि 1000 पॉपुलेशन पर 700 वोट की एवरेज आती है अर्थात् 100 वोट है तो वहां पर 140 की जनसंख्या होनी चाहिये। हमने यह सिस्टम बनाया है कि अगर कहीं पर एफ.आई.डी.आर. की पॉपुलेशन 100 वोटों के पीछे 140 की जनसंख्या से कम है तब तो 100 वोटों के पीछे 140 मान करके वार्डबंदी होगी और कहीं एफ.आई.डी.आर. की पॉपुलेशन 140 से ऊपर है तो whichever is higher between the two वही मानी जायेगी। एक एफ.आई.डी.आर. की पॉपुलेशन है दूसरी मतदाताओं की 140 प्रतिशतता अनुसार प्राप्त जनसंख्या, दोनों में से जो भी अधिक हो, को आधार माना जायेगा। उसका बेस मानकर वार्डबंदी की जायेगी। क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं कई जगह वोट बन जाते हैं और वोट बनने के बाद वे वहां रहते भी नहीं होंगे। इस प्रकार से पॉपुलेशन कम हो जाती है। चूंकि दोनों विषयों को सम्मलित करके उसका एक प्रावधान बनाया गया है, इसलिए हमने ना तो वोटर लिस्ट को छोड़ा है और ना ही एफ.आई.डी.आर. की पॉपुलेशन को छोड़ा है। हम Whichever is higher मानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय यह है कि वोटर का एफ.आई.डी.आर. की पॉपुलेशन और परिवार पहचान पत्र से कोई संबंध नहीं है। भारत का नागरिक कहीं भी जाकर जहां

महीना, दो महीना या बीस दिन रहता है वह अपना वोट बनवा सकता है। परिवार पहचान पत्र केवल उसी का बनता है जिसके पास हरियाणा में पिछले 15 साल का कोई डॉक्यूमैंट्स हो। जब हमने इण्डस्ट्रीज में 75 प्रतिशत हरियाणा के बच्चों के लिये रिजर्वेशन का काम किया था तो उस समय हमने केवल एक परपज के लिये 5 साल का भी उसके पास कोई प्रूफ था तो भी हमने माना है क्योंकि उस समय इण्डस्ट्रीज का बहुत ज्यादा विरोध था कि हमारे यहां पर बहुत से लोग 5 साल, 4 साल या 2 साल से काम करते हैं कई बार उनके बच्चे भी होते हैं उनको भी रखना होता है। इस प्रकार से हमने यह कहा था कि जो 5 साल पहले भी हरियाणा में आ गया होगा उसको भी हम 75 प्रतिशत रिजर्वेशन कैटेगरी में मान लेंगे। हमने केवल एक काम के लिये यह प्रावधान किया था। इस प्रकार से यह सिस्टम बहुत ही transparent और foolproof है। उपाध्यक्ष महोदय, 'परिवार पहचान पत्र' कैसे बनाया गया, ऐसा नहीं है कि इसको घर बैठ कर बनाया गया है। पहली बात तो यह है कि इसमें बढ़िया से बढ़िया डाटा होना चाहिये। हमारे पास पी.डी.एस. का डाटा होता है। पी.डी.एस. में ज्यादातर लोग अपना राशन कार्ड बनवा कर रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राशन कार्ड के माध्यम से ही बेस बनाया गया था। उसके सारे डाटा को लेकर के किसी ने उसमें अपनी करैक्शन करवानी है या फिर कोई चीज ठीक करवानी है अर्थात् उसमें जिसकी जो शिकायत होती है उसको ठीक किया। डोर-टू-डोर जाकर लोकल कमेटी बनाई गई, बूथ के ऊपर लोकल कमेटी बनी और उस लोकल कमेटी के आधार पर सर्वे हुआ। जैसे वोटों के समय जगह-जगह जाकर सर्वे करते हैं। उन्होंने वहां से नम्बर ऑफ वोटर्ज और नम्बर ऑफ पॉपुलेशन की फीगर्ज नाम सहित लिखकर सब ठीक किया। उसके बाद भी वहां ए.डी.सी. के माध्यम से भी जोनल कमेटी बनाई गई व सैक्टर कमेटी बनाई गई जहां किसी को लगता है कि हमारा कुछ गलत हो गया, ठीक करवाना

है या अपील करनी है तो लोकल कमेटी के बाद सेक्टर कमेटी फिर जोनल कमेटी और अंत में ए.डी.सी. है। ए.डी.सी. अपने हाथ से जहां कमी होती है उसको ठीक करता है। केवल एक विषय में ठीक से सर्वे नहीं हुआ होगा, मैं यह मानकर चलूंगा कि उसमें गड़बड़ें होती भी हैं, क्यों होती है क्योंकि उसमें इन्ट्रस्ट का विरोधाभास होता है। इन्ट्रस्ट का विरोधाभास जो होता है वह इंकम का होता है। हर आदमी अपनी इंकम को कम करने की ईच्छा रखता है। क्योंकि यदि वह इंकम कम दिखायेगा तो वह बी.पी.एल. की श्रेणी में आ जायेगा। मुझे यह लाभ भी हो जायेगा और वह लाभ भी मिल जायेगा, लोग इस प्रकार से सोचते हैं। लोगों ने उसके अंदर सेल्फ डिक्लेयर्ड इंकम अपने-अपने हिसाब से लिखवाई है। जिन लोगों का डॉक्यूमैंटल इंकम प्रूफ हमारे पास था जैसे सरकारी कर्मचारी आदि हैं। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि परिवार पहचान पत्र census को रिप्लेस नहीं कर सकता है।

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदय, census के कई हिस्से होते हैं। Census में एक हिस्सा होता है मतगणना। केवल मतगणना census नहीं होता है। Census में आर्थिक स्थिति की भी गणना होती है। उसमें जाति की भी गणना होती है। उसमें बैकवर्ड क्लासिज व व्यवसाय के नाते सभी की गणना होती है। यह census हमारे यहां वर्ष 2011 में हुई थी। 10 वर्षों के बाद वर्ष 2021 में होनी थी। हमारे पास यह इन्फॉर्मेशन आई कि इसको एक साल और extend किया गया है उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन आई की एक साल और extend किया गया है, बाद में इन्फॉर्मेशन आई कि कोविड के कारण से इसको एक साल और extend किया गया है। आज वर्ष 2023 आने के बाद भी केन्द्र सरकार का इस संबंध में कोई ऐसा प्रोग्राम दिखाई नहीं दे रहा है कि जिससे पता लग सके कि गणना कब हो रही

है। उपाध्यक्ष महोदय, हर साल जब भी कभी पॉपुलेशन की गणना की आवश्यकता पड़ती है तो प्रोजैक्टिड पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर सारे काम करते हैं। प्रोजैक्टिड पॉपुलेशन का पता हर साल 1 परसेंट या 1.2 परसेंट के हिसाब से अर्थात् पिछले बैकग्राउण्ड से जो सिस्टम चलता आ रहा है उसके हिसाब से करते-करते प्रोजैक्टिड पॉपुलेशन की गणना करते हैं। अब हम उससे बढ़िया मैथ्ड डोर-टू-डोर जाकर लेकर आये हैं। (विघ्न) हमारे पास लोकल कमेटी का सारा डाटा का रिकॉर्ड है। कौन किस-किस के घर में गया और उसके बाद आखिर में हमने उसको भी फाईनल नहीं माना। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष महोदय, एजेंसी का कानून यह कह रहा है कि परिवार पहचान पत्र के बेसिज पर वार्डबंदी होगी। यह बात मानी या नहीं मानी गई एजेंसी के कानून में तो नहीं लिखा हुआ है।

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदय, इसके दो बेस हैं। एक बेस एफ.आई. डी.आर. पॉपुलेशन से है और दूसरा वोटर्ज लिस्ट से है।

श्री भारत भूषण बतरा: उपाध्यक्ष महोदय, वोटर लिस्ट तो 18 साल के बाद की बात है। पॉपुलेशन में तो 5 साल की पॉपुलेशन भी काउण्ट होगी।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दीजिए।

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन किरण जी से कहना चाहता हूं कि मुझे अपनी स्पीच कम्पलीट करने दें यदि उनका कोई जवाब रह जाता है तो उसको नोट कर लें, बाद में मैं सभी का रिप्लाई दे दूंगा।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, सर।

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्य बतरा साहब से वही कहना है कि जो पिछली वोटर्ज लिस्ट है उसका 140 प्रतिशतता का बेस बनाया है। शिकायत ही इस चीज की है कि वोट की संख्या इतनी है और इतने परसेंट कम और ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। उस पॉपुलेशन को ही आधार माना जाता है लेकिन उसकी एक presumption होती है। उस presumption में वोट जितने हैं उसका 140 प्रतिशतता यह जरूर मानते हैं कि इतनी पॉपुलेशन होगी। उससे कम होगी तो उसको बेस नहीं मानते हैं अगर उससे ज्यादा होगी तो उसको बेस मानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे भी यह जो पॉपुलेशन का difference बार-बार आया है, जिसके कारण से झगड़े हुए इसको इलैक्शन कमीशन ने भी इंगित किया है। इलैक्शन कमीशन के तरफ से हमारे पास बहुत ऐसे सारे पत्र आये हैं और कहा गया है कि इसको ठीक करिए। उसमें से एक प्रावधान और इस अमैंडमैंट में किया है कि हमने जो 10 परसैंट से 20 परसैंट किया है इसका कारण भी यही है। पहले किसी एक वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर ऐवरेज का डिफरैंस 10 परसैंट प्लस, 10 परसैंट माइनस का प्रोविजन इसके अंदर रखा था। उसी को चूंकि विभाग ज्यादा होते हैं और पॉपुलेशन काफी अदल-बदल होती रहती है उस 10 परसैंट को हमने 20 परसैंट किया है। अगर 100 पॉपुलेशन पर कहीं एक वार्ड है। वार्ड कोई घरों के हिसाब से नहीं होता। उसकी एक सीमा होती है, गली होती है, सड़क होती है, रेलवे लाइन होती है, नाला होता है । उसे कम्पैक्ट करने के लिए उसका डिफरैंस 20 परसैंट प्लस 20 परसैंट माइनस यह हमने सैक्शन 6 का सब सैक्शन 4 में किया है “the figure 10% the figure 20% shall be substituted”. इसके अलावा सैक्शन 5 में बैकवर्ड क्लासिज की जगह बैकवर्ड क्लासिज 'ए' किया है। मैंने दोनों बातें बताई हैं। पॉपुलेशन का मैंने बता दिया और मैंने उसका एक उदाहरण भी दिया है। Where the population as per Family

Information Data Repository is 150 the number of votes in the ward as per the last public census is 100. The population after 140 per cent comes to 140. In this case, population as per family information data repository shall be considered being higher और उसी हिसाब से अगर पॉपुलेशन 125 है then 140 would be taken into consideration तो इसके अंदर मैंने एकदम स्पष्ट किया है। इसके बाद यह है कि जहां आधा अंक आता है कहीं भी डिविजन में अब कहीं 2 से भाग होगा, कहीं 3 से भाग होगा तो उसमें सिम्पल जो एक चला आ रहा है कि जहां रिजल्ट .5 है तो .5 और उससे ऊपर that should be taken as one, less than .5 it should be taken as zero. उसमें जो प्रावधान है वह 50 परसैंट रिजर्वेशन का है। किसी भी शहर की टोटल वार्ड की 50 परसैंट संख्या से ज्यादा ये रिजर्वेशन नहीं हो सकता। उसमें यदि 50 परसैंट दोनों को मिलाकर एससी और बीसी 'ए' 50 या इससे कम रहता है तो दोनों को पूरा मिलेगा। अगर दोनों का मिलाकर 50 परसैंट से ज्यादा हो जाता है तो एससी का तो पूरा रहेगा उसका कम नहीं होगा, बीसी उसमें जरूर कम होगा। मान लो अगर दोनों का मिलाकर 52 परसैंट हो जाता है तो उसे 50 के अंदर रखने के लिए बीसी 'ए' का रिजर्वेशन फिर 2 परसैंट कम होगा। अगर एससी का ऑलरेडी 50 परसैंट से ज्यादा है तो जैसा है वैसा रहेगा। उसमें बीसी 'ए' का कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। इस प्रकार से इसमें सारे स्पष्ट दिए गए हैं। अत: इतनी बातें चाहे पॉपुलेशन है, वार्डबंदी है, रिजर्वेशन है और पीपीपी के द्वारा जो सैंसस का विषय आया है और उसमें हमने 2 मैथ्ड में से कौन-सा लिया है केवल मात्र इतने चेंजिज हैं। जो 2 परसैंट का है मैंने वह भी बता दिया है कि 2 परसैंट में हमने 1 सीट को तो प्रोटैक्ट किया है । अगर नहीं करते हैं तो प्रोटैक्शन भी नहीं मिलती है। फिर जीरो हो जाती है। अब यह चूंकि हमने सब

जगह किया है, हमने पंचायती राज में किया है। पंचायती राज के सारे चुनाव हो गये हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। समाज ने इसका वैलकम किया है। आखिर हमारे पास बैकवर्ड क्लास 'ए' के जो लोग आते हैं उन्होंने इसका वैलकम किया है और हमें इसके प्रावधान चेंज करने की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी मनी राम गोदारा राजकीय महिला महाविद्यालय, भोडिया खेड़ा, जिला फतेहाबाद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि चौधरी मनी राम गोदारा राजकीय महिला महाविद्यालय, भोडिया खेड़ा, जिला फतेहाबाद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं।

कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, भिवानी रोहिल्ला, जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, भिवानी रोहिल्ला, जिला हिसार जो मेरे हल्के में है, के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं।

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

Smt. Kiran Choudhry (Tosham): Hon'ble Deputy Speaker Sir, I am going to rebut. इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें बतायी हैं लेकिन सच्चाई यह है कि इस आर्डिनैंस का जो very basis है that itself is erroneous. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि अभी क्या हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही है कि FIDR Family Information Data Repository Wing of PPP does not have the requisite expertise for caste consensus. इसके पास सिटीजन का डेटा कलैक्ट करने के लिए कोई आधार नहीं है और सरकार उसी को बेसिज बना रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लीयर कह रखा है कि - In **CWP No.980 of 2019** in **Gawali Versus State of Maharashtra** it is laid down very clearly that for providing reservation for socially and backward classes the same can only be done and conducted by the Government and empirical survey can only be done through autonomous body. अब सरकार ऑटोनोमस बॉडी पी.पी.पी. को बना रही है लेकिन इसकी बात तो वही पर खत्म हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, हम तो इसके लिए शुरू से ही कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: किरण जी, अभी बी.सी. कमीशन के बारे में भी कहा है।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और उन्होंने रिट पैटीशन में सारी की सारी बातें कही हैं। उसके बाद पी.पी.पी. के लिए एफ.आई.डी.आर. (Family Information Data Repository) बनायी है और उसी को बेसिज बना रहे हैं। यह तो वैसे ही गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी तो बार-बार यह मांग करती आयी है कि कॉस्ट बेस कन्सैंसेस किया जाए और उसका डेटा लिया जाए। इसको तो ये मानते नहीं हैं। हमारी पार्टी केन्द्र सरकार से भी यही मांग कर रही है कि यह कन्सैंसेस कॉस्ट बेसिज हो। लेकिन जिस तरह से पी.पी.पी. के जरिए सारा डेटा कलैक्शन हो रहा है यह erroneous डेटा है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके लिए डोर टू डोर जा रहे हैं तो कौन डोर टू डोर जा रहा है? डोर टू डोर इन्हीं के ऑफिसर्ज और दूसरे लोग जा रहे हैं। एक ऑटोनोमस बॉडी हो फिर उसमें चाहे बैकवर्ड कमीशन हो या दूसरी कोई और हो। अगर उसके जरिए डेटा कलैक्ट करवाएंगे तब तो बात मानी जाती है। इस तरह से तो सरकार की तरफ से किसी को भी लगा दें। इस तरह से कॉस्ट के अन्दर एक राजनीतिक विभाजन करना अच्छी बात नहीं है। मैं तो इसमें यह बात कहूंगी।

श्री नीरज शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पर अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नीरज जी, आपको पहले से ही अपनी बात रखने के लिए समय दे दिया गया था। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री नीरज शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नीरज जी, आप बिल पर अपनी बात रख लेना। आपको बिल पर अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।

श्री बिशन लाल सैनी: उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बत्तरा: उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बत्तरा जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है -

कि यह सदन हरियाणा नगर निगम (संशोधन), अध्यादेश 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), 12 मई, 2023 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा यथा लागू का निरनुमोदन करता है।

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधयेक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन), विधयेक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री बिशन लाल सैनी (रादौर) :उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसपेरेंसी की बात की है। इसमें बीसी-ए वर्ग और बीसी-बी वर्ग के लोगों का भी जिक्र किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ओ.बी.सी. वर्ग हरियाणा प्रदेश में नहीं रहता है। आप इनको यहां से निकाल दो। **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों की जरूरत नहीं है। इस वर्ग में कितनी जातियां आती हैं। (विघ्न) मुख्यमंत्री जी, इस प्रकार से हंसने से बात नहीं बनेगी। इस वर्ग को लाभ देने के लिए कुछ करो या फिर इस वर्ग को खत्म कर दो या फिर इनको भी जनरल कैटेगरी में शामिल कर लो।

जाति सूचक शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकलवाने का मामला उठाना

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आप सीट पर नहीं थे और वैसे तो मैं ऑर्डिनेस के बारे में काफी बोल चुका हूं। मैं इस सदन के अंदर बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि एक विधायक ने एक जाति के खिलाफ कटाक्ष और गलत रिमार्कस किये हैं। किसी सीनियर विधायक को ऐसे रिमार्कस देना शोभा नहीं देता है कि थम पंजाबी कड़ ते आये थे। क्या थे और क्या नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, 6 परसैंट पापुलेशन पंजाबियों की हो या कुछ हो मगर उसमें मैं भी आता हूं। आप चाहें तो हाउस की प्रोसीडिंग्ज निकालकर देख लो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाबी समाज का बड़ा सम्मान करता हूं। मैंने पंजाबी वर्ग के लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : गौतम जी, अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :बतरा जी, जो शब्द गौतम जी ने पहले कहे हैं वे तो कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात ठीक है । अगर इस तरह के अशोभनीय वर्ड मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर भी एप्लीकेबल होने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों को सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए। अगर हम आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारी विधान सभा बिहार बन जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : बतरा जी, जो आप वाक्य बोल रहे हो वह मैंने नहीं सुने हैं लेकिन उससे पहले के जो वाक्य थे, वे ठीक नहीं थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा :मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि 6 परसैंट पोपुलेशन पंजाबियों की शहरों में आ गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ये दोनों वाक्य निकलवा देने चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मेरा निवेदन है कि जो भी इस तरह के वाक्य बोले गये हैं, वे सदन की कार्यवाही में से निकलवा दिये जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :सीमा जी, आप प्लीज बैठ जाये। (शोर एवं व्यवधान) अगर गलती से किसी भी तरीके से ऐसे कोई रिमार्कस आये हैं तो उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। अगर उन रिमार्कस को नहीं निकाला गया है तो उनको निकाल दिया जाये।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह होता है कि हम यहां से तो निकाल देते हैं लेकिन सोशल मीडिया में यह चीज चली जाती है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इसके साथ में यह भी ऑर्डर जारी कर दें कि अगर कोई चीज कार्यवाही से निकाल दी जाती है तो वह चीज सोशल मीडिया पर नहीं चलाई जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, इस प्रकार से अगर कोई वर्ड निकालने के बाद सोशल मीडिया में जाता है तो सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई होगी।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय,आपकी यह बात ठीक है।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, let me clarify. मेरा कहने का आशय यह था कि मैं जो जानता हूं और जहां पर मैं बसता हूं वहां के बारे में इनसे बहुत ज्यादा जानता हूं कि बैकवर्ड और बीसी-ए क्या होता है ? मैंने यह कहा था कि आपको यह नहीं पता है क्योंकि आप सारे गांवों को छोड़कर शहरों में आ गये हैं। हमें उस जिन्दगी का पता है जहां हम बसते हैं। वहां पर नाई के दस घर, लुहार के दस घर व कुम्हार के पांच घर हैं। मुझे जो पता है, वह आपको नहीं पता। मैं आपसे ज्यादा आपकी कोम का सम्मान करता हूं। मैं तो पंजाबियों को बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, जो अपना धर्म बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गए। मैं किसी पंजाबी के खिलाफ नहीं हूं। आप तो खुद पंजाबी हैं इसलिए मैं आपको क्या कहूं। किसी के दम पर एम.एल.ए. बन रहे हो, आपमें खुद में कौनसी ताकत है।

श्री अध्यक्ष: उनकी कोई दुर्भावना नहीं है। आपस में अगर कोई गलत शब्द निकल गया तो हम उसको कार्यवाही से निकलवा देंगे।

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्ष(श्री रणबीर गंगवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आमतौर पर प्रैक्टिस यह रही है कि डिप्टी स्पीकर बोलते नहीं हैं लेकिन यह जो बिल आया है। सरकार बहुत ही ऐतिहासिक एक्ट लेकर आयी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री जी, तथा सरकार का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से अभी इस पर चर्चा हुई। माननीय सदस्य बतरा जी ने इस बात की चर्चा को शुरूआत करने का काम किया। जिस पर माननीय सदस्य गौतम जी ने जो टिप्पणी की या जो बात हुई। हरियाणा प्रदेश के अन्दर कांग्रेस के साथियों द्वारा यह कहा गया कि बी.सी. (ए), बी.सी. (बी) की रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। फिर तो एस.सी. में ही कर दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं कही गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणबीर गंगवा: अध्यक्ष महोदय, यह बात बतरा जी ने कही। यह रिकॉर्ड की चीज है। उस समय मैं चेयर पर था, मैं कहता हूं यह रिकॉर्ड की चीज है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत बोलूं तो मेरे खिलाफ कार्यवाही की जाए। यह रिकॉर्ड की चीज है। मुझे इस बात की तकलीफ हुई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा कि उसके अन्दर बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है। अगर आपने बाइफर्केशन करनी है तो उसके लिए रूल्स बनाइए। मैंने ये कहा।

श्री रणबीर गंगवा: अध्यक्ष महोदय, बतरा जी ने यह कहा कि फिर तो एस.सी. में भी (ए) और (बी) बना दीजिए। बी.सी. के (ए) और (बी) की क्या जरूरत है। यह रिकॉर्ड की चीज है।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, हां, ठीक है ये कहा।

श्री रणबीर गंगवा: अध्यक्ष महोदय, ये रिकॉर्ड की बात है। मैं चेयर पर था और वहां से बोल नहीं सकता था।

श्री भारत भूषण बतरा: डिप्टी स्पीकर सर, आप वहां पर बैठे थे तो फिर आप यहां पर भी नहीं बोल सकते।

श्री रणबीर गंगवा: अध्यक्ष महोदय, बी.सी. (ए) के लोगों की क्या स्थिति है और किस तरीके की है मेरे से बेहतर कौन बता सकता है? अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करूंगा कि पिछले दिनों पंचायत इलैक्शन से पहले सरकार बी.सी. (ए) के लिए पंचायतों के अन्दर 8 प्रतिशत आरक्षण लेकर आई। जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अन्दर जहां बी.सी. (ए) के जिस साईड में कहीं कोई सरपंच बनते ही नहीं थे। इसमें विशेष रूप से रोहतक, झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर तथा कैथल जिले हैं। इस साइड में नहीं बनते थे। वह अलग बात है कि हिसार, सिरसा तथा फतेहाबाद जिले में बेशक बनते थे। वहां बहुत से जिला परिषद के मैम्बर और पंचायत के अन्दर सरंपच भी चुनकर भी आए और बहुत से धन्यवाद करने के लिए भी आए कि आपकी सरकार ने यह आरक्षण दिया तो हम उसकी वजह से सरपंच बने हैं। हालांकि बी.सी. (ए) की जो जनसंख्या है वह बी.सी. (बी) से भी ज्यादा है लेकिन वह फाइनैंशियल तौर पर भी कमजोर है। अलग-अलग है। बिखरी हुई है, संगठित नहीं है। इसलिए वे लोग कहीं न कहीं ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इसलिए आज उनको जरूरत थी कि आरक्षण दिया जाए। सरकार अब जो नगर निगम, नगर

परिषद और नगर पालिका में भी आरक्षण की बात लेकर आई है। पंडित दीनदयाल का मूलमंत्र अंत्योदय है, यानी अंतिम व्यक्ति को भी आगे लाया जाए और जो भी फैसले होते हैं उनमें उनको शामिल कराया जाए। उसी के तहत आज सरकार यह बिल लेकर आई है। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। जहां तक अभी ये कह रहे हैं कि अलग-अलग तथ्य दिये गये, अलग-अलग बातें कही गईं कि यह नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह गलत है। इसके अन्दर अलग-अलग स्कीमें और अलग-अलग बातें बताई गईं। ये बातें यहां बताई ही नहीं गईं बल्कि पिछली बार सरकार जो बिल लेकर आई थी उसके खिलाफ ये कोर्ट में भी गए। जिन लोगों की इस प्रकार की सोच है कि बी.सी. (ए) को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ये कोर्ट के अंदर भी गए और माननीय कोर्ट ने भी इस बात का फैसला दिया कि नहीं इस पर चुनाव करवा लिये जायें। उसी तर्ज के ऊपर बैकवर्ड क्लॉस कमिशन की रिपोर्ट का आधार बनाकर और पी.पी.पी. का भी आधार बनाकर सरकार बी.सी. (ए) की रिजर्वेशन की बात फिर लेकर आई। मुझे यह भी पता है कि फिर भी जिनकी सोच इस टाईप की है वे कोर्ट में जायेंगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहले ही कहा था कि मैं बी.सी. (ए) का हूं मुझे इस साईड में बिठा दिया लेकिन मैं कहीं न कहीं मैं यह बताना चाहूंगा कि पीछे सरकार रही थी जिन लोगों की यह सोच है उन लोगों ने तो बी.सी. (ए) के मैम्बर को इस तरफ बिठाने का काम भी नहीं किया और न ही उनको कहीं मुख्यधारा में लाने का काम ही किया। इन्होंने कभी भी उन्हें सम्मान देने का काम नहीं किया। मुझे इस बात की खुशी है कि आज आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो मोस्ट बैकवर्ड हैं, जो वंचित है, जो पीछे रह गए हैं उनको भी आगे लाने का काम बहुत अच्छी तरह से किया। जो अति पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा था। इस सरकार की सोच है कि उनको आगे

लाकर के मुख्यधारा में लाने का काम यह सरकार कर रही है। आज हरियाणा में जो मोस्ट बैकवर्ड हैं या बी.सी. है उनकी संख्या बहुत ज्यादा हैं। इस तरीके के बिल लाकर के उनको सम्मान देने का काम वर्तमान सरकार कर रही है निश्चित रूप से आने वाले समय में भी इसमें आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी और फिर से लोग चुन करके आयेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि यह एक एतिहासिक बिल यह सरकार लेकर के आई है। धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष जी, गंगवा जी ने जो बात कही मैं उसकी ताईद करता हूं और यह जो बिल लाया गया है जो रिजर्वेशन बी.सी. ए को दिया है मैं इसका बहुत दिल की गहराईयों से स्वागत करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं लेकिन यह सरकार अगली बार तब रिपीट करेगी जब मेरी बात मानेंगे और अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो हुड्डा बनेगा यो ये बात ध्यान कर लेना मुख्यमंत्री जी यो बनेगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी। अगर ये पोर्टल ई-टैंडरिंग जैसा अड़ंगा चालू रखा तो आगे फाका ही नहीं है।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, ऐसी बात है कि उपाध्यक्ष अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे थे। I think एक आदमी जब बोलता है तो उसकी सारी सैंस को सब को समझना चाहिए कि कहां से प्वायंट शुरू हुआ, किससे प्वायंट शुरू हुआ। कांस्टीच्युशन क्या कहता है। आपके रूल्ज क्या कहते हैं। उपाध्यक्ष जी तो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, वे तो मैच्योर्ड आदमी हैं। उस बात के लिए वह तो एक लाईन ऑफ आर्ग्यूमैंट्स होती है कि अगर उधर कर दिया तो उधर । ऐसा कुछ नहीं है, हम भी यह चाहते हैं। उपाध्यक्ष कोई बी.सी. (ए) के ज्यादा ठेकेदार नजर आते हैं। जैसे कोई और बी.सी.(ए) की परवाह ही नहीं करता हो ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष जी, इन्होंने तो बी.सी.(ए) और बी.सी. (बी) को अलग करने की राजनीति की है।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष जी, यही तो इनकी बात है। यही तो ये राजनीति करते हैं। यही राजनीति पी.पी.पी. के हिसाब से है। सैनी साहब का अपना व्यू है वे उस कास्ट से बिलोंग करते हैं। वे अपनी बात क्यों नहीं रखेंगे। पर बात यह है कि जो बात होती है उस संदर्भ में ही सारी की सारी बातें होनी चाहिए आप इस बात के लिए कि क्लासीफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। कानून बना रहे हैं, कानून लोगों के पास जायेगा। कांस्टीच्यूशन क्या कहता है और आपका म्युनिसिपल एक्ट क्या कहता है? उसके अंदर रूल्ज क्या कहते हैं? उसकी धारा के प्रवाह के अंदर ये बातें कही जाती हैं। न तो इस बात के लिए आप संज्ञान लें कि मैं या हमारी पार्टी कोई बी.सी.ए के खिलाफ है या कुछ और है। हम बी.सी. ए का भी पूरा उतना ही सम्मान करते हैं और उनकी अपलिफ्टमैंट के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों से ज्यादा करेंगे।

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे इस बिल में कहा गया कि परिवार पहचान पत्र के डाटा से वार्डबंदी और जनसंख्या की गिनती होगी। परिवार पहचान पत्र हरियाणा तक सीमित है और कारपोरेशन के चुनाव तो पूरे देश में होते हैं और वहां पर परिवार पहचान पत्र जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने किस तरह के प्रावधान किये और वे किस प्रकार से वार्डबंदी कर रहे हैं क्या उसकी कोई जानकारी प्राप्त की गई है कि बाकी राज्य किस प्रकार से वार्डबंदी कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: वरूण जी, इस बारे में हर राज्य अपने-अपने कानून के हिसाब से कर रहा है।

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इसके ऑब्जैक्शन्ज एण्ड रीजन्स में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें रिजर्वेशन देनी है और रिजर्वेशन का हमारे पास कोई डाटा नहीं है क्योंकि जनसंख्या का संसैस बहुत पहले हुआ था तो इसलिए परिवार पहचान पत्र को उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा इसलिए यह प्रश्न है कि परिवार पहचान पत्र तो हरियाणा तक सीमित है जबकि वार्डबंदी कारपोरेशन्ज में पूरे देश में हो रही है तो वहां पर किस तरह से वार्डबंदी हो रही है इसके बारे में क्या कोई स्टडी की गई है?

श्री अध्यक्ष: वरूण जी, यह बिल भी तो हरियाणा के लिए ही आ रहा है?

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिये हैं कि किसी ऑटोनोमस बॉडी के माध्यम से ही यह डाटा कलैक्शन होगा तो आप परिवार पहचान पत्र के माध्यम से यह डाटा कलैक्शन क्यों कर रहे हैं? यह तो टैम्पोरेरी रिपोजिट्री है।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों का जवाब थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। माननीय विधायक श्री वरूण चौधरी जी ने जो बात उठाई है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि it is the first State जिसने परिवार पहचान पत्र का काम शुरू किया है। हरियाणा पहला राज्य है जिसने इम्प्रूवमैंट करने की कोशिश की है। जो भी ऑर्डिनेंस आता है तो उसमें कुछ चेंज होता है। The Government is of the people, by the people and for the people. यह कोई जरूरी नहीं है कि हर काम हर कोई कर सके। कांग्रेस पार्टी भी इतने सालों से सरकार चला रही थी लेकिन they could not dare to start it. They could not dare to start GST, they could not dare to start anything. ये तो बिल्कुल पुरातनपंथी की तरह चलते रहे। हमने जो परिवर्तन लाया है इनको उसे एप्रिशिएट करना चाहिए। वह परिवर्तन हम

बैटरमैंट के लिए लाए हैं। पूरे देश में यह पहला राज्य है जिसने यह सुधार करने का काम किया है।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, इस परिवार पहचान पत्र से लोग इतने तंग हैं कि वे पानी पी-पी(PPP) कर इसको गालियां दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष (श्री रणबीर गंगवा): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विधायक श्री बतरा जी ने मुझे यह कहा कि आप बी.सी.-ए कैटेगरी के ठेकेदार बन रहे हो।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री गंगवा जी को नहीं कहा बल्कि पूरी पार्टी को कहा है।

श्री रणबीर गंगवा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को कहना चाहता हूं कि ये जिस सरकार में शामिल थे उसमें तो बी.सी.-ए की कोई भी वैकेंसीज होती थी तो क्योंकि उनका कोई सिफारिश करने वाला नहीं होता था इसलिए जब भी किसी वैकेंसी का रिजल्ट आता था तो उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई आती थी कि योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। मैं इसका रिकॉर्ड भी दिखा दूंगा क्योंकि मैं ऑन दा फ्लोर ऑफ दा हाउस यह बात कह रहा हूं। क्या तब उनके साथ ज्यादतियां नहीं होती थी? आज मैं कह सकता हूं कि किसी भी वैकेंसीज की भर्ती में बी.सी.-ए और एस.सीज. की वैकेंसीज खाली नहीं जाती हैं। इनके समय में इन कैटेगरीज का बैकलॉग बहुत पड़ा हुआ था।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गंगवा जी से कहना चाहता हूं कि मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा कि मेरे हल्के में बी.सी.-ए कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं।

श्री रणबीर गंगवा: अध्यक्ष महोदय, मैं किसी एक हल्के की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा हूं। पहले जब भी रिजल्ट आता था तो उस बैकलॉग की सबसे ज्यादा मार बी.सी.-ए कैटेगरी पर पड़ती थी।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, आप काम करके बताओ। (विघ्न)

17.00 बजे

श्री अध्यक्ष : मुझे लगता है कि बिल पर काफी लोगों ने चर्चा में भाग लिया है। (विघ्न)

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वह चर्चा आर्डिनैंस पर थी या डिसअलाउ पर थी। जो गुरूग्राम और फरीदाबाद की फलोटिंग पॉपुलेशन की बात हुई और उस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने हाऊस में बात रखी है। सर, जो जनगणना है उसके दो पार्ट हैं -डोर टू डोर सर्वे, मकान सूचिकरण एवं मकानों की गणना। अगर तो हम जनगणना कराएंगे तो जनगणना से ही सैंसस बनेगा, उसी से आरक्षण बनेगा तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन की बात ही नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी जो मेरे अगस्त के ऑब्जैक्शन की बात कर रहे थे। अगस्त में मेरे ऑब्जैक्शन वे थे जो एक स्क्रैप ट्रेडर से फरीदाबाद नगरनिगम ने ढाई करोड़ में पॉपुलेशन करवाई थी और उसी के हिसाब से वार्डबंदी की थी जोकि 26 लाख पॉपुलेशन थी। आज आपके हिसाब से 18 लाख है उसमें 8 लाख की ऑब्जैक्शन तो पॉपुलेशन की हो गई। दूसरा इस सदन में बी.सी.-ए के हक की बात चल रही है। अति पिछड़ी जाति की बात चल रही है। उन जातियों के हक का बेस क्या है, जनगणना ? मुख्यमंत्री जी ने वोटर पॉपुलेशन का फॉर्मूला भी बता दिया इन टू वन प्वायंट फॉर और वही फॉर्मूला फैमिली आई.डी. का भी है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जब हम वार्डबंदी करेंगे तो जो पोर्शन ज्यादा है हम उसके हिसाब से वार्डबंदी करेंगे। प्लस-माईनस टैन परसैंट करेंगे। यह मेरे पास आठ पेज की लोकल बोडी की चिट्ठी है।

श्री अध्यक्ष : यह 10 परसैंट नहीं 20 परसैंट है।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी अन्तिम लाईन पर आ गया हूं। आप जो बी.सी.-ए और एस.सी. की टोटल पॉपुलेशन ले रहे हैं। वह आप एफ.आई.डी.आर. की पॉपुलेशन ले रहे हैं। हमारे वहां 18 नं.वार्ड का एक 241 नं. बूथ है वहां एफ.आई.डी.आर. पॉपुलेशन 30 और वोटर पॉपुलेशन 1742 है। बी.सी.-ए की पॉपूलेशन एक और एस.सी. की पॉपुलेशन तीन है। क्या उस बूथ पर एस.सी., बी.सी. के केवल चार ही आदमी रहते हैं ? जब उनको आप अपने डाटा में ही इंकल्यूड नहीं करेंगे तो फिर उनको उनका हक कैसे मिलेगा। उसके वार्ड नं. 19 और बूथ नं. 253 पर एफ.आई.डी.आर. पॉपुलेशन में केवल आठ लोग हैं और वोटर पॉपुलेशन 1634 है। इसको अगर डिवाईड वन प्वायंट फॉर भी कर लें तो एक हजार कुछ हो गये। वहां कोई एस.सी. की पॉपुलेशन नहीं, कोई बी.सी. की पॉपुलेशन नहीं। यह डाटा बिल्कुल गलत है। यहां विधायिका जी बैठी हैं ये दोनों वार्ड उनकी विधान सभा के हैं। उससे पहले मैंने मंत्री जी की विधान सभा के एफ.आई.डी.आर. पॉपुलेशन और वोटर पॉपुलेशन के बारे में बताया था। आपके पास वह डाटा ही सही नहीं है और उसके साथ इस कागज में आपने बी.सी.-ए, एस.सी.-ए लिखा है। सर, मैंने पूरी रात एक-एक लाईन पढ़कर हाई लाईट की है जो आपको भी टेबल की है और मुख्यमंत्री जी की सेवा में भी दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आप इसे इस तरह ना करो। आप इसकी प्रोपर जनगणना कराइये। उसमें जिसका जैसा हक है वह उसको दीजिए। अब इस पॉपुलेशन से क्या होगा। रिजर्व तो एक्स वार्ड होना चाहिए, वहां बी.सी.-ए की पॉपुलेशन ज्यादा है और आपने जीरो-जीरो करके दूसरा वार्ड रिजर्व करवा दिया। यह तो उन लोगों के

साथ बहुत गलत हो जाएगा। उन लोगों के हितों के लिए इसको प्रोपर जनगणना ही बेस रखिये। हमारा तो आपसे यही कहना है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारे विषय मैंने पहले ही बोल दिये थे। फिर भी मैं इस विषय पर दो बातें और कहना चाहूंगा। एक तो हम यहां जो विधायी कार्य करते हैं। आगे जो इम्पलीमैंटेशन है वह एजेंसी ने जो करना होता है वह करते हैं। जहां तक वार्डबंदी का विषय है वार्डबंदी की सारी इंफॉर्मेशन डिप्टी कमिश्नर ने बनाकर फाईनल करनी होती है। डिप्टी कमिश्नर सभी लोगों से बातचीत करके पहले एक प्रारूप तैयार करके और उसमें जो सिस्टम है वह निकालकर बाकायदा 15 दिन के लिए जनता के लिए पब्लिश करता है और पब्लिश करने के बाद जो गल्तियां होती है वह डिप्टी कमिश्नर को रिटर्न करते हैं। उसके बाद जो उनको ठीक लगता है वह करते हैं और जो सामान्य प्रक्रिया होती है अब सारी प्रक्रिया के बाद होती है फिर भी किसी को कोई चीज पसंद नहीं आती है तो स्वाभाविक है कि वह किसी कोर्ट में जाता है या कहीं और जाता है। वहां सारे प्रावधान खुले हुए हैं। जैसे बतरा जी ने भी कहा है कि कल को कोई कोर्ट में जाएगा तो वहां क्या होगा, क्या नहीं होगा इस प्रकार से हमारी बहुत सी चीजें हो जाती हैं। क्या पढ़ी-लिखी पंचायतों का विषय कोर्ट में नहीं गया था? वह विषय हाई कोर्ट में गया था सब ने उसका विरोध किया था और उस विरोध के कारण से चुनाव भी स्थगित हुए थे। यह विषय सुप्रीम कोर्ट में गया 45 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Not only in Haryana but in other States also they should follow it. यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसलिए यदि कोई चीज नई की जाती है तो उस नई चीज का विश्लेषण करने के लिए बहुत से फोरम भी होते हैं, जहां पर यह सब विश्लेषण करने का काम किया जाता है। अगर कुछ गलत होगा तो उनका समाधान किया

जायेगा और अगर अच्छे निर्णय होंगे तो आगे बढ़ा जायेगा। अब इस संदर्भ में जो निर्णय आयेंगे, वे तो आयेंगे ही आयेंगे लेकिन आज हमने जो सदन में पास किया है, उसे हमें एक अच्छे मानस से तथा एक अच्छी मानसिकता से किया है । एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हम साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ें। इसके पहले भी इसके अंदर बहुत से ऐसे विषय हैं जबकि बहुत सी गड़बड़ें हुआ करती थी और हम उसी में ही फंसे रह जाते थे ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कुछ घोषणा करना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' पदों की पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा करना ।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, आज इस अवसर पर मैं सदन में एक घोषणा करना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि कर्मचारियों के सभी कॉडर की समीक्षा करके अनुसूचित जाति के सभी कर्मचारियेां की संख्या की समीक्षा की जाये। यह समीक्षा हमने की है और समीक्षा करने के बाद, मैं उसी के हिसाब से घोषणा करता हूँ कि चूंकि अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में अभी ग्रुप-सी और ग्रुप-डी में तो पदोन्नति में आरक्षण है लेकिन यह प्रावधान ग्रुप-ए और ग्रुप-बी में नहीं है लेकिन इस संदर्भ में मैं आज सदन के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि हम उस

निर्णय के आधार पर ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के कर्मचारियों के लिए भी पदोन्नति में 20 परसैंट आरक्षण लागू कर जा रहे हैं। (इस समय सदन में मेजें थपथपाई गई।) मैंने सदन में घोषणा इसीलिए की है क्योंकि कोई बात सदन में कहने के बाद वह बात पक्की हो जाती है । हमने इस संदर्भ में सारा डाटा निकाल लिया है और उस डाटा के बेसिज पर अब केवल डिपार्टमैंट ने रोस्टर बनाना है। रोस्टर बनाने का काम डिपार्टमैंट कर रहे हैं और उस रोस्टर में जहां-जहां और जिस-जिस की आरक्षण की पदोन्नति जब होगी, उस वक्त उसको पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा और इसके लिए नोटिफिकेशन और हिदायतें जारी करनी होंगी तो मैं सदन के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि एक सप्ताह के अंदर अंदर हम इन्हें भी जारी कर देंगे।

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। चौधरी ईश्वर सिंह जी भी मेरे से यही चर्चा कर रहे थे। यह सरकार का बहुत बड़ा निर्णायक फैसला है। इसके साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो बैकलाग है, उसकी फुलफिलमैंट के लिए भी जल्द से जल्द सरकार कदम उठाये।

परिवहन मंत्री (श्री मूल चंद शर्मा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नए-नए काम करके दिखाये हैं, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। सदन में बी.सी.-ए कैटेगरी की रिजर्वेशन पर भी बहुत चर्चा हुई। बी.सी.-ए कैटेगरी में 102 जातियां हैं और बी.सी.-बी

में 5 जातियां हैं। इनको कभी नौकरी नहीं मिलती थी। उनको छोटा समझकर छोड़ दिया जाता था और कह दिया जाता था कि इनके तो 10 घर है उनमें 10 लोग है या 20 घर हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार का काम सरकार द्वारा किया गया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इससे बड़ा एतिहासिक दिन कभी नहीं हो सकता। आज सब लोग चाहे वे नाई हैं, धोबी है, कुम्हार हैं, लोहार हैं, गड़रिया, बैरागी, खाती, जांगड़ा सबको बहुत खुशी हो रही है। इस तरह की 102 जातियां हैं। इनको अब के पहले के राज में कुछ नहीं मिलता था। गंगवा जी ने ठीक कहा कि इस कैटेगरी के लोगों को कभी सरपंची तक भी नहीं मिलती थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन लोगों के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण, इन लोगों को सरपंची मिली है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था क्योंकि ताकतवर लोग इनको काबू में कर लेते थे लेकिन आज यह खुशी का एक एतिहासिक दिन है। जो बी.सी.-ए कैटेगरी के रिजर्वेशन के लिए बिल पास किया गया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। यह एतिहासिक दिन है इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद।

(इस समय सदन में मेंजे थपथपाई गई।)

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष:अब सदन विधेयक पर क्लॉज-बाई-क्लाज विचार करेगा।

क्लॉजिज 2 से 5

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉजिज 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष :माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ.कमल गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि विधेयक पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक पारित हुआ।)

I----------------------I

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष:माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ.कमल गुप्ता):अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ-

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष:अब सदन विधेयक पर क्लॉज-बाई-क्लाज विचार करेगा।

क्लॉजिज 2 से 4

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉजिज 2 से 4 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष:माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ.कमल गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि विधेयक पारित किया जाये ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक पारित हुआ।)

----

3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन विधेयक (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन विधेयक (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन विधेयक (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये ।

श्री वरूण चौधरी (मुलाना) (अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि क्लॉज-2 के सब क्लॉज (ii) के पार्ट (1) में यह लिखा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडिपेंडेंट रैजिडेंशियल डिवेलिंग यूनिट या कमर्शियल यूनिट की हो जाये । मैं इसको पढ़कर सुनाता हूँ -:

"(1) The registration of independent residential and commercial floors for the purpose of transfer, sale, gift, exchange or lease in perpetuity in a colony, for which a licence has been granted under

this Act, shall be permitted as independent residential dwelling unit or commercial unit:

मेरा कहना यह है कि as the case may be शायद इसके अंदर और जुड़ना चाहिए क्योंकि जो रेजिडेंशियल डिवेलिंग यूनिट है, उसको आप कमर्शियल यूनिट की तरह रजिस्टर्ड नहीं करेंगे और जो कमर्शियल यूनिट है, उनको रेजिडेंशियल डिवेलिंग यूनिट की तरह नहीं रजिस्टर्ड करेंगे तो यह प्रावधान यहां पर साफ नहीं हो पा रहा है तो मैं समझता हूँ कि यह बिल विद अमेंडमेंट पास होना चाहिए और as the case may be अंत में जुड़ना चाहिए जोकि इस प्रकार होगा:-

"(1) The registration of independent residential and commercial floors for the purpose of transfer, sale, gift, exchange or lease in perpetuity in a colony, for which a licence has been granted under this Act, shall be permitted as independent residential dwelling unit or commercial unit: as the case may be

क्लॉज-2 के सब क्लॉज (ii) के पार्ट (1) में यह लिखा गया है

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस विधेयक की क्लॉज 2 की सब क्लॉज (ii) के पार्ट (I) में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री वरूण चौधरी, विधायक के सुझाव पर और आपकी अनुमति से इस विधेयक की क्लॉज 2 की सब क्लॉज (ii) के पार्ट (I) में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं -

कि क्लॉज 2 की सब क्लॉज (ii) के पार्ट (I) की अन्तिम लाइन independent residential dwelling unit or commercial unit के बाद : as the case may be लिखा जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि क्लॉज 2 की सब क्लॉज (ii) के पार्ट (I) की अन्तिम लाइन independent residential dwelling unit or commercial unit के बाद : as the case may be लिखा जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज 2 की सब क्लॉज (ii) के पार्ट (I) की अन्तिम लाइन independent residential dwelling unit or commercial unit के बाद : as the case may be लिखा जाए।

प्रस्ताव यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं -

कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि विधेयक पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक, यथा संशोधित, पारित हुआ।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव -

"दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से फसल को हुए नुक्सान बारे"

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे राव दान सिंह, विधायक तथा 2 अन्य विधायकों श्री आफताब अहमद तथा श्रीमती गीता भुक्कल से अल्पावधि सूचना संख्या-2 प्राप्त हुई है जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-43 में परिवर्तित करके आज के लिए स्वीकृत किया है। यह ध्यानाकर्षण सूचना 'दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से फसल को हुए नुक्सान' बारे है। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-26 प्राप्त हुई है जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है। समान विषय का होने के कारण मैंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-43 के साथ जोड़ दिया है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-45 प्राप्त हुई है जोकि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा दी गई है। समान विषय का होने के कारण मैंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-43 के साथ जोड़ दिया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। अब राव दान सिंह, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मेरी जो क्यूरी थी वह अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। मैं एक विषय आपको पढ़कर बताना चाहता हूं और ये पहले के स्पीकर रूल्ज आपके ही हैं। इनमें एक बड़ी अच्छी चीज लिखी गयी है कि:-

"**Power of Speaker:** The Speaker has only those powers which are given to him by the House and the Rules of Procedure and he cannot start the new procedure of his own. The Speaker Sardar Hukum Singh gave this following ruling:

"I only have the power as have been conferred by the House otherwise I have no power. I am guided by such powers as provided in form of Rules. If you want to change the rules that could only be done by the approval of the House."

मैं इससे आगे पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि "No appeal lies with the Speaker from a ruling given by a person presiding over a sitting of the House in the absence of the Speaker, the ruling given by the Chair settles the matter and cannot be reopened."

अध्यक्ष महोदय, आपके स्थान पर चेयर पर शुक्रवार को माननीय उपाध्यक्ष महोदय बैठे थे और उन्होंने हाउस में रूलिंग दी थी कि इस तरह की चीजें दोबारा से शुरू नहीं हो सकती। हम इसको आगे दोबारा से प्रथा के तौर पर नहीं लाएंगे। उसके ऊपर आज फिर से यह विषय आया है। मैं आगे आपके संज्ञान में यह चीज लाना चाहता हूं कि conversion of calling attention. A notice of ....

श्री अध्यक्ष: नहीं, कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन into calling attention. मैं calling attention का ही into short discussion पर पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन टू कॉलिंग अटैंशन मोशन है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह आपकी ही किताब है।

श्री अध्यक्ष: आप कॉलिंग अटैंशन टू शॉर्ट ड्यूरेशन कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं शॉर्ट ड्यूरेशन टू कॉलिंग अटैंशन मोशन है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है कि "a notice of calling attention on the matter of urgent public importance admitted for a particular day with a permission of the Speaker on the basis of the censure of the House can be converted into short duration. On the other hand, again in exceptional cases on a demand being made by the House or on the recommendation of BAC calling attention notice may be converted into a short duration. Speaker may allow a short duration discussion on a subject on the basis of adjournment of motion on consent of moving of which has been withheld by him". अध्यक्ष महोदय, आपने जो-जो विषय पहले पढ़कर बताये थे मैं उन पर आना चाहता हूं। आपने बताया कि दिनांक 08.08.2011 को एक short duration No.1 converted into calling attention No.6 (with additional calling attention Notice No.4 dated 24 August, 2011 motion of calling attention notice No.4 was not moved. ये इसके सिमिलर नेचर का उस दिन कोई और कॉलिंग अटैंशन मोशन नहीं था। इसके अलावा दूसरा दिनांक 09.02.2012 का है इसमें लिखा हुआ है कि concerned Member was allowed to raise supplementary on

admitted calling attention, No.6 dated 02.03.2012, was also on the similar nature. अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इसकी ट्रांस्क्रिप्ट पढ़ूं तो "Shri Ashok Arora, MLA and two other MLAs namely Shri Rampal Majra and Shri Ajay Singh Chautala have given notices under Section 73A on similar subject. Shri Ashok Arora, MLA and Shri Ajay Singh Chautala, MLA are allowed to raise supplementary". ये कभी कन्वर्ट होकर लीड नहीं बना। अब आप उससे अगले पर देखें जोकि दिनांक 23.08.2012 का है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो कोट किये थे मैं तो उन्हीं को पढ़कर बता रहा हूं। आपने कहा कि दिनांक 28.08.2012 को श्री अनिल विज जी का लगाया हुआ था और उसको भी सप्लीमैंट्री क्वैश्चन ट्रीट किया क्योंकि वह सिमिलर नेचर का था। एक सिमिलर नेचर का मैटर यहां पर आया और उसके बाद श्री अभय सिंह चौटाला का short duration discussion No.1 was converted into calling attention Notice No.9, was admitted on 03.09.2015. अध्यक्ष महोदय, इस दिन सिमिलर नेचर का कोई और टौपिक नहीं उठाया गया था। अरजैंट इम्पोर्टैंस को देखते हुए वह कन्वर्ट हुआ था।

श्री अध्यक्ष: दुष्यंत जी, विषय यह है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्वैश्चन को कॉलिंग अटैंशन मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं?

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं तो आपके द्वारा दी गयी तिथियों पर ही फैक्ट्स बता रहा हूं। आप मेरी बात तो

सुन लें। आपने कहा कि एक दिनांक 03.03.2017 को आया और दिनांक 03-03-2017 को अध्यक्ष महोदय द्वारा अल्पावधि चर्चा संख्या नं0 -4 सिमिलर नेचर को देखते हुए उसको ध्यानकर्षण सूचना संख्या- 49 में परिवर्तित करने के लिए स्वीकार किया। उस दिन भी सिमिलर नेचर का कोई टॉपिक नहीं था।

श्री अध्यक्ष: दुष्यंत जी, हमने भी यही किया है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, श्री भारत भूषण बतरा विधायक का अल्पावधि सूचना नं0 2 को ध्यानाकर्षण संख्या- 42 में परिवर्तित कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : हमने भी सिमिलर नेचर के विषय को कन्वर्ट किया है।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज तो सिमिलर नेचर के दो प्रस्ताव लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : दुष्यंत जी, आज भी दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से बाजरे की फसल के बहुत भारी नुकसान से संबंधित सूचना बारे प्रस्ताव आया है।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, डॉ. कादियान साहब भी यहां बैठे हैं और ये भी इस हाउस के स्पीकर रहे हैं। जब श्री कुलदीप शर्मा जी, स्पीकर थे उस समय की गलती हुई है। हम इस चीज को तिथियों के साथ भी देख सकते हैं। हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दुष्यंत जी, मैं आपसे भी जरूर सीखूंगा लेकिन आप भी सीख लीजिए जो हमारी कन्वेंशन है। पिछली जो कन्वेंशन हुई है आपको उनको भी ध्यान में रखना होगा। आप मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कॉल एंड शकधर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि Conventions and precedents hold precedence over everything else और आप जिस चेयर पर बैठे हुए हो you have the supreme power to convert any legislative business into if it is on the same subject you have the power to do that.

श्री अध्यक्ष : दुष्यंत जी, अभी आपने वर्ष 2012 के प्रस्ताव के बारे में जिक्र किया है कि उस समय श्री अशोक कुमार अरोड़ा, श्री रामपाल माजरा और डॉ. अजय सिंह चौटाला जी ने कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था। जिसे मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं "Hon'ble Members I have received a calling attention Notice No. 6 regarding anomalies in distribution of old age pension in Haryana since he is not present here I allow Shri Bharat Bhushan Batra to read out this notice. Shri Rampal Majra and two other MLAs namely Shri Ashok Kumar Arora and Shri Parminder Singh Dhull have also given calling attention notices on the similar subject. Shri Rampal Majra, MLA being the first signatory is allowed to raise supplementary. Shri Ashok Kumar Arora, MLA and two other MLAs namely Shri Rampal Majra and Shri Ajay Singh Chautala have also given notice under Rule 73 A i.e. short duration question on the similar subject. Shri Ashok Kumar Arora, MLA and Shri Ajay Singh Chautala, MLA are also allowed to raise supplementary. वो

सप्लीमैंट्री रेज कर सकते हैं, उसमें जो शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस है उसको हम कॉलिंग अटैंशन मोशन के अंदर अलाउ कर सकते हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह इफैक्ट बता रहा हूं कि जितने इन्सीडैंट्स हुए हैं या वो बनाये गये हैं क्योंकि सिमिलर नेचर का कोई विषय नहीं था। उसकी अर्जेंट इम्पोंटेंस को देखते हुए ही इनको सिमिलर नेचर का बनाया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दुष्यंत जी, जिस टाइम हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय ने आपको यह आश्वासन दिया था। जो सारे के सारे कॉलिंग अटैंशन मोशन थे, वे सभी के सभी बाढ़ से संबंधित विषय पर थे। हरियाणा के अंदर जो बाढ़ आई थी, उसके कारण यह नुकसान हुआ था, उसके अंदर कहीं भी कोई नेचर का फर्क नहीं था। आज दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से बाजरे की फसल के बहुत भारी नुकसान से संबंधित कॉलिंग अटैंशन मोशन लगा हुआ है। चाहे किसानों की फसलों का नुकसान बाढ़ के कारण हुआ हो या कीड़ा लगने के कारण फसलों में नुकसान हुआ हो, इस प्रकार से ये दोनों विषय अलग-अलग थोड़े ही है, ये दोनों विषय सेम है कि बाजरे की फसल को नुकसान हुआ है और आज का उसी से संबंधित कॉलिंग अटैंशन मोशन और शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस लगा हुआ है।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको फिर से पढ़कर सुना देता हूं, इसमें लिखा हुआ है कि "No appeal lies with the Speaker from the Ruling given by the person presiding over the sitting of the House in the absence of Speaker. Ruling given by the Chair settles the matter and cannot be reopened again".

श्री अध्यक्ष : दुष्यंत जी, मैं इसको री-ओपन नहीं कर रहा हूं बल्कि आप इसको री-ओपन कर रहे हो।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि पिछली बार डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और दोबारा ये कन्वर्शन नहीं किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : दुष्यंत जी, हमने एक बात और कही थी कि यह शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस वाला जो रेजोल्यूशन था, यह मूव हो चुका था। सभी के पास इसकी इन्फॉर्मेशन जा चुकी थी इसलिए उसको वापिस नहीं लिया जा सकता था ।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। रूल्ज एंड प्रौसीजर के अंदर कन्वैंशन को ओवर पॉवर करके अगर हम चलेंगे तो रूल की अहमियत नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : दुष्यंत जी, देखिये रूल्ज एंड प्रौसीजर की कन्वैंशन की ओवर पावर करके हम नहीं चल रहे हैं । कोई भी सदन हो वह रूल्ज या कन्वैंशन पर ही चलता है not only on Rules and not only on conventions. हम कन्वैंशन को फोलो करते हैं और पहले भी फोलो करते आयें है यह कोई पहली बार नहीं है। यह चीज तो वर्ष 2011 से होती आ रही है।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं 2011 की conventions पर कुछ कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : दुष्यंत जी, मेरे पास इसका जवाब नहीं है।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक अखबार की कटिंग भी मिली थी। Otto Eduard Leopold von Bismarck जर्मनी के फर्स्ट चांसलर रहे थे उनकी कही बात किसी हिन्दी के अखबार में लिखी थी कि मूर्ख खुद की गलती से सीखता है और समझदार दूसरे की गलती से सीखता है।

श्री अध्यक्ष: दुष्यंत जी, आपकी बात ठीक है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जो गलतियां की गई हैं अगर उससे हम नहीं सीखेंगे तो फिर हम समझदार कैसे होंगे ?

श्री अध्यक्ष: मैं यह समझता हूं कि यह कोई गलती नहीं है। This is not any mistake. This is the convention we are following.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने उदाहरण दिया है कि मूर्ख कौन है और समझदार कौन है तो यह भी बता दिया जाए।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने पूछ लिया कि वर्ष 2011 में कौन आपकी कुर्सी पर था तो यह मैं पढ़ देता हूं कि दिनांक 04 मार्च, 2011 से लेकर दिनांक 02 नवम्बर, 2014 तक आपकी कुर्सी पर श्री कुलदीप शर्मा जी बैठे थे, जो कि आपकी पार्टी के थे। अब डिसाइड कर लीजिए समझदार कौन है और मूर्ख कौन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब माननीय सदस्य श्री राव दान सिंह जी अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ेंगे।

श्री राव दान सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हम इस महान सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि प्रदेश में विशेषकर दक्षिणी हरियाणा में किसानों के बाजरे की फसल में कीड़ा लग गया है। जिसके कारण बाजरे की फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ है। किसानों के बाजरे की फसल पकने की कगार पर है लेकिन यह कीड़ा फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। एक-एक सिरे में चार से पांच कीड़े तक लगे हुए हैं। जिसके कारण बाजरे की फसल में 20 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है। किसानों को आस थी कि उनकी बाजरे की फसल अच्छी होगी लेकिन अचानक कीड़ा लगने

के कारण किसानों के बाजरे की फसल को बहुत क्षति हुई है। किसान सरकार की तरफ आस लगाये बैठे हैं कि सरकार किसानों का साथ देगी और उनके नुकसान की भरपाई करते हुए उनको उचित मुआवजा देकर आर्थिक मदद करने का भी काम करेगी लेकिन सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि इस विषय पर सदन में चर्चा करवाई जाये। धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 26
ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत संख्या 43 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 26 के द्वारा, श्रीमती किरण चौधरी, विधायक ने दक्षिण हरियाणा विशेष कर भिवानी, महेन्द्र और रेवाडी आदि जिलों में बाजरे की फसल में सुंडी (कैटरपिलर) कीडे के आक्रमण से हुए भारी नुकसान के बारे में अवगत करवाना चाहती हूँ। यह फसल लगभग तैयार होने की कगार पर है लेकिन इस कीड़े के भयकर आक्रमण से लगभग तीन चैचाई फसल का नुकसान हो चुका है। एक-एक सिरे पर चार से पांच-पांच कीडे लग गये हैं जिससे बाजरे की 40 से 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है। परन्तु सरकार द्वारा अभी तक कोई भी स्पेशल गिरदावरी और आर्थिक नुकसान की भरपाई की घोषणा नहीं की गई है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि स्पेशल गिरदावरी कराते हुए नुकसान की भरपाई के लिये शीघ्र घोषणा करे ताकि किसानों को हुए आर्थिक नुकसान के बोझ से बचाया जा सके। अतः माननीय सदस्या अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करती है की इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री सदन के पटल पर उचित मुआवजा देने की घोषणा करे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45
ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत संख्या 43 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45 के द्वारा, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक ने बाजरे की फसल पर कुतरा नाम की मुंडी की वजह से जिला सिरसा, फतेहाबाद, हिसार आदि में लगभग शत्-प्रतिशत फसल खत्म होने की कगार पर है। यह मुंडी जिस बाजरे के पौधे को लग जाती है उसको समाप्त करके छोड़ती है और साथ-साथ अण्डे आदि देकर दूसरी मुंडीयां एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर फसल के नुकसान करने के काबिल हो जाती है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को इस बारे में कोई उचित राय न देकर प्रत्येक किसान को राम भरोसे छोड़ दिया है। सरकार ने इसके बारे बाजरे की फसल के नुकसान का कोई संज्ञान नही लिया और न ही स्पेशल गिरदावरी और नुकसान की भरपाई के लिये किसान के आर्थिक बोझ की सहायता के लिये कोई घोषणा की है। माननीय मुख्य मंत्री इस बारे सदन में अपना वक्तव्य दे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद जी, इस पर प्रश्न अपना पूछ सकते हैं।

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष जी, मैं अपना प्रश्न इसका जवाब आने के बाद पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: आफताब जी, इसका जवाब इक्ट्ठा ही दे दिया जाएगा। जवाब बार-बार थोड़ी न दिया जाएगा।

वक्तव्य

उपमुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

उप मुख्यमंत्री(श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में बाजरे की फसल राज्य के 13 जिलों नामतः महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, भिवानी, झज्जर, पलवल, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक,

हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद में 11,89,214 एकड़ क्षेत्र में बोई गई थी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), हिसार ने दिनांक 12.07.2023 को बालों वाली सुंडी के प्रबंधन के लिए एक सलाह जारी की थी। हेलिकोवर्पा आर्मिज़ेरा (अमेरिकन सुंडी) के प्रकोप पर सीसीएसएचएयू ने 8 अगस्त 2023 को महेंद्रगढ़ के अटेली खंड के 20 स्थानों पर विशेषज्ञों के माध्यम से एक सर्वेक्षण किया। इन 20 स्थानों में से 18 पर अमेरिकी सुंडी का हमला 0-25% के बीच देखा गया। विशेषज्ञों ने देखा कि जहां यह सुंडी आमतौर पर कपास, टमाटर और चने की फसलों पर हमला करती है, वहीं इसने मई और जून, 2023 में बोई गई बाजरा की फसल पर हमला किया है। हरियाणा में बुआई के लिए सीसीएसएचएयू का मानक अनुशंसित समय जुलाई के पहले पखवाड़े में है, परंतु पूरे अटेली खंड में तुलनात्मक रूप से बहुत जल्दी यानी मई के आखिरी सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह में फसल बोई गई थी। अमेरिकन बॉलवर्म का प्रकोप महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाडी, चरखी दादरी और झज्जर जिलों में भी देखा गया। सीसीएसएचएयू, हिसार द्वारा दिनांक 09.08.2023 को कृषि विभाग को एक सलाह जारी की गई थी और सभी जिला मुख्यालयों को इसे उपचारात्मक/ सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने के लिए अवगत कराया गया था। बाजरे की फसल में हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा सहित कीड़ा-कीट की निगरानी और नियंत्रण के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य में नीचे दिए गए विवरण अनुसार जागरुकता अभियान भी आयोजित किये हैं:-

क्र.सं.	जिला	शिविरों की संख्या
1	भिवानी	622
2	चरखी-दादरी	113
3	झज्जर	428
4	रेवाड़ी	348
5	गुरुग्राम	18
6	महेंद्रगढ़	264
	कुल	1793

विभाग द्वारा प्रभावित जिलो को 17 लाख रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया। फसल की ऊंचाई लगभग 7-9 फीट होने के कारण फसल पर स्प्रे करने के लिए अधिक ऊंचाई पर ड्रोन से स्प्रे हो जाए इसके लिए भी मंजूरी दी है।

सीसीएसएचएयू, हिसार द्वारा जारी सलाह के अनुसार, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड, भारत सरकार द्वारा बाजरे की फसल में किसी भी रसायन की सिफारिश नहीं की गई है, लेकिन कुछ कीटनाशक हैं जिन्हें सीसीएसएचएयू, हिसार के प्रथाओं के पैकेज के अनुसार हेलिकोवर्पा आर्मिंगेरा के प्रबंधन के लिए कपास और चने की फसलों में अनुशंसित किया है। सीसीएसएचएयू, हिसार ने स्पष्ट रूप से सलाह दी कि अनाज भरने के चरण में या परिपक्व होने वाली फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव करने से अनाज और चारे पर अवशिष्ट प्रभाव पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार कीट के हमले के

कारण बाजरे की बुआई के कुल 11,89,214 एकड़ क्षेत्र में से 3,02,344 एकड़ क्षेत्र प्रभावित पाया गया है। यह नुकसान 6 जिलों नामतः महेंद्रगढ़ (कुल बोये गए 2,49,655 एकड़ क्षेत्रफल में से 1,15,950 एकड़ प्रभावित), चरखी दादरी (कुल) बोये गए 155,000 एकड़ में से 34,225 एकड़ प्रभावित), रेवाड़ी (कुल बोये गए 1,81,622 एकड़ में से 53,127 एक प्रभावित), भिवानी (कुल बोये गए 1,70,075 एकड़ में से 81,500 एकड़ प्रभावित), झज्जर (कुल बोये गए 56,000 एकड़ में से 12,600 एकड़ प्रभावित) और गुरुग्राम (कुल बोये गए 1,75,120 एकड़ में से 4,942 एकड़ प्रभावित) बताया गया है। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा करवाया है, उन्हें फसल कटाई प्रयोगों के परिणाम के आधार पर फसल की उपज का आकलन करने के बाद बाजरे की उपज में नुकसान की भरपाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए उनके घर, पशुधन, फसलों और वाणिज्यिक चल संपत्ति के संबंध में क्षति/नुकसान के लिए दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, क्षति के सत्यापन और समयबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से मुआवजे के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल https://eskhipurti.harana.gov.in/ लॉन्च किया है। जनता के लिए अपने दावे अपलोड करने के लिए पोर्टल 25 अगस्त 2023 तक खुला था।

क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कीट के हमलों के कारण 19 जिलों नामत: अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, कैथल, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर के 56,366 किसानों ने 2,00,556.08 एकड़ क्षेत्र के लिए बाजारे की फसल के नुकसान के हेतू मुआवले का दावा अपलोड किया है।

कीट के हमलों के अलावा अन्य कारणों से बाजरे की फसल को हुए नुकसान के लिए राज्य के सभी जिलों में 8,755 दूसरे किसानों ने 14,479.79 एकड़ क्षेत्र में मुआवजे के दावे अपलोड किए हैं। हरियाणा सरकार के मानदण्डों/निर्देशों के अनुसार चल रही सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत मुआवजे का वितरण तुरंत किया जायेगा। बाजरे की फसल में नुक्सान चाहे कीट हमले से हुआ हो या बाढ़ के कारण हुआ हो, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.) मुआवजा मानदंड (प्रति किसान 2 हेक्टेयर की सीमा के अधीन) निम्नानुसार है:-

क्षति की सीमा	मुआवजा
25% से 50%	7,000/ रूपये प्रति एकड
25% से 75%	9,000/- रूपये प्रति एकड़
75% और अधिक	12,500/- रूपये प्रति एकड़

न्यूनतम सहायता कम से कम 1,000/- रुपये प्रति किसान वर्षा आधारित परिणाम के लिए और 2,000/- रुपये प्रति किसान सिंचित क्षेत्रों के लिए जो बोए गए क्षेत्रों तक सीमित। 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को कोई न्यूनतम सहायता प्रदान नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, बीमा योजना के तहत फसल मुआवजा पाने वाला क्षेत्र एस.डी.आर.एफ. के तहत मुआवजे के लिए पात्र नहीं होगा।

अध्यक्ष जी, इसके अलावा मैं पूरे सदन के लिए कुछ एडीशनल जानकारी देना चाहता हूं कि इस स्टेटमैंट के साथ-साथ आगामी 05 सितम्बर से प्रदेश भर के अंदर हमारी जनरल गिरदावरी भी शुरू हो रही है जो भी प्रभावित एरिया है क्योंकि अभी तक फसल के अंदर जो भारी क्षेत्र है उसमें इस कीट प्रकोप के नुक्सान का ब्यौरा नहीं आ पाया है तो सरकार जनरल

गिरदावरी के भी एक महीने के अनुसार जिन-जिन की रिपोर्ट्स हमारे पास आयेंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और जो सरकार का एस;डी.आर.एफ. फण्ड है उसके माध्यम से भी जिस किसान की फसल को कीट हमले से नुक्सान होगा उसकी भरपाई करेंगे।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। विशेष तौर पर दक्षिणी हरियाणा के अंदर लैंड होल्डिंग बहुत कम है। वहां का किसान बड़े भारी परिश्रम के साथ अपनी छोटी सी आजीविका के साथ काम करता है। मुख्य रूप से हमारे यहां गेहूं, सरसों, कपास और बाजरे की फसल होती है। जब बाजरे की फसल आई तो यह लगता है कि इससे पशुधन को भी लाभ होगा और किसान को भी लाभ होगा। यह पहली बार ऐसा हुआ है। अनेकों बार कीट आये लेकिन उनका समाधान किसान जैसे-तैसे करता रहा। अगर हम अपने कृषि वैज्ञानिकों के ऊपर सही समय पर पूरा ध्यान दें तो बाजरे के अंदर सबसे पहले एक सफेद लट आती है जिसे हम व्हाईट ग्रब कहते हैं। जो जड़ के ऊपर अटैक करती है और वहीं से बाजरे की फसल सूखनी शुरू हो जाती है। अगर उसकी मार से कोई बच जाता है फिर उसके सिट्टे पर जाकर अमेरिकन सुण्डी का प्रकोप रहता है। पहली बार देखने को मिला है कि इतने लार्ज स्केल के ऊपर इसका प्रभाव हुआ है।

श्री अध्यक्ष : दान सिंह जी, आपका प्रश्न क्या है? आप प्रश्न पूछें।

राव दान सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बहुत सीरियस तरीके से सही आकलन करके जो-जो क्षतिग्रस्त एरिया हैं उनको कुछ देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही है। अनेकों बार ऐसा हुआ है। भावांतर भरपाई स्कीम से भी हम कई बार वंचित रहे हैं। आज इस फसल के मुआवजे से भी वंचित रहेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वास्तव में इसका कोई समाधान करना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा

आ सकती हैं, उनको हम नहीं रोक सकते हैं लेकिन इस तरह की कीटनाशक दवाइयों पर हम काम कर सकते हैं जो इनफैक्टिड फसल पर छिड़की जाती हैं। सरकार को पहले तो इसका संज्ञान लेना चाहिए और अगर सरकार संज्ञान नहीं ले पाई है तो अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या करना चाहती है, मैं यह जानना चाहता हूँ?

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष महोदय, बाजरा एक ऐसी फसल है जिससे किसान अपनी आजीविका में बढ़ोतरी करता है। इसका इस बार बहुत नुकसान हुआ है इसीलिए यह सवाल लगाया गया है। इसके पैमाने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर इसमें नुकसान हुआ है। हमारे पलवल और मेवात जिलों में तो जागरुकता शिविर ही नहीं लगाये गये। इससे विभाग की गम्भीरता का पता चलता है। जहां तक भावांतर भरपाई योजना की बात है तो इस बारे में मेरा यही कहना है कि हमारे इन जिलों में ज्यादातर खरीद ही नहीं की जाती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके अनुरूप ही किसान की मदद भी होनी चाहिए। जैसा कि जवाब में ही दिया हुआ है कि किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खराब फसल के दावे भी किये हैं लेकिन हमारे एरिया में जागरुकता शिविर न लगने की बात का संज्ञान लेना चाहिए। अगर शिविर लगेंगे तो किसान जागरुक होगा और इस बार जो बीमारी आई है अगली बार उससे लड़ने में सक्षम होगा। इस तरह की चीजों का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, इस तरह के महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। पहले से ही हमारा किसान अन्नदाता आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारा कमेरा वर्ग प्राकृतिक आपदा, बेमौसमी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा था। उसके बीच में हमारे क्षेत्र दक्षिण हरियाणा

में विशेष तौर से हमारे झज्जर में भी बाजरे की फसल जो पक कर तैयार थी उस पर एक अमेरिकन सुण्डी जो कि हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा नाम से है, उसने बाजरे की फसल पर इतना अटैक किया कि जो फसल पूरी तरह से पक कर तैयार खड़ी थी उसमें 20 से लेकर 70 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। पिछले सीजन में कटने के बाद पड़ी हुई फसल बारिश के कारण बर्बाद हुई थी और इस बार खड़ी फसल पर यह भारी आपदा आई है। मैं इस बारे में आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हूं कि सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं? प्राकृतिक आपदा तो आ सकती है लेकिन सरकार को इसके प्रति गम्भीर होना चाहिए। मुझे पता चला है कि सरकार ने इसके लिए 17 लाख रुपये का फंड जारी किया है जिसमें से झज्जर के लिए केवल 2 लाख रुपये, रोहतक के लिए 1 लाख रुपये और महेन्द्रगढ़ के लिए 4 लाख रुपये जारी किये हैं। यह बात भी जानकारी में आई है कि इस इतनी बड़ी बीमारी के लिए जो 17 लाख रुपये दिये गये वे भी खर्च नहीं हुए हैं। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार ने तो पहले से ही चेताया था कि इस तरह की बीमारी या सुण्डी लगने का खतरा है अगर सरकार उस पर ध्यान देती तो इतना नुकसान नहीं होता। उन्होंने इसके लिए एक दवा इमामी टिन बैंजोइड भी बताई थी कि आप इसका छिड़काव कर दें लेकिन यह दवाई बताने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसका छिड़काव केवल ड्रोन के माध्यम से हो सकता था क्योंकि बाजरे की हाइट काफी बढ़ गई थी तो उसमें मैनुअली दवाई का छिड़काव नहीं हो सकता था। ड्रोन का खर्चा प्रति एकड़ लगभग 600 रुपये आता है और 300 रुपये की लगभग यह 100 ग्राम दवाई आती है। अगर सरकार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की सलाह पर संज्ञान लेते हुए इस दवाई का स्प्रे करवा देती तो किसानों का इतना अधिक नुकसान नहीं होता। हमारे झज्जर के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि लगभग 60

हजार एकड़ में बाजरे की खेती होती है जबकि माननीय उप-मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपने जवाब में झज्जर में 12600 एकड़ में बाजरे की फसल में खराबा बताया गया है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि मेरे झज्जर विधान सभा क्षेत्र में बिहरोड़ गांव में लगभग 2500 एकड़ में बाजरा बोया जाता है, सेलंगा गांव में 1500 एकड़ में, झामरी में 900 एकड़ में तथा खोरड़ा मे 1500 एकड़ में बाजरे की फसल बोई जाती है। इसी तरह से बहु, गोरिया, नौगांवा, सासरौली, मातनहेल, झांसवा, तुम्बाहेड़ी, आमोली, साल्हावास, रुड़ियावास, कालियावास, खाचरौली, खानपुर खुर्द तथा खानपुर कलां इत्यादि गांवों में भी बाजरे की खेती की जाती है और वैसे भी गवर्नमैंट तो अब बाजरे के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा प्रसार और प्रचार कर रही है कि सभी चीजों में उसका इस्तेमाल होना भी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह जानना है कि जैसा आपने कहा कि कैम्प लगाए गये लेकिन कैम्प लगाए जाने की बजाए यह ठीक है कि कैम्प में किसानों को अवेयरनैस देनी चाहिए थी लेकिन उन किसानों को अवेयरनैस देने की बजाए कृषि से जुड़े हुए जो विभागीय अधिकारी व कर्मचारी हैं उनको समय रहते हुए यह कार्यवाही करनी चाहिए थी जिससे हमारे किसान पर जो आपदा आई है इससे कहीं न कहीं उनका बचाव हो जाता। मैं तो आपसे केवल यही अनुरोध करना चाहूंगी कि किसानों का जो 20 से 70 प्रतिशत या जितना भी नुकसान हुआ है क्योंकि हमारे यहां प्रति एकड़ में तकरीबन 10 से 12 किवंटल बाजरा होता है तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि किसान का जो 5 से 6 हजार रूपये प्रति एकड़ का नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करने का काम करे। धन्यवाद।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम मुद्दा है और किसान भाइयों के ऊपर तो जैसे पूरी तरह से कहर ही टूट पड़ा है। सच्चाई यह है कि महेन्द्रगढ़ में 16900

किसान सितम्बर, 2022 से लेकर अब तक कम्पनसेशन का इंतजार कर रहे हैं जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री बीमा योजना को भी पूरा कर रखा है। तब से लेकर अब तक एक साल हो गया है लेकिन अभी तक उन किसानों को कम्पनसेशन नहीं मिला है। आप बताइये कि ये उन किसानों के साथ ज्यादती है या नहीं ? हिन्दुस्तान टाईम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुंडी व बारिश के प्रकोप के कारण पैडी और बाजरा में किसानों का 10 लाख एकड़ में नुकसान हुआ है। इसके अन्दर भी किसानों को कम्पनसेट नहीं किया गया है। अब हालात ये हो गये हैं कि अगली बिजाई होनी भी मुश्किल है जिससे अब उनके घरों के अन्दर इतना बुरा हाल हो रहा है कि किसान खुदखुशी करने के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। हमारे भिवानी, दादरी, महेन्द्रगढ़ और हरियाणा के जो बाकी जिले हैं उनके अन्दर 18 अगस्त, 2023 तक 1.27 लाख किसानों ने अपनी कम्पनसेशन क्लेम्ज के लिए आवेदन किया है और 6.27 लाख एकड़ लैंड पर पटवारियों ने आज तक अर्थात् अगस्त तक खाली 10 प्रतिशत एरिया को ही वैरिफाई किया है। आप समझ सकते हैं कि अगर इतना आराम से काम चलेगा तो ये किसान भाई कहां जाएंगे ? आगे उनकी खेती किस तरह से होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे अहम बात बताना चाहती हूं कि महेन्द्रगढ़ में जो 16900 किसानों ने कम्पनसेशन के लिए क्लेम किया हुआ था उसके ऊपर ये खरीफ क्रोप्स बाजरा और कौटन के बारे में It is also written in 'The Tribune' newspaper that Narnaul, Mahendergarh, Satnali, Kanina, Bhiwani and all these other blocks were affected by the natural calamities and by the Sundi. सर, वहां पर जो हमारे किसान भाई हैं वे कम्पेल हो गये हैं क्योंकि वे अधिकारियों के बार-बार चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है। सो, हमारी जो भिवानी की डी.सी. मोनिका गुप्ता जी थी उन्होंने सभी ऑफिसर्ज की एक मीटिंग की थी

उसमें उन्होंने कहा था कि किसानों ने जब पूरी तरह से अपनी फसल की इंश्योरैंस ले रखी है उसके बावजूद भी आज एक साल हो गया लेकिन उनको कम्पनसेशन नहीं मिल रहा है। इस संबंध में उन्होंने अपने अधिकारियों को यह कहा था कि 03.07.2023 तक इंश्यारैंस कम्पनी द्वारा उन किसानों को कम्पनसेशन के क्लेम का पैसा नहीं दिया गया तो उस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इस संबंध में मैं केन्द्र सरकार को अभी लिख रही हूं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि ऐसी कम्पनी जिनसे किसानों ने एक साल से अपनी फसल की इंश्यारैंस ले रखी है, प्रीमियम कटवा रखा है और के.सी.सी. कार्ड से किसानों के पैसे कट रहे हैं। सारा कुछ है। उसके बावजूद ये कम्पनी उनको पैसे नहीं दे रही हैं तो आप लोगों ने ऐसी कम्पनियों को ब्लैक लिस्ट किया है या नहीं किया है ? अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया ? किसान तो बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। अगर आप इन इंश्योरैंस कम्पनियों के साथ कोई भी ढिलाई बरतते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें सरकार की सम्मिलित होने की बात आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहती हूं कि वर्ष 2022 में भिवानी जिले के अंदर कॉटन प्रकोप का मामला आया था। (विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जिस फॅलो में चल रही है, वह भूल गई कि जो विषय हरी सुंडी या अमेरिकन सुंडी का है चाहे माननीय सदस्या ने 'हिन्दुस्तान टाईम्ज और 'दैनिक भास्कर' न्यूज पेपर्ज का नाम लिया है, जिस कंपनी का यह विषय उठा रही है वह वर्ष 2022 का है। चाहे माननीय सदस्या इस संबंध में रिकॉर्ड भी उठा कर देख लें।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं इन अखबारों की कटिंग को टेबल कर दूंगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस संबंध में न्यूज पेपर्ज गलत बोल रहे हैं। (विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को भी इस चीज को देखना चाहिये। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के बारे में कहा गया है कि इस प्रकार की संबंधित कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जायेगा। एक साल हो गया है और किसानों की 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत राशि कट चुकी है उसके बावजूद भी संबंधित कंपनी मुआवजे की राशि नहीं दे रही है। हमारे किसान भाई कहां जायें और किसके आगे जाकर अपना सिर पटके और रोये। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़े अखबार हैं और मैं इसकी फोटोकॉपी भी देने के लिये तैयार हूं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने बड़े अखबार झूठ बोल रहे हैं। हमें तो सारी की सारी जानकारियां अखबारों के माध्यम से ही पता चलती है। इस संबंध में अधिकारियों की मीटिंग हो चुकी है और संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि अगर मुआवजा नहीं दिया तो उन संबंधित कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद अगर इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है। आज पूरा हरियाणा इस बात को देख रहा है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस विषय पर अपनी सप्लीमैंट्री पूछने से पहले दो बातें आपसे जानना चाहता हूं। एक जो पिछला सत्र था, उस सत्र के दौरान मैंने किसान के संबंध में एक प्रश्न लगाया था कि किसान पर कितना कर्जा है? कितने किसान कर्जे की वजह से मरे

हैं? उसके साथ-साथ किन-किन बैंकों का कर्जा है? कैसे इन कर्जों को किसानों के सिर से उतरा जायेगा? इस प्रश्न के उत्तर के लिये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 दिन का समय मांगा था। नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी उसका समर्थन किया कि 15 दिन में इसका जवाब मिल जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय आपने स्वयं भी कहा था कि आपको इसका 15 दिन में जवाब मिल जायेगा। सत्र को बीते हुए लगभग तीन महीने का समय हो गया है, मेरे पास इसका अब तक कोई जवाब नहीं आया है। मैंने इसके लिये आपको अपने ऑफिस से बकायदा दो बार इस संबंध में लिखकर भी भेजा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, इसका जवाब 15 मिनट के अंदर आपके पास जवाब पहुंच जायेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, फिर इसका जबाव देने में तीन महीने का समय क्यों लगा। आपने उस समय मुझे 15 दिन का आश्वासन दिया था। अब तक इतना समय क्यों लग गया?

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि शराब घोटाले के विषय के ऊपर भी उससे पहले सत्र में यही कहा गया था कि 15 दिन में जवाब दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आपके पहले प्रश्न के बारे में उसका जवाब आपके पी.ए. श्री दिनेश को दे दिया गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल भी नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, मैं आपको अभी की जानकारी दे रहा हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, बात उस समय 15 दिन की थी। इसका मतलब यह हुआ कि आपको पहले से आभास हो गया गया था कि मैं इस संबंध में प्रश्न पूछने वाला हूं।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, सरकार को पता लग गया था कि आप इस संबंध में प्रश्न पूछेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी इस संबंध में जरूर पूछूंगा क्योंकि आप भी उस समय आश्वासन देने में शामिल थे।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, अब तो आपके पास जवाब आ गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे दूसरे प्रश्न के बारे में भी तो बात दें क्योंकि उसके बारे में भी कहा गया था कि इसका जवाब 15 दिन में आ जायेगा। वह अब तक क्यों नहीं आया। उसके लिये भी मैंने आपको कई बार लिख चुका हूं। उसका जवाब आना चाहिये या नहीं आना चाहिये, यह भी बताया जाये। आप मुझे इस संबंध में सरकार से पूछकर बतायें।

वह जवाब अब तक क्यों डिले है? प्लीज, मुझे इसके बारे में भी बताया जाये।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, सरकार की तरफ से मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं आया।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप सरकार से पूछ कर मुझे बताएं कि सरकार ने इसका जवाब अब तक क्यों नहीं दिया। सरकार ने आपके द्वारा दिये गये आश्वासन के बाद जवाब क्यों नहीं दिया, यह बात आपने पूछनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, मैं पूछ लेता हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि सरकार नाम की कोई चज नहीं है या फिर सरकार आपकी बात मानती नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, मेरा यह कहना है कि सदन के पटल के ऊपर कोई भी आश्वासन दिया जाता है, अगर वह आश्वासन पूरा नहीं होता है तो हमारी विधान सभा की सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति बनी हुई है, उसके अंदर आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे एप्लीकेशन देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं भी उस कमेटी का सदस्य रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे पूछूंगा कि आपके आश्वासन के बाद जवाब क्यों नहीं दिया गया। आपने स्वयं कहा था कि आपको इसका जवाब 15 दिन में दे दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आप सरकार का वैसे ही पक्ष ले लेते हो।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूं कि आप इस संबंध में एक एप्लीकेशन आश्वासन कमेटी में डाल दो।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपने सरकार से पूछना चाहिये कि इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया है। मेरा कहना है कि सरकार, आपकी नहीं सुनती है या फिर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, यह काम मैंने नहीं करना है बल्कि आश्वासन कमेटी ने करना है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, फिर तो मैं जो बात कहता हूं वह सही है। यहां तो लूटने वालों का टोल है।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि बाईपास बनवाने के बारे में दो बार सी.एम. अनाउंसमैंट हो चुकी है लेकिन अभी तक नहीं बना है। इसका भी कोई जवाब नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, आप पहले मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कि आप 5वीं बार विधायक चुनकर आये हैं और आपको सारे रास्तों का पता है। आपको तो पता है कि हमारी क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं, इसलिए आप उन्हीं व्यवस्थाओं का प्रयोग कीजिए।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आपको मेरे एक प्रश्न के संबंध में चार बार लिखकर दिया हुआ है। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऑफिसर्ज विधान सभा में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप इसका रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि काई भी गलत सूचना सदन के अंदर देगा चाहे वह अधिकारी है या फिर अन्य कोई व्यक्ति है उसको हम नोटिस करेंगे और जहां तक प्रिविलेज का मामला होगा तो उसके एंगेस्ट प्रिविलज का मोशन लेकर आयेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ सबूत दिये हैं कि यह गलत स्टेटमैंट और गलत रिकॉर्ड है। उसके हिसाब से मैंने आपको चार बार लिखकर दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका रिकॉर्ड निकलवा कर देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर कार्यवाही शुरू करवाईये।

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, कार्यवाही करवा देंगे। एक बार देख लेते हैं।

अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपने अनेक बार हाउस में यह कहा है कि मैं हाउस को पार्लियामैंट की पद्धति पर भी चलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, मैंने आप सभी लोगों के सहयोग से कोशिश की है।

अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, उसी तर्ज पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। पार्लियामैंट के अंदर एक चीज साफ लिखी हुई है कि-

> ‘अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर वह सदस्य जिसके नाम से वह सूचना कार्य सूची में दर्शायी गई है वह अपने स्थान पर खड़ा होता है और अपने संबंधित मंत्री का ध्यान उस विषय की ओर दिलाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसके संबंध में वक्तव्य दे।’

दूसरी चीज इसमें में आगे लिखी है कि-

> ‘यदि वक्तव्य छोटा हो तो मंत्री सामान्यत: सभा में उसको पढ़ देता है। उसके बाद वे सदस्य प्रश्न पूछते जिसके नाम कार्य सूची में होते हैं और मंत्री उनके उत्तर देता है।’

मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रश्न पूछने के बाद मंत्री उसका उत्तर देता है। क्या मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर संबंधित मंत्री की तरफ से आयेगा? मंत्री का उत्तर तो आ चुका है। अध्यक्ष महोदय, क्या मेरी सप्लीमैंट्री का उत्तर आयेगा?

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये?

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह रहा हूं कि क्या मेरी सप्लीमैंट्री का उत्तर आयेगा?

श्री अध्यक्ष: अभय जी, उसका उत्तर जरूर आयेगा।

अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय द्वारा कोई निर्देश जारी कर दिया जाता है तो उसको भी रूल के रूप में माना जाता है।

रूल 120 में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि - मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर कोई बहस

18:00 बजे

नहीं होगी परंतु अध्यक्ष संबंधित सदस्य को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मंत्री के वक्तव्य के आगे स्पष्टीकरण लेने के लिए 2 सवाल पूछने की इजाजत देता है। आप तो हमें एक सप्लीमैंट्री पूछने पर भी यह कह देते हो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, वह दो टोटल हैं यानि हर सदस्य को 2 नहीं हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप भी पढ़ लें फिर।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, टोटल दो हैं। हमने तो अभी 5 कर दिए हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं है। ये नियम 120 के द्वारा अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित हैं। आप इसको पढ़ लें कि दो कर सकते हो या नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, टोटल दो हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, टोटल दो नहीं टोटल तो पांच मैम्बर पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, पांच मैम्बर एक-एक क्वैश्चन पूछ सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक मैम्बर दो भी पूछ सकता है। यह परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, यह तो रूल ही है तो फिर परम्परा का सवाल ही नहीं है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में 2 सप्लीमैंट्रीज पूछने का सबका अधिकार है। हमने भी दिल्ली की असैम्बली चला रखी है। वहां हमेशा माननीय सदस्य को 2 सप्लीमैंट्रीज पूछने का अधिकार दिया जाता है।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, it is clearly mentioned in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly that

> "1[73 (1) A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date2[:]
>
> 3[Provided that such notice shall contain a brief statement which may not be more than two hundred and fifty words.]
>
> (2) There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the notice stands may, with the permission of the Speaker, ask a question;****"

a question वह पूछ सकता है।

Smt. Kiran Choudhry: Speaker Sir, when the question is not answered in totality then concerned Member will have to ask a supplementary question.

Mr. Speaker: There can be no debate.

Smt. Kiran Choudhry: I would like to know what is the point of asking the question because they are not going to answer the questions. What is the point of asking a question.

श्री अध्यक्ष : किरण जी, इस पर डिबेट नहीं हो सकती। मंत्री आपको आंसर दे रहे हैं। यह सही है गलत है। मंत्री के पास जो जानकारी है उसके अनुसार दें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री कोई गलत जवाब देगा तो क्या हम उसकी सप्लीमैंट्री नहीं पूछ सकते ?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अगर मंत्री गलत जवाब देगा तो आप रिटन में उसको गलत इंफर्मेशन के बारे में नोटिस दे सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या हम उसको क्लैरीफाई भी नहीं कर सकते?

श्री अध्यक्ष : नहीं अभय सिंह जी, क्लैरीफाई कर सकते हैं लेकिन इस पर लिमिट है। डिबेट नहीं हो सकती। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो यह हुआ कि हमने अपना सप्लीमैंट्री या एक क्वैश्चन पूछ लिया। आगे से मंत्री जो मर्जी जवाब दे दे, हाउस को उसे मानना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अगर मंत्री हाउस में गलत जवाब देंगे तो there is a provision.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हाउस में रोज ही गलत जवाब दिए जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अगर गलत जवाब दिया जाता है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इससे गलत और क्या होगा ? आपकी बात भी नहीं मानी गई । 15 दिन का आश्वासन देकर 9 महीने से ज्यादा का समय निकाल दिया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, इस सीए नोटिस का जो लक्ष्य था उसे माननीय मंत्री जी ने जवाब देकर पूरा कर दिया है । उन्होंने कह दिया कि हां, हम उनकी भरपाई करेंगे । अब किस बात पर बहस कर रहे हैं ? जो विषय माननीय सदस्य ने रखा था उसका माननीय मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया है । कह दिया गया है कि अभी दोबारा फिर से गिरदावरी हो रही है । हम निश्चित तौर से किसान के नुक्सान की भरपाई करेंगे । मेरे ख्याल से आपका यही उद्देश्य होगा ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि किसान का इतनी बुरी तरह से जो नुक्सान हुआ है उसे कौन कंपनसेट करेगा ? किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है । उसके बच्चे बिलख रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, कॉलिंग अटैंशन मोशन का मतलब क्या है । आप तो इस कुर्सी पर बैठी हैं । कॉलिंग अटैंशन मोशन का मतलब यह है कि इमिजिएट कोई प्रॉब्लम आई है, कोई आपदा आई है तो सदन का ध्यान उस ओर दिलाना । This is the Calling Attention Motion लेकिन जो प्रस्तावित प्रस्ताव रखता है वह सी.ए. के माध्यम से माननीय मंत्री जी और पूरे सदन का ध्यान दिलाता है । फिर भी इसमें जो प्रोविजन है माननीय सदस्य उसमें ज्यादा-से-ज्यादा 5 प्रश्न कर सकते हैं और हर माननीय सदस्य उसी विषय से संबंधित 1 प्रश्न पूछ सकता है। इसके लिए प्रॉविजन दिया हुआ है और रूल्ज बने हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जो पढ़कर सुनाया था वह रूल भी माननीय स्पीकर महोदय का ही बनाया हुआ है कि इस पर माननीय सदस्य 1 प्रश्न नहीं बल्कि 2 प्रश्न पूछ सकता है।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, आप यह बतायें कि यह रूल नम्बर कौन सा है?

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसमें संबंधित माननीय सदस्य नियम-120 के तहत 2 प्रश्न पूछ सकता है जोकि मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया था।

श्री अध्यक्ष:अभय सिंह जी, यह कौन सा नम्बर रूल है?

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह नियम बना हुआ है जो कि हरियाणा विधान सभा सैक्रेटरिएट की मैन्युअल में है।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, आप यह बताएं कि इसमें कौन सा रूल नम्बर है?

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पास इसकी कॉपी भिजवा देता हूं और आप इसको देख लें।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, यह रूल कॉलिंग अटैंशन मोशन के लिए नहीं होगा बल्कि किसी और चीज के लिए होगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह रूल कॉलिंग अटैंशन मोशन के लिए ही है।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, कॉलिंग अटैंशन मोशन के बारे में रूल नं0 73 (1) है।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: गीता जी, आप संबंधित विषय से बाहर अपनी बात रख रही है, इसलिए this will not be recorded.

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: गीता जी, आप संबंधित विषय से बाहर अपनी बात रख रही है, इसलिए आपकी बात रिकार्ड नहीं की जा रही है।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पर अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसमें न तो माननीय सदस्य का बाजरे से संबंधित क्वैश्चन है और न ही माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी का है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी यह बताएं कि इस कॉलिंग अटैंशन मोशन में पार्क्स का संबंध कहां से आ गया? आज यह कॉलिंग अटैंशन मोशन अरजैंट/इम्पोर्टैंट बाजरे में अमेरिकन सुंडी के प्रकोप के बारे में है। लेकिन माननीय

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया।**

सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी कह रही हैं कि इसमें पार्कस का जवाब गलत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष:दुष्यंत जी, माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी की यह बात रिकार्ड ही नहीं की गयी है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हाउस को 'फ्री फोर ऑल' मत करें। आप चेयर हैं।

श्री अध्यक्ष: दुष्यंत जी, मैंने इसके बारे में पहले से ही कह दिया है कि माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी की बात रिकार्ड न की जाए।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप टू दि सभी सदस्यों को स्पेसिफिकली डिस्कशन पर ही अपनी बात रखने दें।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फोरैस्ट विभाग द्वारा दिये गये मेरे अनस्टार्ड क्वैश्चन के बारे में बताना चाहूंगा।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस फोरैस्ट डिपार्टमैंट से अमेरिकन सुंडी का कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, इसमें यह विषय डिस्कस नहीं होगा। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। आप सदन का टाईम खराब न करें। अब माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी अपना प्रश्न पूछेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, आप ये बताएं कि किस चीज का प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक इसलिए नहीं बोला क्योंकि कॉलिंग अटैंशन मोशन चल रहा था। आपने अभी एक बड़ी जिम्मेवारी से बात कही है। जब एक माननीय सदस्य ने सरकार से इन्फॉर्मेशन मांगी है और सरकार ने एश्योर किया है कि वह 15 दिनों में मिल जाएगी या 20 दिनों में मिल जाएगी या एक महीने में मिल जाएगी। लेकिन वह इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आपने कह दिया कि यह मैटर एश्योरैंस कमेटी के पास चला गया। जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई है that is not a subject matter of the Assurance Committee. यह एश्योरैंस कमेटी तो पुल बनेगा, कॉलेज बनेगा या सड़क बनेगी, उस तरह के मैटर्ज को देखती है।

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, यह बात नहीं है। जो भी एश्योरैंसिज हाउस के अन्दर दिये जाते हैं उन सभी को ही एश्योरैंस कमेटी देखती है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, यह एश्योरैंसिज की बात नहीं है। यह बात इन्फॉर्मेशन देने के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, यह एश्योरैंस का मैटर नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, this is a matter of assurance. उन्होंने कहा कि सी.एम. साहब ने एश्योरैंस दिया था कि 15 दिनों में संबंधित सूचना दे देंगे। अगर संबंधित एश्योरैंस पूरी नहीं हुई है तो उसका आगे समाधान है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, इसका समाधान कहां पर है?

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, इस बात का समाधान एश्योरैंस कमेटी में ही है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, इसका समाधान कहां पर है? मैंने स्टेट लाएब्लिटी के ऊपर श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसका जवाब 15 दिनों के अन्दर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, आप सारे रूल्ज और प्रॉसीजर्ज के बारे में जानते हैं इसलिए कम से कम तो इनको फॉलो करें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप रूलिंग दो कि इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना एश्योरैंस कमेटी में आता है या नहीं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मैं समझता हूं कि यह इन्फॉर्मेशन या एश्योरैंस सदन के पटल पर कही है तो within such time ये इन्फॉर्मेशन या ये एश्योरैंस पूरी होगी। वह एश्योरैंस पूरी होनी चाहिए और वह इन्फॉर्मेशन पूरी मिलनी चाहिए। अगर वह पूरी नहीं होती तो उसके आगे रिलीफ है कि सदस्य ने क्या करना है। आप इसको एश्योरैंस कमेटी के अंदर दे सकते हैं। आप हाउस के अंदर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ला सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Speaker Sir, I want your protection. अध्यक्ष महोदय, मैंने debt liability पर श्वेत पत्र की मांग की है और उस पर 15 दिन का टाइम दिया गया है। Speaker Sir, I want your protection. Since independence अगर किसी विधान सभा में इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना एश्योरैंस कमेटी का सब्जैक्ट मैटर हो तो बता दे। (शोर एवं व्यवधान) इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना it is not a subject matter of the Assurances Committee.

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, अगर मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आयेगी तभी मैं आपको दूंगा। जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई ही नहीं है तो मैं आपको कहां से इन्फॉर्मेशन दूं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना it is not a subject matter of the Assurances Committee. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह कहना है कि यह कभी भी since independence किसी विधान सभा या लोक सभा में supply of information

की एश्योरेंस जो है it is not a subject of the Assurances Committee. मैं यह कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: This is a matter of privilege of the Member. Any Member can move a Privilege Motion.

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Speaker Sir, Member wants your protection.

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप लेकर आईये तभी मैं करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हमें आपकी प्रोटैक्शन चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मैं आपको तभी प्रोटैक्शन दूंगा जब आप मुझे लिखकर दोगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप देखते तो होंगे जो यहां पर आपका स्टाफ बैठा है और ये भी इन बातों को नोट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप रनिंग कमेंट्री न करे। मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। अगर इसके बाद भी आप नहीं रूकेंगे तो I will have to name you. (शोर एवं व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, समाज की एक मान्यता है कि कभी मां बाप चाचा भतीजे को झूठ बोलना नहीं सिखाता। मैंने न तो इसको कभी झूठ बोलना सिखाया है और न इसने भतीजे को ही झूठ बोलना सिखाया। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : यह तो सारा ही दिन झूठ बोलता है। थे भी थारी उम्र में सारी झूठ बोली और अण भी सारी उम्र में झूठ बोली। इन्होंने सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य की भाषा पर रोक लगाईये। इन्होंने कहा है कि मैंने सारी उम्र झूठ बोली है। ऐसी बातें सदन के फ्लोर पर कही जाती हैं और आप उस बात को एप्रीशियट करते हैं, यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने किस बात पर कहा है। क्या मैंने बाजरा की फसल का डाटा गलत दिया है। क्या आज जो यहां आंकड़े रखे गए हैं, क्या उसमें कोई गलत डाटा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : कल क्या बोल रहा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप मेरी एक बात सुनिये।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं। दो पेज के रिप्लाई में अगर तथ्य गलत हैं तो उस पर आरोप लगाइये। अध्यक्ष महोदय, आपने इनको 10 मिनट तक बोलने का मौका दिया लेकिन तब ये एक सवाल भी नहीं पूछ पाये। (शोर एवं व्यवधान) ये खुद इस हाउस की प्रोसीडिंग्ज को lenient करके और इस हाउस की मर्यादा खत्म कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस पर रूलिंग जरूर दीजिए।। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। यह बात हर व्यक्ति को पता है।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो यही कहना चाहूंगा कि आप मुझे बोलने से पहले ही रोक देते हो। जब मैं प्रश्न पूछने के लिए खड़ा होता हूं तो 3-3, 4-4 मंत्री खड़े हो जाते हैं और बीच में कांग्रेस पार्टी के साथी भी आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप प्लीज अपना प्रश्न पूछिये।

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, आपके मंत्री के द्वारा जवाब में लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, वो मेरे मंत्री नहीं हैं, सरकार के मंत्री हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, कोई बात नहीं आप सरकार के मंत्री कह लीजिए लेकिन मैं तो आपके माध्यम से ही मंत्री जी को कह सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि 11 लाख 90 हजार एकड़ क्षेत्र के अन्दर बाजरे की बुआई हुई थी। जिसमें से 3 लाख एकड़ के क्षेत्र में फसल इफैक्टिड है। इसमें सरकार की तरफ से टोटल 17 लाख रुपये सैंक्शन किया गया है कि 3 लाख एकड़ क्षेत्र की फसल को कैसे बचाया जाए। अगर यह देखा जाए तो प्रति एकड़ का 6 रुपये से भी कम बनता है। इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि यह सरकार किसान की कितनी बड़ी हमदर्द है। यह सरकार किसान को मारने के लिए, कमजोर करने के लिए तथा किसान की फसल न बचे उसके लिए समय के ऊपर किसान की कभी भी मदद नहीं करती। पहले बाढ़ से मारा और अब इस सुंडी से मार दिया। अध्यक्ष महोदय, अब आप मेरा अगला प्रश्न सुनिये वह यह है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय से बाजरे की सुंडी के कंट्रोल के लिए जो कि हमारी एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवसिर्टी है, से राय ली। जब किसी भी फसल में कोई बीमारी आती है तो इससे राय ली जाती है और यहां के जो वैज्ञानिक हैं उनसे बाकायदा पूछा जाता कि है कि इसको कैसे कंट्रोल जाए। उसके बाद वे सरकार को बाकायदा लिखित में या वर्बली तौर पर बताते हैं कि इस बीमारी के लिए यह पेस्टीसाइट है

और इसको इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। क्या सरकार द्वारा किसान की फसल को बचाने के लिए इस कृषि विश्वविद्यालय से कोई सलाह ली गई और ली गई तो कब ली गई इसके बारे में भी जरूर बताया जाए कि सरकार द्वारा किसान की फसल को बचाने के लिए इस यूनिवर्सिटी से बातचीत हुई या नहीं? इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सुंडी को कंट्रोल करने के जो मानक तय किये गये वे केवल बाजरे की फसल के जिसकी बिजाई जुलाई में हुई। मतलब जुलाई के पखवाड़े में जिसकी बुआई होती है केवल उसके लिए। मई और जून के लिए नहीं। तो मई और जून के लिए मानक तय क्यों नहीं किए गए? इसके बारे में भी बताया जाना चाहिए। किसान की फसल की बुआई दो-तीन महीने में अलग-अलग समय पर होती है और हर समय के अन्दर इसकी जानकारी लेना सरकार की जिम्मेवारी है कि उस फसल को कैसे बचाया जाए। सरकार के पास इसकी जानकारी आती है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है अभय जी। धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने बात शुरू ही नहीं की है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, एक क्वैश्चन पूछना था और आप तीन क्वैश्चन पूछ चुके हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, मैंने कहां पूछे हैं ?

श्री अध्यक्ष: अभय जी, जो पूछे हैं, क्या वे ऐसे ही थे ?

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, मैंने उससे रिलेटिड बात कही है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आप एक क्वैश्चन पूछ सकते हैं जबकि आप तीन प्रश्न कर चुके हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, मैं तो जो जवाब है उसकी क्वैरी कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, इसका आपको वो जवाब देंगे। आपने तीन प्रश्न पूछ लिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, मैंने तीन प्रश्न कहां पूछ लिए। आप मुझे अलग-अलग बताएं।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आपने यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा लिया कि पहले कराई की नहीं कराई। मई और जून की क्यों नहीं कराई और सरकार ने 17 लाख रुपये दिए क्या वे काफी है? क्या ये आपके क्वैश्चन नहीं हैं ?

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, क्या ये इससे रिलेटिड चीजें है या मैं कहीं बाहर से पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, मैं तो कह रहा हूं कि ये रिलेटिड हैं लेकिन आप एक क्वैश्चन पूछ सकते हैं। आप दो पूछ लीजिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, क्या कोई रिलेटिड बात नहीं पूछनी चाहिए। आप किसान के हितेषी हैं या किसान के खिलाफ हैं पहले तो यह बात बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, मैं तो किसान के बहुत हक में हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, आप किसान के हक में कहां हैं। कितनी अहम बात है कि किसान की 3 लाख एकड़ फसल मर गई। हम उसके बारे में सरकार से पूछना चाहते हैं और आप कहते हैं कि आपका क्वैश्चन क्या है ? 6 रुपये किले के देकर किसान को आप मारकर भी बचाना चाहते हो।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, बिल्कुल सरकार से पूछने के लिए आपको पूरा टाइम दिया है और इसीलिए कॉल अटेंशन लगाया है। अगर यह जरूरी नहीं होता तो फिर सी.ए. लगाने की क्या जरूरत थी। हम कॉल अटेंशन क्यों लगाते। कॉल अटेंशन लगाया इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट विषय है तभी लगाया।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, यह इसलिए लगानी पड़ती है कि यहां वैसे तो आप समय ही नहीं देते। वैसे तो आप कहते हैं कि तीन मिनट, पांच मिनट और फिर उसके बाद कहते हैं कि टाइम खत्म हो गया। यह सी.ए. इसलिए लगाई जाती है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, टाइम तो टाइम के मुताबिक ही खत्म होगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, आपको क्या पता कि इस सी.ए. से क्या पूछ सकते हैं और क्या नहीं पूछ सकते।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, अभी आप पढ़कर सुना रहे थे। अभी वैसे तो रिलेवैंट नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, आपने मेरे साथ इतनी देर बहस की, इससे अच्छा होता कि आप मुझे क्वैश्चन पूछ लेने देते।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आप उस समय कह देते कि दो क्वैश्चन पूछ सकते हैं आपने तो तीन क्वैश्चन पूछ लिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, आपको बहुत तकलीफ रहती है। मैं जैसे ही खड़ा होता हूं आपको फिर पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, मैं तो रूल्स के मुताबिक कहता हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने आज आपके बारे में कोई बात ही नहीं की है। मैं आपके बारे में बात करुंगा, हर हालत में करुंगा।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, कोई बात नहीं आपकी जब मर्जी हो, तब करो।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष जी, मैं जरूर करुंगा और सारी बात सबूत के साथ ही करुंगा। आप वाली बात में यह मानकर चलिए कि मैं हाऊस में जो कहकर गया हूं उसको पूरा

करके दिखाऊंगा लेकिन आज तो मैं स्पीकर साहब, स्पीकर साहब कहने लग रहा हूं फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अभय जी आप जल्दी अपनी बात खत्म करें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, आप मुझे दो मिनट का टाईम दें मैं अपनी बात खत्म भी कर दूंगा। इतनी देर में तो मैं अपनी बात खत्म कर देता जितनी देर आपने यहां लगा दी। सारा प्रदेश देख रहा है कि स्पीकर के और इसके बीच में के रोला है बेरा नी।

श्री अध्यक्ष : मेरा और आपका कोई रोला नहीं।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, कोई न कोई रोला तो है।

श्री अध्यक्ष : ना कोई रोला नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, जो दो हैक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले किसान हैं उनकी सहायता कैसे की जायेगी? जैसे अभी इस बात का जिक्र चल रहा था कि जिनकी फसल खराब हो गई उनको सरकार की तरफ से कितना-कितना मुआवजा दिया जायेगा या इसको अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्यों नहीं रखा गया। जब इसको एम.एस.पी. पर खरीदने की बात है तो फिर इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी रखना चाहिए। क्यों नहीं रखा गया इसका कारण भी बताया जाये। ये जरूर बतायें कि क्या 6 रूपये से उस किसान को सरकार क्या मदद करना चाहती थी। बस मुझे तो इतनी सी बात पूछनी थी। इतना टाईम आपने बिना ही मतलब के हाऊस का खराब कर दिया।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला :अध्यक्ष जी, जो फसल खराब हुई है मेरे पास उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं मैं उन्हें आपके पास भेजूंगा आप ही दिखा देना आगे किसको दिखानी हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, जिस माननीय सदस्य ने इस कालिंग अटैशन की शुरूआत की अभी वे हाऊस में नहीं हैं। वे बड़ी गम्भीरता के साथ इस विषय को लाये थे मगर मुझे लगता है कि रिप्लाई सुनने से पहले वे इस विषय की गम्भीरता को भूल गए। मैं इस बात को सिर्फ हाऊस के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जहां माननीय सदस्य ने बात कही एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने जो सर्वे किया वह 3,02,000 एकड़ अफैक्टिड लैंड उन्होंने बताई जोकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जब हमारे पास डाटा आया वह 2,00,566 एकड़ का आया है। ये प्राथमिक आंकड़े हैं। मैंने मेरे रिप्लाई में भी कहा था कि अभी जनरल गिरदावरी 05 सितम्बर से चलेगी। उसके अंदर भी आंकड़े आयेंगे वे इसके अंदर एडीशन आयेंगे। वैरीफिकेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्योंकि इस बार पहली बार है कि 88 लाख एकड़ एरिया में प्रदेश के कोने-कोने की हमने इस बार वैरीफिकेशन की है। किसी ने सैल्फ वैरीफिकेशन डाली है तो सैल्फ वैरीफिकेशन नहीं तो गवर्नमैंट के अधिकारियों के द्वारा हमने एक-एक एकड़ को वैरीफाई कराने का प्रयास किया है। तो हमारे पास डाटा पूरा है और जैसे ही एस.डी.आर.एफ. की तरफ जो नॉन इंशोर्ड फार्मी हैं वो लोग क्लेम करेंगे वहां से दिया जायेगा। जिसकी राशि माननीय गीता भुक्कल जी पूछ रही थी मैं बता देता हूं। 25 से 50 परसैंट फसल के खराबे का 7 हजार रूपये प्रति एकड़, 50 से 75 परसैंट बाजरे की फसल के खराबे का 9 हजार रूपये प्रति एकड़ है और 75 से 100 परसैंट फसल के खराबे का 12,500 रूपये प्रति एकड़ है और जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योर्ड फार्मर्ज को पैसा मिलने की बात है मैं एश्योर कर सकता हूं कि उनका एक मैथ्ड है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कई बार इस सदन में बता चुके हैं कि वे क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस करते हैं और क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस

के बाद गांव-दर-गांव जो क्रॉप लॉस आता है उस हिसाब से अगर कोई भी इंसैक्टिसाईड से फसल बर्बाद होती है उसका क्लेम वो डिस्इम्बर्स करते हैं। आफताब अहमद जी ने कहा कि पलवल और मेवात के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने कैम्प नहीं लगाये मैं भी जो डाटा मेरे को सप्लाईड था क्योंकि यह विषय एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट का है उसके अंदर पढ़ रहा था कि गुरूग्राम में 1,75,120 एकड़ जमीन का सर्वे किया गया और उसके अंदर 4,942 एकड़ जमीन ही सिर्फ इंफैक्टिड पाई गई और उसी के साथ लगते हुए झज्जर जिले में 56 हजार एकड़ लैंड में से 12,600 एकड़ लैंड को इफैक्टिड पाया गया। तो जो गुरूग्राम के ऊपर वाले जिले थे रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, झज्जर, भिवानी, दादरी इत्यादि में सुण्डी का प्रकोप ज्यादा हुआ है और जहां तक कैम्प न लगाने की बात है तो मैं ए.सी.एस. एग्रीकल्चर को आदेश दूंगा कि वहां जो अधिकारी थे उनको शोकॉज नोटिस जारी करें कि उन्होंने कैम्प क्यों नहीं लगाए। इसके साथ ही साथ उनके खिलाफ रिलवैंट एक्शन भी लीजिए। इसी तरह से माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी ने कहा कि इस सुण्डी के लिए समय पर दवाई का स्प्रे नहीं किया गया तो मैं इनको बताना चाहूंगा और मैंने अपने रिप्लाई में भी यह लिखा हुआ है कि इस समय बाजरे का बीज सिरटी में पक रहा था तो एच.ए.यू. ने इसी दौरान यह डायरेक्शन्ज दे दी थी कि आप पेस्टीसाइड्स का स्प्रे मत कीजिए क्योंकि राइपिंग सीजन में चाहे कोई दाना हो या फल हो उस पर पेस्टीसाइड्स का स्प्रे नहीं किया जाता। उससे फल और अनाज में पेस्टीसाइड्स का इन्टेक आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में आर्टिकल्स छपे थे और माननीय सदस्या ने भी पढ़ा होगा कि पैडी में ग्लोबली हमारा एक्सपोर्ट इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि कनटैंट्स ऑफ पेस्टीसाइड्स बहुत एक्सैसिव आ रहा है। इसी कारण से एच.ए.यू. की रिवाइज्ड डायरेक्शन्ज आ गई थी कि बाजरे की फसल पर पेस्टीसाइड्स का स्प्रे न किया जाये। दूसरी

बात यह है कि जो बाजरे की अगेती फसल थी वहां पर बाजरे की हाइट 5 फुट से ऊपर चली गई थी और वहां पर मैनुअली स्प्रे कर पाना सम्भव नहीं था। हमने ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करवाया है। ड्रोन से स्प्रे होने के बावजूद भी इस अमेरिकन सुण्डी पर ज्यादा असर नहीं देखा गया क्योंकि वह रूट से प्लांट के माध्यम से सिरटी तक आती है। इसी प्रकार से क्षतिपूर्ति पोर्टल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास 56367 किसानों ने 2,00,566 एकड़ बाजरे की फसल के खराबे का क्लेम डाला हुआ है। इसी प्रकार से माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी ने कहा कि भिवानी, महेन्द्रगढ़ और दादरी जिलों में क्लेम नहीं आया है। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी तक किसी भी फार्मर का क्लेम नहीं आया है। क्लेम भी अगर वह एस.डी.आर.एफ. से आयेगा तो भी वह इस फसल का पूरा सीजन खत्म होने के बाद डिस्बर्स होगा। एक बात यह भी आई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम अभी तक क्यों नहीं आया उसके बारे में मेरा कहना यह है कि पुराने क्लेम का मामला इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित नहीं है। माननीय सदस्या एग्रीकल्चर विभाग के लिए कॉलिंग अटैंशन लगा कर उसका जवाब डिटेल में ले सकती हैं कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम अभी तक क्यों नहीं मिला है क्योंकि वह डिजास्टर मैनेजमैंट से संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम डिजास्टर से संबंधित नहीं है वह एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट से संबंधित है। If you want the data that can be separately provided to you by the Agriculture Department.

Smt. Kiran Choudhry: So, the company has to be blacklisted by the Agriculture Department and not by you?

Shri Dushyant Chautala: Yes, it will be done by the Agriculture Department. We do not look into any tender for the company.

Smt. Kiran Choudhry: So, it is very very clear that Agriculture Department despite one whole year has still not blacklisted the company.

Shri Dushyant Chautala: Madam, it is not the part of today's calling attention**.** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या टॉपिक को डायवर्ट करके किसी और विषय पर लेकर जा रही हैं।

कृषि मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कृषि विभाग के कौन से विषय पर बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, यह मामला पिछले 2 साल से संबंधित है और यह आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित नहीं है। आज की सी.ए. करंट ईयर की है इसलिए पिछले सालों से संबंधित सवाल न पूछा जाये।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही बात स्पष्ट करना चाहती थी कि यह एग्रीकल्चर विभाग से संबंधित है या डिजास्टर मैनेजमैंट से संबंधित है और यह बात उप-मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दी है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि 17 लाख रुपये के कैम्प लगाये गये जिनका औसत 6 रुपये प्रति एकड़ बनता है। इसी प्रकार से गीता भुक्कल जी को भी बताया दिया है कि स्प्रे का प्रोग्राम इसलिए डैफर करना

पड़ा क्योंकि उसके सीड में पेस्टीसाइड्स का इन्टैक आने का खतरा बन गया था तथा एच.ए.यू. ने उसको रिवाइज्ड करने का काम किया है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो पूछा कि इसमें केवल 2 हैक्टेयर या 5 एकड़ तक के किसानों को ही कवर क्यों किया जायेगा तो उसके बारे में मेरा कहना है कि पूरे देश में एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ. की गाइडलाइन्स के अनुसार 5 एकड़ तक का ही मुआवजा दिया जाता है। आज ही नहीं देश की आजादी से लेकर अब तक यह 2 हैक्टेयर की ही गाइडलाइन है। उन्होंने यह भी पूछा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बाजरा कवर क्यों नहीं है तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि बाजरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर्ड है। पहले भी जब-जब बाजरे में क्रोप कटिंग एक्सपीरियंस में दिक्कत आई है

तब तब बाजरा उगाने वाले किसान की फसल के नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इतिहास में भी हुई है और इस बार भी सरकार उसको कवर करने का काम करेगी। धन्यवाद।

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

(पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक)

1. **हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन) विधेयक, 2023**

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करेंगे।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पुर:स्थापित हुआ।

(विधेयक पुर:स्थापित हुआ।)

2. **हरियाणा वाद्य(शोर-नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023**

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा वाद्य(शोर-नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करेंगे।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा वाद्य(शोर-नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा वाद्य(शोर-नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023 पुर:स्थापित हुआ।

(विधेयक पुर:स्थापित हुआ ।)

----

3. हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करेंगे।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023 पुर:स्थापित हुआ।

(विधेयक पुर:स्थापित हुआ ।)

4. सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष : अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करेंगे।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 पुर:स्थापित हुआ।

(विधेयक पुर:स्थापित हुआ ।)

कैग की रिपोर्ट से संबंधित फाइनैंशियल मिसमैनेजमैंट का जवाब देने के बारे में सूचना देना

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, एक विषय अगर आपकी अनुमति हो तो अब उस पर अपनी बात रख देता हूं नहीं तो कल सुबह रख दूंगा। मैंने तो विचार किया था कि कल चूंकि फाईनांस के और जो बिल आएंगे उस समय जो मान्यवर कादियान साहब ने जिस बात की चर्चा पहले दिन भी की थी। हमने उनको कहा था कि हम एक-दो दिन में इसका उत्तर देंगे लेकिन उन्होंने आज फिर कहा है कि आपने पिछले सैशन में इंश्योर किया था कि आप वह रिपोर्ट देंगे। अगर आप कहें और कादियान साहब की भी सहमति हो तो अभी उस विषय पर अपनी बात कह देता हूं नहीं तो कल जब सप्लीमैंट्री डिमांड्ज पेश होंगी उस समय मैं उस विषय पर अपनी बात रख सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी, अगर इस विषय पर आप अपनी बात कल कर लें तो ज्यादा अच्छा है।

क्लीन हुई ड्रेन्स, कैनाल्स, रिवर्ज से संबंधित डाटा सदन में ले डाउन करने के बारे में सूचना देना

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को जो कॉलिंग अटैंशन मोशन आया था उसमें माननीय विधायक गण ने जितनी ड्रेन्स और जितनी हमारी रिवर्स क्लीनअप हुई हैं उसका डाटा मांगा था। उस समय जो हमारे इरीगेशन के 17 सर्कल्ज हैं उसका डाटा हमारे पास लमसम में था। अब डिटेल्ड डाटा आ चुका है मैं इसको ले डाउन करता हूं। अगर किसी विधायक को चाहिए तो वे नेवा पोर्टल से उसको अपलोड कर सकते हैं। जिसमें वे देख पाएं

कि डिपार्टमैंट और मनरेगा के थ्रू कौन-कौन सी रिवर्ज, कैनाल्ज और कौन सी ड्रेन टाईमली कलीनअप हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : उप मुख्यमंत्री जी, आप यह डाटा टेबल कर दीजिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : ठीक है, मैं टेबल कर देता हूं।

Information Relates To [illegible] 317
Dated 25/08/23

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	SARASWATI HERITAGE CIRCLE KURUKSHETRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]
28/8/2023

318

Action Plan for Clearance of Drains Detail for FY - 2023-2024

Sr. No.	Name of Drain	Length of Drain(km)	Length of Drain Clearance Required(km)	Length of Drain Clearance Done(km)	Name of constituency	State Fund (Departmental) Expenditure Booked (in Rs.)	State Fund (Departmental) Pending Liability (in Rs.)	Through MANREGA Expenditure Booked (in Rs.)	Through MANREGA Pending Liability (in Rs.)	Mode Of Clearance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WS CIRCLE FATEHABAD											
1	Peri pheri Drain	2.71	2.71	2.71	Fatehabad	0	0	99000	0	MANREGA	completed
2	Gorakhpur Drain	2.19	2.19	2.19	Fatehabad	0	0	99000	99167	MANREGA	completed
3	Rangoi Nallah Diversion Drain	4.37	4.37	4.37	Ratia	0	0	1447080	568361	MANREGA	completed
4	Rangoi Nallah Drain	14.67	14.67	14.67	Tohana and Ratia	132000	0	2415000	[illegible]	MANREGA and Govt Machinery	completed
5	Sarbral Uklan Drain	3.97	3.97	3.97	Ratia	0	0	2274000	484203	MANREGA	completed
6	Jamal drain	8.76	8.76	8.76	Ratia	0	0	1349000	77138	MANREGA	completed
7	Talwara Link Drain	2.16	2.16	2.16	Ratia	0	0	438000	140237	MANREGA	completed
8	Mohammadpur Rohi Pacca Drain	2.74	2.74	2.74	Fatehabad	0	0	22680	0	MANREGA	completed
9	RANGOI KHARIF CHANNEL	46.82	46.82	46.82	Ratia Fatehabad	637780	240207	7006113	0	MANREGA and Machinery	completed
10	HISAR GHAGGAR MULTIPURPOSE CHANNEL RD 160275-205230	19.57	19.57	19.57	Adampur, Fatehabad	998443	0	5821176	0	MANREGA and govt Machinery	completed
11	Bhana Link Drain	2.44	2.44	2.44	Fatehabad	0	0	169350	0	MANREGA	completed
12	Kirdhan Link Drain	3.04	3.04	3.04	Fatehabad	0	0	13578	0	MANREGA	completed
13	M-R Drain	2.31	2.31	2.31	Fatehabad	0	0	22657	0	MANREGA	completed
14	Gorakhpur Link Drain	1.38	1.38	1.38	Fatehabad	0	0	80000	23311	MANREGA	completed
15	Joya Nallah	0	0	0	Tohana	32000	0	63000	0	MANREGA AND GOVT MACHINERY	[illegible]
	Total	119.33	119.33	119.33		1880223	240207	18181903	5319324		
WS CIRCLE HISAR											
16	Seepage Drain Along Barwala Br RD 107000 to 113000	1.83	1.83	1.83	Barwala	0	0	150000	0	MANREGA	100% work completed at site

3 — [illegible] 319

[illegible]	Hisar Dhuggar Mohapalpura Channel of 98800 TO of 134500	19.49	19.49	19.49	Barwala	2317180	2317180	0	0	Tender	100% work completed at site
[illegible]	Haqa Drain RD 5 to RD 6000 and RD 11000 to RD 42930	10.65	10.65	10.65	Nohar	2638000	2638000	0	0	Tender	100% work completed at site
[illegible]	Sawal Moha Drain	11.4	11.4	11.4	Nohar	0	0	1878000	0	MANREGA	100% work completed at site
[illegible]	Seepage Drain Along Barwala Br. 120500 to 179000	2.59	2.59	2.59	Barwala	0	0	213000	0	MANREGA	100% work completed at site
[illegible]	DRAIN 'A'	1.9	1.9	1.9	Hisar	0	0	0	0	Shareholders	100% work completed at site
[illegible]	DRAIN 'B'	4.37	4.37	4.37	Hisar	0	0	549000	0	MANREGA	100% work completed at site
[illegible]	DRAIN 'E'	1.14	1.14	1.14	Hisar	0	0	0	0	Shareholders	100% work completed at site
[illegible]	DRAIN 'C'	0.91	0.91	0.8	Hisar	0	0	0	0	Shareholders	100% work completed at site
[illegible]	DRAIN 'M'	1.83	1.83	1.83	Hisar	0	0	0	0	Shareholders	100% work completed at site
[illegible]	DRAIN 'N'	1.83	1.83	1.83	Hisar	0	0	135000	0	MANREGA	100% work completed at site
[illegible]	DRAIN 'X'	2.13	2.13	2.13	Hisar	0	0	219000	0	MANREGA	100% work completed at site
[illegible]	DRAIN 'Y'	2.13	2.13	2.13	Hisar	0	0	221000	0	MANREGA	100% work completed at site
[illegible]	[illegible] Link Drain	0.72	0.72	0.72	Hansi	0	0	0	0	Shareholders	100% work completed at site
[illegible]	[illegible] Drain	1.98	1.98	1.98	Nohar	0	0	508000	0	MANREGA	100% work completed at site
[illegible]	Mayyar Field Drain	2.29	2.29	2.29	Barwala	0	0	214000	0	MANREGA	100% work completed at site
[illegible]	Dhiraj Field Drain	1.83	1.83	1.83	Barwala	0	0	0	0	Shareholders	100% work completed at site
[illegible]	Khanpur Sisai Link Drain	14.35	14.35	14.35	Hansi	0	0	2220000	0	MANREGA	100% work completed at site
[illegible]	[illegible] drain	24.75	24.75	24.75	Hansi Barwala	2452000	0	0	0	Departmental machinery	[illegible]

-320-

35	Hansi Ghaggar Multipurpose Channel (289000 to 331330)	19.64	19.64	19.64	Adampur	0	688000	1405700	1725570	MANREGA	[illegible] MANREGA & machinery
36	SIRAJ DRAIN	16.85	16.86	16.8	Narnaund	0	0	6400000	0	MANREGA	Almost Completed some patches remain
37	Main Drain	11.36	11.36	11.36	Narnaund	0	0	3746000	0	MANREGA	Completed
38	Narnaund drain	6	6	6	Narnaund	147000	0	0	0	Departmental Machinery	Completed
39	Lohari Drain	5.32	5.32	5.32	Narnaund	0	0	1495000	0	MANREGA	Completed
40	Budana drain	5.16	5.16	5.16	Narnaund	0	0	599000	0	MANREGA	Completed
41	Sisai kala drain	1.37	1.37	1.37	Narnaund	13000	0	0	0	Departmental Machinery	Completed
42	Dhani [illegible]	1.86	1.86	1.86	Hansi	0	0	278000	0	MANREGA	Completed
43	Bass khurd kala drain	5.72	5.71	5.71	Narnaund	0	0	675000	0	Departmental Machinery/MANREGA	Completed
44	Bass khurd kala link drain	8.41	8.41	8.41	Narnaund	0	0	812000	0	MANREGA	Completed
45	Bass a drain	2.44	2.44	2.2	Narnaund	0	0	247000	0	MANREGA	Completed
46	[illegible] link drain	18.29	18.29	18.29	Narnaund	0	0	844000	0	MANREGA	Completed
47	[illegible] drain	6.1	6.1	6.1	Narnaund	0	0	1790000	0	MANREGA	Completed
48	[illegible] drain	5.24	5.24	5.24	Narnaund	0	0	418000	0	MANREGA	Completed
49	Bass Petwar drain	3.67	3.67	3.57	Narnaund	0	0	388000	0	MANREGA	Completed
50	HMPC	47.42	47.42	47.42	Narnaund Hansi	0	0	9179000	0	Departmental Machinery/MANREGA	Completed
51	HMPC	11.68	11.68	11.68	Hansi	0	1100000	472000	0	Departmental Machinery	Almost Completed Some patches remain
52	[illegible] drain	7.65	7.65	6.69	Hansi	0	0	2072000	0	MANREGA	Completed
53	THURANA DRAIN	9.23	9.23	9.23	Hansi	0	0	2417000	0	MANREGA	Completed
54	Petwar link drain	4.88	4.88	4.88	Narnaund	0	0	61000	0	MANREGA	Completed
55	[illegible] drain	8.03	8.05	8.03	Hansi	0	0	1253000	0	MANREGA	Completed
56	[illegible] drain	2.94	2.94	2.94	Narnaund	0	0	296000	0	MANREGA	Completed
57	[illegible] A drain	1.16	1.16	1.16	Hansi	0	0	121000	0	MANREGA	Completed
58	[illegible] drain	2.94	2.94	2.94	Hansi	0	0	653000	0	MANREGA	Completed
59	BADALA DRAIN	1.43	1.43	1.43	Narnaund	0	0	208000	0	MANREGA	Completed
60	Jamawari Drain	1.28	1.28	1.28	Hansi	0	0	130000	0	MANREGA	Completed
61	[illegible] Drain	6.34	6.34	6.34	Hansi Narnaund	24000	0	0	0	Departmental Machinery	Completed
62	Mohalla A Drain	0.43	0.43	0.43	Narnaund	6700	0	0	0	Departmental Machinery	Completed
63	[illegible] Drain	1.07	1.07	1.07	Narnaund	0	0	93000	0	MANREGA	Completed

5321-

64	Singhwa Drain	0.83	0.83	0.83	Narnaund	0	0	143000	0	MANREGA	Completed
65	Bahi Drain	0.24	0.24	0.24	Narnaund	163800	0	0	0	Departmental/Ministry	Completed
66	Singhwa A Drain	1.13	1.13	1.13	Narnaund	0	0	146800	0	MANREGA	Completed
67	Bahla A Drain	1.22	1.22	1.22	Narnaund	0	0	194800	0	MANREGA	Completed
68	Ujalan Drain	4.94	4.94	4.94	Narnaund	399080	0	0	0	Departmental/Ministry	Completed
69	DHANPAL DRAIN	3.42	3.42	3.42	Hansi	0	0	464080	0	MANREGA	Completed
70	SULCHANI DRAIN	2.74	2.74	2.74	Narnaund	0	0	333080	0	MANREGA	Completed
71	MOHALLA DRAIN	0.79	0.79	0.79	Narnaund	87600	0	0	0	Departmental/Ministry	Completed
72	PUTHI DITCH DRAIN	0.75	0.75	0.75	Narnaund	0	0	183000	0	MANREGA	Completed
73	New Dhaggar Mahamudpur Channel RD 33400 to RD 20600	19.83	19.83	19.83	Nahra	2333440	1218640	0	0	Tender	50% work completed at site
74	Digoh Field Drain RD 0 to RD 2000	0.73	0.71	0.73	Hisar	0	0	137000	0	MANREGA	100% work completed at site
75	Nehru Link Drain	2.29	2.29	1.37	Barwala	277720	277720	0	0	Departmental/Ministry	100% work completed at site
	Total	368.18	368.18	368.99		18892390	5359390	45442709	1728979		
RWS CIRCLE KAITHAL											
76	Fatehpur Lt. Drain	2.84	2.84	2.84	Pundri	0	300800	0	0	Departmental/Ministry	Completed
77	Kaithal Drain	49.86	49.86	49.86	Kaithal	700000	377800	3353858	1404563	MANREGA	Completed
78	Old Mirza Lt Drain	5.63	5.57	5.63	Kaithal	0	0	353779	0	MANREGA	Completed
79	Pinjwa Lt Drain	6.49	6.49	6.49	Guhla	0	0	713795	0	MANREGA	Completed
80	Kakaut Jand Lt Drain	3.15	3.15	3.15	Guhla	0	0	435340	0	MANREGA	Completed
81	Mangaur Chai Drain	7.16	7.16	7.16	Guhla	0	0	338340	0	MANREGA	Completed
82	Mirza Link drain	3.94	3.94	3.94	Kaithal	0	0	0	0	MANREGA	Completed
83	Dhaggar Cheeka Drain	17.28	17.28	17.28	Guhla	0	0	951000	0	Departmental/Ministry/MANREGA	Completed
84	Aand Drain	42.87	45.82	45.87	Pundri, Kaithal	0	1173800	5077654	0	Departmental/Ministry/MANREGA	Completed
85	Kaul Lt Drain (Kaithal section)	2.13	2.13	2.13	Pundri	0	109080	0	0	Departmental/Ministry	Completed
86	Pundri Lt Drain	6.93	6.93	6.93	Pundri	0	0	564000	0	MANREGA	Completed
87	Pundri Drain No 1	30.35	30.35	30.35	Pundri	0	700000	3988000	0	MANREGA	Completed
88	Tyong Lt Drain	3.08	3.09	3.08	Kaithal	18080	0	130808	0	MANREGA	Completed
89	Deogarh Lt Drain	3.65	3.65	3.65	Kaithal	33000	0	121008	0	Departmental/Ministry	Completed
90	Mangal Mirza Link Drain	7.34	7.34	7.34	Kaithal	0	88570	927817	0	MANREGA	Completed

91	BHANA BRAHMNA LINK DRAIN	11.98	11.57	11.57	Kalayat	0	499625	328950	0	MANREGA/Tied	Completed
92	EXTENSION BHANA BRAHMNA LINK DRAIN	3	3	3	Narwana	0	0	544799	0	MANREGA	Completed
93	KOEL LINK DRAIN	5.4	5.4	5.4	Narwana	0	0	416023	0	MANREGA	Completed
94	KULAR LINK DRAIN	2.6	2.6	2.6	Kalayat	0	0	307862	0	MANREGA	Completed
95	GURBAL LINK DRAIN	7.77	7.77	7.77	Narwana	0	821369	0	0	Tied	Completed
96	KHERI LAMBA DRAIN	3.03	3.02	3.02	Kalayat	0	332475	230467	0	MANREGA/Tied	Completed
97	SUNDERPURA DRAIN NO.1	1.6	1.6	1.6	Uchana	0	0	229900	0	MANREGA	Completed
98	LOHAN DITCH DRAIN	1.35	1.35	1.35	Narwana	0	0	30708	0	MANREGA	Completed
99	GURTHALI LINK DRAIN	0.8	0.8	0.8	Narwana	0	0	60457	0	MANREGA	Completed
100	UJHANA DRAIN NO.1	2.13	0.3	0.3	Narwana	0	0	19346	0	MANREGA	Completed
101	UJHANA DRAIN NO.II	1.6	1.6	1.6	Narwana	0	0	103139	0	MANREGA	Completed
102	SURJA KHERA DRAIN NO.II	2.53	0.3	0.3	Narwana	0	0	24412	0	MANREGA	Completed
103	NEW BELARKHA DITCH DRAIN	1	1	1	Narwana	0	0	98835	0	MANREGA	Completed
104	AMBERSAR LINK DRAIN	3.81	3.81	3.81	Narwana	0	0	136955	0	MANREGA	Completed
105	GURUSAR DITCH DRAIN	0.6	0.6	0.6	Narwana	0	0	49963	0	MANREGA	Completed
106	SURBRA DITCH DRAIN	5.9	5.9	5.9	Uchana	0	0	705937	0	MANREGA	Completed
107	DANODA DITCH DRAIN	0.66	0.66	0.66	Narwana	0	0	42735	0	MANREGA	Completed
108	BELARKHA LINK DRAIN	0.55	0.55	0.55	Narwana	0	0	49998	0	MANREGA	Completed
109	KARLAMUH LINK DRAIN	3.35	3.35	3.35	Kalayat	0	463862	0	0	Tied	Completed
110	PUNDRI DRAIN NO.II	26.47	26.45	26.45	Kalayat	0	2408182	1195576	0	MANREGA/Tied	Completed
111	Kosan Drain	17.7	17.7	17.7	Kalayat	0	0	555353	0	MANREGA	Completed

-323-

[illegible]	[illegible] Link Drain	2.74	2.74	2.74	Kalayat	0	25[illegible]40	452438	0	Departmental/Machinery/MANREGA	Completed
[illegible]	Pinda Link Drain	4.21	4.21	4.21	Kalayat	0	0	452500	0	MANREGA	Completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	3.7	3.7	3.7	Kalayat	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	3.15	3.11	3.11	Kalayat	0	0	398000	0	MANREGA	Completed
116	[illegible] Link Drain	2.8	2.8	2.8	Kaithal	0	0	160000	0	MANREGA	Completed
117	[illegible] Link Drain	1.68	1.68	1.68	Pehowa	0	0	300000	0	MANREGA	Completed
[illegible]	[illegible] Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kaithal	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	2.2	2.2	1.91	Guhla	0	0	265000	0	MANREGA	Completed
	Total	332.93	320.8	327.56		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible] CIRCLE [illegible]											
120	Burj Ghaggar Drain	34.83	28.88	28.88	Kalanwali	842521	18000	862869	352802	MGNREGA/Tender	Completed from RD 0 to 18000 and 30000 to 130000 through Mgnrega and RD 18000 to 58000 was improved. A [illegible] [illegible] was [illegible] for Burj Ghaggar Drain from RD 130000 to [illegible] Tail ends [illegible] drains
121	[illegible] Link Drain	2.96	2.96	2.96	Rania	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MGNREGA/Tender	Completed (RD 0 to 5500 through tender and RD 5500 to 13000 through MGNREGA)

122	Sarsa Link Drain No. II	2.28	2.28	2.28	Kalanwali	0	0	0	0	Tender	Completed & remodeling proposal was sanctioned for Sirsa Ghaggar Drain from RD [illegible] to [illegible] with its subsidiary drains
123	Sarsa Sub Link Drain No. I	1.62	1.62	1.62	Kalanwali	0	0	0	0	Tender	Completed & remodeling proposal was sanctioned for Sirsa Ghaggar Drain from RD [illegible] to [illegible] with its subsidiary drains
124	Sarsa Sub Link Drain No. II	1.4	1.4	1.4	Kalanwali	0	0	0	0	Tender	Completed & remodeling proposal was sanctioned for Sirsa Ghaggar Drain from RD [illegible] to [illegible] with its subsidiary drains
125	Sarsa Sub link Drain No. III	0.24	0.24	0.24	Kalanwali	0	0	0	0	Tender	Completed & remodeling proposal was sanctioned for Sirsa Ghaggar Drain from RD [illegible] to [illegible] with its subsidiary drains

[illegible]	Drain No. 1 [illegible]	1.07	1.07	1.07	[illegible]	0	0	0	0	Tender	Completed. A [illegible] was [illegible] for [illegible] Ghaggar Drain from RD [illegible] to [illegible] Tail with [illegible]
[illegible]	[illegible] Ghaggar [illegible] Drain	42.99	42.99	42.99	Ellenabad	[illegible]	[illegible]	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible] Khedi Channel	38.75	38.75	38.75	Ellenabad	0	[illegible]	1873512	[illegible]	MANREGA/[illegible]	Completed
[illegible]	[illegible]	2.97	2.97	2.97	Ellenabad	0	0	0	[illegible]	MANREGA	Completed
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ellenabad	0	0	0	[illegible]	MANREGA	Completed
[illegible]	[illegible] Field Drain I	1.22	1.22	1.22	Ellenabad	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Completed
[illegible]	[illegible] Field Drain II	0.24	0.24	0.24	Ellenabad	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Completed
[illegible]	[illegible] Field Drain III	1.22	1.22	1.22	Ellenabad	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Completed
[illegible]	[illegible] Field Drain IV	1.37	1.37	1.37	Ellenabad	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Completed
[illegible]	[illegible] Drain	0.66	0.66	0.66	Ellenabad	0	0	70000	0	MANREGA	Completed
	Total	318.74	129.77	128.77		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible] AMBALA											
[illegible]	[illegible] Drain	3.9	3.9	3.9	[illegible]	0	219000	0	0	Tender	Work Completed
[illegible]	[illegible] Drain	2.59	2.59	2.59	Ambala City	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Work Completed
[illegible]	[illegible] Drain	3.96	3.96	3.96	Ambala City	0	0	317020	0	MANREGA	Work Completed
13[illegible]	[illegible] Drain	2.11	2.11	2.11	Ambala City	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Work Completed
[illegible]	[illegible] Drain ([illegible])	8.86?	8.86?	8.86?	Ambala City	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Work Completed
141	[illegible] Drain	2.35	2.35	2.35	Ambala City	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Work Completed
14[illegible]	[illegible] Drain	3.86	3.86	3.86	Ambala City	0	0	313090	0	MANREGA	Work Completed
[illegible]	[illegible] Nallah	3.49	3.49	3.49	Ambala City	0	0	248830	0	MANREGA	Work Completed
[illegible]	[illegible] Drain	0.61	0.61	0.61	Ambala City	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Work Completed
[illegible]	[illegible] Nallah	21.03	21.03	21.03	Ambala City	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Work Completed

326

[illegible]	Outfall Link Drain	0.85	0.85	0.85	Ambala City	0	0	131280	0	MANREGA	Work Completed
147	Ghadhary Link drain	0.99	0.99	0.99	Mullana	0	0	41410	0	MANREGA	Work Completed
148	Ghadhary Drain	1.07	1.07	1.07	Mullana	0	0	28208	0	MANREGA	Work Completed
149	Pema Majra Drain	1.4	1.4	1.4	Mullana	0	0	129230	0	MANREGA	Work Completed
150	Gatolgarh Drain	1.22	1.22	1.22	Mullana	182304	0	0	0	Tender	Work Completed
151	Panda Hadi Drain	1.29	1.29	1.29	Mullana	182776	0	0	0	Tender	Work Completed
152	Moh Dhaukhi la Drain	1.16	1.16	1.16	Mullana	0	0	6291	0	MANREGA	Work Completed
153	Panjaula Drain	1.22	1.22	1.22	Naraingarh	0	0	13920	0	MANREGA	Work Completed
154	Pilkhni Drain	6.84	6.84	6.84	Naraingarh	0	0	317720	0	MANREGA	Work Completed
155	Manauli Majra Drain	10.05	10.06	10.06	Ambala Cantt	161504	698826	0	0	Tender	Work Completed
156	Link Drain	0.77	0.77	0.77	Ambala Cantt	107818	0	0	0	Tender	Work Completed
157	Singhawala Drain	2.03	2.02	2.02	Ambala City	144902	30000	0	0	Tender	Work Completed
158	Tepla Drain	10.66	10.66	10.66	Ambala Cantt	283813	125092	0	0	Tender	Work Completed
159	Ambala Drain	14.82	14.82	14.82	Ambala city	586311	461344	0	0	Tender	Work completed
160	Dhel Drain	3.715	3.715	3.715	Ambala city	882684	0	0	0	Tender	Work completed
161	Karah Drain	1.77	1.77	1.77	Pehowa	0	92250	0	0	Tender	Work completed
162	Lukhwala Drain	4.27	4.27	4.27	Pehowa	0	224375	0	0	Tender	Work completed
163	Drain Along Lady Bund	10.68	10.68	10.68	Pehowa	0	561380	0	0	Tender	Work completed
164	Bhidan Nallah	13.78	13.78	13.78	Shahbad	0	898380	0	0	Tender	Work completed
165	Drain along R M B	1.68	1.68	1.68	Shahbad	0	174380	0	0	Tender	Work completed
166	Kyrmach Drain	6.25	6.25	6.25	Thanesar	0	318651	0	0	Tender	Work completed
167	Outfall Drain KKR	1.45	1.45	1.45	Pehowa	0	0	0	0	Chairman not filled	The channel is work completed in the work of site pending
168	Approach Drain KKR	0.41	0.41	0.41	Pehowa	0	134803	0	0	Tender	Work completed
169	Jyotisar Drain KKR	6.16	6.16	6.16	Pehowa	0	298980	0	0	Tender	Work completed
170	Alti drain (Sultanpur)	1.32	1.32	1.32	Nilokheri	0	268980	0	0	Tender	Work completed
171	Jatan drain-1	0.44	0.44	0.44	Kalka	0	20000	0	0	Tender	Work completed
172	singh nallah drain	0.32	0.32	0.32	Panchkula	0	31000	0	0	Tender	Work completed
173	vikas nagar drain	0.33	0.33	0.33	Kalka	0	23000	0	0	Tender	Work completed
174	Kanshi nagar drain	0.72	0.1	0.1	Ambala City	25810	0	0	0	Tender	Work completed
175	Dugana Nallah	0.71	0.71	0.71	Ambala City	163811	0	0	0	Tender	Work completed

[illegible]	[illegible] Diversion Drain	5.62	5.62	5.62	Ambala City	0	192400	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	Drain along [illegible] Road right side [illegible]	1.21	1.21	1.21	Ambala City	40800	0	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	Drain along [illegible] Road Left side [illegible]	1.31	1.31	1.31	Ambala City	31040	0	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Mohra Major Drain	0.61	0.2	0.2	Ambala Cantt	0	135000	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	Drain along [illegible]	3.87	3.87	3.87	Shahbad	0	308000	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Drain	0.2	0.2	0.2	Ambala City	49135	0	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	0.45	0.45	0.45	Ambala Cantt	47121	0	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Drain	1.82	1.82	1.82	[illegible]	0	188000	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	Model Town Drain	5.2	5.2	5.2	Ambala city	0	675000	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible]	2	2	2	Panchkula	0	275000	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible]	0.95	0.95	0.95	Panchkula	0	303000	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Nallah	1.72	1.32	1.32	Thanesar	0	385200	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Drain	1.37	1.37	1.37	Ambala Cantt	102050	0	0	0	Tender	Work completed
	Total	156.813	153.555	153.555		2144815	5474747	3689568	0		
[illegible]											
[illegible] KURUKSHETRA											
[illegible]	[illegible] Nadi	17.82	17.94	17.94	Sadhaura	903233	0	0	0	Tender	[illegible] in progress
[illegible]	[illegible] Nadi from RD [illegible] to [illegible]	42.76	42.76	42.76	Thanesar	0	1845743	10691187	0	Departmental/labour/MANREGA/Tender	RD [illegible]
[illegible]	[illegible] Nadi Drain	35.51	35.51	35.51	Ladwa	0	1032052	4338438	0	Departmental/labour/MANREGA	

192	CHAUTANG NALLAH D/S AMBALA JGD ROAD	41.58	39	39	Sadhaura & Radaur	1082124	0	0	0	Tender	completed
193	CHAUTANG NALLAH D/S AMBALA JAGADHARI ROAD	19.72	19.72	19.72	Sadhaura	620501	0	0	0	Tender	completed
194	KHERA KALAN SARASVATI TIRTHAT OF SARASVATI DHARA 41	1.61	1.61	1.61	Sadhaura	0	0	0	0	Tender	[illegible]
195	FATEHPUR SARASVATI TIRTHAT OF SARASVATI DHARA NO 11	4.69	4.69	4.69	Sadhaura	221561	0	0	0	Tender	
196	Saraswati River	30.75	26.76	26.76	Guhla & Pehowa	0	616421	832646	0	Departmental & MGNREGA	[illegible]
197	Saraswati Creek to Pehowa Lake RD 48200 to 70 RD 65.22 km to 54.13 km	14.69	14.69	14.69	Thanesar	0	0	4243087	0	MANREGA	
198	Saraswati [illegible] RD 13600 to 10,000 New RD 54.13 KM to 44.780 KM of Saraswati River	9.75	8.75	8.75	Pehowa	0	968171	4382121	0	Departmental/MGNREGA	

-329-

[illegible]	[illegible] Seasonal Tributary	12.??	12.91	12.55	Pilhewa	0	454963	1582263	0	Departmental/ advisory/MANREGA	
[illegible]	[illegible] Seasonal Tributary	3.67	3.67	3.67	Thanesar	0	0	802282	0	MANREGA	
[illegible]	[illegible] Seasonal Tributary	2.23	2.23	2.23	Thanesar	0	0	169230	0	MANREGA	
[illegible]	[illegible] Seasonal Tributary	3.50	1.46	1.49	Pehowa	0	0	488848	0	MANREGA	
	Total	895.73	274.81	274.85		2745159	4657836	38083374	0		
[illegible]											
[illegible] CIRCLE REWARI											
[illegible]	[illegible] Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kosli	70213	0	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Drain	7.84	7.81	0	Rewari	700008	0	0	0	Tender	Work completed
	Total	8.44	8.44	0.61		770224	0	0	0		
[illegible]											
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	5.93	5.93	0.6	Beri	100180	34580	0	0	Tender	Work Completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	5.15	5.15	2.35	Kalanaur/ Beri	36499	0	0	0	Departmental/ advisory/Tender	Work Completed
[illegible]	[illegible]PUR LINK DRAIN	0.38	0.38	0.38	Kalanaur	38000	0	0	0	Departmental/ advisory	Work completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	0.81	0.81	0	Jhajjar	18000	0	0	0	Departmental/ advisory	100% completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	1.85	1.85	0.2	Beri	27658	0	0	0	Departmental/ advisory	[illegible]
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	[illegible]	3.87	0	Jhajjar	0	100402	0	0	Tender	100% completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	5.90	4	1	Jhajjar	18816	0	0	0	Departmental/ advisory	100% completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	2.75	2.75	2.75	Beri	107850	0	0	0	Departmental/ advisory	100% completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	1.25	1.25	1.25	Beri	78818	0	0	0	Departmental/ advisory	100% completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	9.1	9.1	9.1	Jhajjar	10000	0	0	0	Departmental/ advisory	100% completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	9.31	9.31	9.31	Badli	223000	0	0	0	Departmental/ advisory	100% completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	1.22	1.22	1.22	Jhajjar	18036	0	0	0	Departmental/ advisory	100% completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	2.13	2.13	2.13	Beri	40000	0	0	0	Departmental/ advisory	100% completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	5.76	5.76	5.76	Beri	177760	0	0	0	Departmental/ advisory	100% completed

[illegible]	HASANPUR LINK DRAIN	1.2	1.2	1.2	Badli	15000	0	0	0	Departmental/Machinery	100% completed
[illegible]	BAGHPUR LINK DRAIN	5.06	5.06	5.06	Beri	72084	0	0	0	Departmental/Machinery	100% completed
[illegible]	JHORI DUSANA DHAUR LINK DRAIN	16.49	16.49	16.49	Beri	[illegible]	0	0	0	Departmental/Machinery	100% completed
[illegible]	JHAJJAR LINK DRAIN	5.67	5.67	4	Jhajjar	71864	0	0	0	Departmental/Machinery	desilting work is under progress
[illegible]	AURANGPUR LINK DRAIN	0.25	0.25	0.25	Badli	0	125000	363000	0	Departmental/Machinery/BRSS	100% completed
[illegible]	DITCH ALONG RIGHT SIDE OF JLN FEEDER	27.22	27.22	27.22	Jhajjar	215715	0	0	0	Departmental/Machinery	100% completed
[illegible]	DITCH DRAIN ALONG SHINDAWAS LAKE BUNDH FROM RD 0 TO 8700	2.65	2.65	2.65	Jhajjar	31464	0	0	0	Departmental/Machinery	100% completed
[illegible]	DITCH DRAIN ALONG SHINDAWAS LAKE BUNDH FROM RD 9400 TO 24221	4.32	4.32	4.32	Jhajjar	120832	0	0	0	Departmental/Machinery	100% completed
[illegible]	MATANHAIL PUMP HOUSE LINK DRAIN	0.73	0.73	0.73	Jhajjar	39592	0	0	0	Departmental/Machinery	100% completed
[illegible]	Ratchanda Link Drain	1.7	1.7	1.7	Jhajjar	27024	0	0	0	Departmental/Machinery	100% completed
[illegible]	Ladain Pump House Link Drain	0.55	0.55	0.55	Jhajjar	30000	0	0	0	Departmental/Machinery	100% completed
[illegible]	Mundakhera Link Drain	1.6	1.6	1.6	Jhajjar	65000	0	0	0	Departmental/Machinery	100% completed
[illegible]	New Wazirpur Link Drain	1.65	1.65	1.65	Beri	30252	0	0	0	Departmental/Machinery	100% completed
[illegible]	Wazir Pur Sub_Link Drain	4.06	4.06	4.06	Beri	72004	0	0	0	Departmental/Machinery	100% completed
[illegible]	Shah Drain Linking Kalyanwas Lake to Bardewas Lake	0.32	4.32	4.32	Badli	143000	0	0	0	Departmental/Machinery	100% completed

-331-

[illegible]	[illegible] Sub Link Drain	1.06	1.06	1.06	Jhajjar	40000	0	0	0	Departmentally achieved	100% completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	0.75	0.75	0.75	Beri	[illegible]	0	0	0	Departmentally achieved	100% completed
[illegible]	[illegible] link drain	1.43	1.43	1.43	Jhajjar	71000	0	0	0	Departmentally achieved	100% completed
[illegible]	[illegible] link drain	4.5	4.5	4.5	Beri	[illegible]	0	0	0	Departmentally achieved	100% completed
	Total	351.69	149.8	128.27		2446497	247592	[illegible]	0		
[illegible]											
238	[illegible] Major Drain	4.26	4.26	4.26	Dadri	215000	0	0	0	Tender	Work Completed
239	Kaliyana Drain [illegible]	0.5	0.5	0.5	Bawani Khera	12200	0	0	0	Departmentally achieved	Work Completed
240	Kaliyana Drain [illegible]	1.6	1.6	1.6	Bawani Khera	220000	0	0	0	Tender	Work Completed
241	[illegible] Drain [illegible]	4.8	4.8	4.8	Bawani Khera	156000	0	0	0	Tender	Work Completed
242	[illegible] Drain [illegible]	1.58	1.58	1.58	dadri	177000	0	0	0	Tender	Work Completed
243	[illegible] Drain [illegible]	1.83	1.83	1.83	dadri	[illegible]	0	0	0	Tender	Work Completed
244	[illegible] Drain [illegible]	6.22	6.22	5.42	dadri	[illegible]	0	0	0	Tender	Work Completed
245	[illegible] Link Drain	2.75	2.75	2.75	dadri	[illegible]	0	0	0	Tender	Work Completed
246	[illegible] Drain [illegible]	1.8	1.8	1.8	dadri	[illegible]	0	0	0	Tender	Work Completed

-332-

347	Seepage drain for dewatering area of village Mankawas from RD 0 to 1500 main drain along road and RD 0 to 2800-L along Kharak Dury outfalling at RD	1.27	1.27	0	Dadri	0	0	10000	0	MGNREGA	100% completed
348	Seepage drain for dewatering area of village Rirhi Kalan from RD 0 to 4500	1.37	1.37	1.37	Dadri	43080.8	0	0	0	Tender	100% completed
349	Seepage drain for dewatering area of Village Chandra Sabla wasi from RD 1150 to 4750L, 7800 to 4750L, 7180 to 9000 and 0 to 3800 along Dadri-Bhiwani road	1.28	1.28	1.28	Dadri	126337.38	0	0	0	Tender	100% work completed
350	Seepage drain from RD 21950-23650-L and R along L.Canal	7.16	7.16	7.16	Dadri	188848	0	0	0	Departmental by advisory	100% work completed
351	Seepage drain from RD 17500-9080 L and R and 7180-9080 L L.Canal	4.42	4.42	4.42	Dadri	194702	0	0	0	Departmental by advisory	100% work completed
352	Seepage drain from RD 31800-36100 and RD 41150-46350 L L/Canal	3.15	3.15	3.15	Dadri	86279	0	0	0	Tender	100% completed

-333-

[illegible]	[illegible]	2.41	2.41	2.41	Bajri	[illegible]	0	0	0	Tender	100% completed
[illegible]	[illegible]	1.82	1.82	1.82	[illegible]	[illegible]	0	0	0	Departmental activity	Work completed
[illegible]	[illegible]	1.79	1.79	1.79	Bajri	0	[illegible]	0	0	Departmental activity	Work completed
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	Tender	Work Completed
[illegible]	[illegible]	1.32	1.32	1.32	[illegible]	[illegible]	0	0	0	Tender	Work Completed
	Total	84.87	89.92	88.72		2,902,177	82,405	13,989	0		
[illegible]											
[illegible]	[illegible]	1.62	1.62	1.62	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Departmental activity	Complete
[illegible]	[illegible]	3.60	3.60	2.36	[illegible]	0	165527	0	0	Departmental activity	Complete
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	342498	0	0	Departmental activity per section	Work in progress
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	Departmental activity	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	Departmental activity	Complete
[illegible]	[illegible]	2.36	2.36	2.36	[illegible]	77500	0	0	0	Departmental activity	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender Departmental activity	Complete
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Departmental activity	Complete
[illegible]	[illegible]	1.32	1.32	1.32	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	Complete

-326-

267	Barauna link drain	1.26	1.26	1.26	Baroda	0	27107	0	0	Tender	partly [illegible]
268	Rabhar link drain no 2	1.46	1.46	1.46	Gohana	0	64598	0	0	Tender	IC work is Completed
269	Kakana link drain	1.2	1.2	1.2	Gohana	0	8968	0	0	Departmental/Machinery	IC work has been completed
270	Dhurana field link drain-3	1.45	1.45	1.45	Gohana	0	17604	0	0	Departmental/Machinery	IC work has been completed
271	Nayan link drain	0.85	0.85	0.85	Gohana	8968	0	0	0	Departmental/Machinery	IC work has been completed
272	Kasanda Link Drain 1	1.14	1.14	1.14	Gohana	8968	0	0	0	Departmental/Machinery	IC work has been completed
273	Kasanda Link Drain no 2	0.38	0.38	0.38	Gohana	8968	0	0	0	Departmental/Machinery	IC work has been completed
274	Baroda Dhurana Link Drain	4.27	4.27	2.14	Gohana	11000	0	0	0	Departmental/Machinery	IC work has been completed
275	Bhainswal Link Drain	1.74	1.74	1.74	Gohana	17045	0	0	0	Departmental/Machinery	IC work has been completed
276	Meham Drain	41	41	41	MEHAM	0	2400000	0	0	Tender	Work in progress
277	[illegible] link Drain	1.13	1.13	1.13	Baroda	0	35364	0	0	Tender	IC Work has been completed
278	Farmana Link Drain	3.35	3.35	3.35	[illegible]	0	65148	0	0	Tender	IC Work has been completed
279	Drain Number 8	25	25	25	Gohana	165000	0	0	0	MANREGA	Completed
280	[illegible] Link Drain	3.51	3.51	3.51	Baroda	0	60000	0	0	Tender	IC work has been completed
281	Madina P.H Link Drain	1.37	1.37	1.37	MEHAM	0	128000	0	0	Tender	IC work completed
282	[illegible] Link Drain	1.5	1.5	1.5	MEHAM	0	151767	0	0	Tender	completed
283	[illegible] link drain from RD 0 to 12000	6.75	3.04	3.04	Bahadurgarh	0	80000	0	0	Departmental/Machinery	Work Completed
284	North [illegible] Link Drain	2.13	2.13	2.13	MEHAM	0	119320	0	0	Tender	completed
285	[illegible] Link Drain	2.12	2.12	2.12	Gohana	0	185124	0	0	Tender	IC Work has been completed
286	Dhamar Link Drain	3.88	3.88	3.88	BARODA	0	144865	0	0	Departmental/Machinery	completed
287	South [illegible] Link Drain	4.53	4.53	4.53	KALANAUR	0	104000	0	0	Tender	Work Completed
288	[illegible] Link Drain	4.35	4.35	4.35	KALANAUR	0	0	0	280910	MANREGA	completed
289	[illegible] Link Drain	5.75	5.75	2	MEHAM	0	0	0	313000	MANREGA	Work Completed
290	[illegible] P.H link Drain	1.61	1.61	1.61	MEHAM	0	34000	0	0	Tender	completed

-325-

[illegible]	[illegible] P.N. Link Drain	1.5	1.5	1.5	KALANAUR	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	8	8	8	MEHAM	0	[illegible]	0	0	Tender	Work Completed
[illegible]	[illegible] Sub Link Drain	1.34	1.34	1.34	MEHAM	0	0	0	[illegible]	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible] Sub Link Drain	0.98	0.98	0.98	MEHAM	0	0	0	[illegible]	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEHAM	0	0	0	[illegible]	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible] P.N. Link Drain	2.16	2.16	2.16	MEHAM	0	0	0	[illegible]	Departmentally	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.16	1.16	1.16	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Departmentally	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	9.75	9.75	9.75	MEHAM	0	[illegible]	0	0	Tender	Work Completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.98	1.98	1.98	MEHAM	0	0	0	[illegible]	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	0.97	0.97	0.97	MEHAM	0	0	0	[illegible]	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible] Sub Link Drain	0.76	0.76	0.76	MEHAM	0	0	0	[illegible]	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible] Sub Drain	0.91	0.91	0.91	Gohana	0	[illegible]	0	0	Tender	Work Completed
[illegible]	[illegible] Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Departmentally	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	[illegible]	[illegible]	1.39	KALANAUR	0	[illegible]	0	0	Departmentally	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	2.21	2.21	2.21	[illegible]	0	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEHAM, KALANAUR	0	[illegible]	0	0	Departmentally	[illegible]
[illegible]	[illegible] Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Gohana	0	[illegible]	0	0	Tender	Work Completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	7.46	7.46	7.46	KALANAUR	0	0	[illegible]	0	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.72	1.72	1.72	Gohana	[illegible]	0	0	0	Departmentally	Work Completed
[illegible]	[illegible] Sub Link Drain	1.63	1.63	1.63	KALANAUR	0	0	[illegible]	0	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible] Sub Link Drain	1.31	1.31	1.31	KALANAUR	0	0	[illegible]	0	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	2.99	2.99	2.99	Gohana	[illegible]	0	0	0	Departmentally	Work Completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KALANAUR	0	0	[illegible]	0	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible] Sub Link Drain	1.06	1.06	1.06	KALANAUR	0	0	0	[illegible]	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Gohana	0	[illegible]	0	0	Tender	Work Completed

-336-

[illegible]	Bhali Anandpur Link Drain-I	3.6	3.6	3.6	KALANAUR	0	0	173809	0	MANREGA	complete
[illegible]	[illegible] link drain	1.13	1.13	1.13	[illegible]	10000	0	0	0	Departmental/M achinery	[illegible]
[illegible]	[illegible] Sub Link Drain	1.15	1.15	1.15	KALANAUR	0	0	49174	0	MANREGA	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	6.5	6.5	6.5	KALANAUR	0	0	[illegible]	0	MANREGA	complete
[illegible]	Chiri Link Drain	6.82	6.82	6.82	GARHI SAMPLA KILOI	0	[illegible]	0	0	MANREGA	Complete
[illegible]	[illegible] Link drain	7.62	7.62	7.62	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	0	[illegible]	MANREGA	Work Completed
[illegible]	[illegible] Canal [illegible] Link Drain	0.3	0.3	0.3	MEHAM	0	0	0	30710	MANREGA	complete
[illegible]	Chiri Sub Link Drain	2.83	2.83	2.83	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	0	[illegible]	MANREGA	complete
[illegible]	[illegible] Sub Link Drain	0.85	0.85	0.85	MEHAM	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Complete
[illegible]	[illegible]	2.25	2.25	2.25	MEHAM	0	0	0	[illegible]	MANREGA	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	6.78	6.78	6.78	MEHAM	0	0	0	[illegible]	MANREGA	complete
[illegible]	[illegible] link drain	0.43	0.43	0.43	[illegible]	0	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.55	1.55	1.55	KALANAUR	0	[illegible]	0	0	Departmental/M achinery	Complete
[illegible]	[illegible] Drain	22	15	15	GARHI SAMPLA KILOI	0	[illegible]	0	0	Tender	Complete
[illegible]	[illegible] link drain 1	1.62	1.62	1.62	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	3.81	3.81	3.81	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	[illegible]	0	MANREGA	complete
[illegible]	[illegible] Drain	23.62	23.62	23.62	KALANAUR	0	[illegible]	0	0	Tender	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	3.91	3.91	3.91	KALANAUR	0	[illegible]	0	0	Tender	complete
[illegible]	[illegible] Drain	15.7	15.7	15.7	KALANAUR	0	[illegible]	0	0	Tender	Complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	0.67	0.67	0.67	KALANAUR	0	[illegible]	0	0	Tender	complete
[illegible]	[illegible] Sub Link Drain	1.52	1.52	1.52	KALANAUR	0	[illegible]	0	0	Tender	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	2.31	2.31	2.31	GARHI SAMPLA KILOI	0	[illegible]	0	0	Departmental/M achinery	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.61	1.61	1.61	KALANAUR	0	[illegible]	0	0	Departmental/M achinery	complete
[illegible]	K.H. Link Drain	0.83	0.83	0.83	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	0	[illegible]	MANREGA	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	7.31	7.31	7.31	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	0	[illegible]	MANREGA	Complete

-337-

[illegible]	[illegible] Link Drain	11	11	11	GARHI SAMPLA KILOI	0	89500	0	0	Tender	Complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.19	1.19	1.19	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	0	120800	MANREGA	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.11	1.11	1.11	GARHI SAMPLA KILOI	0	27500	0	0	Departmental labour	Complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.31	1.31	1.31	GARHI SAMPLA KILOI	0	125000	0	0	Departmental labour	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	0.67	0.67	0.67	GARHI SAMPLA KILOI	0	110500	0	0	Departmental labour	Complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.8	1.8	1.8	GARHI SAMPLA KILOI	0	118000	0	0	Departmental labour	Complete
[illegible]	[illegible]	11	11	11	GARHI SAMPLA KILOI	0	610000	0	0	Tender	Complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	7.02	7.02	7.02	GARHI SAMPLA KILOI	0	360000	0	0	Tender	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	3.6	3.6	3.6	GARHI SAMPLA KILOI	0	150000	0	0	Tender	Complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	0.87	0.87	0.87	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	0	145900	MANREGA	complete
[illegible]	[illegible]	0.22	0.22	0.22	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	0	115800	MANREGA	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.28	1.28	1.28	GARHI SAMPLA KILOI	0	70000	0	0	Tender	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	0.68	0.68	0.68	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	0	152500	MANREGA	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	9.14	9.14	9.14	GARHI SAMPLA KILOI	0	210000	0	0	Tender	Complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.76	1.76	1.76	GARHI SAMPLA KILOI	0	150100	0	0	Tender	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	3.2	3.2	3.2	GARHI SAMPLA KILOI	0	115000	0	0	Departmental labour	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain 2	1.98	1.98	1.98	GARHI SAMPLA KILOI	0	110000	0	0	Tender	complete
[illegible]	[illegible]	2.19	2.19	2.19	[illegible]	0	45000	0	0	Departmental labour	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	0.74	0.74	0.74	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	0	185000	MANREGA	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	3.06	3.06	3.06	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	0	95000	MANREGA	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	0.71	0.71	0.71	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	0	110000	MANREGA	complete
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.47	1.47	1.47	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	0	55000	MANREGA	complete

338 – 358

364	Dhanas Sub Link Drain-I	0.8	0.8	0.8	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	0	82600	MANREGA	[illegible]
365	Sandrol link drain from RD 0 to 7850	0.30	0.30	0.30	Bahadurgarh	0	28700	0	0	Tender	[illegible]
366	Ditch Drain left side Bhalaut Sub branch	6.14	6.14	6.14	GARHI SAMPLA KILOI	0	290016	0	0	MANREGA	Complete
367	Barahi link drain from RD 0 to 4790	1.46	1.46	1.46	Bahadurgarh	0	65820	0	0	Departmental/Machinery	Complete
368	Asaudha pump house link drain from RD 0 to 4980	1.52	1.52	1.52	Bahadurgarh	0	32141	0	0	Departmental/Machinery	Complete
369	Ditch Drain Right side JLN feeder	6.15	6.15	6.15	GARHI SAMPLA KILOI	0	290076	0	0	Tender	Complete
370	West Jua Drain from RD 0 to 30000	18.3	9.2	9.2	Bahadurgarh	0	142250	0	0	Departmental/Machinery	[illegible] completed
371	Kulasi link Drain from RD 0 to 27500	8.38	8.38	8.38	Bahadurgarh	0	447000	0	0	Tender	work completed
372	Kulasi Bahadurgarh link Drain from RD 0 to 12000	3.96	3.96	3.96	Kharkhauda	0	335000	0	0	Tender	work completed
373	Dipal link Drain from RD 0 to 10000	3.05	3.05	3.05	Kharkhauda	0	32320	0	0	Departmental/Machinery	work completed
374	Mungeshpur Drain from RD 33500 to 52500	5.48	5.48	5.48	Bahadurgarh	0	860022	0	0	Departmental/Machinery	Complete
375	KAKONTHA LINK DRAIN	4.9	4.9	4.9	Kalanaur	197783	0	0	0	Tender	work completed
376	DITCH DRAIN ALONG DULHERA DISTY LEFT	6	6	6	Garhi-Sampla-Kiloi	238136	9867	0	0	Departmental/Machinery	work completed
377	KAHNELI LINK DRAIN	5.85	5.85	5.85	Kalanaur	380024	0	0	0	Departmental/Machinery	work completed
378	DHANDLAN LINK DRAIN	16.61	16.61	16.61	Beri	740341	0	0	0	Departmental/Machinery	work in progress
379	DITCH DRAIN ALONG DULHERA DISTY RIGHT	6	6	6	Garhi-Sampla-Kiloi	207138	22000	0	0	Departmental/Machinery	work completed

-339-

[illegible]	MATTAN LINK DRAIN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Bahadurgarh	[illegible]	[illegible]	0	0	Departmentally achieved	work completed
[illegible]	RITAULI PUMP HOUSE LINK DRAIN	1.37	1.37	1.15	Sohana	49356	0	0	0	Departmentally achieved	work completed
[illegible]	TIGAON LINK DRAIN	7.6	7.6	7.6	Beri	238928	0	0	0	Departmentally achieved	work completed
[illegible]	DRAIN No. 8 ... [illegible]	[illegible]	20.16	20.16	Beri	[illegible]	0	0	0	Departmentally achieved	work completed
[illegible]	PEHRAWAR LINK DRAIN	2.7	2.7	2.7	Rohtak	0	0	176016	0	MANREGA	work completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	10.7	10.7	10.17	Rohtak	508731	0	0	0	Tender	work completed
[illegible]	NAKLANA LINK DRAIN	4.11	4.11	4.11	Sonepat	285868	0	0	0	MANREGA	work completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	1.2	1.2	1.2	Beri	29718	0	0	0	Departmentally achieved	work completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	4.21	4.21	4.21	Jhajjar	0	136102	0	0	Tender	work completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KALANAUR	0	0	92031	0	MANREGA	work completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	1.82	1.82	1.82	Rohtak	0	0	38964	0	MANREGA	work completed
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	[illegible]	0.99	0.99	Rohtak	0	0	49246	0	MANREGA	work completed
[illegible]	[illegible]	17.76	17.76	17.76	HARODIA	320000	112728	0	0	Departmentally achieved	completed
[illegible]	[illegible] DRAIN	39.22	39.22	39.22	Gohana	883210	0	0	0	Departmentally achieved	W. work has been completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.1	1.1	1.1	HASSE SAMPLA KILOI	0	161271	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Gohana	172000	0	0	0	Departmentally achieved	W. work has been completed
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.75	Gohana	185968	0	0	0	Departmentally achieved	Completed
[illegible]	[illegible] Drain No. 1	50.48	50.48	50.48	Gohana	203700	0	0	0	Departmentally achieved	W. work has been completed
[illegible]	[illegible] Drain [illegible]	9.43	9.43	9.43	Gohana	0	348236	0	0	Tender	W. work has been completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.37	1.37	0.27	Baroda	0	39289	0	0	Departmentally achieved	Completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	3.09	3.09	3.09	Gohana	0	113482	0	0	Tender	W. work has been completed

-340-

401	[illegible] Bahadurpur Drain	12.19	12.19	12.19	[illegible], baroda, gohana	0	478000	0	0	Tender	completed
402	Diversion from drain No.2	3.11	7.11	9.22	BARODA	0	39472	0	0	Departmental activity	completed
403	Bhainswal [illegible] Link Drain	2.93	2.93	2.93	baroda	0	75291	0	0	Departmental activity	completed
404	DD NO.8	24.43	24.43	2.44	Gohana	178056	0	0	0	Departmental activity	work completed
405	Mungeshpur Drain from RD 80000 to 109500	8.84	8.84	8.84	Kharkhoda	0	363000	0	0	Tender	IC work has been completed
406	[illegible]	0.83	0.83	0.83	GARHI SAMPLA KILOI	0	0	[illegible]	0	[illegible]	work completed
407	Drain No 8 RD 130000 to 202000	31.95	21.85	21.95	GARHI SAMPLA KILOI/ KALANAUR	0	1138674	0	0	Departmental activity	work completed
408	Ditch Drain along GSB	14.63	14.63	14.63	Gohana	0	308344	0	0	Tender	IC work has been completed
409	[illegible]	1.07	1.07	1.7	Garhi Sampla Kiloi	17923	3000	0	0	Departmental activity	work completed
	Total	947.74	999.95	868.15		6127898	22619544	2527491	4818272		
YWS(N)											
[illegible] CIRCLE JAGADHRI											
410	Ditch Drain	21.24	21.24	21.24	Yamuna Nagar & Radaur	1472198	0	0	0	Machinery	100 % work Completed
411	[illegible] Drain 0 to 12500	3.81	3.81	3.81	Radaur	110031	21326	0	0	Tender	[illegible] Completed
412	Radaur Drain	3.64	3.64	3.64	Radaur	0	98397	0	0	Tender	100 % work Completed
413	[illegible]	0.61	0.61	0.61	Jagadhri	0	136944	0	0	Departmental activity	100 % work Completed
414	ALAHAR DRAIN	0.99	0.99	0.99	Radaur	186154	45402	0	0	Tender	Tender for the work i.e. Alahar Drain [illegible]
415	KHIZRABAD DRAIN	2.71	2.71	2.71	Radaur	0	0	0	0	Tender	-do-

-34/-

[illegible]	[illegible] DRAIN	2.76	2.74	2.7[illegible]	Badar	0	0	0	0	Tender	-Do-
[illegible]	THANA[illegible] DRAIN	2.46	2.46	2.46	Badar	0	0	0	0	Tender	-Do-
[illegible]	[illegible] DRAIN	8.66	8.66	8.66	Badar	0	0	0	0	Tender	-Do-
1[illegible]	[illegible]	27.43	27.43	27.43	Badar	777080	188752	0	0	Tender	100% work Completed
[illegible]	[illegible] Nallah	5.21	5.21	5.21	Jagatdev	233846	86728	0	0	Tender	100% work Completed
[illegible]	[illegible] Drain [illegible]	11.48	11.48	11.48	[illegible]	0	344227	0	0	[illegible]	100% work Completed
[illegible]	[illegible] DRAIN	[illegible]	0	0	Badar	0	0	0	0		[illegible]
	Total	89.75	89	89		[illegible]	[illegible]	0	0		
[illegible]	[illegible]	5.27	5.27	5.27	[illegible]	0	0	79773	0	MANREGA	work completed
[illegible]	[illegible]	5.27	5.27	5.27	[illegible] Khera	0	0	781[illegible]	0	MANREGA	work completed
[illegible]	[illegible]	4.3[illegible]	4.35	4.35	[illegible] Khera	0	41[illegible]	0	0	Tender	work completed
[illegible]	[illegible]	4.81	4.81	4.81	[illegible] Khera	0	0	[illegible]	0	MANREGA	work completed
4[illegible]	[illegible]	14.38	14.38	14.38	[illegible] Khera	0	0	2[illegible]	0	MANREGA	work completed
[illegible]	[illegible]	6.29	6.29	6.29	[illegible] Khera	0	7[illegible]	0	0	Tender	work completed
[illegible]	[illegible]	2.67	2.67	2.67	[illegible] Khera	0	0	12[illegible]	0	MANREGA	work completed
[illegible]	[illegible]	2.92	2.92	2.92	[illegible] Khera	0	1[illegible]	0	0	Tender	work completed

-342-

431	DINOD LINK Drain RD 0-7480	2.25	2.25	2.25	Bhiwani	0	98845	0	0	Tender	work completed
432	DUDANA Drain RD 0-4900	1.49	1.49	1.49	Bawani Khera	0	250000	0	0	Tender	work completed
433	GUJRANA LINK Drain RD 0-4000	1.21	1.21	1.21	Bawani Khera	0	170000	0	0	Tender	Work Completed
434	BHIWANI GHAGGAR Drain RD 0-105000	30.46	30.46	30.46	Bhiwani Tosham Bawani Khera	0	2321450	2219242	0	MANREGA/Tender	work completed
435	MITHATHAL GHUSKANI LINK Drain RD 0-70000	21.31	21.31	21.31	Bawani Khera	0	1350000	0	0	Tender	work completed
436	NEW GUJRANI Drain RD 0-9714	2.96	2.96	2.96	Bawani Khera	0	490000	0	0	Tender	work completed
437	LR GUJRANI Drain RD 0-8000	2.43	2.43	2.43	Bawani Khera	0	225000	0	0	Tender	work completed
438	PREM NAGAR Drain RD 0-5000	1.38	1.38	1.38	Bawani Khera	0	122511	0	0	Tender	work completed
439	SAINIAN DHANANA LINK Drain RD 0-103109	30.51	30.51	30.51	Bawani Khera	0	330000	0	0	Departmental/Tender	work completed
440	LL JATAI LINK Drain RD 0-20000	6.09	6.09	6.09	Bawani Khera	0	0	647534	0	MANREGA	work completed
441	Miran Drain from RD 0-4000	1.22	1.21	1.21	Tosham	33072	0	0	0	Tender	work completed
442	Chenani Drain from RD 0-4200	1.28	1.28	1.28	Tosham	33464	0	0	0	Tender	work completed
443	Tosham Drain form RD 0-13675	4.84	4.84	4.84	Tosham	0	0	425484	0	MANREGA	Completed
444	Mohanbari Drain No. 3	1.67	1.67	1.67	Bawani Khera	0	39819	0	0	Departmental/Agency	work completed
445	Dhanana Drain No. 8 RD 0-2500	0.8	0.8	0.8	Bawani Khera	0	49500	0	0	Departmental/Agency	Completed
446	Tigri Drain RD 0-1800	0.1	0.05	0.05	Bawani Khera	0	5700	0	0	Departmental/Agency	Work has been completed at site
447	Lohani Drain FROM RD 0-4450	1.34	1.34	1.34	Tosham	0	209352	0	0	Departmental/Agency	Work has been completed at site
448	Siwana Mal Link Drain RD 0-36480	11.12	11.12	11.12	Bawani Khera, Bhiwani	0	0	2591874	0	MANREGA	Work in completed on dated 28/06/2017
449	LL Tala Link Drain RD 0-10186	3.1	3.1	3.1	Bawani Khera	0	0	1143840	0	MANREGA	work completed

-343-

[illegible]	[illegible]	2.31	2.31	2.31	[illegible]	[illegible]	0	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible]	3.67	3.67	3.67	[illegible]	36043	0	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible]	20.92	9.92	9.92	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Departmental	[illegible]
	Total	221.86	2083	2083		195329	7516792	2829783	0		
[illegible]											
[illegible]	[illegible]	1.80	1.80	1.80	Safidon	12530	0	0	0	Departmental	Completed
[illegible]	[illegible]	7.92	7.92	7.92	Safidon	70006	0	0	0	Departmental	Completed
[illegible]	[illegible]	2.96	2.96	2.96	[illegible]	0	9044	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible]	22.76	22.76	22.76	Safidon	1140317	44249	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible]	11.76	11.76	11.76	Safidon	0	279634	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible]	7.92	7.88	7.12	Safidon	0	82274	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible]	3.02	3.46	3.20	[illegible]	0	18450	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible]	1.1	1.1	1.1	Safidon	0	38205	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible]	4.79	4.79	4.79	Safidon	90720	4233	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible]	3.96	3.96	3.96	Safidon	113145	4420	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible]	7.15	7.15	7.15	Safidon	0	231116	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible]	1.96	1.96	1.96	Safidon	14473	0	0	0	Departmental	Completed
[illegible]	[illegible]	3.26	3.26	3.26	Safidon	477933	23041	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible]	11.73	11.73	11.73	Safidon	175531	19797	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible]	7.86	7.86	7.86	Safidon	0	159037	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible]	9.9	9.9	9.9	Safidon	13800	8161	0	0	Tender/Departmental	Completed
[illegible]	[illegible]	0.76	0.76	0.76	Safidon	0	0	0	23400	MARB	Completed
[illegible]	[illegible]	5.66	5.66	5.66	Safidon	98755	8550	0	0	Tender	Completed
[illegible]	[illegible]	0.31	0.31	0.31	Safidon	0	0	0	13433	MARB	Completed
[illegible]	[illegible]	0.49	0.49	0.49	Safidon	0	0	0	18000	MARB	Completed
[illegible]	[illegible]	28.61	28.61	28.61	Safidon	0	1342000	0	0	Tender	Completed

474	Link Drain PTL outfall at RD 930 RD 1000 Bhainkhera Drain for village Kanawali	1.14	1.14	1.14	Safidon	0	0	481%	0	MANREGA	Completed
475	Nai Nallah Drain RD 110000-120000	8.84	8.84	8.84	Safidon	0	345837	0	0	Tender	Completed
476	Pauana Drain RD 41000-76600	10.79	10.79	10.79	Safidon	0	433312	0	0	Tender	Completed
477	Chabri Link Drain	3.79	3.79	3.79	Julana	0	122140	0	0	Tender	Completed
478	Charlang Nallah Drain	3.87	3.87	3.87	Safidon	0	182292	0	0	Tender	Completed
479	Dhanauri Drain	4.52	4.52	3.51	Safidon	0	159182	0	0	Tender	Completed
480	Desaun Karela Drain	12.1	12.1	12.1	Julana	0	838039	0	0	Tender	Completed
481	Lajwana Badi Drain	7.56	7.56	7.56	Julana	0	416689	0	0	Tender	Completed
482	Mauna Link Drain	4.6	4.6	4.6	Safidon	0	154902	0	0	Tender	Completed
483	Nandgarh Shamlo Kalan Barsola Drain	2.92	2.92	2.92	Julana	0	106752	0	0	Tender	Completed
484	Nirjan Brahmin Khera Ramrai Drain	14.36	14.36	14.36	Julana	0	474101	0	0	Tender	Completed
485	Rajana Link Drain	2.64	1.71	1.71	Safidon	0	47090	0	0	Tender	Completed
486	Rindh Link Drain	4.57	4.57	3.75	Safidon	0	149670	0	0	Tender	Completed
487	Malsara Drain	3.35	3.35	3.35	Julana	0	129912	0	0	Tender	Completed
488	Pulsana Kalwa Karela Drain	3.35	3.35	3.35	Julana	0	267248	0	0	Tender	Completed
489	Pilkhani Bala Link Drain	15.21	15.21	15.21	Julana Narwana	0	685916	0	0	Tender	Completed
490	Sildhi Link Drain	2.2	2.2	2.2	Julana	0	176327	0	0	Tender	Completed
491	Anupgarh Drain	7.32	7.32	6.86	Safidon	0	279944	0	0	Tender	Completed
492	Chabri Sub Drain	2.86	2.86	2.86	Safidon	0	81451	0	0	Tender	Completed
493	Kalawati Drain	0.48	0.48	0.48	Safidon	0	0	0	5800	Departmental/Labour	Completed
494	Kalwa Karela Drain	11.15	11.15	11.15	Jind, Julana, Safidon	0	1460251	0	0	Tender	Completed
495	[illegible]	9.54	9.54	9.54	Julana	0	127574	0	0	Tender	Completed
496	Shyana sub drain	0.76	0.76	0.76	Safidon	0	30601	0	0	Tender	Completed
497	Pai Link Drain	1.98	1.98	1.98	Julana	0	33488	0	0	Tender	Completed
	Total	300.92	290.58	287.7		2540543	[illegible]	481%	5800		

- 345 -

[illegible] CIRCLE KARNAL

[illegible]	[illegible] Drain	10.5	10.1	10.5	[illegible]	325500	0	0	0	Departmental Machinery	[illegible]
[illegible]	[illegible]	5.86	4	4	[illegible]	8500	0	0	0	Departmental Machinery	100% work [illegible] completed
[illegible]	[illegible] Drain	6.5	6.6	5.6	[illegible]	3600	0	0	0	Departmental Machinery	100% work [illegible]
[illegible]	[illegible]	2.97	2.97	2.97	None	0	0	41449	0	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible] Drain	49.46	13.86	18.86	Nilokheri Assandh, Karnal [illegible]	342216	2208733	0	0	Tender	The length of [illegible] drain from RD 68100 TO 27000 has been transferred to U.D. [illegible] of the portion will be executed by the [illegible] Panipat [illegible] 25% work has been completed [illegible] office
[illegible]	[illegible] Drain	44.56	31.97	31.97	Nilokheri Assandh	720481	1202220	2008830	0	Tender MANREGA	100% work of IC completed

-346

[illegible]	Assandh Main Drain	7.53	7.53	7.53	Assandh	0	730308	0	0	Tender	100% work of [illegible] completed
[illegible]	Assandh [illegible] Drain	3.04	3.04	3.04	Assandh, Safidon	206683	0	0	0	Tender	100% work completed
[illegible]	Assandh [illegible] Drain	2.38	2.38	2.38	Assandh	141014	0	0	0	Tender	100% work completed
[illegible]	Assandh [illegible]	3.51	0.46	3.46	Assandh	0	24247	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	Assandh L. Drain No.4	2.59	2.59	2.59	Assandh	0	127386	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	0.8	0.8	0.8	Nilokheri	44876	0	0	0	Tender	Work has been Completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	16.2	16.2	16.2	Nilokheri	0	863943	0	0	Tender	Work has been Completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	3.2	2.21	2.21	[illegible]	114514	0	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	3.23	3.23	3.23	Assandh	141366	0	0	0	Tender	Work has been Completed
[illegible]	O-Drain	11.84	11.84	11.84	Assandh Nilokheri	774812	0	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	H-Drain	12.00	12.04	12.04	Karnal, Assandh, Gharaunda	0	1001102	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	0.88	0.88	0.88	Nilokheri	24668	22500	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	3.81	2.05	2.05	Assandh	64477	0	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	[illegible] Drain	8.40	8.40	8.40	Assandh	884422	0	0	0	Tender	Work has been Completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	3.29	3.05	3.05	Indri	0	155402	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	[illegible] Drain	2.13	2.13	2.13	Assandh	64590	0	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	[illegible] Drain	3.86	3.86	3.86	Assandh	133300	0	89320	0	Tender+ MGNREGA	Work has been completed
[illegible]	Link Drain No.4	3.51	3.51	3.51	Nilokheri	0	101400	0	0	Tender	Work has been completed

59 -367-

[illegible]	Manak Wopi Sub Drain	1.12	1.13	1.13	Akbarabad	36147	0	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	Pul Kalan Drain	21.88	21.88	21.44	Akbarabad	711433	738019	345849	0	Tender+ MGNREG	Work has been completed
[illegible]	Wedaddur Link Drain (G.T. Road)	4.27	2.44	2.44	Nilokheri	0	73888	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	Nilokheri Link Drain (Railway Line)	3.61	3.51	3.61	Nilokheri	0	140152	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	Paluma Drain	12.93	12.93	12.93	Assandh	0	660006	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	Paluma Sub Drain	1.07	1.07	1.07	Assandh	70437	0	0	0	Tender	Work has been Completed
[illegible]	Rambha Link Drain	4.93	4.95	4.95	Indri,Nilokheri	98490	163623	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	Sarfgarh Drain	6.60	6.83	6.83	Nilokheri,Indri	385450	0	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	Sambhi Link Drain	8.6	8.61	8.51	Nilokheri	306746	68271	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	Jind Drain	2.27	2.07	2.27	Assandh	77946	0	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	Rer Link Drain	2.29	2.29	2.29	Assandh	90060	0	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	Sheikhupura Manpura Dr.	3.6	3.6	3.6	Assandh	0	765078	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	Jalmapura drain No. 1	3.02	3.02	3.02	Indri	0	53421	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	TARAORI MAIN DRAIN	35.44	20.1	20.1	Indri	0	1270123	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	Husain Sugar drain No. 1	2.85	2.86	2.86	Indri	0	79147	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	[illegible] drain	5.4	5.4	5.4	Indri	0	122344	0	0	Tender	Work has been completed
[illegible]	[illegible] sub drain no. 1	3.33	3.35	3.35	Indri	0	97224	0	0	Tender	Work has been Completed
[illegible]	Kutail drain	1.27	1.27	1.27	Indri	0	27246	0	0	Tender	100% work completed

- 348 -

[illegible]	[illegible] drain	1.81	1.81	1.81	[illegible]	0	32330	0	0	Tender	[illegible] completed
[illegible]	[illegible] drain	4.74	4.74	4.74	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	100% work completed
[illegible]	[illegible] drain	2.02	2.02	2.02	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	100% work completed
[illegible]	[illegible] drain	4.37	4.37	4.37	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	100% work completed
[illegible]	[illegible]	[illegible]	39	39	[illegible]	0	0	7407000	[illegible]	MANREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] drain	8.79	8.79	8.79	[illegible]	0	0	2414280	0	MANREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] drain	0.10	[illegible]	0.50	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	100% work completed
[illegible]	[illegible] drain	4.57	[illegible]	4.57	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	100% work completed
[illegible]	[illegible] drain	2.59	2.59	2.59	[illegible]	0	0	[illegible]	0	MANREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] drain	4.42	4.42	4.42	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	100% work completed
[illegible]	[illegible] drain	14.02	14.02	14.02	[illegible]	0	770000	0	0	Tender	100% work completed
[illegible]	[illegible]	9.1	9.12	9.13	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	100% work completed
[illegible]	[illegible] drain	[illegible]	4.37	4.37	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	100% work completed
[illegible]	[illegible] drain	4.8	4.8	4.8	[illegible]	0	442330	0	0	Tender	100% work completed
[illegible]	[illegible]	11.43	11.73	11.73	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	100% work completed

85 -349-

[illegible]	[illegible]	8.51	8.35	8.75	[illegible]	7	317529	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] drain	4.04	4.04	4.04	[illegible]	0	0	388410	200000	MNREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] Lok Drain	1.8	1.8	1.8	[illegible]	0	108826	0	0	Tender	100% work completed
[illegible]	[illegible] Drain No. 1	23.71	22	22	[illegible]	[illegible]	0	0	0	Departmental Machinery	[illegible] work completed
[illegible]	[illegible] Drain No. 2	[illegible]	13	13	[illegible]	0	0	[illegible]	0	MNREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] Drain	1.6	1.6	1.6	[illegible]	0	0	113466	0	MNREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] Drain No. 4	13.80	14	14	[illegible]	200000	3	477828	0	MNREGA/ Departmental Machinery	100% work completed
[illegible]	[illegible] Drain	20.77	18	18	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	MGNREGA/ Departmental Machinery	100% work completed
[illegible]	[illegible] Lok Drain	[illegible]	8	8	[illegible]	0	0	[illegible]	0	MNREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] Lok Drain	1.22	1.2	1.2	[illegible]	0	0	277833	0	MNREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] Drain	9.12	8	8	[illegible]	387727	0	1308775	0	MGNREGA/ Departmental Machinery	100% work completed
[illegible]	[illegible] Lok Drain	2.1	2.4	2.4	[illegible]	0	0	411380	0	MNREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] Drain No. [illegible]	18.7	18.5	18.5	[illegible]	770133	0	0	0	Departmental Machinery	[illegible] work completed
[illegible]	[illegible] Lok Drain	[illegible]	4.42	4.42	[illegible]	0	0	478081	0	MNREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] Drain	2.57	2.5	2.5	[illegible]	0	0	263348	0	MNREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] Lok Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	MGNREGA/ Departmental Machinery	100% work completed
[illegible]	[illegible] Drain	[illegible]	1	1	[illegible]	0	0	344522	0	MNREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] Lok Drain	1.82	1.8	1.8	[illegible]	0	0	144032	0	MNREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] Drain	8.8	8.8	8.8	[illegible]	[illegible]	0	0	0	Departmental Machinery	[illegible] work completed
[illegible]	[illegible] Lok Drain	[illegible]	1	1	[illegible]	0	0	179286	0	MNREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] Drain	[illegible]	2	2	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	MGNREGA/ Departmental Machinery	100% work completed

-350-

[illegible]	Hela Drain	10.27	10	10	[illegible]	30000	0	0	0	Departmental Machinery	100% work of [illegible]
[illegible]	[illegible] Mora Drain	3.19	3.23	3.23	[illegible]	0	0	713649	0	MANREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] Lnk Drain	7.94	4	4	[illegible]	0	0	1864691	0	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	8.94	8	8	Barodia [illegible]	0	0	1892080	0	MANREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] Drain	6.4	4.9	4.9	[illegible]	186825	0	0	0	Departmental Machinery	[illegible]
[illegible]	[illegible] drain	2.27	2.9	2.9	[illegible]	0	0	838114	0	MANREGA	[illegible]
[illegible]	[illegible] Drain	3.03	3	3	[illegible]	30000	0	808081	0	MANREGA/ Departmental Machinery	[illegible]
[illegible]	[illegible] Drain	7.94	3	3	[illegible]	0	0	470876	0	MANREGA	100% work completed
[illegible]	[illegible] drain	2.32	2.32	2.32	[illegible]	0	127237	0	0	Tender	100% work completed
[illegible]	[illegible] Drain	6.33	6.1	6.12	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Dhanaura Escape	22.5	22.5	22.5	[illegible]	0	0	3208921	0	MANREGA	100 % Work Completed
	Total	722.96	614.93	614.39		8468581	10687129	41237075	3880000		
[illegible]											
[illegible]	[illegible] (Banour) 1	2.44	2.44	2.44	[illegible]	72400	0	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] 2	2.13	2.13	2.13	[illegible]	80670	0	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] drain	3.03	3.06	3.03	[illegible]	101420	0	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] drain	3.05	3.05	3.05	Khatkhata	1-0013	0	0	0	Tender	[illegible]
	Total	10.57	10.67	10.67		271114	0	0	0		
[illegible]											
[illegible]	[illegible] Nullah	13.36	15.54	13	Tigaon	0	2743000	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] Drain	4.21	4.2	4.21	Tigaon	370000	0	0	0	[illegible]	[illegible]

- 351 -

[illegible]	[illegible] Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	outfall drain no. 1	3.15	2.58	2.58	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Drain	7.43	4.58	4.28	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	Outfall Drain no. 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	Kora Drain	4.54	1.22	1.22	Nuh	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Drain	16.21	3.01	2.67	Nuh	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	[illegible]	4.07	4.07	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	Nuh Drain	[illegible]	4.27	4.27	Nuh	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Nuh	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	2.7	2.7	2.7	Nuh	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Firozpur Jhirka	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	Outfall Channel [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Nuh	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	Outfall Channel [illegible]	[illegible]	[illegible]	3.7	Hathin, Nuh	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible] work completed and due to [illegible]
[illegible]	Outfall Channel [illegible]	[illegible]	2.16	2.16	Punhana	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	[illegible]	2.21	2.21	Hathin	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	[illegible]	[illegible]	——	Palwal	0	[illegible]	0	0	——	——
[illegible]	[illegible] L/Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Nuh	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] L/Drain	3.1	3.1	3.1	Firozpur Jhirka	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] L/Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Hathin	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] L/Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Palwal	0	[illegible]	0	0	Tender	completed
[illegible]	[illegible] L/Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Hathin	0	[illegible]	0	0	Tender	completed
[illegible]	[illegible] L/Drain	4.20	4.20	4.20	Hodal	0	[illegible]	0	0	Tender	completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Hodal	0	[illegible]	0	0	Tender	completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	2.21	2.21	2.21	Hathin	0	[illegible]	0	0	Tender	completed
[illegible]	[illegible] Link Drain No. 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Hodal	0	[illegible]	0	0	Tender	completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Palwal	0	[illegible]	0	0	Tender	completed

– 352

[illegible]	Rajpur Link Drain	[illegible]	7.84	7.84	Hodal	0	283080	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	Tola Link Drain	3.56	[illegible]	3.56	Hodal	0	191238	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	Old Rajpur Drain	6.04	6.04	5.04	Hodal	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	Achola Link Drain	9.33	8.2	4.8	Hodal	0	239566	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.58	1.6	——	Hathin	0	[illegible]	0	0	——	——
[illegible]	[illegible] Link Drain	7.51	0.7	0.7	Palwal	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	1.98	1.83	1.83	Hodal	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] Drain	5.52	5.52	5.52	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	0.75	0.75	0.75	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] Drain	4.20	4.20	4.20	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] Drain	1.96	1.96	1.96	[illegible]	0	67774	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] Drain	3.66	3.66	3.66	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	[illegible]	3.66	3.66	Hodal	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible] Link Drain	3.87	[illegible]	3.87		0	0	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	2.96	2.96	2.96	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	Tender	[illegible]
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0		

[illegible]

- 353 -

[illegible]	West side drain	14.33	14.33	[illegible]	Kharkhoda/ Gohana	[illegible]	0	0	0	Tender	Work completed at site
[illegible]	[illegible] Major Link Drain	4.88	4.88	4.88	Gohana	0	39700	0	0	Tender	Work completed at site
[illegible]	[illegible] DRAIN	0.68	0.68	0.68	Gohana	48256	0	0	0	Tender	Work completed at site
[illegible]	[illegible] LINK DRAIN	1.32	1.32	1.32	Gohana	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Work completed at site
[illegible]	KHANDA DRAIN NO. [illegible]	10.97	10.97	10.97	Kharkhoda	110000	0	0	0	Tender	Work completed at site
[illegible]	[illegible] DRAIN	4.77	4.77	2.36	Kharkhoda	[illegible]	0	0	0	Tender	Work completed at site
[illegible]	[illegible] DRAIN	11.89	11.89	11.89	Gohana/ Sonipat	[illegible]	0	0	0	Tender	Work completed at site
[illegible]	[illegible] HOUSE LINK DRAIN	0.04	0.04	0.04	Kharkhoda	0	0	0	[illegible]	MANREGA	Work completed at site
[illegible]	[illegible] DRAIN	7.42	7.42	7.42	[illegible]	275140	0	0	0	Tender	Work completed at site
[illegible]	[illegible] DRAIN	2.97	2.97	2.97	Kharkhoda	45000	0	0	0	Tender	Work completed at site
[illegible]	DRAIN NO. [illegible]	13.14	2.80	1.87	Sonipat	[illegible]	[illegible]	0	0	Tender	Work completed at site
[illegible]	BHATGAON [illegible] DRAIN	0.34	0.34	0.34	Sonipat	0	30000	0	0	Tender	Work completed at site
[illegible]	BHATGAON [illegible] DRAIN	1.35	1.35	1.35	Sonipat	[illegible]	0	0	0	Tender	Work completed at site
[illegible]	Kharkhoda Drain	10.08	10.08	10.08	Kharkhoda	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Drain	17.09	17.09	17.09	Sonipat	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	2.05	2.05	2.05	Kharkhoda	0	318233	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Link Drain No. [illegible]	0.76	0.76	0.76	Rai	0	318233	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.54	15.54	Gohana	0	[illegible]	0	0	Through Agency	Work completed
[illegible]	[illegible] drain	11.5	11.5	11.5	Kharkhoda	0	[illegible]	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	3.1	3.1	3.1	Kharkhoda	0	318233	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	Drain	2.42	2.42	2.42	Kharkhoda	0	318233	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kharkhoda	0	318233	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Drain	2.33	2.33	[illegible]	Kharkhoda	0	318233	0	0	Tender	Work completed
[illegible]	[illegible] Drain	13.18	13.18	3.29	Ganaur	0	0	[illegible]	0	MANREGA	50% work completed
[illegible]	[illegible] Drain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ganaur	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Work completed
[illegible]	[illegible] Link Drain	2.05	2.05	2.05	Ganaur	0	0	[illegible]	0	MANREGA	Work completed

-354-

469	Mahuan Drain	20.88	23.88	20.88	Damaon	0	79933	0	0	Tender	Work completed
470	[illegible] Drain	3.01	2.86	2.86	Gadau	0	89180	0	0	Through Agency	Work completed
471	Sardhana Link Drain	4.04	4.04	4.04	Sampla	0	0	51818	0	[illegible]	Work completed at site
472	Nakhu Link Drain	3.05	3.05	3.05	Sampla	0	8254	0	0	Tender	Work completed at site
473	Bhagan Link Drain	1.87	1.87	1.87	Sampla	58481	0	0	0	Tender	Work completed at site
474	Kau Jhuli Drain DNP	10.15	10.15	10.15	Rohtak	188657	48414	0	0	Tender	Work completed at site
475	KHANDA DRAIN NO.2	7.24	7.24	7.24	Kharkhoda	228121	0	0	0	Tender	Work completed at site
	Total	234.66	212.52	197.83		2060784	5041287	129850	20000		

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 29 अगस्त, 2023 प्रात: 11:00 बजे तक के लिए *स्थगित किया जाता है।

*18.33 बजे

(तत्पश्चात् सभा मंगलवार, दिनांक 29 अगस्त, 2023 प्रात: 11:00 बजे तक के लिए * स्थगित हुई।)